लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Press Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—8, बुधवार, 24 नवम्बर, 1971/3 अग्रहायण, 1893 (शक)

No.—8, Wednesday, November 24, 1971/Agrahayana 3, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्रा० संख्या S. Q. No.		
211. बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद का सुझाव	Suggestion by National Council of Applied Economic Research for providing Jobs to Unemployed	1—4
212. दिल्ली में टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	Establishment of T. V. Training Institute in Delhi	4—5
215. विदेशी धन के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधान	Legislation to curb Role of Foreign Money	5—6
216. मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कंपनी इन्डिया लिमिटेड द्वारा तालाबन्दी की घोषणा	Lockout declared by M/s Braithwaite and Co. (India) Ltd.	6—7
218. विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त कृत्य और दायित्व	Additional Functions and Responsibilities of Department of Science and Technology	7—9
219. कलकत्ता में बन्द पड़े औद्योगिक एककों का पुनः चालू किया जाना	Reopening of closed Industrial Units in Calcutta	9—15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
220.	राज्यों में बन्द पड़ी संकट-ग्रस्त मिलें	Closed Sick Mills in States	15—17
221.	केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	A.R.C Report on Centre-State Relations	18
222.	भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सूचना सेवा एसोसियेशन के महासंघ के बीच विवाद	Controversy between I.A.S. Offices and Confederation of Central Government Officers and Central Information Service Association	19
223.	श्री ज्योति बसु पर हुए प्राण घातक आक्रमण के संबंध में प्रतिवेदन	Report on the attack on the Life of Shri Jyoti Bosu	19—20
226.	भारतीय परमाणु वैज्ञानिकों द्वारा रूसी वैज्ञानिकों के सहयोग से परमाणु ऊर्जा	Exploitation of Atomic Energy by Indian Atomic Scientists in collaboration with Russian Scientists	20—21

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

213.	पंजाब में हथियारों और गोला-बारूद का बरामद होना	Seizure of Arms and Ammunition in Punjab	21—22
214.	ट्रैक्टरों का उत्पादन और आवश्यकता	Production and Requirement of Tractors	22
217.	स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करना	Issue of Letters of intent for setting up Scooter Plants	22—23
224.	अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी संघ का पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन	Fifth National Conference of All India Newpapers Employees' Federation	23—27
225.	औद्योगिक मशीनरी और परिवहन उपकरण उद्योगों के कार्यकरण परिणाम	Working Results of Industrial Machinery and Transport Equipment Industries	27—28
227.	देश में पुलिस के कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिये आयोग	Commission to review the functioning of Police Forces in the Country	28—29

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
228.	अमृतसर की जेल से भाग निकले अभियोगाधीन पाकिस्तानी बन्दी	Pakistani Uudertrial Prisoners escaped from Amritsar Jail	29—30
229.	छात्र अशांति तथा देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Students Unrest and Law and Order Situation in the Country	30
230.	दिल्ली में नक्सलवादी आन्दोलन	Naxalite Movement in Delhi	30
231.	पंजाब में पाकिस्तान के प्रशिक्षित जासूसों का गिरोह	Trained Pak Spy Ring in Punjab	30–31
232.	उदयपुर में जासूसी के आरोप में एक पाकिस्तानी स्त्री तथा उसके लड़के की गिरफ्तारी	Arrest of a Pakistani Woman and her son on spying charges in Udaipur	31
233.	गुड़ के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध	Ban on Forward Trading in Gur	31—32
234.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए सोलह सूत्री कार्यक्रम	16-Point Programme to step up Industrial Development in West Bengal	32—34
235.	इम्फ़ाल (मनीपुर) में पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर गोली चलाया जाना	Police Firing on Students at Imphal (Manipur)	34
236.	आसाम में अत्यावश्यक वस्तुओं की गम्भीर कमी	Scarcity of Essential Goods in Assam	35
237.	मैसर्स रेमिंगटन रैंड एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा पोर्टेबल टाइपराइटर मशीन का निर्माण	Production of Portable Typewriter Machine by M/s Remington Rand and Co. Ltd.	35
238.	दूर संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	A.R.C. Recommendation re : Research and Development in Telecommunications Technology	35 - 36
239.	लघु औद्योगिक तथा नियमित क्षेत्र (कारपोरेट-सैक्टरों) की विकास दर	Rate of Growth of Small Scale Industrical and Corporate Sectors	36
240.	अशोक होटल नई दिल्ली में आभूषणों की चोरी	Theft of Jewellery from Ashoka Hotel New Delhi	36

विषय	Subject	पृष्ठ Pages

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1394. बाढ़ तथा अधिक वर्षा के कारण पालामाउ (बिहार) में हुई हानि	Damage due to Flood and Excessive Rainfall in Palamau (Bihar)	37
1395. डाक-तार विभाग में नए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध	Ban on Creation of New Posts in P and T Department	37
1397. आसाम सर्किल में किराये की इमारतों में डाक व तार घर	P and T Offices in rented Building in Assam Circle	37—38
1398. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	I.A.S. Officers in States and Union Territories	38—39
1399. पाकिस्तान और चीन के लिये जासूसी करने के अपराध में गिरफ्तार किये गए व्यक्ति	Persons arrested for spying for Pakistan and China	39—40
1400. दिल्ली प्रशासन के फालतू कर्मचारियों का खपाया जाना	Absorption of Surplus Employees of Delhi Administration	40
1401. बिलासपुर जिले में तीन हरिजनों की हत्या	Three Harijans killed in Bilaspur District	40
1402. अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता संस्था और डाक्टर भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली, के ट्रस्टी के विरुद्ध कार्यवाही	Action Against Trustee of All India Blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi	41
1403. ए०एम०आई०ई० योग्यता प्राप्त इन्जीनियरिंग डिप्लोमाधारी	A.M.I.E. OUALIFED Engineering Diploma Holders	41
1404. गुजरात में कच्छ सीमावर्ती क्षेत्र में समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियां	Activites of Anti-Social Elements on Border Area of Kutch in Gujarat	41—42

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1405.	बस्सी तहसील (जयपुर) के हरिजन परिवारों पर अत्याचार	Terror let loose against Harijan Families of Bassi Tehsil (Jaipur)	42
1406.	गांव खेडी गनारन (पटियाला) में हरिजन काश्तकारों का निष्कासन	Ejection of Harijan Cultivators in Village Kheri Ganaran (Patiala)	42
1407.	गुड़गांव जिले में हरिजन कालोनी को जाने वाली सड़क का बन्द किया जाना	Blockage of Road Leading to Harijan Colony in Gurgaon District	42—43
1408.	चपरासियों/आई०सी० एस० अधिकारियों / उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति आयु	Retirement Ages of Peons/I.C.S. Officers/ Judges of Supreme Court	43
1409.	महाराष्ट्र में रूई के व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Cotton Trade in Maharashtra	43—44
1410.	एच०एम०टी० की घड़ियों का निर्यात	Export of H.M.T. Watches	44
1411.	चमड़ा वस्तु उद्योग के अध्ययन के लिए समिति का गठन	Setting up of Committee to Study Leather Goods Industry	44—45
1412.	राजभवनों के व्यय में मितव्ययता	Economy in Expenditure in Raj Bhavans	45
1413.	24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल की काटजू नगर कालोनी के निवासियों पर आक्रमण	Attack on Residents of Katju Nagar Colony of 24 Parganas District, West Bengal	45
1414.	दिल्ली में अपहरण के मामले	Cases of Kidnapping in Delhi	45—46
1415.	कलकत्ता के एक निगम-पार्षद तथा कर्मचारी संघ के एक नेता के पुत्र से आग्नेयास्त्रों का बरामद होने का समाचार	Alleged Recovery of Fire Arms from a Corporation Councillor of Calcutta and from a son of Employees Union Leader	46

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1416.	राज्य परिवहन डिपों, कलकत्ता से विस्फोटक सामग्री का बरामद किया जाना	Recovery of Explosive Materials from State Transport Dept., Calcutta	46
1417.	नक्सलवादियों की गतिविधियों को कुचलने के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस तथा सेना का तैनात किया जाना	Deplopment of CRP and Army personnel in West Bengal to Curb Naxalite Menace	46—47
1418.	जाधवपर (पश्चिम बंगाल) में राजेन्द्र प्रसाद कालोनी, के निवासियों पर आक्रमण	Attack on residents of Rajendra Prasad Colony, Jadavpur (West Bengal)	47
1419.	छोटी कार परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Small Car Project	47—48
1420.	विदेशों में भारतीय उपक्रमों में कदाचार	Malpracties in Indian Enterprises Abroad	48
1421.	भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, में भर्ती	Recruitment in Heavy Electricals Limited Bhopal	48—49
1422.	बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए मंत्रियों द्वारा अपने वेतन में स्वेच्छा से कटौती	Voluntary Cut in Salaries by Ministers for Bangla Desh Refugees	49
1423.	भारत में तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों की गतिविधियां	Activities of Pakistani Saboteurs in India	49
1424.	बंगला देश के शरणार्थियों के शिवरों में पाकिस्तानी एजेंट	Pakistani Agents in Camps for Bangla Desh Refugees	49—50
1426.	रोजगार प्राप्त जन संख्या में कमी	Decline in Percentage of Working Population	50
1427.	सीमा सुरक्षा बल द्वारा बमों, माइन्स तथा अन्य सामग्री का बरामद किया जाना	Discovery of Bombs, Mines and Other Materials by Border Security Force	50—51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1428.	पश्चिम बंगाल में विस्फोटक पदार्थों के अवैध रूप से आवागमन का पता लगाया जाना	Illegal Movement of Explosives Detected in West Bengal	51
1429.	मितव्ययता के उपाय के रूप में मंत्रियों के वेतन में कटौती	Cut in Salaries of Ministers as a Measure of Economy	51
1430.	औद्योगिक पुनर्गठन की स्थापना	Setting up of Industrial Reorganisation Commission	51—52
1431.	इण्डियन टोबेको कम्पनी में ताल बन्दी	Lock. out in Indian Tobacco Company	52
1432.	कलकत्ता में पूंजी निवेश मार्गदर्शी केन्द्र की स्थापना	Setting up of Investment Guidance Centre in Calcutta	52
1433.	विदेशी मुद्रा जालसाजी का पता लगना	Unearthing of Foreign Exchange Racket	52—53
1434.	जम्मू और कश्मीर लाटरी घोटाला	Jammu and Kashmir Lottery Scandal	53
1435.	नागरिक सुरक्षा के लिए कार्यवाही	Measures for Civil Defence	53—54
1436.	निर्माता फर्मों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न किया जाना	Creation of Artificial Shortage of Consummers godds by Manufacturing concerns	54
1437.	हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में पुलिस गोली कांड	Police Firing at Haldia (West Bengal)	54
1438.	सरकार समिति का प्रतिवेदन	Sarkar Committee Report	55
1439.	भारत का त्रि-विमितीय (3-डाइमेंशनल) मानचित्र	3-Dimensional Map of India	55—56
1440.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में काम करने वाले कर्मचारी	Staff Working in C.S.I.R.	56
1441.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद पर व्यय	Expenditure on C.S.I.R.	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1442.	राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं में वर्तमान सुविधाओं का औद्योगिक केन्द्रों द्वारा उपयोग न किया जाना	Non-Utilization of Existing Facilities in National Laboratories by Industrial Centres	58
1443.	मध्य प्रदेश में इस्पात के सामान की कमी	Shortage of Steel Materials in Madhya Pradesh	58
1444.	उत्तराखंड में यूरेनियम के निक्षेप	Uranium Deposits in Uttarakhand	59
1445.	दलबदल सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Committee on Defections	59
1446.	रूस के सहयोग के साथ उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण	Manufacture of Conusmer Goods with Soviet Collaboration	59
1448.	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन	Manufacture of Consumer Goods Public Sector	60
1449.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति	National Committee on Science and Technology	60
1450.	डाक-तार विभाग में कागज तथा मुद्रण सम्बन्धी संकट	Paper and Printing Crisis in P and T Department	60—61
1451.	उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले	Backward Districts in U. P.	61
1452.	जिलों तथा क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ घोषित करने का आधार	Criteria for declaring Backward Districts and Areas	61—64
1453.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुल सदस्य संख्या	Strength of C.R.P.	64
1454.	हिन्सात्मक कार्य निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल की जेलों में नजरबन्द व्यक्तियों का वर्गीकरण	Classification of Detenus kept in jails in West Bengal under P.V.A. Act	64—65
1455.	बैटरियों का उत्पादन	Manufacture of Batteries	65
1456.	भारत में रूसी साहित्य का वितरण	Distribution of Soviet Literature in India	65—66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1457.	मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences for setting up small Industries in Madhya Pradesh	66
1458.	उद्योगों में लाइसेंस प्राप्त क्षमता में अधिक उत्पादन	Production in Industries Beyond Licensed Capacity	66
1459.	गुलबर्गा में प्रस्तावित सीमेंट की स्थापना	Setting up of Cement Factory in Gulbarga	66—67
1460.	विदेशी सहयोग करार	Foreign Collaboration Agreement	67
1461.	प्रधान मन्त्री, मंत्रियों, शासकीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ समाचार एजेंसियों के प्रतिनिधियों की विदेश यात्रा	Representatives of News Papers Agencies accompanying Prime Minister, Ministers, Official Delegation etc.	67
1462.	पंजाब में नक्सलवादियों के नाम पर लोगों की कथित हत्या	Alleged killing of Persons in the name of Naxalites in Punjab	68
1463.	चौथी योजना में बड़ी और चालू योजनाओं का पूरा किया जाना	Completion of Major and 'Continuing' Schemes during Fourth Plan	68
1464.	कोरी फिल्मों का उत्पादन	Production of Raw Films	69
1465.	छोटी कार बनाने के लिए प्राइवेट पार्टियों को लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences to Private Parties for manufacture of Small Car	69—70
1466.	सरकारी क्षेत्र में यात्री बसों का निर्माण	Manufacture of Passenger Buses in Public Sector	70
1467.	सरकारी क्षेत्र की स्कूटरेट परियोजना	State Sector Scooterette Project	70
1468.	उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in U.P.	71
1469.	स्कूटर बनाने वाले कारखानों में जमा प्रतिभूतियां	Security Deposit with Scootor manufacturing factories	71—72
1470.	बड़े और छोटे उद्योगों में निवेश	Investment in large and Small Scale Industries	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1471.	भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की घुसपैठ	Intrusion of Pak Citizens into India	73
1472.	नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने भारतीय जनसंघ के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज	Lathi-charge on Bhartiya Jan Sangh Demonstrators before Pakistan High Commission, New Delhi	73
1473.	दिल्ली में कांग्रेस दल द्वारा आयोजित रैली	Rally organised by Congress Party Delhi	73
1474.	देश में जासूसों की गतिविधियां	Espionage activities in the Country	74
1475.	प्रधान मन्त्री के चुनाव संबंधी दौरों पर व्यय	Expenditure on Election Tours under taken by Prime Minister	74
1476.	इण्डिया सिविल सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्गों के अधिकारियों के कृत्यों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C.'s recommendations re: functions of Officers of I.C.S. and I.A.S. Cadres	74
1477.	लघु उद्योग गोष्ठी	Seminar on Small Scale Industries	74—75
1478.	परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन, विधान और प्रवर्तन	Study, legislation and enforcement of Ecology	75—76
1479.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कांस्टेबलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary Action against C.R.P. Constables	76
1380.	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन पत्र देने के सम्बन्ध में उत्तराखंड के अभ्यार्थियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां	Difficulties experienced by Candidates from Uttarakhand in applying for Posts advertised by U.P.S.C.	76
1481.	केरल में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की योजना	Plan for solving Unemploy ment in Kerala	77
1482.	पश्चिम बंगाल के प्रशासन में सुधार	Streamlining of Administration West Bengal	77—78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1483.	दिल्ली नगर निगम के वर्तमान आयुक्त का स्थानान्तरण	Transfer of present Commissioner Municipal Corporation of Delhi	78
1484.	पश्चिम बंगाल में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना	Incentive to Industrialists for setting up Industires in West Bengal	78
1485.	दिल्ली में राष्ट्रीय बचत पत्रों में कथित गोलमाल	Alleged bungling in National Savings Certificates in Delhi	79
1486.	औद्योगिक एककों का बन्द होना	Closure of Industrial Units	79—80
1487.	तोड़-फोड़ करने के लिए शरणार्थियों के भेष में तोड़-फोड करने वाले पाकिस्तानियों का भारत में आना	Crossing over of Pak Saboteurs in India in the guise of Refugees to commit Sabotage and Subversion	80
1488.	हावड़ा, पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंज पर अवैध कब्जा	Unlawful Occupation of Telephone Exchange at Habra, West Bengal	80
1489.	पश्चिम बंगाल में उद्योगों की दशा	State of Industries in West Bengal	80—81
1490.	मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Midnapur (West Bengal)	81—82
1491.	आसाम की नई राजधानी के लिए सहायता	Assistance for a new capital of Assam	82
1492.	नेफा का मुख्यालय	Headquarters of NEFA	82—83
1493.	बर्दमान जिले (पश्चिम बंगाल) में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कार्यकत्ताओं के शवों का कथित रूप से बरामद किया जाना	Alleged recovery of dead bodies of C.P.I.(M) workers in Burdwan District (West Bengal)	83
1494.	हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ, दुर्गापुर की कार्यकारी समिति के सदस्य की हत्या	Murder of a working Committee Member of Hindustan Steel Employees Union Durgapur	83—84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1495.	ग्राफाइट (इंडिया) लिमिटेड, दुर्गापुर के कर्मचारियों का कथित रूप से परेशान किया जाना	Alleged harassment of workers of Graphite (India) Ltd. Durgapur	84
1496.	ए०बी०बी० कर्मचारी संघ कार्यालय, दुर्गापुर का टेलीफोन कनेक्शन काटा जाना	Removal of telephone from A.V.B, Employees Unions' Office, Durgapur	84
1497.	पृथक विदर्भ राज्य के लिए आन्दोलन	Agitation for separate State Vidharba	85
1498.	जनमत संग्रह मोर्चे के एक प्रमुख नेता, श्री हगरु द्वारा भारत के प्रति मिष्ठा की शपथ	Loyalty pledged to India by a Prominent Plebiscite Front leader	85
1499.	राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विरोध में पश्चिम बंगाल सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा काम करना बन्द किया जाना	Stoppage of work by employees of West Bengal Secretariat in protest against dismissal of State Employees	86
1500.	नेशनल एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से सेटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट	Satellite Instructional Television experiment with NASA's help	86—87
1501.	संगीत तथा नाटक विभाग कर्मचारी संघ को मान्यता दिया जाना	Recognition of Song and Drama Division Employees Association	87
1502.	अनुपूरक जनगणना संबंधी आंकड़े	Supplementary Census Data	87—88
1503.	हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income in Haryana	88
1504.	राजकोट में सार्वजनिक टेलीफोन घरों और टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना	Opening of P.C.O's and Telephone Exchanges in Rajkot	88—89

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1505.	महाराष्ट्र में बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना	Out-of-turn Telephone Connections in Maharashtra	89
1506.	रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के संयंत्रों और उपकरणों की कमी	Shortage of Raw Materials, Plants and Equipments in Chemical Industry	89—90
1507.	पंजाब में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के राजनीतिक कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Political Workers belonging to C.P.I.(M) in Punjab	90
1508.	धारवाड़, (मैसूर) के एक स्वतन्त्रता सेनानी और किसान सभा के कार्यकर्त्ता की हत्या	Murder of a Freedom Fighter of Kisan Sabha Worker of Dharwar (Mysore)	90—91
1509.	पश्चिम बंगाल में श्री श्याम सुन्दर कोनार नामक व्यक्ति की हत्या	Murder of one Shri Shyam Sunder Konar in West Bengal	91
1510.	पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक विद्यार्थी नेता की हत्या	Murder of a Student Leader in Howrah District (West Bengal)	91—92
1511.	बर्दवान, पश्चिम बंगाल में श्री बबलू दत्त नामक एक व्यक्ति की हत्या	Murder of one Shri Bablu Dutt in Burdwan (West Bengal)	92
1512.	पश्चिम बंगाल में श्री लक्ष्मी नायक नामक व्यक्ति की कथित हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Alleged Murder of Lekshmi Nayak in West Bengal	92
1513.	केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्थान, धनबाद के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters to Staff of Central Fuel Research Institute, Dhanbad	93
1514.	केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में काम करने वाले कर्मचारी	Staff working in Central Fuel and Research Insitute, Dhanabad	93—94

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1515.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में कर्मचारियों के चुनाव की पद्धति	Mode of Selection of Employees in C.S.I.R.	94
1516.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की प्रयोगशालाओं में प्रतिनिधियों की समितियां	Representatives' Committees in Laboratories of C.S.I.R.	94—95
1517.	पांडिचेरी में विभिन्न परियोजनाओं का पूरा किया जाना	Completion of various projects in Pondicherry	95—96
1518.	चीनी मिल मशीनरी उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग	Utilisation of installed capacity in Sugar Mill Machinery Industry	96
1519.	आवश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी	Black Marketing in Essential Commodities	97
1520.	केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर राजामन्नार समिति का प्रतिवेदन	Rajamannar Report on Centre-State Relations	97
1521.	दिल्ली के गुरुद्वारों से सम्बन्धित प्रारूप विधेयक का विरोध	Opposition to Draft Bill on Delhi Gurdwaras	97—98
1522.	तेलंगाना क्षेत्र में मुल्कियों के प्रतिस्थान पर तेलंगाना कर्मचारियों, एसोसियेशनों तथा यूनियनों के फेडरेशन द्वारा चेतावनी	Warning by Federation of Telengana Employees' Associations and Union Replacement of Mulkies in Telengana Region	98
1523.	लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industry	98
1524.	बेरोजगारी को रोजगार देने के लिये नियत की गई राशि का उपयोग न किया जाना	Non-Utilisation of Funds Allocated Providing Employment to Unemployed Persons	98—100
1525.	उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिये केन्द्रीय अंशदान	Central Allocation for Development of Industries in U. P.	100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1526.	केरल में राजस्व बोर्ड के एक सदस्य की मुअत्तिली	Suspension of a Member of Board of Revenue in kerala	100—101
1527.	मध्य प्रदेश में ग्रामीण उद्योग	Rural Industries in Madhya Pradesh	101
1528.	फिल्म सेंसर करने के संबंध में खोसला समिति के प्रतिवेदन का निर्णय	Decision on Khosla Committee Report on Film Censorship	101
1530.	गन्दी बस्तियों को हटाने और सुधार की योजना को राज्यों से लेकर केन्द्र को सौंपने के आवास मंत्रालय के सुझाव को अस्वीकार किया जाना	Rejection of Housing Ministry's suggestion for Tranferring Slum Clearance and Improvement Scheme from States to Central Sector	102—103
1531	फिल्म और टेलीविजन संस्थान पूना के बारे में जांच समिति की नियुक्ति	Appointment of Committee to probe into Film and T.V. Insitute Poona	103—104
1532.	लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Licences	104—105
1533.	सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कारखानों की स्थापना	Setting up of Factories in Public and Private Sectors	106—107
1534.	कार्मिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A.R.C's Recommendations on Personnel Administration	107
1535.	आंध्र प्रदेश के एक नकसलवादी नेता को दिये गये मृत्यु दण्ड में परिवर्तन करने के लिये प्राप्त याचिका	Petition received for Commutation of Death Sentence passed on a Naxalite Leader of Andhra Pradesh	107—108
1536.	हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड	Hindustan Cables Ltd.	108
1537.	भारतीय टेलीफोन उद्योग की निर्धारित क्षमता	Rated Capacity of Indian Telephone Industries	108—109
1538.	विज्ञापन के क्षेत्र में एकाधिकार गृह	Monopoly Houses in the Field of Advertising	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1539.	"मित्सुबिसी" के सहयोग से भारत में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Collaboration with Mitsubishi	109
1540.	गोल्ड स्पाट और लिमका मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का पूंजी निवेश और परि-सम्पत्ति	Investment and assets of Gold spot and Limca Manufacturing Companies	109—111
1541.	कागज की खोल वाले केबल का स्थानापन्न तार	Substitute for paper insulated cables	111
1542.	मध्य प्रदेश में टेलीफोन केबलों की कमी	Shortage of Telephone cables in Madhya Pradesh	111—112
1543.	अखिल भारतीय टेलीविजन केन्द्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक नेताओं के साथ योजना मन्त्री की बैठक	Planning Minister's meeting with labour leaders representing All India Trade Union Centres	112
1544.	परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच समझौता	Agreement between India and West Germany in the Field of Atomic Energy	113
1545.	श्रीहरिकोटा क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश) से भारत निर्मित राकेट का छोड़ा जाना	Launching of Indian made Rockets from Sriharikota Range (Andhra Pradesh)	113
1546.	परमाणु विद्युत	Nuclear Power	113—114
1547.	उद्योगों की स्थापना/विस्तार के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र	Pending applications for setting up/expansion of industries	114—115
1548.	कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में "रेजिस्टेस ग्रुपों" का गठन	Formation of 'Resistance Group' Calcutta and other districts of West Bengal	115
1549.	विषाक्त पेय के कारण दिल्ली के छतरपुर गांव के एक लड़के की मृत्यु	Death of a Boy of Chhatarpur Village Delhi due to Poisonois Drink	115—116
1550.	आसाम सर्कल में तांबे के तार की चोरी	Theft of Copper Wire in Assam Circle	116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1551.	पाकिस्तान से तोड़फोड़ करने में प्रशिक्षण प्राप्त बंगला देश के युवकों द्वारा आत्मसमर्पण	Surrendering by Pak Trained Youths in Sabotage from Bangla Desh	116
1552.	अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी और खाद्यानों में मिलावट	Scarcity in Essential Articles and Adulteration in Foodstuffs	117
1553.	राज्यों की सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पदों हेतु पदोन्नति-कोटे में वृद्धि	Increase in Promotion Quota of I.A.S. Officers from State Civil Services	117—118
1554.	प्रशिक्षित अध्यापकों को रोजगार देने और शिक्षित बेरोजगारों को राहत देने के लिए द्रुत कार्यक्रम	Crash Programme for Providing Relief to Educated Unemployed and employment to trained Teachers	118—119
1555.	दिल्ली पुलिस के बारे में खोसला आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of Khosla Commission re: Delhi Police	119
1556.	नई दिल्ली मुख्य डाकघर में डाक पत्रों का अंग्रेजी/हिन्दी में लिप्यान्तरण	Transcription of Mail Addresses into English/Hindi in new Delhi H.P.O.	120
1558.	पिछड़े हुए क्षेत्रों में एक करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश वाले औद्योगिक एककों के लिए 10% राज सहायता की मांग	Demand of 10 per cent Subsidy upto one Crore Investment for Industrial Units in Backward Areas	120
1559.	विशिष्ट पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों की स्थापना	Setting up of industrial units in Selected Backward Districts	121
1560.	हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा नागालैंड और आसाम में कागज मिलों की स्थापना	Setting up of Paper Mills in Nagaland and Assam by Hindustan Paper Corporation	121—122
1561.	मनीआर्डरों का गुम होना	Loss of Money Orders	122—123

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1562.	सुन्दरबन को एक अलग जिला बनाना	Creation of Sunderbans into a separate District	123
1563.	पश्चिम बंगाल में विभिन्न निरोधक अधिनियमों के अन्तर्गत रोके गये व्यक्तियों की रिहाई	Release of persons detained under various Detention Acts in West Bengal	123
1564.	तूफान से क्षतिग्रस्त उड़ीसा की दूर संचार व्यवस्था को पुन: चालू करना	Restoration of Telecommunication System Damaged by Cyclone in Orissa	123—124
1565.	ट्रैक्टरों के टायरों का निर्माण	Manufacture of Tractor Tyres	124
1566	पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति में प्रगति	Progress in Law and Order situation in West Bengal	124
1567.	पश्चिम बंगाल में सरकारी फाइलों का गुम होना	Government files missing in West Bengal	124—125
1568.	आसाम-नागालैण्ड सीमा विवाद	Assam-Nagaland Boundary Dispute	125
1569.	सीमेंट मिल मशीनरी उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग	Utilisation of installed capacity in cement Mill Machinery industry	125
1570.	पुलिस आवास योजना के लिये राज्य सरकारों को ऋण	Loans to State Government for Police Housing Schemes	125—126
1571.	पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिये राज्यों को सहायता	Assistance to States for Modernisation of Police Forces	126—127
1572.	राज्यों में केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा दिये जाने वाले राज्य सूची के कार्यों का विश्लेषण	Analysis of items in State List being handled by Central Agencies in States	127—129
1573.	चौथी योजना के कार्यक्रमों के लिये चिकित्सकों की उपलब्धता	Availability of Medical Personnel for Fourth Plan Schemes	129

ग्रता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1574.	रोजगार ग्रौर प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन का प्रारूप	Draft Report on Employment and Training	129—130
1575.	ड्रिलिंग उपकरण बनाने वाले उद्योग को अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग	Utilisation of installed capacity Drilling Equipment Manufacturing Industry	130—131
1576.	जिला योजना के ग्राघार पर चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण	Revision of Fourth Five Year Plan on the basis of District Plans	131
1577.	फिलीपीन, इंडोनेशिया तथा फिजो के सहयोग से ग्रौद्योगिक परियोजनाग्रों की स्थापना	Industrial projects in collaboration with Philippines, Indonesia and Fiji	131—132
1578.	सवर्ण हिन्दुग्रों द्वारा हरिजनों के साथ कथित मारपीट	Alleged beating of Harijans by caste Hindus	132—133
1579.	गुजरात के गांव में डाक वितरण	Mail Delivery in Gujarat Villages	133
1580.	मैसर्स गोल्डस्पाट द्वारा एयरेटिड वाटर बाटलिंग मशीनरी का निर्माण	Manufacture of Aerated Water Bottling Machinery by M/s Gold Spote	133—134
1581.	पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के उपरांत से वहां मौतें, गिरफ्तारियों और हिंसात्मक घटनाग्रों के मामले	Cases of deaths, arrests and violent incidents in West Bengal after President's Rule	134
1582.	पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों का बर्खास्त किया जाना	Dismissal of Government Employees in West Bengal	135
1583.	पश्चिम बंगाल में ग्रतिवादी तत्वों के विरुद्ध मामले	Cases against extremist elements in West Bengal	135—136
1584.	भारत हैवी इलक्ट्रिकल्स, रानीपुर (हरिद्वार) के मामलों की जाँच	Enquiry into affairs of Bharat Heavy Electricals, Ranipur (Hardwar)	136

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1585.	पाली को जयपुर के साथ सीधी सम्पर्क लाइन के साथ जोड़ना	Connection of Pali City with Jaipur by Direct Link line	136
1586.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार में लोगों को रोजगार दिया जाना	Employment of persons in Bharat Heavy Electricals Ltd. Hardwar	136—137
1587.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (हरिद्वार) में इंजीनियरिंग कर्मचारी	Engineering Staff in Bharat Heavy Electricals Ltd. Hardwar	137—138
1588.	पंजाब के भूतपूर्व मन्त्री का "देश प्रदेश" के संवाददाता के साथ सिक्खिस्तान के बारे में इंटरव्यू	Interview with a correspondent of "Desh Pradesh" by a Former Punjab Minister re "Sikhistan"	138
1590.	नई दिल्ली स्थित इर्विन अस्पताल से लगी पटरी पर पड़े हुए शव का पाया जाना	Deadbody found lying on payment skirting Irwin Hospital, New Delhi	139
1591.	मदुराई (तमिलनाडु) में औद्योगिक एककों की स्थापना	Setting up of Industrial Units at Madurai (Tamil Nadu)	139
1592.	मध्य प्रदेश में उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग	Utilisation of idle capacity in Industries in Madhya Pradesh	139—140
1593.	मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग स्थापित कर असमानताओं को हटाना	Removal of imbalances by setting up of Rural Industries in Backwad areas of Madhya Pradesh	141
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	141—144
	उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में चीनी के कारखानों और गन्ना उत्पादकों की कठिनाइयां	Difficulties faced by Sugar factories and cane growers in U.P. and other States	141
	श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey	141—143
	प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh	143
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	144—146

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	147
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report	147
पाकिस्तान में आपात-स्थिति की घोषणा तथा भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Declaration of Emergency in Pakistan and situation on India-Pakistan Border	147—148
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	147—148
कार्य-मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	148—149
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	148
मेघालय में मैलान और बालात शरणार्थी शिवरों की स्थिति के बारे में	Re. Situation in Mailan and Balat Refugee Camps in Maghalaya	149—150
विभागीय जांच (साक्षियों की उपस्थिति का प्रवर्तन और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना) विधेयक—पुरःस्थापित	Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Bill—Introduced.	150
अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक	Forward Contracts (Regulation) Amendment Bill	150—156
विचार किए जाने का प्रस्ताव	Motion to consider	150
श्री घनश्याम ओझा	Shri Ghanshyam Oza	150—151
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	151
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	151—152
श्री डी० के० पण्डा	Shri D. K. Panda	152—153
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	153
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	153—154
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	154
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	154
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2,3 and 1	155
पारित करने के लिए प्रस्ताव	Motion to Pass	155—156
श्री घनश्याम ओझा	Shri Ghanshyam Oza	154—156

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
छोटे सिक्कें (अपराध) विधेयक	Small Coins (Offences) Bill	156—168
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	156
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	156
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	157
श्री माधुर्य्य हालदार	Shri Madhuryya Haldar	157—158
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	158
श्री राम रतन शर्मा	Shri R R. Sharma	158—159
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	159—160
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	160
श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	160—161
श्री भागीरथ भंवर	Shri Bhagirath Bhanwar	161
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	161—162
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	162
खंड 2 से 10 और 1	Clauses 2 to 10 and 1	162
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	162
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	162—168
रेलवे यात्री भाड़ा अध्यादेश तथा रेलवे यात्री भाड़ा विधेयक के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re Railway Passenger Fares Ordinance and Railway Passenger Fares Bill	168—170
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	168—169
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	169
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammed Ismail	169—170
समाचार पत्रों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Increase in prices of News papers	170—174
श्रीमती नन्दिनी सत्पथी	Shrimati Nandini Satpathy	170
पश्चिम बंगाल के बिजली के संकट के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re Power Crisis in West Bengal	174—178
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	174
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	176—178

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 24 नवम्बर, 1971/3 अग्रहायण, 1893 (शक)
Wednesday, November 24, 1971/Agrahayana 3, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का सुझाव

+

*11. श्री पी० गंगा देव : डा० संकटा प्रसाद :
श्री पी० एम० मेहता :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारों को रोजगार देने और गरीबी को समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने 106 करोड़ रुपये के किसी समेकित कार्यक्रम का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों की जांच कर ली है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने रोजगार के अतिरिक्त अवसर सुलभ करने के लिये एक समेकित कार्यक्रम का सुझाव दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम तथा शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोगों के रोजगार के लिये ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ करने का सुझाव है जिससे प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण सार्वजनिक

निर्माण कार्यक्रम सुदृढ़ हो सके तथा सामान्यतया ग्रामीण जनता की उत्पादनशील क्षमता बढ़े। प्रस्ताव में सुनियोजित स्कीमों के माध्यम से बेरोजगार शिक्षितों को रोजगार दिए जाने की परिकल्पना की गई है ताकि समुचित सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के माध्यम से देश का नियोजन किया जा सके। इस स्कीम के अन्तर्गत स्नातक इंजीनियरों तथा डिप्लोमा-धारियों को रोजगार मिलेगा। ये लोग सड़क निर्माण कार्यों, सिंचाई कार्यों, भूमि-संरक्षण आदि के लिए प्रारम्भिक सर्वेक्षण आदि करेंगे। इस प्रस्ताव में स्नातक, इन्टरमीडियेट एवं मैट्रिकुलेट जैसे सामान्य शिक्षा प्राप्त लगभग एक लाख लोगों को रोजगार दिये जाने की परिकल्पना की गई है। इन्हें सामान्यतया गांवों के स्कूलों में अध्यापक लगाया जायेगा। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने सम्बन्धी परियोजना के लिये 75 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

अन्य सुझाव इस प्रकार हैं: कि इन कार्यक्रमों को योजना में अंगीभूत किया जाय तथा इनके व्यय की पूर्ति आंशिक रूप से व्यय में कमी करके तथा आंशिक रूप से नये संसाधन जुटाकर की जाय। उत्पादन में व्यवधान उपस्थित करने वाली नियंत्रण-प्रणालियों को समाप्त किया जाय। कच्चे माल के पर्याप्त सम्भरण को सुनिश्चित किया जाय।

साधारणतया सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखा है तथा योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम बनाए हैं। इस प्रकार जो विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं उनमें ये सम्मिलित हैं—लघु कृषक विकास अभिकरण (67.5 करोड़ रु०), सीमान्त कृषक तथा खेतीहर मजदूरों के अभिकरण (47.5 करोड़ रुपये), ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (100 करोड़ रुपये), बारानी खेती कार्यक्रम (20 करोड़ रुपये) तथा क्षेत्र विकास स्कीमें (15 करोड़ रुपये)। इसके अतिरिक्त इस वर्ष ग्रामीण रोजगार के लिए जो जोरदार (क्रैश) स्कीम कार्यान्वित की गई है उसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में औसतन 1000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है। इस कार्यक्रम के लिये 1971-72 के बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। शिक्षित बेरोजगारों, जिनमें इंजीनियर तथा तकनीशियन भी सम्मिलित हैं, के लिये विशेष रूप से बनाई गई स्कीमों के लिये भी 1971-72 के केन्द्रीय बजट में व्यवस्था की गई है। जो मुख्य कार्यक्रम स्वीकृत हुए हैं उनका सम्बन्ध इन से है—प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, छोटे उद्योगों की स्थापना के लिये उद्यमियों को सहायता, पांचवीं योजना में हाथ में लिये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों से सम्बन्धित जांच, ग्रामीण जल आपूर्ति के लिये डिजाइन एककों का निर्माण तथा पेट्रोल वितरण-व्यवस्था (पेट्रोल डीलरशिप) के लिये उद्यमियों को सहायता। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अर्ध-कुशल तथा अकुशल मजदूरों के अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में शिक्षकों, इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों, नक्शानवीसों, स्नातकों एवं मैट्रिक पास व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है।

श्री पी० गंगादेव : क्या इस परिषद ने यह सुझाव दिया है कि यदि इन कार्यक्रमों को नियोजन और व्यय सम्बन्धी विद्यमान कार्यक्रमों पर प्राथमिकता दी गई तो इसका प्रभाव मुद्रास्फीति होगा और इसलिये इस खतरे को रोकने के लिये इन कार्यक्रमों को समेकित योजना का भाग बनाया जाना चाहिये परन्तु इन्हें योजना से ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये। क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये चौथी पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजना का मूल्यांकन करते समय उसमें ये योजनाएं सम्मिलित करेगी?

श्री मोहन धारिया : यह सच है कि परिषद ने यह सुझाव दिया है कि यदि इन योजनाओं और कार्यक्रमों को स्वीकार किया जाना है तो मितव्ययता करके अथवा नये कर लगा कर नये साधन जुटाने पड़ेंगे। इस के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया है कि उन्हें योजना व्यय में सम्मिलित किया जाना चाहिये। इस समय हम चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन कर रहे हैं और इन विभिन्न योजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। परिषद द्वारा प्रस्तावित अन्य बहुत सी योजनाओं को पहले ही स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें योजना के अंग के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री पी० गंगा देव : क्योंकि इस देश में बहुत से बेरोजगार इंजीनियर हैं और उनके लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है अतः क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि ये इन्जीनियर गांवों में अपने उद्योग आरम्भ कर सकें।

श्री मोहन धारिया : विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रकों को क्रियान्वित करने के साथ-साथ सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने अधिक ऋण देने की कई योजनाओं की घोषणा की है। औद्योगिक वित्त निगम और औद्योगिक विकास निगम युवक इन्जीनियरों को इस सम्बन्ध में कई प्रकार की सुविधायें दे रहे हैं।

श्री पी० गंगा देव : क्या सरकार देश में रोजगार-प्रधान उद्योगों को उच्च प्राथमिकता देने का विचार कर रही है।

श्री मोहन धारिया : मैंने सभा को पहले ही आश्वासन दिया है कि रोजगार प्रधान और उत्पादन प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

श्री पी० एम० मेहता : विवरण के पृष्ठ 2 पर दिया हुआ है कि ग्रामीण रोजगार के लिये जोरदार कार्यक्रम में 000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण रोजगार के लिये चलाई गई जोरदार योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है और इस योजना पर वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या बेरोजगार स्थाई हैं या अस्थाई हैं।

श्री मोहन धारिया : ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी जोरदार कार्यक्रम स्थाई कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये 150 करोड़ रुपये की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। जहां तक इस कार्यक्रम की उपलब्धियों का सम्बन्ध है हम उनके सभी मूल्यांकन प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी मैं यह नहीं बता सकता कि कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल चुका है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the Council had suggested that many roads should be constructed to solve the problem of rural unemployment and many houses should be constructed to solve the problem of urban employment ? If so, may I know the number of roads and houses proposed to be constructed in this regard ?

श्री मोहन धारिया : यह सच है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर सड़कें और मकान बनाने का सुझाव दिया है। ये सभी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं। मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि कितने मील लम्बी सड़क बनी है तथा कितने मकानों का निर्माण किया गया है।

Shri Awdhesh Chandra Singh : May I know whether it is a fact that educated persons are not getting any job under this scheme whereas uneducated persons are not available for worth for whom this scheme is being implemented in rural areas ?

श्री मोहन धारिया : यह सच है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये तैयार नहीं है। परन्तु हमने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु योजनायें बनाई हैं।

श्री राजा कुलकर्णी : क्या इस परिषद ने रोजगार ढांचे की आधुनिक तकनीकी के बारे में और बेरोजगारी बढ़ाने के पहलुओं का अध्ययन किया है ? क्या उन्होंने बेरोजगारी की समस्या पर संगटनों के प्रभाव का कोई अध्ययन किया है ?

श्री मोहन धारिया : यह हमारे नियन्त्रण में नहीं है। परिषद जो भी अच्छा कार्य करेगी उसके लिये हम अपना सहयोग देंगे।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या इन योजनाओं की कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार एक समीक्षा समिति नियुक्त कर के जोरदार अनुसरणात्मक कार्यवाही करने का है ?

श्री मोहन धारिया : मैं सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि यह ठीक है कि कई बार मन्जूर की गई अच्छी योजनायें ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं की जाती हैं। इसलिये पूरी योजना को नया रूप देते समय हम धन की व्यवस्था पर अधिक जोर दे रहे हैं जिससे हम केवल योजना ही न बनाये बल्कि उन्हें ठीक ढंग से क्रियान्वित भी कर सकें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विवरण में यह बताया गया है कि क्या 1971-72 के बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कार्यक्रम के लिये की गई है ? क्या पद द्रुत कार्यक्रम के अतिरिक्त है। यदि यह राशि उससे अलग है तो क्या यह सच है कि इस राशि का प्रयोग करके पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग में बहुत से अर्ध-शिक्षित और अनपढ़ लोग भर्ती किये गये हैं ?

श्री मोहन धारिया : मुख्य प्रश्न परिषद के सुझावों के बारे में है। उत्तर में मैं बता चुका हूं कि 50 करोड़ रुपये की ग्रामीण रोजगार की द्रुत कार्यक्रम सम्बन्धी योजना सरकारी योजना है जो सभी राज्यों में लागू होनी है। परिषद् द्वारा रोजगार के लिए प्रस्तुत की गई योजना सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं से बिल्कुल भिन्न है। फिर भी यह सच है कि परिषद द्वारा दिये गये बहुत से सुझाव केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पहले ही क्रियान्वित किये जा चुके हैं। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

दिल्ली में टेलीफोन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

*212. **श्री एन० ई० होरो :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकार ने टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम क्या है और प्रशिक्षणार्थियों के लिये क्या अर्हताएं रखी गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) फ़िल्म तथा टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान, पूना में एक टेलीविजन प्रशिक्षण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। जब तक पूना में भवन नहीं बन जाते, टेलीविजन प्रशिक्षण की व्यवस्था दिल्ली में की गई है।

(ख) इसमें टेलीविजन केन्द्रों में नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए नियुक्त उपरान्त तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

श्री एन० ई० होरो : क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों मे भी टेलीविजन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है क्योंकि टेलीविजन कार्यक्रम लोकप्रिय होते जाने के कारण टेलीविजन तकनीशनों की अधिक आवश्यकता होगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : भारत में जितने टेलीविजन स्टेशन हैं उनके लिये वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्र पर्याप्त हैं। परन्तु जब आवश्यकता होगी तो हम इस मामले पर विचार करेंगे।

विदेशी धन के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधान

*215. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी धन के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी प्रस्तावित विधान पर सभी विरोधी दलों की राय जानने के लिये उन्हें एक पत्र परिचालित किया था ;

(ख) क्या इस बारे में सम्बन्धित राजनीतिक दलों के विचार प्राप्त हो गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) प्रस्तावित विधान को संसद् में कब पुरःस्थापित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). अभी तक केवल तीन दलों के विचार प्राप्त हुये हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि आसूचना विभाग के प्रतिवेदन में निहित बातें बतलाई जायें और यह कि प्रस्तावित विधान का क्षेत्र बढ़ाया जाये। तत्कालीन गृह मंत्री ने 14 मई, 1969 के अपते वक्तव्य में ये कारण स्पष्ट किये थे कि आसूचना विभाग के प्रतिवेदन में निहित बातों को बताना क्यों सम्भव नहीं हैं। सभी विरोधी दलों के विचार मालूम करने के बाद प्रस्तावित विधान को पुरःस्थापित किया जायेगा।

श्री रण बहादुर सिंह : मैंने अपने प्रश्न के भाग (घ) में पूछा था कि यह विधान कब तक संसद् में प्रस्तुत करने का विचार है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है, विरोधी दलों को अपना विचार बताने के लिए कहा गया था। उनमें से कुछ ने उत्तर दे दिया है। बहुत से दलों ने उत्तर नहीं दिया है। हम उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री रण बहादुर सिंह : मैंने पूछा था कि सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित की है कि उक्त कारण कब से लागू किये जाने की सम्भावना है। मैं मानता हूं कि विरोधी दलों के विचार अभी मिलने हैं परन्तु कोई समय सीमा तो अवश्य होगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हम समय सीमा निर्धारित नहीं करना चाहते। हम विरोधी दलों के साथ परामर्श करना चाहते हैं।

Shri Ram Chandra Vikal : May I know the names of those parties which have replied and which have not replied ?

Shri K. C. Pant : Swatantra Party, C. P. (M) and Congress (O) had sent their replies. We have written to all the opposition parties but no reply has been received from others.

मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी इंडिया लिमिटेड द्वारा तालाबन्दी की घोषणा

+

*216. **श्री मनोरंजन हाजरा :**

श्री के० माल्लन्ना :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 सितम्बर, 1971 को भद्रेश्वर और गली के ऐगस वर्क्स में मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ने तालाबन्दी की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या तालाबंदी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) मै० ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लि० ने ऐन्गस वर्क्स में 11 सितम्बर, 1971 से तालाबन्दी घोषित कर दी है।

(ख) यूनियनों में प्रतिस्पर्धा के कारण ऐन्गस वर्क्स के कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से आन्दोलन कर रहे थे उनके बराबर अनुशासन हीन व्यवहार, लड़ाई के आँतक, अधिकारियों को तंग करने और उनको धीरे काम करो नीति से उत्पादन में भयंकर गिरावट आ रही थी। अनधिकृत यूनियन ने कम्पनी और अनधिकृत यूनियन के बीच 1970 के बोनस के मामले पर हुये द्विपक्षीय समझौते को नहीं माना और अपना आन्दोलन और तेज कर दिया जिससे शालाओं उत्पादन करीब-करीब रुक गया। 10 सितम्बर, 1971 को कर्मचारियों का एक महाप्रबन्धक के कार्यालय में घुस गया और उन्हें वहां खीचा, गाली दिया और मारा पीटा। अशान्ति, हिंसा और गुण्डागर्दी की बढ़ती स्थिति के समक्ष प्रबन्धकों के पास 11 सितम्बर, 1971 से तालाबन्दी की घोषणा करने के अलावा और चारा ही नहीं था।

(ग) प्रबन्धक अधिकृत और अनधिकृत दोनों यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकों में विचार करते रहे हैं ताकि कारखानों को फिर से चालू करने के लिये किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके। ये विचार विनिमय जारी है।

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या बोनस के सम्बन्ध में समझौता सम्बन्धी बातचीत होते रहने पर भी तालाबन्दी की गई थी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : स्थिति यह थी कि एक मजदूर संघ तो यह चाहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिये दूसरा मजदूर संघ चाहता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये और दोनों संघों ने ऐसी अनिश्चय की स्थिति पैदा कर दी कि कारखाने में कार्य बन्द सा हो गया है। कुछ कर्मचारियों ने अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने मैनेजर के साथ भी मारपीट की। इस स्थिति में कारखाने को बन्द ही करना पड़ा।

श्री मनोरंजन हाजरा : मेरा प्रश्न तो यह था कि समझौता-बातचीत होते रहने पर भी तालाबन्दी की गई थी अथवा नहीं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जी नहीं।

श्री मनोरंजन हाजरा : मन्त्री महोदय द्वारा दिये उत्तर को दृष्टि में रखते हुए मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्योंकि अमान्यता-प्राप्त संघ ने जब समझौते को स्वीकार नहीं किया तो क्या यह सच नहीं है कि मान्यता-प्राप्त संघ केवल ऐसा कागजी-सघ बन कर रह गया है जो कम्पनी की ओर से हमेशा बोलता रहता है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि एन्गस वर्क्स के प्रबन्धक-गण स्वयं इन दो संघों में से एक के साथ पक्षपात कर रहे हैं और एक मान्यता-प्राप्त संघ के होते हुए भी अनेक तरह से अमान्यता प्राप्त सघ का पक्ष ले रहे हैं और इसी कारण स्थिति अधिक बिगड़ी है ? क्या यह बात उन्हें मालूम है ? यदि हां, तो अब वह अपने उत्तर में यह कहते हैं कि प्रबंधक-गण दोनों सघों के बीच कोई फैसला कराना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा इसमें सीधे हस्तक्षेप करना अधिक उचित नहीं होगा क्योंकि प्रबन्धक-गण स्वयं पक्षपात कर रहे हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं प्रबन्धक गण के द्वारा पक्षपात करने के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो इतना ही मालूम है कि अमान्यता प्राप्त संघ द्वारा की गई मांग को पूरा करने में यह कारखाना समर्थ नहीं है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त कृत्य और दायित्व

*218. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** की ओर से **श्री पम्पन गौडा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बनाये गये नये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कृत्य और दायित्वों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के कार्य और उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति की अधिसूचना डी०ओ०सी० संख्या सी०डी०-610/71 दिनांक 12 अक्तूबर, 1971 में निर्दिष्ट किये गये हैं। अधिसूचना की एक प्रति सदन के सभा पटल पर रख दी गई है। अभी इसमें कोई अतिरिक्त विस्तार करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

डाकुमेंट सं० सी०डी०-610/71

राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली

12 अक्तूबर, 1971
20 आश्विन, 1893

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 77 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारत सरकार (कार्य का नियतन) नियम, 1961 में एतद् द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :

1. (1) इन नियमों को भारत सरकार (काम का नियतन) (91वां संशोधन), नियम 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम एकदम प्राप्त हो जायेंगे।

2. भारत सरकार (काम का नियतन) नियम, 1961 की दूसरी तालिका में :

(2) "विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग" शीर्षक के अन्तर्गत की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायें अर्थात—

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में नीति वक्तव्य और निर्देशपद तैयार करना और उनके सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही।
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयक राष्ट्रीय समिति।
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों का प्रवर्तन।
4. समुद्र तल और महासागर तल के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं सहित समुद्र विज्ञान।
5. पर्यावरण और परिस्थिति-विज्ञान।
6. भविष्य विज्ञान।
7. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से सम्बन्धित सभी विषय।
8. भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय एटलस संगठन।
9. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था।
10. भारतीय प्राणि सर्वेक्षण संस्था।
11. राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद।
12. भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था का वार्षिक अधिवेशन।
13. भू-भौतिक विषयक केन्द्रीय बोर्ड।
14. पैन-इन्डियन ओशियन साइन्स एसोसियेशन।

15. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐसे विषयों का समन्वय जिनके साथ अनेक संस्थाओं और विभागों का सम्बन्ध और हो ।

16. जहां कहीं आवश्यक हो वहां पर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्य प्रारम्भ करना अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

17. इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, इंडियन अकेडमी आफ साइंस और राष्ट्रीय अकेडमी आफ साइंसेस सहित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं, वैज्ञानिक संगठन और वैज्ञानिक संस्थाओं को अनुदान देना ।

18. स्वदेशी प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सभी विषय, विशेष रूप से उक्त प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण सहित उपक्रमों का प्रवर्तन ।

19. निम्नलिखित संहित अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी मामले :—

(क) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग समझौते के सम्बन्ध में बातचीत और उनका कार्यान्वियन तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की कार्यवाहियों के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व ।

(ख) विदेशों में वैज्ञानिक सहचारियों की नियुक्ति ।
टिप्पण : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह कार्य विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से किये जायेंगे ।

20. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं संबन्धित सामान्य मामले अर्थात वित्तीय कार्मिक, क्रय तथा आयात नीतियां और प्रक्रियायें ।

21. वित्तीय तथा प्रौद्योगिकी के प्रवर्तन के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय और राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा के लिए उनका उपयोग ।

श्री पप्पन गौड़ा : क्योंकि बहुत से शिक्षित और भली प्रकार प्रशिक्षित वैज्ञानिक नौकरी की कमी के कारण विदेशों में कार्य कर रहे हैं, क्या सरकार उन्हें वापस बुलाने और देश में ही उन्हें अधिक अच्छी और उचित नौकरियां देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो केवल कार्यवाही करने का सुझाव है । परन्तु यदि मन्त्री महोदय के पास उसका कोई उत्तर है तो उसका स्वागत है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर हम विचार करेंगे । परन्तु उनके लिए उचित नौकरियां यहां उपलब्ध करानी ही चाहिए यह कार्य भी सी०ओ०एस० टी० को सौंप दिया गया है ।

कलकत्ता में बन्द पड़े औद्योगिक एककों का पुनः चालू किया जाना

*219. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में ऐसे बन्द पड़े कारखानों की संख्या कितनी है जो अभी तक खोले नहीं गये हैं और ऐसे कितने कारखाने हैं जो स्थायी रूप से बन्द हो गये समझे जाते है ;

(ख) इन कारखानों के बन्द हो जाने के कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ;

(ग) इनके बन्द हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन बन्द हुए कारखानों को पुनः चालू करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) बन्द एककों के क्षेत्रवार आंकड़े केवल 1-1-1971 से 31-8-1971 तक की अवधि के लिए तत्काल उपलब्ध हैं । पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त अस्थाई आंकड़ों के अनुसार 1-1-71 से 31-8-71 की अवधि में कलकत्ता में 55 औद्योगिक एकक बन्द हो गये थे, इनमें से 38 एकक पुनः चालू नहीं हुए हैं । इन 38 एककों में से एक एकक को स्थाई रूप से बन्द समझा गया है ।

(ख) इन 38 एककों में, जो फिर से चालू नहीं हुए हैं, काम कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या 7,798 थी ।

(ग) औद्योगिक एककों के बन्द होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. श्रमिक प्रबन्ध समस्यायें
2. कच्चे माल की कमी ।
3. मांग में कमी, और
4. वित्तीय कठिनाइयां ।

(घ) सरकार द्वारा कलकत्ता सहित पश्चिम बंगाल में बन्द हुए कारखानों को पुनः चलाने के लिए अपनाये गये विभिन्न उपायों में से मुख्य और महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) बन्द और संकटग्रस्त औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने और पुनः स्थापित करने के लिए भारत के औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना अप्रैल 1971 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है ।

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया है अन्य बातों के साथ-साथ इसमें अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत जिन औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध व्यवस्था करने की दृष्टि से हाथ में लिया गया है उनके बारे में पूर्व विद्यमान देन दारियों का भुगतान करने के लिए अधिक से अधिक 5 वर्षों की कानूनी मोहलत की व्यवस्था है । इसमें जिन उपक्रमों के चालू देनदारियां चालू परिसम्पत्ति से अधिक हैं, उन उपक्रमों को अ रक्षित मूल्यों पर बेचने और साथ ही औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाली कम्पनी को समाप्त करने की भी व्यवस्था है । सरकार लोकहित में कम्पनी के पुनर्निर्माण के लिए अदालत में भी जा सकती है जिनसे इस बात का सुनिश्चय

किया जा सके कि अधिकार में लेने की अवधि की समाप्ति पर उपक्रम को उन्हीं लोगों को न सौंपा जाय जो इसके पहले के संकट के लिए उत्तरदायी थे।

(3) पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रोत्साहन की कई योजनाओं की घोषणा की है।

(4) 1971-72 की आयात नीति में पश्चिम बंगाल में बन्द औद्योगिक एककों को आयातित कच्चे माल के अग्रिम आवंटन के लिए व्यवस्था की गई है।

(5) वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे पश्चिम बंगाल में औद्योगिक एककों को प्राप्त ऋण सुविधाओं को और उदार बनायें।

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ : क्या मंत्री महोदय अपने वक्तव्य के भाग (घ) में दिये गये प्रोत्साहनों को स्पष्ट करेंगे और यह बतायेंगे कि क्या उक्त प्रोत्साहन नये तथा पुराने उद्योगपतियों को पश्चिम बंगाल में नये कारखाने स्थापित करने के लिए विश्वास पैदा करने के लिए काफी होंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरा सुझाव है कि प्रश्न संख्या 234 को भी इसी प्रश्न के साथ ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि ऐसा नहीं हो सकता।

श्री मोइनुल हक चौधरी : पश्चिम बंगाल ने अपने प्रोत्साहनों की सूची तैयार कर रखी है। यह एक मुश्त समझौता है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं इसे पढ़ देता हूं। इसमें 16 बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय : 16 बातें? अमल यह होगा कि आप इसकी एक प्रति उन्हें भेज दें। दूसरे सदस्यों का समय नष्ट करके इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ये बातें लिखित विवरण में शामिल नहीं है। क्या इन 16 बातों को विवरण में शामिल नहीं किया गया है?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जी नहीं, हमने उस 16-सूत्रीय योजना की घोषणा की थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप हमें बतायें कि वे क्या हैं?

श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ : मेरे प्रश्न का वह क्या उत्तर दे रहे हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको एक प्रति भेज दी जायेगी।

श्री मोइनुल हक चौधरी : आपने कहा है कि मैं वे 16 सूत्र न पढ़ूं। पहली बात तो यह है। दूसरे प्रश्न के बारे में अभी यह कहना समय पूर्व है। इससे कोई परिणाम निकलेंगे अथवा नहीं। **व्यवधान।**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। इसे पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा?

श्री मोइनुल हक चौधरी : माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं भाग (क) का स्पष्टीकरण करूं । अपने उत्तर के (घ) (iii) में मैंने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रोत्साहन देने की एक एक-मुक्त योजना की घोषणा की है । पश्चिम बंगाल सरकार ने बिक्रीकर तथा अन्य मामलों के बारे में कुछ रियायतों की घोषणा की है और वे इसका दूसरा ब्यौरा तैयार कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, क्या यह समुचित उत्तर है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि ये बातें उत्तर में शामिल होती तो विस्तृत ब्यौरा लिखित विवरण में शामिल होता । आपने ऐसा नहीं किया है । अतः मेरे विचार से इसमें कोई जान नहीं है यदि आप वे 16 सूत्र पढ़ दें । आप इन्हें 2 या तीन मिनट में पढ़ डाले ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : इनका सम्बन्ध राज्य सरकार से है और राज्य सरकार ही इन्हें देगी । मैं तो केवल मुख्य रूप रेखा दे सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं, माननीय सदस्य अपना पहला प्रश्न पूछें ।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : कारखानों के बन्द होने से उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है और कारखानों के मालिकों को कितनी हानि हुई है ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : इसका अनुमान इस रूप में नहीं लगाया गया है ।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : तो फिर कैसे लगाया गया है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह अनुमान लगाया है कि कितने कारखाने बन्द हुए हैं और इनके फलस्वरूप कितने व्यक्ति बेकार हो गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न में माननीय सदस्य ने ये बातें नहीं पूछी हैं । इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय चाहिए । माननीय सदस्य इनके उत्तर के लिए अलग से सूचना दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इस सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा के लिए अनुमति दीजिये ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हो गए ।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब किसी दल का नेता खड़ा हो तो उस दल के शेष सदस्य न उठें । परन्तु मैं देखता हूं कि उनके दल के श्री दीनेन भट्टाचार्य और अन्य सदस्य अपने दल के नेता के साथ खड़े हैं और अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : व्यवस्था के प्रश्न पर इन प्रश्नों को रोकिये मत ; क्योंकि मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दिया है । प्रश्न यह है कि कलकत्ता में कुल कितने कारखाने बन्द हुए हैं...

अध्यक्ष महोदय : अपना प्रश्न पूछते समय माननीय सदस्य अपनी बात पूछ सकते हैं । वह चाहे जब बीच में नहीं बोल सकते ।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बन्द हुए सभी औद्योगिक एककों को पुनः खोलने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम स्थापित किया गया है ?

क्या यह सच है कि औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के निदेशक बोर्ड या इसकी प्रबन्ध समिति में ऐसे व्यक्ति भी लिए गए हैं जो समय-समय पर अपने कारखाने बन्द कर देते हैं और इस निगम से धन लेने का प्रयत्न करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें निदेशक बोर्ड अथवा प्रबन्ध समिति से बाहर रखने के बारे में कोई निर्णय लिया है । और यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है । यदि विशिष्ट जानकारी दी जाए तो हम उसकी जांच कर सकते हैं ।

डा० रानेन सेन : सेन-रेले ने अपने कारखाने बन्द किए हैं...

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न कारखानों की संख्या के बारे में है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मूल प्रश्न कलकत्ता में बन्द हुए और अभी तक बन्द पड़े और स्थायी रूप से बन्द हो गए कारखानों के बारे में है । उत्तर में बताया गया है कि 55 कारखाने बन्द थे और 38 अभी भी बन्द हैं । परन्तु यह नहीं बताया गया कि कितने कारखाने प्रबन्धकों के कुप्रबन्ध तथा भ्रष्टाचार के कारण बन्द हैं । उन्होंने और तो बहुत सी बातें बताई परन्तु इस बारे में कुछ नहीं कहा । वह उन्हें बचाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न में यह सब नहीं था ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इन बातों का उल्लेख विवरण में किया गया है, इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा था । मंत्री महोदय कुछ समय बाद उचित उत्तर दे सकते हैं । यह उत्तर तो भ्रामक है । हमने कई बार सभा में कहा है कि अधिकांश कारखाने प्रबन्धकों के भ्रष्टाचार के कारण बन्द हुए हैं जब कि मंत्री महोदय सारा दोष श्रमिकों को ही देते हैं ।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री ने पहले सभा में स्वयं स्वीकार किया था कि पश्चिम बंगाल में अनेक कारखाने नियोजकों के कदाचार के कारण बन्द हो गए हैं परन्तु औद्योगिक विकास मंत्री इससे अनजान बनते हैं । यह तो सभा को भ्रम में डालना हुआ ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : महोदय, आप निर्देश दें हमें इस बात पर बहुत चिन्ता है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को पहले कुछ कहने दीजिये, बाद में एक एक करके सदस्य अपनी बात कहें ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : प्रश्न कलकत्ता के बारे में था और उत्तर भी इसी से सम्बंधित है । मैं नहीं जानता था कि कलकत्ता ही पश्चिम बंगाल है । कुप्रबंध के बारे में तो जांच करके ही कुछ कहा जा सकता है । हमारे समक्ष ऐसा कोई मामला अभी तक नहीं आया । फिर भी पहले बन्द हुए कुछ कारखाने कुप्रबन्ध के कारण बन्द हुए थे । हमने जिन कारखानों को अपने हाथ में लिया है उनमें से कुछ कुप्रबन्ध के कारण ही बन्द हुए थे ।

श्री एच० एम० पटेल : इन कारखानों को विशेष सुविधाएं देने के लिए बैंकों को क्या विशेष हिदायतें दी गई हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : पश्चिम बंगाल में बैंकों को उदारतापूर्वक ऋण देने को कहा गया है।

श्री राजा कुलकर्णी : हाल के अध्यादेश के बाद पश्चिम बंगाल में कितने कारखाने अपने हाथ में ले लिए गए हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : एक भी नहीं।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या किसी बन्द कारखाने को अपने हाथ में लेने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : इस अध्यादेश द्वारा प्राप्त शक्तियों के अधीन हम कुछ मामलों पर विचार कर रहे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : उत्तर बहुत असंतोषजनक है।

श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ : इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए समय दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर बाद में विचार किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं। कलकत्ता में औद्योगिक पुनःनिर्माण निगम बन्द मिलों को खोलने के लिए बनाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि कलकत्ता में 55 कारखानों में से जो 17 कारखाने पुनः खुले हैं उनमें से कितने इस निगम के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से खुल पाए हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित लेबर 1970' नामक पुस्तक के बारे में पता है जिसमें लिखा है कि प्रबन्ध-श्रमिकों के विवाद के कारण 20 प्रतिशत कारखाने बन्द हुए ? क्या उन्होंने इसे पढ़ा है और यदि हां, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की आज्ञा नहीं देता। यह असंगत है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कारखानों के बन्द होने के बारे में है। मंत्री महोदय बताएं कि क्या बहुत से कारखाने इस्पात, धन और बिजली के अभाव के कारण बन्द हुए हैं और यदि हां, तो सरकार ने उनकी सहायतार्थ क्या किया है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : कच्चे माल का अभाव भी उन चार कारणों में से एक है जो मैंने बताये हैं। दूसरा कारण प्रबन्धक-श्रमिक सम्बंध है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, I want to know what arrangement, if any, have been made to avoid the closure of those units which have been restarted and which had closed down due to Gheraos and Sabotage ? Secondly, what efforts are being made to attract the unit back to Calcutta which had to shift to Bombay, Delhi etc. ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं यह बता देना चाहता हूं कि अपने नियंत्रण में लिए गये कुछ कारखानों में हमें भी वही अनुभव हो रहे हैं जो ब्रेथवेट में हुए थे वहां प्रबन्धक को पीटा गया था ।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या आपने मेरा आधे घण्टे की चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं । क्योंकि मैंने सभी प्रकार के प्रश्न पूछने की आज्ञा दे दी है ।

राज्यों में बन्द पड़ी संकटग्रस्त मिलें

\+

*220. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री रोबिन ककोटी :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन संकटग्रस्त मिलों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है जिन्हें उनके मालिकों ने बन्द कर दिया है ; और

(ख) उनमें से कितनी मिलें केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय सूती कपड़े की मिलों से है। विदेश व्यापार मन्त्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सितम्बर, 1971 के अन्त में सूती कपड़े की बन्द मिलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिए गये सूती कपड़े के मिलों की संख्या 34 है ।

राज्य का नाम	सितम्बर, 1971 के अन्त में बन्द सूती कपड़े की मिलों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	5
2. आसाम	1
3. बिहार	1
4. गुजरात	7
5. केरल	1
6, महाराष्ट्र	3

7. मैसूर	.5
8. पंजाब	1
9. राजस्थान	2
10. तमिलनाडु	14
11. उत्तर प्रदेश	3
12. पश्चिम बंगाल	15
13. पांडिचेरी	1
योग	59

श्री जी० वाई० कृष्णन : विवरण में बताया गया है कि 59 मिलें बन्द पड़ी हैं परन्तु सरकार ने यह नहीं बताया है कि सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ली गई 59 मिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : वारंगल, आंध्र प्रदेश में आजमशाही मिल्स, अयोध्या कपड़ा मिल्स, दिल्ली, न्यू मल्लिकन्स स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, अहमदाबाद, गुजरात, दि अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, गुजरात, होमीभाई मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, अहमदाबाद, महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, भावनगर, राजकोट स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, राजकोट (**अन्तर्बाधाएं**)...

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा-पटल पर रख दें ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : जी हां, धन्यवाद ।

श्री जी० वाई० कृष्णन : नाम बताने के बजाय आप राज्य-वार संख्या बता दें ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : महाराष्ट्र : 8, मध्य प्रदेश : 5, मैसूर : 2, पांडीचेरी : 1, राजस्थान : 1, तमिलनाडु : 5, उत्तर प्रदेश : 2, आंध्र प्रदेश : 1, दिल्ली प्रशासन : [illegible], और गुजरात : 8.

श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या एक ओर संकटग्रस्त मिल खुल गई है और क्या सरकार विकट बेरोजगार समस्या को देखते हुये और अधिक ऐसी मिलें खोलने का आश्वासन देगी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं आश्वासन तो नहीं दे सकता । परन्तु हम प्रत्येक मामले पर विचार के बाद निर्णय लेंगे ।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : विवरण में बताया गया है कि आसाम की एक मात्र सूती कपड़ा मिल भी बन्द हो गई है । इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इसे पुनः चालू करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मुझे ज्ञात हुआ है कि हाल ही में आसाम के मुख्य मंत्री विदेश व्यापार मंत्री से मिले थे और इस मामले पर बातचीत हुई थी, जब भी यह मामला हमारे पास आया तब इस पर विचार किया जाएगा ।

Shri Shankar Dayal Singh : I want to know whether Government would consider re-opening of the Cotton Mill of Gaya.

Mr. Speaker : It is not a specific question.

श्री राम सहाय पाण्डेय : इस समस्या के दो पहलू हैं, बेरोजगारी और कपड़े की कमी— इन्हें दूर करने के लिये सरकार क्या विशेष प्रयत्न करने का विचार रखती है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : इस मंत्रालय का सम्बन्ध तो बन्द मिलों की छानबीन करना ही है, संकटग्रस्त मिलों का प्रबन्ध तो विदेश व्यापार मंत्रालय अपने हाथ में लेता है और यदि उससे प्रश्न पूछा जाये तो वही इसका उत्तर भी दे सकता है ।

श्री सोमचंद सोलंकी : क्या गुजरात में वीरमगांव की प्रभा काटन मिल और दुर्गा काटन मिल, खादी को संकटग्रस्त मिलें समझा जाता है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न असंगत है ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : प्रश्न तो मेरी समझ में ही नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न की पर्याप्त सूचना देनी चाहिये ।

Shri B. P. Maurya : As the closure of Mills leads to an increase in unemployment and adds other Social problems, I want to know whether Government would ensure that no mill would be allowed to remain closed beyond a specific period ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जहां तक नीति का सम्बन्ध है प्रत्येक मिल को अधिकार में लेने का वायदा करना असम्भव है । बहुत सी मिलें पुरानी हैं तथा पुराने ढंग की हैं ।

श्री बी० पी० मौर्य : यह मेरा प्रश्न है ।

Mr Speaker : Let the Minister answer please. I object your way of creating obstruction in reply.

Shri B. P. Maurya : Either do not allow me to put questions. But if you allow, let it be correctly answered.

Mr. Speaker : Will you please sit down ? You are obstructing the Minister.

Shri B. P. Maurya : You have grudge against me and I have against you.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सहन नहीं करूंगा । आप बैठ जाइये । आप प्रतिदिन ऐसा ही करते हैं ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह नहीं कहा जा सकता कि सरकारी नीति ऐसी है कि प्रत्येक मिल को सरकारी अधिकार में ले लिया जायेगा और किसी भी मिल को बन्द नहीं होने दिया जायेगा क्योंकि इसके लिये जांच की व्यवस्था है । यह देखना होता है कि मिल विकासक्षम है अथवा नहीं, क्या इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है ; क्या इसे सुविधापूर्वक चलाया जा सकता है । इसीलिये प्रत्येक मामले की जांच कराई जाती है । जहां यह पाया जाता है कि मिल को सुविधापूर्वक चलाया जा सकता है तो चाहे राजकोष पर भार ही क्यों न पड़े, उसे सरकारी अधिकार में ले लिया जाता है ।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

*221. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर इस बीच कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या-क्या निर्णय किये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

श्री हरि किशोर सिंह : मेरे विचार से यह प्रतिवेदन 19 जून. 1969 को प्रस्तुत किया गया था । इसे दो वर्ष से अधिक समय हो चुका है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इस प्रतिवेदन पर निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने जून, 1969 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु प्रतिवेदन का स्वरूप जटिल है और राज्य सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है । हमने प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करने के लिये इसे राज्य सरकारों को भेजा है, परन्तु किसी भी सरकार ने अभी तक इस बारे में अपने विचार नहीं भेजे हैं । जब उनके विचार प्राप्त हो जायेंगे तब समूचे प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाने का विचार है । इस विषय में तब कुछ निश्चय किया जायेगा ।

श्री हरि किशोर सिंह : राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करने के लिये यह प्रतिवेदन उनके पास कब भेजा गया था ।

श्री राम निवास मिर्धा : उनके पास प्रतिवेदन अगस्त, 1971 में भेजा गया था, और उनसे अक्तूबर, 1971 तक उत्तर देने के लिए कहा गया था । परन्तु अभी तक उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्ध पर राजमन्नार समिति के प्रतिवेदन पर ध्यान दिया है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? क्या सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करते समय राजमन्नार समिति के प्रतिवेदन में बताई गई दूसरी बातों को भी ध्यान में रखती है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यद समिति तमिलनाडु सरकार ने नियुक्त की थी और उसके सम्बन्ध में कोई विचार बनाना उन्हीं का कार्य है । तमिलनाडु सरकार जब प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया तथा विचार व्यक्त करे तब उसे राजमन्नार समिति के प्रतिवेदन को भी ध्यान में रखना चाहिये । हमारा विचार केवल तमिलनाडु सरकार के विचारों पर ध्यान देने का है ।

कुछ माननीय सदस्य उठ खड़े हुये

Mr. Speaker : Only few questions are dealt with. We will have to revise the procedure. Next question.

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सूचना सेवा एसोसियेशन के महासंघ के बीच विवाद

*222. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सूचना सेवा एसोसिएशन के महासंघ के मध्य कुछ प्रशासनिक मामलों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1961 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). 20 सितम्बर, 1971 के स्टेट्समैन में "सूचना सेवा के अधिकारियों की भारतीय प्रशासनिक सेवा को चुनौती" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। तथापि, एक सेवा तथा दूसरी सेवा के अधिकारियों के मध्य विद्यमान किसी विवाद की जानकारी सरकार को नहीं है, जैसा कि प्रेस रिपोर्ट में बताया गया है।

श्री एच० एम पटेल : प्रेस समाचार काफी विस्तृत है और इससे पता चलता है कि संघों ने सरकार को अभ्यावेदन भेजे हैं। क्या सरकार ने उन पर विचार करना उपयुक्त नहीं समझा ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्री रैना ने प्रैस को जो पत्र लिखा है उससे यह मामला उठा है। उन्हें इस सम्बन्ध में एक नोटिस दिया गया था और मामला अभी भी अनिर्णीत है। सरकार को इस मामले में केवल इतना ही करना है कि सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा उचित कार्यवाही की जाये।

श्री एच० एम० पटेल : जब सेवा संघ के उपाध्यक्ष की कार्यवाही के संदर्भ में नोटिस दिया जाता है और इस आधार पर मामले पर विचार किया जाता है तब यह क्या उचित नहीं था कि सरकार इस मामले पर विचार करती कि क्या उनसे इसका उत्तर मांगना उचित था तथा यह भी विचार करती कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : सरकार उन सभी प्रश्नों पर विचार करती है जो उसके सामने आते हैं। इस मामले में केवल एक पत्र के बारे में बिवाद है। एक अधिकारी ने पत्र लिखा है और उसके लिए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। इससे अधिक हम और कुछ नहीं करना चाहते।

श्री ज्योति बसु पर हुए प्राणघातक आक्रमण के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

*223. **श्री के० लकप्पा** :

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिमी बंगाल के नेता श्री ज्योति बसु पर हुए एक प्राणघातक आक्रमण से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रतिवेदन में क्या निष्कर्ष है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1970 को पटना रेलवे स्टेशन पर श्री ज्योति बसु को मारने के लिए किये गये प्रयत्न के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। आचरण सम्बन्धी कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं और अब मामला सेशन कोर्ट में लम्बित है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या इस अपराध के पीछे किसी राजनयिक का हाथ है ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मामला न्यायालय में है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मामला सैशन भेज दिया गया है। निर्णय प्राप्त होने तक हमें इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : तब यह किस प्रकार एडमिट किया गया।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : प्रतिवेदन में जिन व्यक्तियों का नाम हैं क्या उन सभी के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा प्रतिवेदन ?

श्री बीरेंद्र सिंह राव : जांच समिति का प्रतिवेदन। मन्त्री महोदय ने बताया है कि केवल दो व्यक्तियों का चालान किया गया है। क्या जांच से यह पता चला है कि इस मामले में दो से अधिक व्यक्ति थे और क्या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर मुकदमा नहीं चलाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत छोटा सा वाक्य है।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मेरे विचार से वह यह पूछना चाहते हैं कि कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग लगाये गये। मेरे पास यह जानकारी नहीं है कि एफ० आई० आर० में कितने व्यक्तियों के नाम हैं। मई, 1971 में बिहार सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई वह मेरे पास उपलब्ध है। उसमें बताया गया है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और भारतीय दंड संहिता की धारा 302,307, तथा 114 और आर्म्स एक्ट की धारा 25A के अन्तर्गत हविनाशयादव तथा सुरेन्द्र-प्रसाद के विरुद्ध अभियोग लगाये गये हैं।

भारतीय परमाणु वैज्ञानकों द्वारा रूसी वैज्ञानिकों के सहयोग से परमाणु ऊर्जा का उपयोग

*226. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस सन्धि के उपबन्धों के अनुसार कुछ भारतीय परमाणु वैज्ञानिक वैज्ञानिक सहयोग के कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए रूस का दौरा करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो दल दौरे पर कब जायेगा ; और

(ग) क्या उक्त दल को यह अधिकार होगा कि वह रूसी अधिकारियों के साथ भारत में

परमाणु ऊर्जा का असैनिक और गैर-असैनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने की सुविधाएं उत्पन्न करने के सम्बन्ध में बातचीत करें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत): (क) से(ग). भारत के परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए सोवियत संघ की राष्ट्रीय समिति के बीच सहयोग का जो करार हुआ था उसके अन्तर्गत दोनों देशों के वैज्ञानिक एक दूसरे के यहां आते जाते हैं। इस क्षेत्र में दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग की भावना, शक्ति, मित्रता तथा सहयोग की भारत-रूस संधि की धारा 7 से और सबल होगी। हमारे सहयोग का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल मात्र शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए करना है।

श्री नरेंद्र कुमार सांघी : भारतीय सीमा पर गम्भीर स्थिति तथा पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखते हुए क्या सरकार शान्ति उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कितने समय पश्चात पुनर्विचार किया जायेगा ?

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : माननीय मित्र ने जो मार्ग अपनाने का परामर्श दिया था उससे वर्तमान स्थिति पर कोई प्रभाव शीघ्र पड़ेगा। अत: विषयगत लाभ देख कर ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय किया जा सकता है।

श्री नरेंद्र कुमार सांघी : भारत रूस संधि को ध्यान में रखते हुये क्या रूस सरकार से इस विषय में बातचीत आरम्भ की जा चुकी है कि यदि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध लड़ाई में परमाणु शास्त्रास्त्रों का प्रयोग करता है तो रूस भारत को रक्षा तथा प्रत्याक्रमण करने के लिये परमाणु-शस्त्रास्त्रों की सप्लाई करेगा ? क्या इस सम्बन्ध में रूस से हमें कोई आश्वासन मिला है ?

अध्यक्ष महोदय : नये सुझावों की एक सीमा होनी चाहिये।

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : यह एक कल्पनात्मक प्रश्न है । मेरे विचार से यदि पाकिस्तान परमाणुशास्त्रास्त्र प्राप्त करने योग्य हो जाये तो इसमें हमें कोई गम्भीर खतरा नहीं है।

श्री पी० वी० जी० राजू : क्या किसी दूसरे देश के सहयोग से परमाणु ऊर्जा के प्रयोग द्वारा समुद्री पानी अथवा खारे पानी को स्वच्छ जल में परिवर्तित करने के लिये पानी का खारीपन दूर करने का एक संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : इस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने का विचार किया गया और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा इसके पानी में खारापन दूर करने के कारखानों का दौरा करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव किये गये हैं। यह प्रस्ताव रूस ने मान लिया है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पंजाब में हथियारों और गोला बारूद का बरामद होना

*213. **श्री पीलू मोदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब पुलिस द्वारा राज्य में नक्सलवादियों के अड्डों पर छापे मार कर काफी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) हथियार और गोला-बारूद को बरामद करने के सिलसिले में 47 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये हैं। बरामद की गई इन वस्तुओं के सम्बन्ध में अपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

ट्रैक्टरों का उत्पादन और आवश्यकता

*214. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1972 के बाद ट्रैक्टरों का आयात बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो देशी ट्रैक्टरों द्वारा देश की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जायेगा ;

(ग) चतुर्थ योजनावधि के अन्त तक देश में ट्रैक्टरों का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा ; और

(घ) ट्रैक्टरों के बढ़ते हुए मूल्य को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). 1972 के पश्चात ट्रैक्टरों का आयात बन्द करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किन्तु यथा-सम्भव ट्रैक्टरों का आयात बन्द करने के लिये देशी उत्पादन बढ़ाने हेतु सब प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे है।

(ग) 60,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष ।

(घ) ट्रैक्टरों का विक्रय मूल्य सरकार द्वारा उत्पादन लागत की समय समय पर जांच पड़ताल के पश्चात् निर्धारित किया जाता है। ताकि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि कीमतों में वृद्धि अनुचित नहीं है।

स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करना

*217. **श्री कर्णी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर के कारखाने स्थापित करने के लिए चार फर्मों को आशय पत्र जारी किये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ग) उक्त चारों कारखानों में उत्पादन कब से शुरू हो जायेगा ; और

(घ) उनको मिले-जुले उत्पादन से स्कूटरों के आवंटन हेतु प्रतीक्षा के समय में किस सीमा तक कमी होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). प्रतिवर्ष 534,000 की क्षमता में स्कूटर बनाने के लिए तेईस आशय पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ). इस आशय पत्रों को कार्यान्वयन का कार्य प्रगति के विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस अवस्था में यह बता सकना सम्भव नहीं है कि इन आशय पत्रों से सम्बन्धित उत्पादन कब तक होने लगेगा। स्पष्ट है कि आशय पत्रों की क्षमता के कुछ अंश के भी कार्यान्वित हो जाने से निश्चय ही कमी घटेगी और प्रतीक्षा की अवधि कम हो जायेगी। अतः फिर भी, यह बता सकना बड़ा कठिन है कि नई परियोजना के चालू हो जाने से किस निश्चित तिथि तक स्कूटरों के आवंटन के लिए प्रतीक्षा की अवधि कितनी कम हो जायेगी।

अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी संघ का पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन

*224. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21-22 अगस्त, 1971 को मद्रास में हुए अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी संघ के पांचवें सम्मेलन के निर्णयों और संकल्पों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संकल्पों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) तथा (ख). संघ ने सम्मेलन में 15 प्रस्ताव पास किये थे जिनमें से 'समाचार-पत्रों में एकाधिकार' पर एक प्रस्ताव उसने सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को भेजा था। प्रस्ताव की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) प्रमुख समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेन्सियों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के कुछ प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन है। मन्त्रियों की एक समिति मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

विवरण

अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी संघ, नई दिल्ली समाचार पत्र एकाधिकार पर प्रस्ताव

20 अगस्त से 22 अगस्त, 1971 तक मद्रास में हुआ अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी संघ का यह पांचवां सम्मेलन देश में समाचार-पत्रों में एकाधिकार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करता है। श्रमजीवी पत्रकार तथा प्रगतिशील शक्तियों सहित समाचार-पत्र कर्मचारियों के संगठनों ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की अवधि के दौरान समाचार-पत्र उद्योग में इस भंयकर प्रवृत्ति को हमेशा ही चिन्ताजनक समझा है।

टाटाओं, जैनों, बिरलाओं, गोइनकाओं आदि जैसे एकाधिकार व्यापार गृहों का समाचार-पत्रों की बड़ी संख्या में खपत पर ही नियन्त्रण नहीं है, बल्कि समाचार-पत्र मुद्रण उद्योग सहित समाचार-पत्र उद्योग में लगी अधिकांश पूंजी भी इन मुट्ठी भर एकाधिकार व्यापार गृहों के हाथों

में केन्द्रित है। ये गृह इन एकाधिकार नियन्त्रित समाचारपत्रों से जो लाभ कमा रहे हैं, वह बहुत ज्यादा है। विशेषकर पिछले तीन वर्षों के दौरान यह लाभ बहुत बढ़ गया है। इनमें से कुछ तो बहुत अधिक लाभाँश दे रहे हैं जो उन उद्योगों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश से भी अधिक है जो लाभ कमाने के लिये प्रसिद्ध है जैसे औषधि निर्माण, तेल तथा रसायन उद्योग।

एकाधिकार समाचारपत्रों ने हाल ही के वर्षों में जिस नीति को अपनाया है उससे यह जरूरी हो गया है कि बड़े एकाधिकार गृहों के समाचार पत्रों के स्वामित्व और नियन्त्रण को समाप्त करने के लिए कदम तुरन्त उठाये जायें। एकाधिकार समाचार-पत्र नग्न तथा खुले रूप में अपने स्तम्भों के माध्यम से जन-विरोधी नीति का विचार कर रहे हैं। श्रमिकों के पूंजीपतियों और जमींदारों के विरुद्ध प्रत्येक संघर्ष में एकाधिकार समाचार-पत्र जनतांत्रिक आन्दोलनों को दबाने के लिए निहित स्वार्थी तत्वों के हिमायतियों के रूप में हमेशा आगे आते हैं।

बैंकों, जीवन बीमा, सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण या भूमि अधिग्रहण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाये जाने वाले प्रत्येक कदम के बारे में ये एकाधिकार समाचार-पत्र पूंजीपति तथा जमींदार वर्ग के निहित स्वार्थों की बड़े जोर से वकालत करते हैं। प्रीवी पर्स की समाप्ति के मामले में एकाधिकार समाचारपत्रों ने एक स्वर से राजाओं का पक्ष लिया। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति हो, इस प्रकार के भारत के संविधान में संशोधनों के मामले में भी ये एकाधिकार समाचार-पत्र प्रतिक्रियावादी शक्तियों की तरफ रहे। साम्प्रदायिक दंगों के दौरान ये समाचार-पत्र निश्चित रूप से फिरका-परस्तों का पक्ष लेते हैं।

इस प्रकार संक्षिप्त में, देश के एकाधिकार समाचार-पत्र, जनतन्त्र और समाजवाद के लिए श्रमजीवियों के आन्दोलन के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुख्य हथियार बन गए हैं।

भारत में समाचार पत्रों में एकाधिकार की इन प्रवृत्तियों को देखकर बहुत पहले 1956 में प्रेस आयोग ने सरकार को यह चेतावनी दी थी कि वह समाचार-पत्र उद्योग में एकाधिकार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिये कदम तुरन्त उठाये। इसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एकाधिकार आयोग ने भी इसी प्रकार की सिफारिशें की थीं और भारत के समाचार-पत्रों में एकाधिकार के बने रहने के भयंकर खतरे की चेतावनी दी थी। प्रोफेसर महालोनोबिस जैसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने भी सरकार को इस खतरे से आगाह किया था।

इन वर्षों में भारत सरकार ने इन सिफारिशों और समाचारपत्रों के कर्मचारियों द्वारा बार बार की गई मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

जनता और समाचारपत्रों के कर्मचारियों की माँग के जोर पकड़ने के कारण भारत सरकार ने बड़े व्यापार गृहों के समाचारपत्रों के स्वामित्व और नियन्त्रण के विकेन्द्रीकरण के लिए कम्पनी कानून में संशोधन करने की अपनी इच्छा घोषित की है। तथापि, केन्द्रीय कम्पनी कार्य मन्त्री ने यह कहा है कि समाचारपत्रों में एकाधिकार पर नियन्त्रण करने के लिये कम्पनी कानून में संशोधन करने के प्रश्न पर केंद्रीय मन्त्रिमंडल ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। यह कहा गया है कि विधेयक के मसौदे को न तो संबंधित मन्त्री से और न ही विधि मन्त्रालय से स्वीकृति मिली है। इस स्थिति से स्पष्टतया यह सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या सरकार समाचार पत्रों में एकाधिकार को रोकने के लिए कानून बनाने के बारे में गम्भीर भी है?

इस सम्मेलन का यह विचार है कि प्रस्तावित विधेयक के मसौदे, जिसका सारांश

समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है, के अध्ययन से यह पता चलता है कि कम्पनी कानून में प्रस्तावित संशोधनों में भारी खामियां है। प्रस्तावित विधेयक ऐसे समाचार गृहों पत्र को छूट देता है जिनकी मालिक साझेदारी वाली वे फर्में है जो सहकारी संस्थाओं या ट्रस्टों या व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, चाहे उनकी खपत संख्या कुछ भी हो। ऐसी साझेदारी फर्में जिनकी खपत संख्या एक लाख से कम है और जो एक से अधिक समाचार-पत्र प्रकाशित नहीं करती हैं, पर यह विधेयक लागू नहीं होता।

इस विधेयक में केवल यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति या उसका एजेंट किसी समाचार कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक के शेयर नहीं खरीद सकता। विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि संशोधित अधिनियम के लागू होने पर एकाधिकार गृहों के समाचारपत्रों के शेयरों के वर्तमान स्वामित्व को किस प्रकार समाप्त कियाँ जा सकता है।

इसके विपरीत विधेयक में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति अधिनियम के लागू होने के 6 महीने तक भी समाचार पत्र पर नियन्त्रण रख सकते हैं।

इस खामी से सरकार के इस इरादे के बारे में सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या सरकार समाचारपत्रों में एकाधिकार पर वास्तव में प्रतिबन्ध लगाना चाहती है। विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि टाइम्स आफ इंडिया, स्टेट्समैन, हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स तथा इंडियन एक्सप्रैस समूह जैसे एकाधिकार गृहों के समाचारपत्र उद्योग के वर्तमान स्वामित्व को किस प्रकार समाप्त किया जायेगा। इससे यह स्पष्ट है कि भारत सरकार जिस व्यवस्था को करना चाहती है उससे बड़े व्यापार गृहों के समाचारपत्रों के स्वामित्व और एकाधिकार में तुरन्त कोई परिवर्तन नहीं होगा।

इसके विपरीत, इस सम्बन्ध में हमारा पीछे का अनुभव कोई बहुत अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा हाल ही में उठाये गये कदमों से स्पष्टतया यह पता चलता है कि सरकार ने बीमा के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर किस प्रकार निरुत्साह से काम किया।

जब जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो लोगों को यह आशा हुई थी कि जीवन बीमे के राष्ट्रीयकरण से आम व्यक्ति को अपनी स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। परन्तु अनुभव यह बताता है कि राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा निगम बड़े व्यापार गृहों को बड़े पैमाने पर ऋण देकर और गैर-सरकारी उद्योग में पूंजी लगाकर पूंजीपतियों की सेवा कर रहा है। यही स्थिति राष्ट्रीयकृत बैंकों के सबंध में है। कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में पिछले अनुभव को देखते हुये, विधेयक के अन्दर इन खामियों से यह संकेत मिलता है कि एकाधिकार गृहों के समाचारपत्रों के स्वामित्व को समाप्त करने के लिये जो उपाय किये जाने का प्रस्ताव है, उनसे बांछनीय फल प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

इसके साथ-साथ, यह सम्मेलन समाचारपत्रों के मालिकों तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों जिन्होंने अपने समाचार-पत्रों के स्तम्भों में सरकार के प्रस्तावित कदमों का विरोध करना शुरू कर दिया है, की बड़े शब्दों में निन्दा करता है। पिछले कुछ दिनों के दौरान प्रत्येक समाचार-पत्र ने एकाधिकार व्यापार गृहों के समाचार-पत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण करने के सरकार के प्रस्ताव के विरुद्ध सम्पादकीय लेख लिखे हैं।

इन एकाधिकार समाचार-पत्रों और प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने समाचारपत्रों पर तथा देश की सारी अर्थ व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण बनाये रखने के लिये जनतन्त्र के नाम में मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए हैं।

इन परिस्थितियों में, इस सम्मेलन का यह दृढ़ मत है कि समाचारपत्रों के कर्मचारी भारत सरकार की इस घोषणा पर पूरा यकीन नहीं कर सकते। सरकार द्वारा इस संबंध में जो भी कदम उठाये जाएंगे, उनके बारे में हमें बहुत सतर्क रहना होगा।

यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ग के समाचारपत्र कर्मचारियों को यह चेतावनी देता है कि वे इस बारे में सरकार की घोषणा के धोखे में न आयें। 16 वर्ष पूर्व प्रेस आयोग ने समाचारपत्र उद्योग में एकाधिकार को रोकने के लिये तुरन्त कदम उठाने की सिफारिश की थी। 9 वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एकाधिकार आयोग ने भी इस दिशा में तुरन्त कदम उठाने की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने हाल तक इस मामले में कुछ नहीं किया। इन परिस्थितियों में, जब तक समाचारपत्र कर्मचारी सभी प्रगतिशील शक्तियों के साथ मिलकर विशाल अभियान और आन्दोलन नहीं चलाते और जतता का दबाव नहीं डालते, तब तक सरकार से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सही दिशा में कदम उठाएगी।

यह सम्मेलन प्रत्येक वर्ग के समाचार कर्मचारियों, विशेषकर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ, प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया फैडरेशन तथा यू०एन०आई० स्टाफ से यह अपील करता है कि वे समाचारपत्रों में एकाधिकार नियन्त्रण के विरुद्ध देश में जनमत करने के लिये और सरकार पर निम्नलिखित कदम तुरन्त उठाने के लिये दबाव डालने के लिये एक सामूहिक आन्दोलन करें।

यह सम्मेलन सरकार से भी यह अनुरोध करता है कि वह व्यापार गृहों के समाचारपत्रों के स्वामित्व को समाप्त करने के लिये उपयुक्त कानून बनाने के लिये तुरन्त कदम उठाये।

इस सम्मेलन की यह पक्की राय है कि जबतक प्रस्तावित विधेयक में संशोधन नहीं किया जाता तब तक सरकार एकाधिकार गृहों के समाचारपत्रों के स्वामित्व को समाप्त नहीं कर सकेगी। इन कदमों को उठाये बिना समाचारपत्र वास्तव में स्वतन्त्र नहीं होंगे जो इस देश में जनतन्त्र और समाजवाद की प्रगति के लिये लोगों की सेवा कर सकें।

यह सम्मेलन सरकार से यह अनुरोध करता है कि वह प्रस्तावित अधिनियम में निम्नलिखित व्यवस्थायें करे :—

(1) समाचार-पत्र में एक व्यक्ति के लिए 5 प्रतिशत शेयर की व्यवस्था समाप्त की जाये और यह व्यवस्था की जाये कि कम से कम 60 प्रतिशत शेयर पूंजी कर्मचारियों की होगी।

(2) बजाय इसके कि शेयर होल्डरों से यह कहा जाय कि वे अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के अन्दर 5 प्रतिशत से अधिक के अपने शेयर वापस कर दें, अधिनियम में वर्तमान शेयर होल्डरों के शेयरों को अधिनियम के लागू होने के दिन जब्त करने की व्यवस्था की जाये।

(3) प्रस्तावित विधेयक में निम्नलिखित मामलों में जो छूट दी जा रही है वह वापस ले ली जाए :—

(क) स्वामित्व व्यक्ति का हो चाहे खपत संख्या कुछ भी हो ;

(ख) साझेदारी, सहकारी समितियां तथा ट्रस्ट ।

(4) निदेशकों के बारे में पत्रकारों और गैर पत्रकारों को अलाट किये जाने वाली व्यवस्था में संशोधन किया जाए और यह 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत कर दी जाये।

यह सम्मेलन सभी समाचारपत्र कर्मचारियों, जनतांत्रिक राजनैतिक दलों और संगठनों से यह अपील करता है कि वे देश के समाचारपत्रों में एकाधिकार के खतरे को महसूस करे जो प्रतिक्रियावादी शक्तियों का एक हथियार रहा है और सरकार पर यह दबाव डाले कि वह बड़े एकाधिकार गृहों के समाचारपत्रों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण के लिये एक प्रभावशाली कानून बनाये ।

औद्योगिक मशीनरी और परिवहन उपकरण उद्योगों के कार्यकरण परिणाम

*225. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 और 1971 के पूर्वार्द्ध में मूलभूत और पूंजीगत वस्तुओं जैसे औद्योगिक मशीनरी और परिवहन उपकरणों का उत्पादन करने वाले उद्योगों का कार्यकरण कैसा रहा ; और

(ख) क्या उनके उत्पादन में कोई कमी हुई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा किए गये (1969-70 पर आधारित) औद्योगिक उत्पादन के विश्लेषण के सरकारी सूचकांक से 1969 और 1970 की आधारभूत और पूंजीगत माल वाले उद्योगों की निम्नलिखित प्रवृत्ति का पता चलता है :

	परिवर्तन प्रतिशत (+ या —)	
	1969 / 1968	1970 / 1969
(1) मौलिक उद्योग	+ 8.9	+ 4.2
(2) पूंजीगत माल पर आधारित उद्योग	+ 1.8	+ 4.7
(3) परिवहन उपकरण और सहायक उद्योग	+ 0.4	+ 0.1

औद्योगिक उत्पादन के जनवरी से मई, 1971 तक के सरकारी सूचकांक से निम्नलिखित प्रवृत्तियों का पता चलता है :

	परिवर्तन प्रतिशत (+ या —) जन० मई 1971 / जन० मई 1970
1. **मौलिक उद्योग**	
उत्पादित बिजली	+ 6.4

1	2
खनन और उप खनन	— 1.3
आधार भूत धातु उद्योग	— 4.3†
2. पूंजीगत माल के उद्योग	
अविद्युतीय मशीनें	+ 6.1
विद्युत मशीनें	+11.2
3. परिवहन उपकरण और सहायक उद्योग	
परिवहन उपकरण	—11.3‡

†खास तौर से रेलवे तथा इस्पात संयन्त्रों द्वारा कम माल उठाये जाने और परिवहन सम्बन्धी कठिनाईयों के कारण ऐसा हुआ है।

‡रेल के डिब्बे बनाने वाले उद्योग के उत्पादन में गिरावट आने और रेलवे से कम क्रयादेश मिलने के फलस्वरूप ऐसा हुआ है।

देश में पुलिस के कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिये आयोग

*227. **श्री बीरेन दत्त :**

श्री सी० जनार्दन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूचे देश में पुलिस के कार्यों का पुनरीक्षण करने हेतु आयोग की नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो उस आयोग के निर्देशपद क्या हैं ; और

(ग) उक्त आयोग को नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) देश में पुलिस के कार्यों का पुनरीक्षण करने के लिये किसी आयोग की नियुक्ति नहीं की गई है। किन्तु प्रो० एम० एस० गोरे की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन पुलिस प्रशिक्षण से सम्बन्धित विषयों की जाँच करने के लिये किया गया है।

(ख) समिति के निर्देशपद संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) : ऐसी समिति के गठन के कारण हैं : (i) केन्द्र और राज्यों में विभिन्न स्तरों के पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्धों में मूल कमियों को जानने की तत्काल आवश्यकता तथा उन्हें दूर करने के उपाय मालूम करना। (ii) देश की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि तथा हमारी मूल्य प्रणाली तथा विज्ञान और टेक्नोलोजी के सामाजिक परिमापों तथा आचरण पर एवं सरकार तथा उसके पदाधिकारियों की कार्य प्रणाली पर पड़ने वाले सतत् प्रभाव को दृष्टि में रखते हुए ऐसे प्रबन्धों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता।

विवरण

पुलिस प्रशिक्षण सम्बन्धी समिति के निर्देशपद

(1) ऐसे उद्देश्य निर्धारित करना जिन्हें हमारे देश की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठ भूमि में पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के सभी प्रबन्धों तथा हमारी मूल्य प्रणाली का संचालन करना

चाहिये तथा विज्ञान और टेक्नालोजी का सामाजिक प्रमापों तथा आचरण पर एवं सरकार तथा उसके पदाधिकारियों की कार्य प्रणाली पर पड़ने वाला सतत् प्रभाव ।

(2) केन्द्र के अन्तर्गत और राज्यों में पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण प्रबन्धों में मूल कमियों को जानना ।

(3) वर्तमान परिस्थितियों में वांछित सुधार लाने के लिये सुझाव देना तथा विशेषकर निम्नलिखित मदों पर सिफारिशें करना :

(क) क्या केन्द्र के अन्तर्गत अथवा राज्यों में इस उद्देश्य हेतु और अधिक संस्थान स्थापित करने आवश्यक हैं ;

(ख) क्या पुलिस अधिकारियों की किसी एक अथवा अधिक श्रेणियों के लिये कोई नया पुनश्चर्या/विशेषज्ञ पाठ्यक्रम आवश्यक है ;

(ग) वर्तमान पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या को किस प्रकार संशोधित किया जाए ;

(घ) पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण में शिक्षा के कौन से आधुनिक यंत्रों तथा तरीकों का लाभप्रद उपयोग किया जा सकता है ;

(ङ) पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों की योग्यता को उन्नत करने के लिये कौन से उपाय आवश्यक हैं ;

(च) इस उद्देश्य हेतु आवश्यक शैक्षणिक साहित्य के सृजन के लिये क्या उपाय आवश्यक हैं ; तथा

(छ) पुलिस तथा जनता के बीच पारस्परिक विश्वास, आस्था एवं सहयोग पर आधारित सम्बन्धों में सुधार ।

(4) विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारियों के लिये निर्धारित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं एवं उनकी भर्ती की प्रणालियों में आवश्यक समझे गये परिवर्तनों का सुझाव देना ताकि वे प्रशिक्षण प्रबन्धों के सुधार से लाभ उठा सकें ; तथा

(5) इस विषय से सम्बद्ध समझा गया कोई अन्य सुझाव देना ।

अमृतसर की जेल से भाग निकले अभियोगाधीन पाकिस्तानी बन्दी

*228. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमृतसर जेल से सात अभियोगाधीन पाकिस्तानी बन्दी जेल अधिकारियों की सहायता से भाग निकले थे ;

(ख) क्या सम्बन्धित जेल अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पाकिस्तानी नागरिकता के 7 अभियोगाधीन बन्दी 26 और 27 अगस्त, 1971 के बीच की रात को सेन्ट्रल जेल अमृतसर से जेल के कुछ कर्मचारियों की तथाकथित लापरवाही के कारण भाग निकले थे ।

(ख) और (ग). सम्बन्धित जेल कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :

(i) जेल के अधीक्षक, जेल के एक सहायक अधीक्षक, एक हैड वार्डर और दो वार्डरों को निलम्बित कर दिया गया है।

(ii) जेल के अधीन और जेल के दो उप-अधीक्षकों को आरोप पत्र दिये गये हैं।

(iii) इस मामले के सिलसिले में 3 वार्डर तथा 3 बन्दी-अधिकारी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं।

छात्र अशांति तथा देश में कानून और व्यवस्थ- की स्थिति

*227. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अराजकता और अनुशासनहीनता के कारण छात्रों में अशांति बढ़ रही है ;

(ख) छात्रों और पुलिस के बीच मुठ-भेड़ें भी दिनोंदिन बढ़ रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 'कानून और व्यवस्था' की मद को संविधान की 'समवर्ती' सूची में से निकाल कर 'संघ सूची' में शामिल करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). सरकार को छात्र असंतोष में अथवा पुलिस के साथ झगड़ों में इस प्रकार की वृद्धि के संकेत की कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

दिल्ली में नक्सलवादी आन्दोलन

*230. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादी आन्दोलन दिल्ली के स्कूलों में भी आरम्भ हो गया है और 30 अक्तूबर, 1971 को दिल्ली में गिरफ्तार किये गये नक्सलवादियों में उच्चतर माध्यमिक कक्षा का एक विद्यार्थी था ; और

(ख) यदि हां, तो राजधानी के स्कूलों और कालेजों में इस बुराई को पनपने से पहले ही समाप्त कर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान्। किन्तु ऐसी गतिविधियों के बारे में कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

पंजाब में पाकिस्तान के प्रशिक्षित जासूसों का गिरोह

*231. **श्री सतपाल कपूर** : **श्री नागेश्वर राव** :
श्री आर० वी० बड़े :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अक्तूबर, 1971 को प्रशिक्षित पाकिस्तानी जासूसों का एक गिरोह पंजाब में पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह के कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इन जासूसों से बड़े ही अपराधात्मक दस्तावेज तथा नक्शे बरामद किये गये हैं ;

(घ) क्या इन पाकिस्तानी जासूसों का राज्य के कुछ उच्च और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ कोई सम्बन्ध था ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). एक पाकिस्तानी राष्ट्रिक, जिसके जासूस होने का संदेह था, 30 अक्तूबर, 1971 को गिरफ्तार किया गया था और मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। इस स्थिति में और ब्यौरे देना लोकहित में न होगा।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उदयपुर में जासूसी के आरोप में एक पाकिस्तानी स्त्री तथा उसके लड़के की गिरफ्तारी

*232. **श्री अमरनाथ चावला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदय पुर में जासूसी करने के आरोप में एक पाकिस्तानी स्त्री और उसके लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया है ;

(ख) क्या उसके सम्बन्ध अनेक प्रभाव-शाली लोगों के साथ थे ; और

(ग) यदि हां, तो उसके और उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनके साथ उनके सम्बन्ध थे क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार विदेशी व्यक्ति तथा पारपत्र अधिनियमों के परन्तुकों के उल्लंघन के लिए एक पाकिस्तानी महिला राष्ट्रिक और उसके अवयस्क लड़के को गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उनके विरुद्ध मामलों की जांच-पड़ताल हो रही है। ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वे जासूसी गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त थे।

गुड़ के वायदा बाजार पर प्रतिबन्ध

*233. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़ के वायदा बाजार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या गुड़ के वायदा-बाजार में बहुत अधिक चोर-बाजारी चल रही थी ; और

(घ) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) गुड़ के वायदा बाजार को 18 अक्तूबर, 1971 से स्थगित कर दिया गया है ।

(ख) चीनी और गुड़ की बढ़ती हुई कीमतों और गुड़ बनाने के लिए बड़ी मात्रा में गन्ने का प्रयोग करने की संभावना, जिससे चीनी के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, को देखते हुए ।

(ग) और (घ). वायदा बाजार में कोई काला बाजारी नहीं चल रही थी और न वायदा बाजार आयोग के सामने ही कोई गम्भीर या बड़ी अनियमितता आई है ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए सोलह सूत्री कार्यक्रम

*234. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री समर गुह :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक सोलह सूत्री कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्त बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल के लिए 16 सूत्री कार्यक्रम

सिफारिशें :

1. महाराष्ट्र के कपड़ा मिल अधिनियम के समान संकटग्रस्त औद्योगिक एककों को सरकार द्वारा बिना ऋण भार के अपने अधिकार में लेने के लिए विधान बनाया जाना चाहिए । यह विधान सम्पूर्ण रूप से सारे देश पर लागू होगा लेकिन इसको पश्चिम बंगाल की स्थिति के विशेष संदर्भ में समझा जाना चाहिए ।

2. उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के उपाय किये जाने चाहिए जिससे जिन औद्योगिक एककों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18-क के अन्तर्गत अधिकार में लिया जा सकता है सरकार स्थाई रूप से उनका अधिग्रहण कर सके । इस प्रकार अधिकार में लिये गये कुछ उपक्रमों में सरकार को बहुत ज्तादा पूंजी लगानी होगी और उनकी स्थिति सुधारने के पश्चात गैर-सरकारी नियंत्रण में वापस करना ठीक नहीं होगा ।

3. पश्चिम बंगाल में जहां इस समय एक ही पाली में काम करने की अनुनति है वहां अनेक पालियों में काम करने की अनुमति देनी चाहिए ।

4. रेलवे द्वारा पश्चिम बंगाल के एककों को मालगाड़ी के डिब्बों के लिए दिये गये क्रयादेशों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करने के विशेष उपाय किये जाने चाहिए ।

5. दूसरे हावड़ा पुल के बारे में क्रयादेश देने हेतु परिवहन मंत्रालय द्वारा अंतिम निर्णय अतिशीघ्र लिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अधिकांश इंजीनियरी उद्योग हैं। सिफारिश सं० 4 और 5 से पश्चिम बंगाल में औद्योगिक कार्य का पर्याप्त बढ़ावा देने की संभावना है।

6. पश्चिम बंगाल को कच्चे माल सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विशेष सहानुभूति से विचार किया जायेगा। राज्य लघु उद्योग विकास निगम द्वारा कच्चा माल बैंक स्थापित किया जा सकता है जो स्टाक और वितरण करने वाले अभिकरण की तरह कार्य करेगा। पश्चिम बंगाल के उद्योग विभाग के सचिव लोहा और इस्पात की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में राज्य लघु उद्योग निगम को बतायेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो आयात करने की अनुमति देकर आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं।

7. पं० बंगाल में उत्पादिता बढ़ाने और प्रबन्धक श्रम संबंध सुधारने के लिए प्रयत्न किये जाने चाहिए। यह मामला पहले से ही केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण और श्रम मंत्रियों के विचाराधीन है।

8. प० बंगाल औद्योगिक विकास निगम को शक्ति प्रदान करने और सुदृढ़ बनाने के तुरन्त उपाय किये जाने चाहिए। महाराष्ट्र के एस०आई०सी०ओ०एम० के ढाँचे के आधार पर औद्योगिक विकास के लिए इन निकायों को सक्रिय और परिवर्तनशील उत्साहवर्द्धक अभिकरण बनाने के लिए ढांचे को पुनर्गठन करने की आवश्यकता है इस सुझाव पर काफी जोर दिया गया था। यह नोट किया गया था कि राज्य औद्योगिक विकास निगम के पास धन की कमी बताई जाती है यदि एक बार इसको पुनर्गठित और क्रियाशील कर दिया जाये तो ऋण-पत्र जारी करना और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं को उनमें हिस्सा बटाने के लिये राजी किया जा सकता है।

9. विकास आयुक्त, लघु उद्योग की अपने संगठन के लिये प० बंगाल में प्रतिवर्ष 2000 लघु एकक स्थापित करने अर्थात विद्यमान संख्या का दुगुना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

10. राज्य सरकार को स्थानीय कच्चा माल और दक्षता पर आधारित उस क्षेत्र के उपयुक्त उद्योगों का पता लगाने के लिए प्रत्येक जिले का द्रुतगामी सर्वेक्षण कराना चाहिए, जो उद्योग स्थानीय युवकों को रोजगार प्रदान कर सकें। सम्भाव्यता और परियोजना रिपोर्ट तैयार करके, भूमि निश्चित और अधिग्रहीत आदि करके सहायता के कारण कदम उठाकर इस काम को और आगे बढ़ाना चाहिए।

11. प० बंगाल के उद्यमियों के लिए प्रस्तावित उद्यम सम्बन्धी मार्ग-दर्शन ब्यूरो का एक शाखा कार्यालय कलकत्ता में खोला जा सकता है।

12. अनिर्णीत आवेदनों को बहुत जल्दी निपटाया जाये। बड़े औद्योगिक गृहों के अनिर्णीत आवेदनों की गुणावगुणों के आधार पर जांच की जानी चाहिए।

13. राज्य सरकार जारी किये गये आशय-पत्रों पर कारगर ढंग से आगे की कार्यवाही और उनको तत्काल क्रियान्वयन का सुनिश्चिय करे।

14. कलकत्ता-हावड़ा और 24 परगना के जिलों के अलावा सारे प० बंगाल को सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा रियायती दर पर वित्त देने की व्यवस्था करने के लिए पिछड़ा

क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प० बंगाल के एककों को उदार की गई ऋण सुविधायें देने का सुनिश्चय करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में प० बंगाल सरकार को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से तत्काल परामर्श करना चाहिए।

15. राज्य सरकार द्वारा नये औद्योगिक एककों को इस समय जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और यह निश्चय किया जाना चाहिए कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात आदि में प्रचलित पद्धति के अनुसार उसे भी अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है।

16. 10 प्रतिशत राज्य सहायता योजना की, प्रभावशीलता बढ़ाने और सम्पूर्ण देश की दृष्टि किन्तु प० बंगाल को विशेष और तत्कालिक संदर्भ से पुनरीक्षा की जानी चाहिए। विभिन्न जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए जनसंख्या के आधार पर अपनाये गये मानदण्ड की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए और राज्य सहायता की राशि बढ़ाने की आवश्यकता और औचित्य पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इम्फाल (मनीपुर) में पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर गोली चलाया जाना

*235. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल, मनीपुर में पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर गोली तथा लाठी चलाये जाने की, जिसके परिणामस्वरूप छः विद्यार्थी घायल हो गये थे, न्यायिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि विद्यार्थियों में अनाज की अत्यधिक कमी तथा बढ़ रहे मूल्यों के कारण असंतोष फैला था ; और

(ग) यदि हां, तो विद्यार्थियों के विरुद्ध, जोकि खाद्यान्न की कमी के बारे में लोक हित के लिए आन्दोलन कर रहे थे, सीमा सुरक्षा बल, मनीपुर राइफिल्स और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को प्रयोग किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). मणिपुर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार समस्त मणिपुर विद्यार्थी संघ ने सितम्बर 1971 में उचित दरों पर पर्याप्त मात्रा में अनाज की सप्लाई के प्रश्न पर प्रदर्शन के रूप में एक आन्दोलन का आयोजन किया था। सरकार ने उचित दर दुकानों के जरिये अनाज की बिक्री के प्रबन्ध किये थे। किन्तु 23 और 24 सितम्बर को विद्यार्थियों के दलों ने इम्फाल में कई स्थानों पर प्रदर्शनों का आयोजन किया और हिंसा पर उतारू हो गये तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को आग लगाई। 24 सितम्बर को हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, इन दो दिनों के दौरान हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप दो रजिस्ट्रेटों, 40 पुलिस कर्मचारियों तथा 9 अन्य व्यक्तियों को चोटें आई। 7 सरकारी गाड़ियों तथा अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुँची। कुल मिलाकर 231 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। क्षमायाचना पर, 16 को छोड़कर जो हिंसात्मक घटनाओं में अंतर्ग्रस्त थे, सभी व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है। इन 16 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमें न्यायाधीन हैं। किसी न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया गया है।

आसाम में अत्यावश्यक वस्तुओं की गम्भीर कमी

*236. **श्री निहार लास्कर** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में अत्यावश्यक वस्तुओं की गम्भीर कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). परिवहन की कठिनाइयों, बाद तथा बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आ जाने के फलस्वरूप स्पष्ट रूप से आसाम से कुछ आवश्यक माल की कमी के समाचार मिले हैं। परिवहन की रुकावटें दूर करके तथा अतिरिक्त संभरण करके स्थिति पर काबू पाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत स्थिति का मुकाबला करने के लिये आसाम सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को शक्तियां भी दे दी गई हैं।

मैसर्स रैमिंगटन रैन्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा पोर्टेबल टाइपराइटर मशीन का निर्माण

*23 . **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्टेबल टाइपराइटर मशीन के निर्माण के लिए रेमिंग्टन रैंड एण्ड कम्पनी लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) टाइपराइटर के निर्माण की वार्षिक मंजूरशुदा क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या कम्पनी को कहा गया था कि वह पश्चिम बंगाल से आये बाहर के लिये लाइसेंस लेने के लिए आवेदन पत्र भेजे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). जी, नहीं। केवल मे० रिमिंगटन रैंड आफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिवर्ष 15,000 सुबहनीय टाइप की मशीनें बनाने के लिए हरियाणा राज्य के फरीदाबाद नगर में एक नया उपक्रम लगाने हेतु एक आवश्यक पत्र जारी किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूर संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश

*238. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने दूर संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास के पुनरीक्षण का सुझाव दिया था ताकि अन्य देशों में होने वाले विकास के समान ही हम भी विकास कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) प्रशासकीय सुधार आयोग ने डाक-तार विषयक अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले अन्य उपक्रमों में दूरसंचार उपस्करों के उत्पादन को इस प्रकार संघटित किया जाए जिससे कि हमारा देश अन्य देशों के आधुनिकीरण तथा विकासों से तालमेल बनाए रख सके और हमारी दूरसंचार व्यवस्था अधुनातम प्रौद्योगिकी से अवगत रह सके।

(ख) संचार मन्त्रालय के अधीन विभिन्न अनुसंधान तथा विकास संघटनों में विद्यमान स्थिति का व्यापक पुनरीक्षण करने तथा इन संघटनों में अनुसंधान के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए उपाय सुझाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे दूरसंचार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधुनातम विकासों के साथ तालमेल बनाये रखें, भारत सरकार तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने पर विचार कर रही है। समिति के गठन तथा विचारार्थ विषयों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

लघु औद्योगिक तथा निगमित क्षेत्र (कारपोरेट सेक्टरों) की विकास दर

*239. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970-71 में उद्योग के संगठित निगमित क्षेत्र (कारपोरेट सैक्टर) की विकास दर के निश्चित आँकड़े तैयार कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो लघु औद्योगिक क्षेत्र की विकास की दर की तुलना में यह कितनी न्यूनाधिक है ; और

(ग) वर्ष 1969-70 में लघु औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर क्या थी ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) निगमित क्षेत्र की विकास दर 1970 में 4.8 प्रतिशत और 1971 के प्रथम पांच महीनों में 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ख) तथा (ग). वर्ष 1970-71 में लघु क्षेत्र की विकास दर की गणना अभी नहीं की गई है, वर्ष 1969 की विकास दर इसके पहले वर्ष की अपेक्षा लगभग 11 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।

अशोक होटल, नई दिल्ली में आभूषणों की चोरी

*240. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल, नई दिल्ली से 1 नबम्बर 1971 को हुई आभूषणों की चोरी की कोई जांच कराई गई थी और क्या इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) चुराई गई सम्पत्ति बरामद कर ली गई है तथा छः अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाँच-पड़ताल हो रही है।

बाढ़ तथा अधिक वर्षा के कारण पालामाउ (बिहार) में हुई हानि

1394. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 जुलाई, 1971 के बिहार के प्रसिद्ध सप्ताहिक 'साप्ताहिक हलधर' के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित बाढ़ तथा अधिक वर्षा के कारण जिला पालामाउ (बिहार) में हुई हानि से सम्बन्धित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या एक करोड़ रुपये की हानि हुई है और कुल मिलाकर एक हजार घर नष्ट हो गये हैं जिसके परिणामस्वरूप लगभग दस हजार लोग बेघर हो गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या उपचारीय उपाय किये हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायगी।

डाक-तार विभाग में नए पदों के सृजन पर प्रतिबन्ध

1395. **श्री समर मुखर्जी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग मजदूरों (नियमित) के नए पद सृजन करने पर लगाये गए अपने प्रतिबन्ध को वापस लेने का विचार कर रहा है ताकि टेलीफोन लिस्टों में 2 वर्ष या इससे अधिक की निरन्तर सेवावधि पूरी कर चुके नैमित्तिक श्रमिकों को खपाया जा सके ;

(ख) क्या उक्त आदेश को वापस लेने संबंधी मामला डाक-तार के वित्त विभाग में मार्च, 1971 से पड़ा हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) मजदूरों के नए पदों के सृजन के आदेश को वापस लेने सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) स्पष्टतः प्रश्न के इस भाग में प्रतिबन्ध संबंधी जिन आदेशों का हवाला दिया गया है, वे डाक-तार विभाग में 30 नवम्बर, 1967 को जारी किये थे। इन आदेशों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय भी लिया गया था कि आगे आदेश दिये जाने तक टेलीफोन जिलों में नियमित मजदूरों के नये पदों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में स्थिति का पुनरीक्षण किया गया है कि जब तक डाक-तार विभाग के कार्य-अध्ययन यूनिट द्वारा नियमित अध्ययन के बाद समुचित मानक निर्धारित नहीं कर दिये जाते, 1-10-1970 को 5 वर्ष और इससे अधिक सेवा पूरी करने वाले 50 प्रतिशत नैमितिक मजदूरों को नियमित सेवा में ले लिया जाए।

(ख) यह अनुमान ठीक नहीं है।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर में स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी गई है।

आसाम सर्किल में किराये की इमारतों में डाक व तार घर

1393. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम सर्किल में कितने डाक व तार घर किराये की इमारतों में चल रहे हैं ;

(ख) इन इमारतों के लिए प्रति वर्ष कितना किराया दिया जाता है ; और

(ग) आसाम सर्किल के डाक व तार घरों के लिए इमारतें बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 644.

(ख) 14,50,125 रुपये ।

(ग) 1-4-1951 से 7. नई इमारतें बनवाई गई हैं, 71 इमारतों में अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए उनका विस्तार किया गया है और 24 पुरानी इमारतें गिराकर दुबारा बनाई गई हैं। 1-11-71 को 623 में से 147 विभागीय डाकघर विभागीय इमारतों में काम कर रहे हैं। इस समय ऐसी चार परियोजनाओं पर काम चल रहा है ।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

1398. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार विभागीय सचिवों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में विभागीय सचिवों तथा उप-सचिवों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की उच्च पदों पर जल्दी-जल्दी पदोन्नति से प्रशासनिक दक्षता कम होती है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)
1 जनवरी, 1971 तक प्राप्त सूचना नीचे दी जाती है:—

(क) 2763

(ख)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/उत्तर पूर्व-सीमान्त ऐजेन्सी	विभागीय सचिवों के पदों पर आसीन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	11
असम	12
बिहार	16
गुजरात	13
हरियाणा	7
जम्मू एवं कश्मीर	10
केरल	16
मध्य प्रदेश	17
महाराष्ट्र	17

1	2
मेघालय (असम राज्य के बीच स्वायत-राज्य)	6
मैसूर	12
नागालैंड	7
उड़ीसा	14
पंजाब	11
राजस्थान	15
तमिलनाडु	13
उत्तर प्रदेश	25
पश्चिम बंगाल	16
अन्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह	1
चण्डीगढ़	3
दिल्ली	5
गोवा	4
हिमाचल प्रदेश	4
लक्कादीव-समूह	1
मनीपुर	2
पान्डीचेरी	2
त्रिपुरा	2
उत्तर-पूर्व-सीमान्त ऐजेन्सी	1
कुल योग	263

(ग) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में सचिवों तथा उप-सचिवों के पदों की संख्या जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आसीन हैं।

सचिव —32

उप-सचिव—93

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की विभिन्न उच्च पदों में पदोन्नति, ऐसी पदोन्नति के लिए उनकी योग्यता को पूर्ण-रूप से ध्यान में रखते हुए की जाती है।

पाकिस्तान और चीन के लिए जासूसी करने के अपराध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

1399. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या गृह मन्त्री पाकिस्तान और चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के बारे में 10 अप्रैल, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5975 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान । सन् 1969 में ऐसी गतिविधियों के लिए 117 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे । उनमें से 76 भारतीय, 33 पाकिस्तानी, चार तिब्बती और शेष चार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के थे ।

दिल्ली प्रशासन के फालतू कर्मचारियों का खपाया जाना

1400. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा तदर्थ/अस्थायी आधार पर नियुक्त लगभग 500 निम्न श्रेणी लिपिकों की सेवाएं फालतू घोषित किए जाने के बाद वर्ष 1968 में समाप्त कर दी गई थी ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को इस बीच बहाल किया गया अथवा दिल्ली प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों में खपाया गया है ; और

(ग) शेष व्यक्तियों को खपाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई और उन्हें खपाने में कितना समय लग जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). तदर्थ/अस्थाई आधार पर नियुक्त किए गए निम्न श्रेणी लिपिकों को 1966 से 1968 के दौरान निर्धारित प्रतियोगी परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर प्रदान किए गए थे । तदर्थ कर्मचारियों के लिए एक सीमित परीक्षा भी आयोजित की गई थी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से इसका स्तर कम रखा गया था । जिन्होंने इन परीक्षाओं को पास कर लिया उन्हें सेवा में रखा गया और अनुत्तीर्ण (30) लिपिकों की तथा उन लिपिकों की (197) जो जानबूझकर परीक्षा में नहीं बैठे थे, सेवाएं समाप्त कर दी गई ।

बिलासपुर में तीन हरिजनों की हत्या

1401. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मन्त्री बिलासपुर जिले (मध्य प्रदेश) में तीन हरिजनों की हत्या के बारे में 7 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1837 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में रिपोर्ट मिल चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). 7 अगस्त, 1970 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1837 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर कर दी गई थी । उसमें कहा गया था कि जिला बिलासपुर के तीन सतनामियों की 2 मई 1970 को हत्या कर दी गई थी । पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148,149 और 302 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया था और 24 अभियुक्त व्यक्तियों में से 23 गिरफ्तार किए गये थे । पुलिस ने झगड़े की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की थी । मामले की जांच पड़ताल/मुकदमें में हुई प्रगति के बारे में सूचना मध्य प्रदेश सरकार से मालूम की जा रही है ।

अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता संस्था और डाक्टर भगवान दास मैमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली, के ट्रस्टी के विरुद्ध कार्यवाही

1402. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मन्त्री अखिल भारतीय नेत्रहीन सहायता संस्था और डा० भगवानदास मैमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली के बारे में 4 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6834 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के न्यास अधिनियम में किए गए उपबन्धों के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट का कोई ट्रस्टी उसी ट्रस्ट से लाभ उठा सकता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस ट्रस्टी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जिसने इसी ट्रस्ट से वेतन तथा भत्तों के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). ये संस्थायें समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत हैं और न की भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अधीन। समितियों के रजिस्ट्रार को समिति के नियमों व विनियमों के उल्लंघन करने के लिए इसके किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू करने या लेने का अधिकार नहीं है। किन्हीं विशेष आरोपों पर आधारित सामान्य कानून के अधीन सम्पति के विरुद्ध किसी दुखी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

ए० एम० आई० ई० योग्यता प्राप्त इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी

1403. **श्री एस० डी० सोमसुन्द्रम्** : क्या **प्रधान मंत्री** 8 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2913 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० एम० आई० ई० योग्यता प्राप्त इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारियों के बारे में इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). लोक सभा में दिनांक 21 फरवरी, 1969 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 588 के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना, जिसका निर्देश अतारांकित प्रश्न संख्या 2913 में किया गया, उसे बाद में 28-3-1970 को सदन के पटल पर रख दिया गया था। तथापि, आश्वासन की पूर्ति के सम्बन्ध में सदन के पटल पर रखे गये विवरण की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1102/71]

गुजरात में कच्छ सीमावर्ती क्षेत्र में समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियां

1404. **श्री सोमचन्द्र सोलंकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में गुजरात में कुछ कच्छ के सीमावर्ती क्षेत्र में समाजविरोधी तत्वों की गतिविधियां फैल गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 7 जुलाई, 1971 से 31 अक्तूबर, 1971 तक पृथक पृथक कितने जासूसों और समाजविरोधी तत्वों को गिरफ्तार किया गया तथा पूछ ताछ के लिये रोका गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बस्सी तहसील जयपुर के हरिजन परिवारों पर अत्याचार

1405. **डा० रानेन सेन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जयपुर जिले की बस्सी तहसील में एक छोटे गांव के 40 हरिजन परिवारों ने पालावाल तथा अन्य निकटवर्ती गांवों के सवर्ण हिन्दुओं द्वारा उन पर किए अत्याचार के कारण अपने घर छोड़ दिए हैं ;

(ख) क्या वे परिवार अपनी शिकायतें दूर कराने हेतु प्रधान मन्त्री से मिलने के लिए सितम्बर, 1971 के दूसरे सप्ताह में दिल्ली आये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). जिला जयपुर की बस्सी तहसील के कोई हरिजन नई दिल्ली में प्रधान मंत्री से मिलने नहीं आये । किन्तु राजस्थान के मुख्य मंत्री को ग्राम बस्सी के हरिजनों द्वारा सम्बोधित एक अभ्यावेदन की प्रतिलिपि सितम्बर, 1971 के आरम्भ में प्रधान मंत्री सचिवालय में डाक द्वारा प्राप्त हुई थी । अभ्यावेदन में सवर्ण हिन्दुओं के अत्याचारों की शिकायत थी । राज्य सरकार से आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया है ।

गांव खेड़ी गनारन (पटियाला) में हरिजन काश्तकारों का निष्कासन

1406. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटियाला के निकट गांव खेड़ी गनारन (पंजाब) में बड़े जमीदारों द्वारा हरिजन काश्तकारों के निष्कासन की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बेदखली को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला पटियाला के ग्राम गांडाखीर में जमीदारों और हरिजनों के बीच जमीन के ऊपर कुछ झगड़े हैं । ये झगड़े सिविल और फौजदारी न्यायालयों में न्यायाधीन हैं ।

गुड़गांव जिले में हरिजन कालोनी को जाने वाली सड़क का बन्द किया जाना

1407. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुड़गांव जिले (हरियाणा) के माडल टाउन के सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजन कालोनी को जाने वाली सभी सड़कों तथा गलियों को अगस्त-सितम्बर, 1971 के दौरान बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी ; और

(ग) हरिजनों के साथ दुर्व्यहार करने वाले व्यक्तियों को क्या सजा दी गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अगस्त-सितम्बर, 1971 में माडल टाउन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

चपरासियों/आई०सी०एस० अधिकारियों/उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-निवृति आयु

1408. **श्री शशि भूषण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एक चपरासी, आई०सी०एस० अधिकारी तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृति आयु क्या है ; और

(ख) इन तीनों व्यक्तियों की सेवा-निवृत्ति आयु भिन्न-भिन्न होने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). चपरासी, आई०सी०एस० अधिकारी और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा-निवृत्ति की आयु इस प्रकार है :—

(i) **चपरासी**—चपरासी एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। एफ०आर० 56(ई) के अधीन, चतुर्थ श्रेणी सेवा या पद में आसीन सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवा-निवृत्त होगा।

(ii) **आई०सी०एस० अधिकारी**—एफ०आर० 56 (एफ) के अधीन आई०सी०एस० का सदस्य भारत में आने की तारीख से 35 वर्ष की सेवा की समाप्ति पर अपने अन्तिम पद पर 5 वर्ष से कम के लिये रहा हो, तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति से उस पद पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है, जब तक कि वह उस पर 5 वर्ष पूरे न कर ले।

(iii) **उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश**—संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अधीन, उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक की आयु तक रहेगा।

31 मार्च, 1936 तक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये सेवा-निवृत्ति की कोई निश्चित अवधि नियत नहीं थी। 1 अप्रैल, 1936 से, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये सेवा-निवृत्ति की आयु 60 वर्ष नियत की गई और तब से वही चली आ रही हैं। आई०सी०एस० के सदस्यों के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था भी स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले के दिनों से ही लागू है तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 314 द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा-निवृत्ति आयु स्वयं संविधान द्वारा निर्धारित की गई है।

महाराष्ट्र में रूई के व्यापार का राष्ट्रीयकरण

1409. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र विधान सभा ने राज्य के समस्त रूई व्यापार का राष्ट्रीयकरण के लिये एक विधेयक पारित किया है ;

(ख) क्या राज्य विधान मण्डल में इस विधान को लाने से पहले राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की सलाह ली थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) महाराष्ट्र विधान सभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें महाराष्ट्र राज्य के माध्यम से कुछ समय तक कपास का समस्त व्यापार करने की व्यवस्था है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) भारत सरकार ने कपास उगाने वालों और कपास का विपणन करने वालों के हितों को दृष्टि में रखते हुये विधेयक के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने का सुझाव दिया था। ये सुझाव राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिये थे और विधेयक में सम्मिलित कर दिये गये थे।

एच०एम०टी० की घड़ियों का निर्यात

1410. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एच०एम०टी० लिमिटेड घड़ियों का विदेशों को निर्यात कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं और पिछले दो वर्षों में कितनी राशि की विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी हां।

(ख) (i) देशों के नाम : संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, सूडान, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, हांग-कांग, लेबनान, ईरान, न्यूजीलैंड, वेस्टइण्डीज, ब्रिटिश, कोलम्बिया, फिजी, रूस, यूगाँडा, नारफोक आइसलैंड, हालैंड, डेनमार्क, तैवान।

(ii) निम्नलिखित अवधि में कुल अर्जित विदेशी मुद्रा :—

1969-70	21,449 रु०
1970-71	85,030 रु०

चमड़ा वस्तु उद्योग के अध्ययन के लिए समिति का गठन

1411. **श्री वी. मायावन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़ा और चमड़ा वस्तु उद्योगों के अध्ययन के लिये एक समिति गठित की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेशपद तथा इसके सदस्यों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारत सरकार ने चमड़ा और चमड़ा वस्तु उद्योगों के लिये विकास परिषद की स्थापना की है।

(ख) विकास परिषद के कार्य वे हैं, जो कि (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की द्वितीय सूची में दिये गये हैं और उनकी एक प्रति संसद लाइब्रेरी में उपलब्ध है।

Economy in Expenditure in Raj Bhavans

1412. **Shri G. P. Yadav :**
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether she has addressed a letter to the Governors of the various States advising them to effect economy ;

(b) if so, the reaction of the Governors thereto ;

(c) whether a committee was also appointed to recommend ways and means for achieving more efficiency and economy in the working of Raj Bhavans ; and

(d) if so, the suggestions made by the Committee and the action taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (d). The Prime Minister has written to the Governors emphasising the need for economy in expenditure in the Raj Bhavans and indicating that a Committee of Officers is also being appointed to study the pattern of expenditure and recommend measures for its rationalisation. While appreciating the need for economy, the Governors have also agreed to extend necessary assistance to the Committee. The work of the Committee is now in progress.

24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल की काटजू-नगर कालोनी के निवासियों पर आक्रमण

1413. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अक्तूबर, 1971 की समाज-विरोधी तत्वों के एक दल ने 24 परगना जिला (पश्चिम बंगाल) की काटजू-नगर कालोनी के निवासियों के कुछ मकानों पर आक्रमण किया तथा वहां पर रहने वाले लोग अब डरे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आक्रमण के लिए जिम्मेदार समाज-विरोधी तत्वों को पकड़ कर स्थिति में सुधार करने तथा कालोनी में शान्तिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने के लिये क्या तुरन्त कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

दिल्ली में अपहरण के मामले

1414. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अक्तूबर, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में दिल्ली में अपहरण के कितने मामले हुये ;

(ख) कितने मामलों का पता लगाया गया तथा उनका चालान किया गया ;

(ग) कितने मामलों का अभी तक पता नहीं लगाया गया ; और

(घ) जिन मामलों का अभी तक पता नहीं लगाया गया उनका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) 1-1-1971 से 15-10-1971 तक की अवधि में 299 मामलों की रिपोर्ट की गई थी जिनमें से 91 मामले रद्द कर दिये गये।

(ख) 134 मामलों का पता लगा लिया गया था। जिनमें से 88 मामलों का न्यायालय में चालान कर दिया गया है। शेष 46 का शीघ्र ही चालान किया जायेगा।

(ग) 24 मामले पता न लग सके मामलों के रूप में न्यायालय को सूचित किये गये।

(घ) स्त्रोतों से आसूचना एकत्रित करके, गुप्त रूप से निगरानी रखकर तथा अवांछनीय व्यक्तियों से जो इस तरह के अपराध करते हैं पूछताछ करके इन मामलों को निष्पादित करने के सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कलकत्ता के एक निगम-पार्षद तथा कर्मचारी संघ के एक नेता के पुत्र से आग्नेयास्त्रों के बरामद होने के समाचार

1415. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लक्ष्मी डे नामक कलकत्ता के एक निगम पार्षद और कर्मचारी संघ के एक नेता के पुत्र, श्री घोरे को हाल ही में पश्चिम बंगाल में आग्नेयास्त्रों सहित पकड़ा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में अब तक क्या प्रगति हुई ?

गृह-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राज्य परिवहन डिपो, कलकत्ता से विस्फोटक सामग्री का बरामद किया जाना

1416. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनाँक 12 अक्तूबर, 1971 को बंगाल बन्द दिवस से पूर्व राज्य परिवहन डिपो, कलकत्ता से पुलिस ने कुछ विस्फोटक सामग्री बरामद की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Deployment of CRP and Army Personnel in West Bengal to Curb Naxalite Menace

1417. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the C. R. P. and Army personnel have been deployed by Government in West Bengal in order to curb the naxalite and other violent elements there ;

(b) if so, whether these elements by finding their way to the border district of Santhal pargana in Bihar are committing atrocities on the innocent people there ;

(c) whether the Legislators of the said District, belonging to all political parties, have demanded by writing to the Government of Bihar and also by issuing press statements condemning these atrocities and that these atrocities be put to an end ; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) To deal with the series situation which had arisen in the State of West Bengal because of the activities of Naxalites and Extremist elements, the State Government had obtained the services of the Army and other armed forces of the Union in aid of civil power, at certain prices.

(b) When the pressure of Administration on Naxalites in Birbhum district increased, some Extremists crossed over to neighbouring districts of Santhal Parganas in Bihar State and committed a number of violent acts.

(c) The Government of Bihar have not, however, received such demands. But the question of taking action against the extremists was raised in the Legislature.

(d) In order to curb the Naxalite and extremist activities, Government of Bihar have taken all necessary steps such as strengthening of the intelligence arrangements, reinforcements of police deployment, intensive patrolling and coordination with the Government of West Bengal.

जाधवपुर (पश्चिम बंगाल) में राजेन्द्रप्रसाद कालोनी, के निवासियों पर आक्रमण

1418. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समाज-विरोधी तत्वों ने 6 अक्तूबर, 1971 को 24 परगना जिले (पश्चिम बंगाल) में जाधवपुर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत राजेन्द्रप्रसाद कालोनी के शान्तिपूर्ण निवासियों पर बमों और अग्नेयास्त्रों से आक्रमण किया और वहाँ के एक निवासी श्री अजीत बोस की हत्या कर दी ; और

(ख) यदि हां, तो इस आक्रमण तथा हत्या के लिये जिम्मेदार दोषियों को पकड़ने तथा इस क्षेत्र में फैले आंतक को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी। फिर भी, 6-7 अक्तूबर, 1971 की मध्य रात्रि के थोड़ी देर बाद राजेन्द्र प्रसाद कालोनी के पास हरिपद दत्ता लेन के एक घर में, सूचनानुसार भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) से सम्बन्धित कुछ व्यक्ति जब बम बना रहे थे, विस्फोट हुआ। विस्फोट के परिणामस्वरूप मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और कुछ लोग घायल हुए। बाद में घायलों में से 3 व्यक्ति अस्पताल में मर गये। इस घटना पर एक मामला प्रारम्भ किया गया है।

छोटी कार परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा

1419. **श्री पीलू मोदी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 1971 के **मदर लैंड** में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि संसद में दिये गये आश्वासन के विरुद्ध श्री संजय गांधी को उसकी छोटी कार परियोजना के लिए कुछ मशीनों तथा पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). श्री संजय गांधी को अपनी यात्री गाड़ी परियोजना के लिये संयंत्र, मशीनरी अथवा पुर्जे आयात करने के लिए कोई विदेशी मुद्रा प्रदान नहीं की गई है ।

विदेशों में भारतीय उपक्रमों का कदाचार

1420. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थिर 167 भारतीय उपक्रमों में से 90 प्रतिशत ने अभी तक एक पैसा भी स्वदेश नहीं भेजा है ;

(ख) क्या कुछ व्यापारी कदाचारों में लगे हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). 31 मार्च, 1971 को विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए 125 प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं, जिसका कुल विनियोजन लगभग 18.2 करोड़ रुपये का है । अब तक लगभग 86 लाख रुपये की राशि प्रेषित की जा चुकी है जो विनियोजन का 4.7 प्रतिशत है । जिन उद्यमियों ने विदेशों में सयुक्त उपक्रम स्थापित किये हैं लेकिन उन्होंने जो विदेशी मुद्रा अर्जित की है इसका पूर्णरूप से नियमित प्रेषण नहीं किया है उनको क्रमबद्ध प्रेषण करने की आवश्यकता है । यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विदेशों में स्थापित संयुक्त उपक्रमों से होने वाली समस्त आय स्वदेश भेजी जाती रहे यह प्रश्न विचाराधीन है ।

Recruitment in Heavy Electricals Limited, Bhopal

1421. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the general criteria laid down for appointing persons of the concerned States on technical and non-technical posts in the public sector undertakings ; and

(b) the number of persons belonging to the Madhya Pradesh State and of those from other States appointed in the Heavy Electricals Limited, Bhopal during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) The policy of the Government has always been that the local people should not have any grievances that they do not get an adequate share in the employment opportunities available in the public sector undertakings located in their areas. With this end in view instructions have been issued to the effect that appointments to posts in public enterprises carrying a salary of not more than Rs. 500/- should be made through the Employment Exchanges ; other sources are to be tapped only if Employment Exchange issues a non-availability certificate. In the light of these instructions, in the Heavy Electricals (I) Ltd., Bhopal, technical and scientific posts carrying a basic monthly salary of Rs. 210/- and below and non-technical posts carrying a basic salary of Rs. 500/- and below are filled in through local Employment Exchange. Posts carrying a salary of more than Rs. 210/- of technical and scientific nature and more than Rs. 500 in case of non-technical nature are notified to the Central Employment Exchange.

(b) The requisite information is being collected and will be **laid** on the Table of the House.

बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये मंत्रियों द्वारा अपने वेतन में स्वेच्छा से कटौती

1422. **श्री धर्म राव अफजलपुरकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन केन्द्रीय मन्त्रियों की संख्या कितनी है जिन्होंने बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिए अपने वेतन में स्वेच्छा से कटौती करने की पेशकश की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मन्त्री परिषद के सभी सदस्यों ने बंगला देश की समस्याओं के सिलसिले में अपने वेतनों में मितव्यता के रूप में कटौती करना स्वीकार किया है ।

भारत में तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों की गतिविधियाँ

1423. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों ने 22 अक्तूबर, 1971 को अगरतला-सिब्बा रोड पर मोहनपुर के निकट एक पुल को नष्ट कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण कितनी क्षति हुई है और क्या तोड़-फोड़ करने वाले किसी पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) पाकिस्तान को दिये गये विरोध का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 22 अक्तूबर, 1971 को सायं के लगभग 8 बजकर 45 मिनट पर अगरतला-सिमना रोड पर मोहनपुर के समीप विस्फोट के परिणामस्वरूप एक लकड़ी का पुल नष्ट हो गया था । हानि का अनुमान 10,000 रुपये लगाया जाता है । घटना के सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है ।

(ग) पाकिस्तान सरकार को कोई विरोध पत्र नहीं दिया गया है । हमारे महत्वपूर्ण स्थानों तथा मुख्य स्थापनाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किये गये हैं।

बंगला देश के शरणार्थियों के शिविरों में पाकिस्तानी एजेंट

1424. **श्री एम० एम० जोजफ** : **श्री एन० ई० होरो** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के शरणार्थियों के लिए स्थापित शिविरों में कतिपय पाकिस्तानी एजेंट घुस आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) बिहार, मध्य प्रदेश और

उत्तर प्रदेश में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। असम सरकार ने सूचित किया है कि मेघालय से 2 व्यक्तियों समेत 8 व्यक्ति, जिनसे पाकिस्तानी जासूस होने का सन्देह है, शरणार्थियों के लिए स्थापित किये गये शिविरों में घुस गये। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध राजकीय रहस्य अधिनियम की धारा 3 सार्वजनिक व्यवस्था का असम अनुरक्षण अधिनियम की धारा 8(ख) के अन्तर्गत मामले चलाये गये हैं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बारे में सूचना आनी है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सभी सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शरणार्थियों के पंजीकरण, जाँच करने तथा पूछ-ताछ के लिए क्रमबद्ध प्रबन्ध हैं।

रोजगार प्राप्त जनसंख्या में कमी

1426. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1971 की जनगणना के इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि हमारे देश में 1961 में कुल जनसंख्या का 43 प्रतिशत भाग रोजगार प्राप्त था जबकि 1971 में यह घटकर 34 प्रतिशत रह गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें हुई कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). 1961 तथा 1971 की जनगणनाओं में अपनाई गई "श्रमिक" की धारणा तथा परिभाषा में भिन्नता के कारण ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों आंकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं। निश्चित निष्कर्ष निकालने के लिए जनगणना आर्थिक आंकड़े की विस्तृत सारणियों की प्रतीक्षा करनी है।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा बमों, माइन्स तथा अन्य सामग्री का बरामद किया जाना

1427. **श्री एच० एम० पटेल** :
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ दिनों में सीमा सुरक्षा बल ने पूर्वी सीमाओं पर पाकिस्तानी तोड़फोड़ करने वालों के खुफिया अड्डों से देश में तोड़फोड़ के लिए लाये गये बमों, माइन्स और अन्य सामग्री को बरामद किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्। पिछले सप्ताहों में अनेकों ऐसे दृष्टांत हुए हैं, जिनमें सीमा सुरक्षा बल ने तोड़-फोड़ करने वाले उन पाकिस्तानियों से, जो पूर्वी बंगाल से लगे हमारे क्षेत्र में चोरी छुपे घुस आये

थे, अनेकों स्थानों पर तोड़फोड़ करने के लिये सैनिक-विरोधी माइन्स तथा अन्य विस्फोटक सामग्री का पता लगाया ।

(ख) सीमा सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस बलों ने सारे सीमा क्षेत्रों पर, जहां कड़ी गश्त लगाई जा रही है, अपनी निगरानी तेज कर दी है ; इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों के लोग भी इन गिरोहों को पकड़ने में हमारे सुरक्षा बलों की सक्रियरूप से सहायता कर रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल में विस्फोटक पदार्थों के अवैध रूप से आश्वासन का पता लगाया जाना

1428. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 से पश्चिम बंगाल में विस्फोटक पदार्थों का कितनी बार तथा कितनी मात्रा में अवैध आवागमन का पता लगा है ;

(ख) उनका पता किन अधिकारियों ने लगाया है ;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने विस्फोटक पदार्थों का अधिक कोटा लिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Cut in Salaries of Ministers as a Measure of Economy

1429. **Shri R. V. Bade :**
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether all the Union Ministers have agreed for a cut in their salaries as a measure of economy ; and

(b) if so, the total amount of such economy cuts from their salaries per month ?

The Deputy Ministe r in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) Cabinet Ministers and ministers of State have accepted a Voluntary cut of 10% in their salaries and Deputy Ministers have accepted 5% cut in their salaries. The total amount of the cuts on the basis of the existing strength of the Council of Ministers works out to Rs. 9,812.50 per month.

औद्योगिक पुनर्गठन आयोग की स्थापना

1430. **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री पी० गंगा देव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बडे औद्योगिक गृहों का अधिकार प्रभाव कम करने के लिए एक औद्योगिक पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो देश को इस आयोग से कितना लाभ मिलेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्डियन टोबेको कम्पनी में तालाबन्दी

1431. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टोबेको कम्पनी के प्रबन्धकों ने 6 अक्तूबर, 1971 को फैक्टरी में तालाबन्दी घोषित करने से पूर्व सरकार से अनुमति नहीं ली थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). इस प्रकार की तालाबन्दी घोषित करने के लिये उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा कम्पनी एक्ट 1956 के उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। किन्तु यदि कोई औद्योगिक उपक्रम तीस दिन की अवधि से अधिक दिन तक बन्द रहता है तो उसके मालिक के लिये इस अवधि के समाप्त होने के सात दिन के भीतर सरकार को इसकी सूचना देनी आवश्यक होती है। इंडियन टोबेको कम्पनी कारखाना अभी केवल 13 दिनों से ही बन्द है।

कलकत्ता में पूंजी निवेश मार्गदर्शी केन्द्र की स्थापना

1432. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूंजी-निवेश करने के इच्छुक लोगों को निवेश-संबंधी निर्णय लेने में सहायता देने के लिए कलकत्ता में एक पूंजी-निवेश मार्गदर्शी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह मार्गदर्शी केन्द्र संभवतः कब तक स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यूरो एक परामर्शदायी निकाय होगा जो विनियोजन की संभावनाओं और आवश्यकताओं आदि के बारे में मूलभूत और वास्तविक जानकारी से सम्बन्धित मामलों में उद्यमियों के लिए पथप्रदर्शन की सुविधाए प्रदान करेगा। आशा है कि ब्यूरो उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय साधनों को काम में लाने में सहायता करेगा।

(ग) ब्यूरो अभी स्थापित किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही कार्य करना प्रारम्भ कर देगा।

विदेशी मुद्रा जालसाजी का पता लगना

1433. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल में विदेशी मुद्रा की जालसाजी का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो धोखाबाजों से कुल कितनी विदेशी मुद्रा पकड़ी गई है ;

(ग) क्या इस बारे में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं ;

(घ) क्या इस जालसाजी में कुछ मिशनरियों तथा विदेशियों का भी हाथ है ; और

(ङ) देश में ऐसी जालसाजियों की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). प्रश्न संभवत: 18-8-71 को विशेष सीमा-शुल्क निरोध अधिकारियों द्वारा "कासरगोड" मैसूर में, किए गए अभिग्रहण से संबंधित है, जिसमें कुछ दस्तावेज और करीब 10400 डौलर की अमेरिकन और 4003 पौंड की विदेशी मुद्रा का पता लगाया गया।

(ग) आगे जांच पड़ताल के दौरान इस अभिग्रहण के संबंध में 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) चूंकि मामले में जांच कार्य प्रगति पर है, इसलिए आरोपों के सम्बन्ध में या अन्य ब्यूरों बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे जांच कार्य में बाधा पड़ सकती है।

(ङ) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विशिष्ट उल्लंघन के मामलों में, जो उनके ध्यान में आएं, उन पर विधि के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है। विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघनों को रोकने के लिये समय-समय पर उचित विधायी तथा प्रशासनिक उपाय किये जाते हैं।

जम्मू और कश्मीर लाटरी घोटाला

1434. **श्री मुख्तयार सिंह मलिक :** **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा कश्मीर लाटरी घोटाले में भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के सदस्य भी दोषी पाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसा कोई संगठन है जो राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली लाटरियों पर निगरानी रखने का काम कर सके ; और

(ग) ऐसे मामलों में कदाचारों को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

नागरिक सुरक्षा के लिये कार्यवाही

1435. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की ओर से युद्ध के गंभीर खतरे के बावजूद भी देश में, तथा विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, नागरिक सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) सीमा के पास आक्रामक पड़ौसी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिये नागरिक सुरक्षा की कार्यवाही की और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार क्या अग्रेतर कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). नागरिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ बनाने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा पूर्वी क्षेत्र समेत विभिन्न भागों में उपलब्ध साधनों की सीमा में उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं। इन उपायों में कुछ ये हैं : अतिरिक्त सारन स्थापित करना, शीघ्र संचार और ब्लेकआउट अभ्यास समेत नागरिक सुरक्षा सेवाओं का संगठन करना ।

निर्माता फर्मों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की कृत्रिम कमी उत्पन्न किया जाना

1436. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कम्पनियों की एक बड़ी संख्या जिनमें कुछ एवरेड्डी सैल, सनलाइट साबुन, कालगेट टूथ पेस्ट, सेफ्टीरेजर ब्लेड बनाती है, एकाधिकार वाली फर्में हैं और वे सामान की सप्लाई कम कर रही है और इस प्रकार कम सप्लाई किये गये उत्पादों के स्थान पर अन्य उत्पाद सप्लाई करके चोरबाजारी कर रही हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्पादक कंपनियां के बारे में सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में पुलिस गोली कांड

1437. **श्री रेणुपद दास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में 22 सितम्बर, 1971 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप पांच व्यक्ति मारे गये और बहुत से व्यक्ति घायल हुए ; और

(ख) यदि हां, तो इस गोली कांड के लिए उतरदायी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एक पुलिस दल पर, जो अपराधियों को पकड़ने के लिए हल्दिया गया था, लगभग 2000 व्यक्तियों की एक भीड़ द्वारा भारी पथराव किया गया था। पुलिस ने आत्म रक्षा में गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप 15 व्यक्ति जख्मी हुए। उनमें से तीन बाद में मर गये। पथराव के कारण 13 पुलिस कर्मचारी भी जख्मी हुए।

(ख) मामले की कार्यकारी जांच की जा रही है तथा जांच की रिपोर्ट अभी आनी है।

सरकार समिति का प्रतिवेदन

1438. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समिति ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उद्देश्यों को पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता और इस समय राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किये जा रहे अनुसंधान को औद्योगिक उपयोग के लिए अधिक सोद्देश्य बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सरकार ने उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों के बीच निकटता लाने की आवश्यकता पर विचार किया है जिससे अनुसधान की योजना के लिये यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब उन्हें पूरा किया जाये तो वे औद्योगिक उपयोग के लिये सहायक हो सकें ; और

(ग) उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जांच समिति (सी०एस०आई०आर०) ने अपने प्रतिवेदन (खंड-II) में सिफारिश की है कि भविष्य में सी०एस०आई०आर० की गतिविधियां क्रियात्मक रूप से औद्योगिक अनुसंधान की सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिएं और उन्हें उन्हीं क्षेत्रों में हाथ में लिया जाना चाहिये जहां उनका औद्योगिक अनुसंधान के कार्यक्रम से सबन्ध हो ।

(ख) और (ग). समिति ने सिफारिश की है कि वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों का, विचारों के आदान-प्रदान तथा पारस्परिक समस्याओं को अच्छी तरह समझने के लिये एक वार्षिक सम्मेलन (गेट-टुगेदर) बुलाना चाहिये । अनुसंधान और उद्योग में पारस्पारिक विश्वास का महौल पैदा करने के लिये इण्डियन मर्चेन्ट्स चेम्बर, बम्बई ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों के साथ, हाल ही में, एक सम्मेलन का आयोजन किया था । उसी तरह उद्योगों के अधिक नजदीक आने के लिये वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालायें कार्य-क्षेत्रों से सम्बन्धित अपने अपने पृथक क्षेत्रीय संचालनों में सम्मेलनों (गेट-टुगैदरों) का आयोजन करने में पहल कर रही हैं ।

भारत का त्रि-विमितीय (3-डाइमेंशनल) मानचित्र

1439. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत का त्रि-विमितीय (3-डाइमेंशनल) मानचित्र बनाने की योजना बना रही है ;

(ख) क्या मानचित्र बनाने के लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया जाएगा अथवा इसे केवल भारतीय विशेषज्ञों द्वारा ही तैयार किया जायेगा ;

(ग) उक्त मानचित्र की मुख्य बातें क्या हैं और इस मानचित्र द्वारा किन-किन उपयोगी उद्देश्यों के प्राप्त होने की आशा है ; और

(घ) उक्त योजना पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). त्रि-विमितीय (3-डाइमेंशनल) मानचित्र, इंजीनियरों और मानचित्र बनाने वालों के लिए रूपरेखा की अच्छी जानकारी प्राप्त करने में काफी लाभदायक है । लेकिन इन मानचित्रों के प्रयोग तथा उत्पादन, दोनों कार्यों में अनेकानेक तकनीकी कठिनाइयां निहित हैं । अतः इस विषय पर प्रत्येक तकनीकी दृष्टिकोण से विचार करना होगा ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में काम करने वाले कर्मचारी

1440. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में अनुसंधानेतर कर्मचारी अनुसंधान कर्मचारियों से अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान और अनुसंधानेतर कर्मचारियों की पृथक पृथक संख्या क्या है ;

(ग) क्या क्रय, स्टोर्स, प्रचार, प्रकाशन आदि से सम्बन्धित विभागों में व्यक्तियों को बहुधा वैज्ञानिक पदनाम दिये गए हैं ; और

(घ) अनुसंधानेतर कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में 31 दिसम्बर, 1970 को वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी 9444 और प्रशासनिक कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी के अलावा) 2550 थे ।

(ग) और (घ). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन के खंड 1 में अन्य बातों के साथ, इस बात का भी उल्लेख किया है कि क्रम, भण्डार, प्रचार, प्रकाशन, पुस्तकालय, सूचना विस्तार-सेवा, जन-शक्ति, प्रायोगिक संयंत्र कार्य आदि से संबन्धित विभागों के व्यक्तियों को बहुधा वैज्ञानिक ओहदे दिए गए हैं जबकि उनके कार्य और रिकार्ड के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि वे लोग स्पष्टतया प्रशासनिक/तकनीकी कार्य कर रहे हैं । समिति इन विभागों में ऐसे लोगों को वैज्ञानिक ओहदा प्रदान करना ठीक नहीं मानती । इस लिए समिति ने सिफारिश की है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को वर्तमान वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक पदों का पुनर्वर्गीकरण करना चाहिए और इस कार्य के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा द्वारा विस्तृत आधार की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये । यह सिफारिश वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी सभा द्वारा स्वीकार कर ली गयी है । इसके अनुसार विस्तृत-आधार की एक समिति नियुक्त कर दी गयी है ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् पर व्यय

1441. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कुल कितना व्यय हुआ और कर्मचारियों पर कितना व्यय हुआ ;

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बहुत से गैर-अनुसंधान कार्यों उपलब्ध धनराशि का काफी भाग खर्च हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों पर व्यय कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) साथ में विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). गत तीन वर्षों की पूर्ण अवधि में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के संपूर्ण खर्च का औसतन 22 प्रतिशत भाग कर्मचारियों के प्रशासन पर खर्च होता है । राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को परामर्श दिया गया है कि अनुसंधान कर्मचारियों: सहायक तकनीकी कर्मचारियों: प्रशासनिक कर्मचारियों का अनुपात 1 : 2 : 1 (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या सहित) रखना चाहिए और जहां वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य असंतुलन रहता है, उसे धीरे-धीरे ठीक करना चाहिये तथा कर्मचारी संबंधी कुल व्यय का 20 प्रतिशत और उससे कम धीरे धीरे घटाकर प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन पर खर्च करना चाहिए ।

विवरण

गत तीन वर्षों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद पर किये गये कुल खर्चे का वर्षवार ब्यौरा, कर्मचारियों पर किये गये खर्चे सहित निम्नलिखित है :—

(संख्या लाखों में)

	1968-69	1969-70	1970-71
कुल खर्चा	1871·670	1839·68	2120·147
कर्मचारियों पर खर्चा :			
(अ) प्रशासनिक	165·275	153·918	185·704
(ब) वैज्ञानिक और तकनीकी	564·400	534·465	643·301
योग	729·675	688·383	829·005

टिप्पणी : कर्मचारी संबंधी मार्च, 1969 का खर्चा, मार्च, 1969 में ही किया गया था । अत: 1968-69 में कर्मचारियों का खर्चा 13 महीनों के लिए है जबकि 1969-70 का 11 महीनों के लिए ।

राष्ट्रीय प्रयोग शालाओं में वर्तमान सुविधाओं का औद्योगिक केन्द्रों द्वारा उपयोग न किया जाना

1442. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक उपसमितियों परामर्शदात्री, पैनल्स आदि की कार्यकारिणी परिषदों में औद्योगिक हितों के प्रतिनिधित्व के बावजूद उद्योगों द्वारा औद्योगिक केन्द्रों के निकट स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उद्योग की आवश्यकताओं के प्रति वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अधिक प्रत्युत्तरदायी बनाने के लिये दोनों को एक दूसरे के निकट लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं। प्रयोगशाला की आयोजित अनुसंधान, परामर्श तथा परीक्षण संबंधी सुविधाओं का उद्योगों द्वारा उपयोग वृद्धि पर है।

(ख) सरकार समिति ने अपने प्रतिवेदन के खंड-11 में सिफारिश की है कि वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों के मध्य विचारों का आदान-प्रदान तथा पारस्परिक समस्याओं को अच्छी तरह समझने के लिये प्रतिवर्ष एक सम्मेलन (गैट टुगेदर) का आयोजन किया जाना चाहिये। अनुसंधान और उद्योग में पारस्परिक विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए इण्डियन मरचैन्ट्स चैम्बर, बम्बई ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के निदेशकों के साथ हाल ही में, एक सम्मेलन का आयोजन किया था। उसी तरह उद्योगों के अधिक नजदीक आने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालायें कार्य-क्षेत्रों से सम्बन्धित अपने-अपने प्रथक क्षेत्रीय संचालकों में सम्मेलनों (गैट-टुगेदरों) का आयोजन करने में पहल कर रही हैं।

मध्य प्रदेश में इस्पात के सामान की कमी

1443. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के सामान की भारी कमी के कारण मध्य प्रदेश में इस समय कुछ कारखानों और सयंत्रों के निर्माण-कार्य में बाधा पड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों और संयंत्रों के नाम क्या है और सरकार ने यह समस्या हल करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). देश में इस्पात की आम कमी है जिसके कारण सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की फैक्टरियों और संयत्रों के निर्माण कार्यक्रमों में बिलम्ब हो रहा है। यह सारे भारत के लिए विशिष्ट बात है और कुछ सीमा तक मध्य प्रदेश के बारे में भी सत्य है। इस्पात की कमी को पूरा करने के लिये कई उपाय किये जा रहे हैं। जैसे उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न करना, निर्माण का विनियमन करना और न्यून सम्भरण वाली श्रेणियों के बारे में उदार आयात नीति अपनाना।

Uranium Deposits in Uttarakhand

1444. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of Atomic Energy be pleased to state :

(a) whether uranium deposits have been found in Uttarakhand area ;

(b) if so, the names of places where deposits have been found and the time by which these would be exploited ; and

(c) the number of persons likely to get employment as a result thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). Small occurrences of Uranium have been found in several places around Pokhri, Tunji, Okhimath, Mandal, Rudraprayag and Chamoli in Chamoli District and Kiroli and Kalletti in Pithorgarh District of Uttarakhand. While detailed investigations of some of these deposits are in progress, no workable deposit has yet been established. Assessment of the number of persons likely to get employment cannot, therefore, be made now.

दलबदल संबंधी समिति की सिफ़ारिशें

1445. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच दलबदल संबंधी समिति की सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो लिये गये निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) और (ख). दलबदल संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये विधायी प्रस्तावों को 10 दिसम्बर 1970 को विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के समक्ष रखा गया था । अब इन प्रस्तावों पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के विचार मांगे गये है । कुछ मुख्य मंत्रियों से उत्तर आने हैं ।

रूस के सहयोग के साथ उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण

1446. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत सरकार को, रूस के कच्चे माल से भारत में उनकी कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण की पेशकश की है ;

(ख) इस पेशकश की विशेषकर रूस द्वारा अपेक्षित वस्तुओं के संदर्भ में, शर्तें क्या है ; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने प्रत्येक मामले में पेशकश की शर्तों पर विचार किया है और यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). भारत तथा रूस के मध्य कपास के संभरण के बारे में उसके प्रक्रियागत (प्रोसेसिंग) करने का करार हुआ है । 1972 से चार वर्ष की अवधि के लिये किए गए करार की शर्तों के अनुसार, सूती कपड़ा तैयार करने के लिए भारत प्रतिवर्ष लगभग 20,000 मी० टन रूसी कपास प्राप्त करेगा और उत्पादों को रूस के लिए निर्यात करेगा । भारत को वस्त्र बनाने में आया व्यय वापिस मिला करेगा जो प्रतिवर्ष आपस में तय किया जाया करेगा । करार जिसमें विवरण होगा उसके प्रोटोकोल पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होने वाले हैं ।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन

1448. **श्री पी० गंगादेव :** **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता वस्तु उद्योगों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश करने और लाभदायक उद्योग स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार को इसकी सफलता की कितनी आशा है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). सिद्धांत रूप में यह निर्णय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के कार्य को नये क्षेत्रों तक बढ़ाया जाये और विस्तार किया जाये इनमें वे उपभोक्ता वस्तुयें उद्योग भी शामिल होंगी जिनके उत्पादन में आगामी वर्षों में कमी की संभावना है। सरकारी क्षेत्र में लिए जाने वाले ऐसे उद्योगों को अभी अन्तिम रूप से नहीं चुना गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति

1449. **श्री पी० गंगादेव :** **श्री पी० एम० मेहता :**
श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से संबन्धित विषयों, विशेष रूप से राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पंचवर्षीय तथा पर्सपेक्टिव योजनाओं को, योजना आयोग के सहयोग से तैयार करने, मूल्यांकन करने और उनको अद्यतन करने के लिये, सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया है। दिनांक 16 नवम्बर, 1971 को राष्ट्रपति द्वारा समिति के कार्य का उद्घाटन किया गया था।

डाक-तार विभाग में कागज तथा मुद्रण सम्बन्धी संकट

1450. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग में कागज और मुद्रण संकट व्याप्त है ;

(ख) डाक-तार लेखन सामग्री की छपाई के लिये कुल कितने कागज की आवश्यकता है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) पर्याप्त मात्रा में कागज की सप्लाई प्राप्त न होने के कारण, डाक-तार फार्मों की छपाई में कुछ कठिनाई महसूस की गई है।

(ख) केवल लगभग 5,000 टन।

(ग) (i) विभिन्न डाक-तार कार्यालयों में उपलब्ध डाक-तार फार्मों के स्टाक का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिस से कि जहां स्टाक हाल की जरूरतों से ज्यादा है उसे उन कार्यालय में भेज दिया जाए जहां इन की कमी है।

(ii) डाक-तार सर्किल अध्यक्ष इस बात के लिये प्राधिकृत कर दिये गये हैं कि वे जो फार्म उपलब्ध नहीं है उनकी चार महीने की जरूरतों के मुताबिक फार्मों की छपाई के लिये कागज खुले बाजार से खरीद लें। इस मामले में उनकी वित्तीय शक्तियाँ भी बढ़ा दी गई हैं।

(iii) छपे फार्मों की सख्या कम करने के लिए सर्कुलरों और नोटिसों के वितरण के बारे में जांच का काम हाथ में ले लिया है।

(iv) बचत की दृष्टि से फार्मों का युक्तियुक्त बनाने और उनको संख्या में कमी करने के लिये डाक तार निदेशालय में एक सेल बनाया जा रहा है।

(v) निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय को यह सूचित कर दिया गया है कि भारत सरकार की फार्म प्रेसों से डाक-तार फार्मों की सप्लाई पर्याप्त नहीं होती है। साथ ही कागज की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में औद्योगिक विकास मन्त्रालय कार्रवाई कर रहा है।

Backward Districts in U. P.

1451. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the number of Districts declared backward in Uttar Pradesh ; and

(b) the name of those Districts which have been recognised as Hill Districts ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) 27 Districts have been identified and recognised as "backward" by the State Government.

(b) The names of hill districts are as follows :

1. Naini Tal
2. Almora
3. Chamoli
4. Uttar Kashi
5. Dehra Dun

In addition, Tehri Garhwal, Garhwal and Pithoragarh are recognised as hill and border Districts.

Criteria for Declaring Backward District and Areas

1452. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of Planning be pleased to state :

(a) the criteria for declaring backward districts and backward areas ;

(b) the special measures taken by Government for the development of backward areas ;

(c) whether the Khadar and Gharh areas of the rivers Ganga and Yamuna in

District Saharanpur of the Uttar Pradesh are also considered backward by Government ; and

(d) if so, whether Government proposed to give special grant for these areas ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri **Mohan Dharia**) : (a) The Planning Commission, have suggested to the States a set of criteria for identifying backward districts as per Statement.

(b) The State Governments are resposible for taking appropriate measures for the development of backward areas. Special measures undertaken by the Government of India and the State Governments for developing the backward areas are set out below :

(i) In allocating Central assistance among various States for the Fourth Five Year Plan, after providing for the requirements of the States of Assam, Nagaland and Jammu and Kashmir, which have special problems, 10% of the sum available for distribution by way of Central assistance has been allocated to the six States of Bihar, Orissa, Rajasthan. Kerala. Madhya Pradesh and Uttar Pradesh whose *per capita* income was below the national average ;

(ii) The non-Plan gap in the resources of nine States (Andhra Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Mysore, Orissa, Rajasthan and West Bengal) estimated to be Rs. 795.23 crores during the Fourth Plan period, is being met by the Centre, so that they can utilise all the additional resources which they can mobilise during the Fourth Five Year Plan period for financing their development programmes ;

(iii) A liberal pattern of Central assistance has been evolved for the development of hill and border areas. The entire expenditure on their development programmes is being met by the Government of India within the total Central assistance for each of the States concerned ; 90% of the amount of expenditure incurred in this behalf in Meghalaya, Assam, Nagaland, Jammu and Kashmir (Ladakh) and Himachal Pradesh (Lahaul, Spiti and Kinnaur districts) is given as a grant. The balance of 10% is treated as loan. The pattern of Central assistance in the hill and border districts of Uttar Pradesh, Darjeeling (West Bengal) and Niligiries (Tamil Nadu) is 50% grant and 50% loan.

(iv) An important measure for reducing disparities is accelerating the pace of industrial development in backward areas. The districts needing attention have been identified and notified with the cooperation of the State Governments in pursuance of the criteria laid down by the Pande and Wanchoo Committee Reports. Preference is being given to such areas in the location of larger scale industrial projects in the public sector, provided they are found to be feasible on techno-economic considerations. The Licensing Committee also gives preferential treatment to applications from the backward regions.

(v) Rs. 32.50 crores have been allocated during the Fourth Five Year Plan for 489 Tribal Development Block under a Centrally sponsored scheme.

(vi) District Plans are being prepared in some of the States which will result in identifying the problems of backward regions and will help in evolving measures for solving their problems.

(vii) 209 industrially backward districts have been selected throughout the country for concessional finance for new industries from the financial and credit institutions. In addition, the Central Government is giving and outright grant or subsidy amounting to 1/10th of the fixed capital investment of new units having a total fixed investment of not more than Rs. 50 lakhs each, in two selected districts in each of the 9 States identified as industrially backward *viz*. Andhhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu and Kashmir,

Madhya Pradesh, Nagaland, Orissa, West Bengal and U. P. and once district in each of the remaining States and Union Territories.

(viii) Special programmes of large magnitude are being implemented for the benefit of the weaker sections of the rural population and for the development of dry and arid areas. These special programmes are being sanctioned and implemented under the guidance of a Central Committee of Coordination presided over by a Member of the Planning Commission. 46 Small Farmers' Development Agency Projects 41 Projects for sub-Marginal Farmers' and Agricultural Labour and 24 projects for farmers in dry areas have been sanctioned. An amount of Rs. 100 crores has also been provided for an integrated programme of rural works in 54 chronicall drought affected areas.

(ix) A Rural Electrification Corporation has been set up reeently and is giving finance on concessional terms to State Electricity Boards for rural electrification programmes in backward areas.

(c) The Khadar and Gharh areas of the rivers Ganga and Yamuna in Saharanpur District have not been id ntified as backward by the State Government.

(d) The Central Government does not provide any special grant for any backward area as such. In arriving at the figure of total Gentral assistance for the Fourth Plan which a State should receive, due account is taken of the needs of the State for dealing with its backwardness.

STATEMENT

Indicators of Development

(i) Total population and density of population.

(ii) Number of workers engaged in agriculture including agricultural labourers as percentage of total workers.

(iii) Cultivable area* per agricultural worker.

(iv) Net area sown per agricultural worker

(v) Percentage of gross irrigated area to net sown areas.

(vi) Percentage of area sown more than once to net sown area.

(vii) Per capital (Rural population) gross value of agricultural output.

(viii) Establishments (manufacturing and repair) using electricity—

(a) Total

(b) Household

(c) Non-household

(ix) Number of workers per lakh of population employed in registered factories.

(x) Mileage of surfaced roads—

(a) per 1000 sq. miles,

(b) per lakh of population.

(xi) Number of commercial vehicles registered in a district,

(xii) Percentage of literate population—

(a) Men

(b) Women

*Includes net area sown, current fallows, fallow land other than current fallows, culturable waste and miscellaneous tree crops and groves not included in net areasown.

(xiii) Percentage of school-going children—

(a) Boys

(b) Girls

In age-group of (a) 6-11 years, and (b) 11-14 years.

(xiv) Number of seats per million population for technical training—

(a) Craftsmen

(b) Diploma level

(xv) Hospital beds per lakh of population.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुल सदस्य संख्या

1453. **श्रीमती विभाघोष स्वामी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में आठ और बटालियन शामिल की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कर्मचारियों की कुल संख्या इस समय कितनी है ;

(ग) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने के लिये ग्रुप-केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुल स्वीकृत संख्या 60 बटालियन है जिनमें से 8 का इस समय गठन किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिंसात्मक कार्य निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल की जेलों में नजरबन्द व्यक्तियों का वर्गीकरण

1454. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या गृह मंत्री हिंसात्मक कार्य निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल की जेलों में नजरबन्द व्यक्तियों के वर्गीकरण के बारे में 11 अगस्त, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1707 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार से इस बीच एकत्र की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रुपरेखा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल हिंसात्मक कार्य निरोधक अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल जेल से संहिता के अन्तर्गत बन्दोबस्त से अभिप्राय से दो वर्गों में नामतः वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' तद्नुसार "विचारण के अन्तर्गत कैदी" क्रमशः श्रेणी-2 और श्रेणी-1 से वर्गीकृत किए गये हैं । दोनों वर्गों के अधिकारी ऐसी सुविधायें पाने के

अधिकारी हैं जैसे (1) चिकित्सा सुविधा (2) पश्चिम बंगाल जेल से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा सेकन्डरी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई परीक्षाओं में सम्मिलित होने की सुविधा (3) आश्रितों को पारिवारिक भत्ता (4) 15 रुपये माहवार अध्ययन भत्ता और (5) कैदियों के सम्बन्धियों से प्राप्त रुपयों का निजी निधि के साथ रख-रखाव जो निवारक नजरबन्दी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत वर्ग 'ख' के कैदी भी सामान जैसे समाचार पत्र, पत्रिकायें, कपड़े, स्टेशनरी तथा स्नानागार की वस्तुयें इत्यादि खरीदने के लिये मासिक व्यक्तिगत भत्ता पाने के अधिकारी हैं। कैदियों का 'ग' वर्ग में वर्गीकरण जो निवारक नजरबन्दी अधिनियम 1950 के अन्तर्गत बनाया गया था, पश्चिम बंगाल जेल संहिता के अन्तर्गत 'असैनिक कैदी' वर्ग के समनुरूप है जो संहिता के अनुबन्धों के अन्तर्गत बाह्य आगन्तुकों के लिये बेरोक-टोक था । जैसा कि पश्चिम बंगाल (हिंसात्मक कार्य निरोधक) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत नजरबन्दी उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में आदेशित की जाती है जो गम्भीर अपराध करते हैं, अथवा करने की सम्भावना है या करने का दुष्प्रेरण करते हैं, पश्चिम बंगाल जेल संहिता के अन्तर्गत 'असैनिक बन्दियों पर लागू होने वाली अनुशासनात्मक शर्तें ऐसे बन्दियों को प्रदान करना सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य संगत बातों पर विचार करते हुये राज्य सरकार वांछनीय नहीं समझती और इसलिये वर्ग 'ग' के बन्दियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है।

बैटरियों का उत्पादन

1455. **श्री एन० ई० होरो :**
श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैटरियों का उत्पादन करने के लिये कारखाने लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). 2.5 लाख स्टोरेज बैटरी तथा रेलगाड़ियों में प्रकाश के सेलों के निर्माण हेतु एक कारखाना स्थापित करने और 1200 लाख सख्या में सूखे सेलों एवं मिडगेट इलेक्ट्रांडों के निर्माण के लिये एक अन्य कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इन दोनों परियोजनाओं के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही हैं।

भारत में रूसी साहित्य का वितरण

1456. **श्री के० मालन्ना** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इस समय रूसी साहित्य बहुत बड़े पैमाने पर वितरित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह साहित्य कितनी भाषाओं में वितरित किया जाता है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). भारत में छपी और प्रकाशित रूसी पत्रिकाओं के सम्बन्ध में सूचना समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की वार्षिक

रिपोर्टों में दी गई है जो सदन के पटल पर रखी जाती है। ऐसी पत्रिकायें अंग्रेजी सहित तेरह भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं। रूस से आयात पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का रुपयों में मूल्य 1967-68 में 0.29 लाख, 1968-69 में 2.83 लाख और 1969-70 में 0.57 लाख था। आयात साहित्य आमतौर पर अंग्रेजी में होता है।

मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस देना

1457. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में दस लघु उद्योगों को लाइसेंस देने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं और ये उद्योग कहाँ-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उद्योगों में लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन

1458. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री औद्योगिक उपक्रम का लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अधिक विस्तार के सम्बन्ध में 25 मई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच फर्मों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

गुलबर्ग में प्रस्तावित सीमेंट कारखाने की स्थापना

1459. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम द्वारा 10 करोड़ रुपये के अनुदान से गुलबर्ग (खुराकुन्ता) में एक सीमेंट कारखाना लगाया गया था ;

(ख) इसका निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया ; और

(ग) इसमें कितनी प्रगति हुई है और यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा : (क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने 510.27 लाख रु० की अनुमानित लागतसे जिसमें भारत सरकार द्वारा इक्विटी तथा ऋण के रूप में दी गई राशि शामिल है, मैसूर राज्य के गुलबर्ग जिले के कुरकुन्ता में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित किया है।

(ख जून, 1966।

(ग) संयंत्र तथा मशीनों आदि के लगाने का काम पूरा हो गया है और रो मिल का भारी परीक्षण कार्य चल रहा है इसके पश्चात् भट्ठी चालू हो जाएगी। आशा है कि 1972 से पहले कारखाने में वाणिज्यिक उत्पादन होने लगेगा।

विदेशी सहयोग करार

1460. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी सहयोग करार के बारे में 10 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7469 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्रित करली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

औदयोगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रधान मन्त्री, मन्त्रियों, शासकीय प्रतिनिधि-मण्डलों के साथ समाचार एजेन्सियों के प्रतिनिधियों की विदेश यात्रा

1461. **श्री के० लकप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र और समाचार एजेन्सियां अपने प्रतिनिधि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रियों और शासकीय प्रतिनिधि मण्डलों के साथ विदेश यात्रा पर भेजते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिनिधियों को संख्या तथा नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री, मंत्रियों और अन्य शासकीय प्रतिनिधि मण्डलों के साथ विदेश गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समाचार पत्र तथा समाचार एजेन्सियां राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं को कभी-कभी अपने खर्चे से कवर करने की व्यवस्था करते हैं। तथापि, कभी कभी विशिष्ट यात्री विमान में पत्रकारों के लिये सीमित संख्या में निःशुल्क सीटें उपलब्ध होती है। ऐसे अवसरों पर चुने हुए पत्रकारों को सरकार द्वारा निःशुल्क विमान यात्राएं उपलब्ध की जाती हैं ; अन्य विशिष्ट व्यक्तियों या संसदीय शिष्ट मण्डलों की विदेश यात्राओं को कवर करने के लिए साधारणतया कोई समाचारपत्र या समाचार एजेंसी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजती।

(ख) वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 के दौरान राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं को कवर करने के लिए जो पत्र-प्रतिनिधि विदेश गये, उनकी एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—1103/71].

पंजाब में नक्सलवादियों के नाम पर लोगों की कथित हत्या

1462. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में (15 अक्तूबर, 1971 से) पुलिस द्वारा नक्सलवादियों के नाम पर कुल कितने लोगों को गोली से मारा गया अथवा हत्या की गई ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान राज्य में की गई नृशंस हत्याओं के विरुद्ध भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और अन्य राजनैतिक दलों द्वारा किए गये विरोध की ओर दिलाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनके बारे में कोई जांच करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस के साथ मुठभेड़ में पांच नक्सलपंथी मारे गये थे ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). इन सभी मामलों में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच-पड़ताल कराई गई थीं और इन जांच-पड़तालों के निष्कर्षों से नये सिरे से जांच-पड़ताल के लिये कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

चौथी योजना में बड़ी और चालू योजनाओं का पूरा किया जाना

1463. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में सम्मिलित 50 बड़ी और 161 चालू योजनाओं की लागत पहले ही दुगुनी अर्थात् बढ़कर लगभग 1400 करोड़ रुपये हो गई है ;

(ख) इन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) इन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

योजना मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि किन योजनाओं का उल्लेख किया जा रहा है । फिर भी विदित हुआ है कि कुछ क्षेत्रों में कतिपय प्रमुख तथा चालू योजनाओं की लागत बढ़ गई है, परन्तु किसी भी मामले में यह दुगुनी नहीं हुई है जैसा कि प्रश्न में कहा गया है ।

इस समय योजना आयोग द्वारा जो मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है उसके परिणाम-स्वरूप यह प्रस्तावित किया गया है कि भविष्य में सुनियोजित परियोजनाओं का एक शेल्फ होना चाहिए जिसमें से पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये उपयुक्त परियोजनाओं को चुन लिया जाय । इस प्रकार की व्यवस्था करने से न केवल कार्यान्वियन तेजी से होगा बल्कि लागत वृद्धि पर भी समुचित निगरानी रखी जा सकेगी । निःसदेह परियोजना तैयार करने वाले प्रभारी अभि-करणों को इस सम्बन्ध में काफी प्रारम्भिक कार्य करना पड़ेगा ।

परियोजनाओं के सम्बन्ध में ब्यौरा जिसे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं न मिलने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि वे कब पूरे हो जायेंगे ।

कोरी फिल्मों का उत्पादन

1464. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : श्री फतेह सिंहराव गायकवाड़ : डा० कर्णी सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोरी फिल्मों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या यह कमी इसीलिये उत्पन्न हुई है कि एक और सरकारी क्षेत्र के ओटाकमंड फिल्म कारखाने में इसकी निर्धारित क्षमता से भी 50 प्रतिशत कम उत्पादन हो रहा है और दूसरी ओर आयात रोक दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने देश की वार्षिक आवश्यकता का पूरी तरह से अन्दाजा लगाया है, विशेष रूप से एक्स-रे फिल्मों का, और आत्म-निर्भरता के निकट पहुँचने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि अंतरिम अवधि में एक्स-रे फिल्मों की सप्लाई में, जो आधुनिक इलाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, कोई कमी न हो और इसके परिणामस्वरूप रोगियों को कोई हानि न उठानी पड़े ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उठकमंड, निम्न प्रकार की फिल्में निर्माण कर रही हैं :—

(1) साइनफिल्म पाजीटिव (काली वसक है)
(2) साइनफिल्म साउन्ड
(3) एक्स-रे फिल्में
(4) राले फिल्में
(5) 3.5 एम-एम नेगेटिव फिल्में ।

देशी कच्चे माल के प्रयोग में उपस्थित हुई कतिपय तकनीकी कठिनाइयों तथा इन चीजों के निर्माण की जटिल प्रक्रियाओं के कारण कम्पनी अभी तक निर्धारित क्षमता विशेषकर एक्स-रे फिल्म में पूर्ण नहीं कर सकी है ।

एक्स-रे फिल्मों की वर्तमान वार्षिक मांग लगभग 1.3 से 1.5 मिलियन वर्ग मी० की है। एक्स-रे फिल्मों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आयात प्रधिकृत किया गया है। एक्स-रे फिल्मेंस् में बदलने व बाजार में बेचने के लिये हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स को जम्बो रोल्स के आयात की भी अनुमति दी गई है । एक्स-रे फिल्मों की 1 मिलियन वर्ग मी० की निधारित क्षमता सम्बन्धी तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु कम्पनी हर प्रकार से प्रयत्न कर रही है ।

छोटी कार बनाने के लिए प्राइवेट पार्टियों को लाइसेंसों का जारी किया जाना

1465. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिएट तथा निसान वहुत सी फर्मों के विदेशी सहयोग से प्रस्तावित कम लागत वाली कार के उत्पादन का कारखाना आरम्भ किया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार ने छोटी कार के उत्पादन के लिए पहले ही भारत की पार्टियों को भी लाइसेंस दे दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात के क्या कारण हैं कि देशी दक्षता उपलब्ध होने के बावजूद सरकार विदेशी फर्मों के साथ सहयोग कर रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) समझा जाता है कि प्रश्न यात्री कारों के सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने के सम्बन्ध में है । सरकारी क्षेत्र को कार परियोजना में सहयोग करने की रुचि रखने वाले विदेशी मोटरगाड़ी निर्माताओं के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) कुछ शर्तों के साथ गैर-सरकारी क्षेत्र में यात्री कारें बनाने के लिये तीन पार्टियों को आशय-पत्र मंजूर किए गए हैं । पार्टियों द्वारा आशय-पत्र में दी गई शर्तों को पूरा कर लेने के पश्चात् इन आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस के रूप में परिवर्तन कर दिया जायेगा ।

(ग) यात्री कार का परीक्षित देशी डिजाइन अभी तैयार किया जाना है । इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र को प्रस्तावित कार परियोजना के लिये अत्यधिक उत्पादन प्राद्यौगिक की आवश्यकता होगी । इस प्रकार की पर्याप्त प्राद्यौगिकी का अभी देश में विकास नहीं किया जा सका है और इसके लिये विदेशी सहायता से लाभ उठाना पड़ेगा । इन्हीं कारणों से सरकार की नीति देशी प्रतिभा डिजाइन और प्राद्यौगिकी के विकास को प्रोत्साहन देने की होने पर भी वह इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि कार परियोजना सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है ।

सरकारी क्षेत्र में यात्री बसों का निर्माण

1466. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र में यात्री बसों का निर्माण आरम्भ करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त प्रयोजन के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी क्षेत्र की स्कूटरेट परियोजना

1467. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र की स्कूटरेट परियोजना के व्यवहारतः प्रतिवेदन की तैयारी के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : सरकारी क्षेत्र में स्कूटरैटी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

1468. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश का औद्योगिक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में राज्य में क्रमशः सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में किन-किन उद्योगों की स्थापना की जायेगी ;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार के उद्योग की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने भारत के औद्योगिक वित्त निगम, भारत के औद्योगिक ऋण और विनियोजन निगम आदि जैसे अभिकरणों के सहयोग से उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण किया है और इसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है ।

(ग) और (घ). हाल ही में राज्य सरकार ने भारत सरकार से राज्य में सरकारी क्षेत्र में (1) कागज लुगदी, (2) स्कूटर (3) छोटी कार, (4) तेल शोधक और (5) नुक्लियर शक्ति स्टेशन बनाने के लिए परियोजना चलाने का निवेदन किया है ।

अलग-अलग परियोजनाओं पर निर्णय लेते समय सम्बन्धित विभाग द्वारा राज्य सरकार के आवेदन पर ध्यान दिया जायेगा ।

स्कूटर बनाने वाले कारखानों जमा प्रतिभूतियां

1469. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों ने स्कूटर खरीदने के लिये स्कूटर बनाने वाले कारखानों में प्रतिभूति के रूप में कितनी-कितनी धनराशि जमा कराई ; और

(ख) प्रत्येक महीने में इन कारखानों में कितने स्कूटर बनते हैं और ये कारखाने अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को कब तक पूरी कर सकेंगे ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) दिनांक 31-10-71 तक 4,19,721 लोगों ने अपना नाम दो पहिये वाले स्कूटरों तथा 25,978 लोगों ने तीन पहिये वाले स्कूटरों के लिये पजीयित करवाया था । उन्होंने दो पहिये वाले प्रत्येक के लिये 250 रुपये तथा तीन पहिये वाले के लिये 500 रु० सम्बन्धित विक्रेताओं के नाम अमानत-रूप में डाक-घरों में प्रतिभूति निक्षेप लेखे में जमा किये हैं ।

(ख) वर्ष 1971 में विभिन्न निर्माण एककों का स्कूटरों का मासिक उत्पादन इस प्रकार है :—

मास	भारत के उत्पाद	आटोमोबाइल	बजाज आटो	एनफील्ड		एसकोर्टस
	2 पहिये वाले	3 पहिये वाले	2 पहिये वाले	3 पहिये वाले		2 पहिये वाले
जनवरी	2020	—	3880	395	6	59
फरवरी	2312	—	3179	384	8	251
मार्च	1227	—	2173	297	10	201
अप्रैल	1977	127	4606	309	5	205
मई	2200	94	3915	198	—	285
जून	2340	161	3250	406	—	250
जुलाई	2423	225	3420	365	—	175
अगस्त	1920	164	3276	440	9	225
सितम्बर	2000	180	3100	376	5	271
	18,419	951	30,799	3,170	43	1,922

इन एककों की पर्याप्त विस्तार योजनाओं पर सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है। यदि सरकार ने यह योजनाएं अनुमोदित की व एककों में उत्पादन हुआ तो संभरण की स्थिति में सुधार होगा।

बड़े और छोटे उद्योगों में निवेश

1470. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अक्तूबर, 1971 को भारत में बड़े और छोटे उद्योगों में कुल कितना पूंजी निवेश था ; और

(ख) उस तिथि को भारत में क्रमशः बड़े और छोटे उद्योगों में कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे थे ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) चूंकि निवेश सम्बन्धी आँकड़े विशेष गैर सरकारी क्षेत्र के आंकड़े पर्याप्त समय पश्चात् उपलब्ध होते हैं, भारत में 31 अक्तूबर, 71 तक के बड़े और छोटे उद्योगों में कुछ निवेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी 1970-71 वर्ष की अवधि में बड़े तथा मझोले उद्योगों तथा सरकारी क्षेत्र के खान उपक्रमों में 515 करोड़ रुपयों के निवेश का अनुमान है।

(ख) सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षत्रों में मिलाकर मार्च, 1970 के अंत में लगभग 46·8 लाख लोग उत्पादक उद्योगों में काम कर रहे थे। आर्थिक सर्वेक्षण (पृष्ठ 109-110) 1970-71 में यह जानकारी मिलती है।

Intrusion of Pak Citizens into India

1471. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7598 on the 11th August, 1971 regarding the intrusion of Pak citizens into India and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). The required information has not been received from the Governments of Jammu & Kashmir and Rajasthan. As soon as it is received, it will be laid on the Table of the House. Nagaland have reported that there were no instances of such intrusions for the period from 1-1-1968 to 11-8-1971.

In the case of Assam, according to the information furnished by the State Government, during the year 1968, 1969 and 1970, there were 12,818 intruders from Pakistan of whom 11,452 were arrested and deported.

Lathi-charge on Bhartiya Jan Sangh Demonstrators before Pakistan High Commission, New Delhi

1472. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether a demonstration was held in August, 1971 before the Pakistan High Commission in New Delhi under the auspices of the Bhartiya Jan Sangh ;

(b) whether the demonstrators were tear-gassed and lathi-charged ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c). According to information received from the Delhi Administration, the Bhartia Jan Sangh staged a demonstration outside the Pakistan High Commission in New Delhi on 7th August, 1971 in connection with the problems of Bangla Desh. The police had made arrangements to prevent the demonstrators from entering the premises of the High Commission or causing any damage to its property. The demonstrators broke two police cordons and reached the third. At that stage under the orders of the Sub-Divisional Magistrate the police had to fire 47 teargas shells to disperse the demonstrators. Lathi-charge was not resorted to. A total of 547 demonstrators were arrested. In the incident 41 policemen and 9 demonstrators received minor injuries.

Rally Organised by Congress Party in Delhi

1473. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a rally was organised in Delhi on the 9th August, 1971 under the auspices of Congress Party ;

(b) whether the police force was also sent for from other States for the arrangements ; and

(c) the expenditure incurred by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir. 21 Companies from U.P., Haryana, Rajasthan and Madhya Pradesh were requisitioned.

(c) The expenditure incurred cannot be calculated yet, as bills have not been received from these State Governments.

Espionage Activities in the Country

1474. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5482 on the 21st July, 1971 regarding espionage activities in the country and State :

(a) whether the requisite information has since been collected from Jammu-Kashmir, Uttar Pradesh, Punjab and West Bengal Governments ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). According to information furnished by Governments of Jammu & Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh and West Bengal, 61 persons were arrested on suspicion of being Pak spies, during the period under reference and cases against them are under investigation.

Expenditure on Election Tours Undertaken by Prime Minister

1475. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3485 on the 30th June, 1971 regarding expenditure on Election tours undertaken by the Prime Minister and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ; and

(b) if not, the time by which the information is likely to be collected and laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir, the information has not yet been collected.

(b) The information will be laid on the Table of the House as soon as possible.

इण्डियन सिविल सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्गों के अधिकारियों के कृत्यों के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1476. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडे :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इंडियन सिविल सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्गों के अधिकारियों के कृत्य सम्बन्धी प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सिफारिशों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

लघु उद्योग गोष्ठी

1477. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने इस वर्ष नई दिल्ली में एशिया और दूर पूर्व में लघु उद्योगों के लिए धन की व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी गोष्ठी का आयोजन किया था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र के विभिन्न देशों को लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने से सम्बन्धित मामलों में हुये अनुभव का आदान प्रदान करना था। जिससे विभिन्न देशों में सम्पूर्ण रूप से उनके अपने सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप लघु उद्योगों का संतुलित विकास करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाई करने की योजना का सुझाव दिया जा सके इस दिशा में भारत के अनुभव तथा लघु उद्योगों के विकास के हमारे कार्यक्रम की विशेषकर वित्तीय सहायता देने के बारे में संगोष्ठी में भाग लेने वालों ने बड़ी सराहना की। इस क्षेत्र को विभिन्न विकासशील देशों के लिये राष्ट्रीय स्तर पर जिस कार्यवाही की योजना सुझाई गई वह बहुत कुछ भारत के अनुभव पर आधारित थी। संगोष्ठी ने इस क्षेत्र में क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता बढ़ाये जाने के भारत के सुझाव को स्वीकार कर दिया था। संगोष्ठी ने यह भी सिफारिश की थी कि क्षेत्र के जिन देशों ने इसमें भाग लिया है उन्हें स्थित लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के अवसर से लाभ उठाना चाहिये।

परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन, विधान और प्रवर्तन

1478. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिस्थिति विज्ञान के अध्ययन, विधान और प्रवर्तन के सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किये है ?

योजना तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : यूनेस्को के अन्तर्विभागीय, अन्तर्राज्यीय कार्यक्रम मानव और जीव मण्डल के अन्तर्गत परिस्थिति विज्ञान और वातावरण के क्षेत्रों में एक बड़े कार्यक्रम को विकसित करने के सम्बन्ध में सरकार ने अभी हाल में निश्चय किया है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य कार्यों को निम्न चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(1) जीव मण्डल की संरचना और कार्य का अनुसंधान ;

(2) जीव मण्डल के कार्य सरचना में ब धा पहुंचाये बिना मनुष्य उसमें कहां तक सुधार कर सकता है, उसका आकलन ;

(3) मानव द्वारा निर्मित वातावरण का स्वयं उसी पर प्रभाव सन्बन्धी अध्ययन ; और

(4) इन विषयों से सम्बन्धित शिक्षा।

भारत में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसंधान का आयोजन करने के लिए सामान्य उत्तरदायित्व नैशनल कमेटी आन ह्यूमन एन्वायरमेंट की एक विशेष समिति को सौंपने का विचार है।

यह समिति अक्तूबर, 1970 से काम कर रही है। और इस समय यह 1972 में होने वाली यू० एन० कांनफ्रेंस आन ह्यूमन एन्वायरमेंट सम्बन्धी कार्य करने की तैयारी में व्यस्त हैं।

यूनेस्को ने 9 से 19 नवम्बर, 1971 के बीच मानव और जीव मण्डल कार्यक्रम पर

अन्तर्राष्ट्रीय संयोजक परिषद की पैरिस में पहली बैठक की। इस बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि एक लब्ध प्रतिष्ठित परिस्थितिविज्ञ (एकौलौजिस्ट) और नेशनल कमेटी आन ह्यूमन एन्वायरमेंट के सदस्य हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्बन्धी ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कांस्टेबलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

1479. **श्री वयालार रवि** : क्या गृह मंत्री 11 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 775 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काँस्टेबलों के उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने कांस्टेबलों को उत्पीड़न किया, क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) कुल कितने कांस्टेबलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पास ऐसी बैठकों की व्यवस्था है जहां वरिष्ठ पर्यवेक्षी अधिकारी बल के सभी सदस्यों से मिलते हैं तथा उन्हें अपनी समस्याओं व शिकायतों, यदि कोई हों, को स्वतन्त्र रूप से व्यक्त करने को कहा जाता है। ऐसी बैठकें बटालियनों में भी समय-समय पर होती रहती हैं जहां कमांडर, उप-कमांडर तथा कम्पनी कमांडर अपने अधीन कर्मचारियों से उसी प्रयोजन के लिये मिलते हैं। कमांडरों और कम्पनी कमांडरों समेत सभी पर्यवेक्षी अधिकारियों को बल के प्रशासन में न्याय तथा ईमानदारी सुनिश्चित करने के उपदेश दे दिए गए हैं। चूंकि उत्पीड़न का कोई मामला नहीं है अतः सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) 1-1-1969 से 31-7-1971 तक की अवधि में 1548 कांस्टेबलों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी।

Difficulties Experienced by Candidates from Uttarakhand in Applying for Posts Advertised by U. P. S. C.

1480. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether prospective candidates in Uttarakhand come to know of the advertisements for the posts advertised by the Union Public Service Commission or in other important public services after the last date for the receipt of applications is over, owing to the delay involved in newspapers reaching that area, with the result that they are deprived of their chances in Government services ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to remove this difficulty ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). Normally newspapers published from Uttar Pradesh and adjoining States, which are used for U. P. S. C. and other recruitment advertisements, reach the area within two or three days, thus giving sufficient time to intending candidates to apply for the posts. "Yuvavani" of the All India Radio also broadcasts on every Saturday the U.P S.C. advertisements. Moreover, for posts which are filled by the method of recruitment by selection, one month's time is given to prospective candidates to obtain application forms and submit them to the U.P.S.C. and for posts filled by regular competitive examinations about two months' time is allowed. The time allowed for obtaining the application forms and submitting the applications is thus adequate for candidates in various parts of the country.

केरल में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की योजना

1481. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये 180 करोड़ रुपये की एक योजना भारत सरकार को प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). राज्य सरकार द्वारा गठित बेरोजगारी संबंधी समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केरल सरकार ने कई कार्यक्रम तैयार किये हैं। इन प्रस्तावों में काफी ऐसे कार्य-कलाप आ जाते हैं जिसका उद्देश्य 1.3 लाख लोगों को रोजगार देना है। चौथी योजना के बाकी वर्षों के दौरान इनपर 175 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि वे लगभग 30 करोड़ रुपये अपने संसाधनों से उपलब्ध करेंगे, परन्तु 0 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार को भी देने होंगे और बाकी धन संस्थागत अभिकरणों तथा निजी क्षेत्र से प्राप्त किया जायेगा।

योजना आयोग ने विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और केरल सरकार से विचार-विमर्श कर इन प्रस्तावों की संभाव्यता पर विचार किया। इन विचार-विमर्शों को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि शिक्षित बेरोजगारों को विशेष रूप से लाभांवित करने वाले प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाये। राज्य सरकार से इन प्रस्तावों के ब्यौरे की इंतजारी की जा रही है। अन्य प्रस्तावों को स्वीकार करने से पूर्व उनके बारे में काफी प्रारंभिक कार्य और जांच करने की आवश्यकता है। अतः राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि वे इन कार्यक्रमों के बारे में आवश्यक अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम करें तथा राज्य की वार्षिक योजनाओं में इनके लिए प्रतीकात्मक प्रावधान किया जाये। योजना आयोग ने ये सुझाव राज्य सरकार को आगे कार्रवाई करने के लिए भेज दिए हैं।

पश्चिम बंगाल के प्रशासन में सुधार

1482. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार पुलिस तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कुछ मामलों पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है और सरकार की कार्यवाही का प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) से (ग). राज्य को स्वच्छ,

कार्यकुशल और प्रगतिशील प्रशासन उपलब्ध कराने के सरकार के व्यापक उद्देश्य के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों समेत प्रशासनिक तन्त्र को निरन्तर समीक्षा के अन्तर्गत रखा जा रहा है और समय-समय पर यथोचित कदम उठाये जाते हैं।

दिल्ली नगर निगम के वर्तमान आयुक्त का स्थानांतरण

1483. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली नगर निगम के वर्तमान आयुक्त विवादास्पद व्यक्ति बन गये हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें किसी अन्य विभाग में किसी उपयुक्त पद पर करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) 14 और 15 सितम्बर, 1971 को प्रकाशित प्रेस रिपोर्टों के अनुसार दिल्ली नगर निगम को राजनीति में अन्तर्ग्रस्त होने का दोषी ठहराया गया था। किन्तु इस मामले में की गई जांच से प्रतीत होता है कि आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में उद्योग स्थापित करने के लिये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना

1484. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने सरकार को सुझाव दिया है कि पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रस्तावित रियायतों के साथ-साथ सरकार को उद्योगों के लिये मूल आधार (इंफ्रास्ट्रक्चर) की भी व्यवस्था करनी चाहिये ; और

(ख) क्या यह भी सुझाव दिया गया हैं कि पश्चिम बंगाल के समस्त राज्य को पिछड़ा हुआ राज्य घोषित कर दिया जाये जिससे वहां पूंजीनिवेश अधिक हो सके और यदि हां, तो इन सब के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने में लोगों की रुचि न होने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने यह निश्चय किया है कि कलकत्ता, हावड़ा और 24 परगना जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल में स्थापित किये जाने वाले उद्योग भी अन्य राज्यों के पिछड़े जिलों की भांति वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली रियायती आर्थिक सहायता पाने के पात्र होंगे।

पिछड़े क्षेत्रों को विकास के लिए किये गये प्रोत्साहनों के प्रभाव का अनुमान अभी लगाना शीघ्रता होगी।

दिल्ली में राष्ट्रीय बचत पत्रों में कथित गोलमोल

1485. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1971 के तीसरे सप्ताह में दिल्ली में राष्ट्रीय बचत पत्रों में गोलमाल करने वाले एक गिरोह का पता लगाया था ;

(ख) इस संबंध में किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे बरामद दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस अवैध को करने वाले इन व्यक्तियों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। परन्तु यह राष्ट्रीय बचत डाक टिकटों के बारे में था (राष्ट्रीय बचत पत्रों के बारे में नहीं)।

(ख) **गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम** :

1. श्री उमाशंकर गुप्ता, यू० डी० सी०, निदेशक, लेखा परीक्षा व लेखा, डाक-तार दिल्ली का कार्यालय।
2. श्री अर्जुन सिंह, गांव गढ़ी, नई दिल्ली—24 के निवासी।
3. श्री दौलत राम, क्लर्क, वरिष्ठ अधीक्षक, डाक-घर, नई दिल्ली (दक्षिणी डिवीजन)।

बरामद में किये गये दस्तावेज :

लगभग 10,000 रुपये के मूल्य की इस्तेमाल की हुई राष्ट्रीय बचत डाक टिकटें और 5 बचत बैंक की पास बुकें और उनके साथ कुछ सफेद कागज।

(ग) पुलिस मामले की तफतीश कर रही है। उपरोक्त दो कर्मचारी मुअत्तिल किये हुये हैं।

औद्योगिक एककों का बन्द होना

1486. **श्री अमर नाथ चावला** :
श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे औद्योगिक कारखानों की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है जो कुप्रबंध अथवा अन्य कारणों से बन्द हो गए है या बन्द होने वाले हैं ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में और विशेषकर उन औद्योगिक कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के हित में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). देश के विभिन्न भागों में कुप्रबन्ध तथा अन्य कारणों से बच पड़े अथवा बन्द होने की स्थिति में पडे औद्योगिक एककों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। ऐसे एककों में उत्पादन तथा नियोजन बनाये रखने की दृष्टि से सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अध्या-

देश 1971 द्वारा कुप्रबन्ध वाले या बन्द पड़े उपक्रमों संबंधी कुछ मामलों में व्यवस्था हेतु 1 नवम्बर 1970 को शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। अध्यादेश की एक प्रति 15 नवम्बर, 1970 को सभा पटल पर रख दी गई है।

तोड़ फोड़ करने के लिए शरणार्थियों के भेष में तोड़ फोड़ करने वाले पाकिस्तानियों का भारत में आना

1487. **श्री अमरनाथ चावला :**

श्री सतपाल कपूर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तोड़-फोड़ करने वाले पाकिस्तानी बहुत बड़ी संख्या में भारत में आ गए हैं और पाकिस्तान उन्हें तोड़-फोड़ करने के लिए शरणार्थियों के भेष में भारत भेज रहा है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि बंगला देश वापिस गए कुछ शरणार्थियों से पाकिस्तानी सैनिक प्रशासन अधिकारी भारत सरकार द्वारा दिए गए परिचय पत्रों को बड़े मूल्य पर खरीद रहे हैं और ये परिचय पत्र पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा अपने विश्वसनीय पिट्ठुओं को भारत में जाकर तोड़-फोड़ करने के आदेश के साथ दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). ऐसा कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है। किन्तु पाकिस्तानी प्राधिकारियों के झूठे दस्तावेजों से अपने एजेंटों को आवृत्त करने के प्रयत्न की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हमारी सभी एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं।

हावड़ा, पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंज पर अवैध कब्जा

1488. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 13 अक्तूबर, 1971 को पश्चिम बंगाल में हावड़ा में टेलीफोन एक्सचेंज पर कुछ शरारती व्यक्तियों ने कब्जा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन शरारती व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों की दशा

1489. **श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अनेक उद्योगों की दयनीय दशा के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) पश्चिम बंगाल में उद्योगों के विकास पर मुख्यतया जिन बातों ने प्रतिकूल पभाव डाला है वे कच्चे माल की विशेष करके इंजीनियरिंग माल की कमी, मांग की न्यूनता, वित्तीय तंगी व श्रमिक-प्रबन्धक समस्याएं हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास को ठीक करने हेतु अनेक अभ्युपाय अपनाए गए हैं। मुख्य रूप से वे ये हैं :—

(1) संकट ग्रस्त तथा बन्द पड़े एककों का पुनर्निर्माण करने व पुनःस्थापित करने हेतु एक इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया जिसका मुख्यालय कलकत्ता है की स्थापना की गई है।

(2) कलकत्ता, हावड़ा तथा 24 परगना को छोड़कर पश्चिम बंगाल में सभी जिले पिछड़े हुए घोषित कर दिए गये हैं तथा इन जिलों में स्थापित किये जाने वाले उद्योग वित्तीय संस्थानों से रियायती दरों पर वित्त पाने के पात्र होंगे।

(3) औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 को संशोधित करते हुए, अन्य बातों के, बन्द पड़े औद्योगिक उपक्रमों को हाथ में लेने तथा चलाने हेतु सरकार ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

(4) लाइसेंस समिति को पश्चिम बंगाल से प्राप्त आवेदनों पर जल्दी से विचार करने के लिए निदेश दिए गये है और इस प्रयोजन के लिए समिति की पहले की अपेक्षा अब जल्दी जल्दी बैठकें होती है। इसी प्रकार पूंजीगत वस्तुओं के आयात और विदेशी सहयोग के लिये प्राप्त आवेदनों पर भी प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

(5) विशिष्ट मामलों में पश्चिम बंगाल सरकार ने सेल्स टैक्स की वापिसी, व्याज मुक्त दीर्घ कालीन ऋण, प्रवेश कर की वापिसी जैसे अनेक प्रोत्साहनों की मन्जूरी दी है तथा संकटग्रस्त बन्द पड़े एककों के लिये राज्य वित्तीय संस्थानों से सहायता दी है।

(6) पश्चिम बंगाल के बन्द पड़े हुए एककों को आयातित कच्चे माल का अग्रिम आबंटन करने हेतु 1971-72 की आयात नीति में व्यवस्था रखी गई है जिससे वे अपनी निर्माण की गतिविधियां पुनः चालू कर सकें।

(7) राज्य में औद्योगिक विकास बढ़ाने हेतु एक व्यापक 16 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है तथा उसे सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में उद्योगों की स्थापना

1490. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष या 1972 में मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में सरकार की कोई उद्योग स्थापित करने की योजना है ;

(ख) कितने उद्योगों की स्थापना की जायेगी तथा ये उद्योग किस प्रकार के होंगे ; और

(ग) इन नए उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग). मिदनापुर, घोषित किये गये बिछड़े हुए जिलों में से एक है, जो उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे उन्हें वित्तीय सस्थाओं से रियायती धन मिलेगा। पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने झारग्राम में कृषि छीजन पर आधारित एक छोटा कागज कारखाना स्थापित करने के लिए कदम उठाया है। इस कारखाने के पूरा हो जाने पर 147 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। हल्दिया रिफाइनरी का निर्माण किया जा रहा है। भारत सरकार ने हल्दिया में मैथनल और सोडा ऐश के साथ एक उर्वरक परियोजना के लिए स्वीकृति दे दी है। शिप बिल्डिंग यार्ड के लिए एक उपर्युक्त स्थान का पता लगाने तथा कितने टन के समुद्री जहाज हल्दिया में बनाये जा सकेंगे इस बात पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तेल रिफायनरी के उपोत्पादों पर आधारित पेट्रो-रसायन उद्योग के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने हेतु भी एक समिति गठित की गई है। इन विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 1.05 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पिछड़े हुए जिलों को दिये गये प्रोत्साहनों का लाभ लेने और उनमें उद्योग स्थापित करने का काम मुख्य रूप से राज्य की एजेंसियों और व्यक्तिगत उद्यमियों का है।

इन 16 सूत्री कार्यक्रमों के अलावा, राज्य सरकार का विचार मिदनापुर जिले में 200 लघु उद्योग स्थापित करने का है।

इस मन्त्रालय की मिदनापुर जिले में इस समय कोई उद्योग स्थापित करने की योजना नहीं है।

आसाम की नई राजधानी के लिए सहायता

1491. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है कि राज्य की नई राजधानी बनाने के लिये आसाम सरकार को किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेफा का मुख्यालय

1492. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा के मुख्यालय के लिये स्थान का अन्तिम रूप से चुनाव कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो अन्तिम चुनाव कब तक हो जायेगा तथा किसी निर्णय पर पहुँचने में देरी का क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ; और

(ग) नेफा प्रशासन ने सूचना दी है कि नेफा मुख्यालय के लिए तीन स्थानों का सुझाव मिला था जिनका तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया । इसके पश्चात चौथे स्थान के लिए सुझाव प्राप्त हुआ जिसका तकनीकी समिति के सदस्यों द्वारा अब परीक्षण किया जा रहा है । समिति की अन्तिम रिपोर्ट मिलने पर निर्णय किया जायेगा ।

निर्णय लेने में विलम्ब इसलिए हुआ है क्योंकि सम्भावित स्थल की भू-वैज्ञानिक, नगर-योजना तथा लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी की दृष्टि से परीक्षा की जानी है और अन्त में नेफा एजेंसी परिषद के साथ परामर्श से स्थान चुना जाना है ।

बर्दवान जिले (पश्चिम बगाल) में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के शवों का कथित रूप से बरामद किया जाना

1493. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अक्तूबर, 1971 को हाल्दी, जिला बर्दवान (पश्चिम बंगाल) में एक खेत से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के शव बरामद किये गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या शवों की बरामदगी और हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सर्वश्री स्वाधीन सामन्ता और स्वदेश सामन्ता को, मिराजपुर, जिला बर्दवान के सी०पी०एम० कार्यकर्ता बताये जाते हैं, पाईप-गन, रिवाल्वर आदि से सुसज्जित 15-16 अनजान व्यक्तियों द्वारा 5 अक्तूबर, 1971 को बिगरा, थाना भातर, जिला बर्दवान के रहने वाले श्री सिवाप्रसाद के घर से उठा लिया गया था । दूसरे दिन स्वाधीन सामन्ता का मृत शरीर हाल्दी थाना बर्दवान की खारी नदी के तल से बरामद किया गया था । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन एक मुकदमा चलाया गया है और उसकी जांच पड़ताल चल रही है ।

हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ, दुर्गापुर की कार्यकारी समिति के सदस्य की हत्या

1494. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील कर्मचारी संघ, दुर्गापुर की कार्यकारी समिति के सदस्य श्री सुनील आचार्य की छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई और दुर्गापुर स्टील कर्मचारी संघ के दो प्रमुख मजदूर संघ नेताओं सर्वश्री अजित मुकर्जी और शिशिर बनर्जी पर हमला किया गया जबकि वे दुर्गापुर स्टील कारखाने को जाने के लिए बस की प्रतीक्षा कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस हत्या और हमले के लिये जिम्मेदार अपराधियों को दण्ड देने के लिए सरकार ने कोई कार्रवाई की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

ग्राफाइट (इंडिया) लिमिटेड, दुर्गापुर के कर्मचारियों को कथित रूप से परेशान किया जाना

1495. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि समाज विरोधी और गुण्डे लोक ग्राफाइट (इन्डिया) लिमिटेड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को हमेशा परेशान करते हैं और पीटते रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मारपीट और परेशान करने की घटनाओं के विरुद्ध सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने और उनसे कर्मचारियों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) किन्तु इस क्षेत्र में अपराधों को रोकने और कानून में निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु राज्य पुलिस के उप-निरीक्षक के अधीन एक पुलिस टुकड़ी नियुक्त की गई है जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी हैं ।

ए० वी० बी० कर्मचारी संघ कार्यालय, दुर्गापुर का टेलीफोन कनेक्शन काटा जाना

1496. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या गृह मंत्री 11 अगस्त, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7612 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ए०वी०बी० कर्मचारी संघ के कार्यालय को टेलीफोन कनेक्शन पुनः दिये जाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) ए०वी०बी० कर्मचारी संघ कार्यालय, दुर्गापुर का टेलीफोन न तो राज्य पुलिस द्वारा और न केन्द्रीय पुलिस द्वारा हटाया गया था । यह टेलीफोन उन्ही के प्रबन्ध द्वारा तब हटा लिया गया जब संघ की मान्यता समाप्त हो गई थी ।

(ग) क्योंकि टेलीफून प्रबन्ध द्वारा हटाया गया था अतः सरकार की ओर से टेलीफून को फिर से लगाने की कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।

पृथक विदर्भ राज्य के लिए आन्दोलन

1497. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथक विदर्भ राज्य के लिए भारी आन्दोलन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कई आदमियों की जानें गईं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महा विदर्भ राज्य संघर्ष समिति द्वारा नागपुर में एक बन्द का आयोजन किया गया था, जिसको विदर्भाबिन्कर संग्राम समिति का भी समर्थन प्राप्त था। 5, 6 और 7 सितम्बर, 1971 को बन्द के समर्थकों ने हिंसक कार्य किये। हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को अश्रु गैस का प्रयोग करना पड़ा और कई बार गोली चलानी पड़ी। गोली चलाने के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 7 व्यक्ति मारे गये। राज्य सरकार ने गोली चलाने की अदालती जांच का आदेश दिया है।

इस प्रश्न पर कि क्या विदर्भा को पृथक राज्य बनाया जाय अथवा महाराष्ट्र का एक भाग, राज्यों के पुनर्गठन के समय केन्द्र सरकार तथा संसद द्वारा सावधानी से विचार किया गया था और विदर्भ को बम्बई के संयुक्त राज्य और बाद में महाराष्ट्र में शामिल करने का निर्णय करके मामले को अन्तिम रूप से तय कर दिया गया था। सरकार का विचार इस प्रश्न को फिर से उठाने का नहीं है।

जनमत संग्रह मोर्चे के एक प्रमुख नेता, श्री हगरू द्वारा भारत के प्रति निष्ठा की शपथ

1498. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनमत संग्रह मोर्चे के एक प्रमुख नेता, श्री हगरू ने भारत के प्रति निष्ठा की शपथ ली है ;

(ख) क्या 9 सितम्बर, 1971 के "पैट्रियट" में इस सम्बन्ध में छपे समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री, तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). सरकार ने उस रिपोर्ट को देखा है जो 9 सितम्बर, 1971 के "पैट्रियट" में प्रकाशित हुई, जिसमें श्री गुलाम नबी हगरू के सम्बन्ध में विवरण प्रकाशित हुआ था।

(ग) सरकार भारत के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले सूचित वक्तव्य को वास्तविक समझती है और इस लिए इसका सम्मान करती है, किन्तु वक्तव्य में व्यक्त सभी विचारों से सहमत नहीं हो सकती।

राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विरोध में पश्चिम बंगाल सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा काम करना बन्द किया जाना

1499. **श्री पी० के० देव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कुछ राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने के विरोध में 14 सितम्बर, 1971 को कलकत्ता में राज्य सरकार सचिवालय के कर्मचारियों के एक बड़े भाग ने काम करना बन्द कर दिया था ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप सचिवालय के कार्यकरण पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान। 14 सितम्बर, 1971 को पश्चिम बंगाल सचिवालय के केवल करीब 30 प्रतिशत कर्मचारियों ने काम करना बन्द कर दिया।

(ख) उस दिन सचिवालय के कार्यकरण पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा।

(ग) राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों के उस दिन के वेतन तथा भत्ते काटने का निर्णय कर लिया था जिन्होंने उस दिन काम करना छोड़ दिया।

नेशनल एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से सेटेलाइट इन्स्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट

1500. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के नेशनल एरोनाटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से वर्ष 1974-75 से, एक वर्ष के लिए, सेटेलाइट इन्स्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरीमेंट करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है ; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मंत्री, तथा **सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां।

(ख) इस परीक्षण को करने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

(1) राष्ट्र के विकास में सहायक एक देशव्यापी शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम को चलाने के लिए एक उपग्रह की कार्यक्षमता की जांच करना।

(2) दूर-दूर बसे हुए और पिछड़े हुए गांवों में लगे ऐसे टेलीविजन सैटों जो दूरदर्शन कार्यक्रमों को सीधे ही ग्रहण कर सकते हैं, के निर्माण, उपयोग एवं अनुरक्षण तथा कार्यक्रमों के प्रसारण एवं पुनर्प्रसारण के सम्बन्ध में अनुभव प्राप्त करना।

(3) ग्रामवासियों को परिवार-नियोजन, खेतीबाड़ी, राष्ट्रीय एकता, स्कूली तथा पौ:

शिक्षा, अध्यापकों के प्रशिक्षण, व्यवसायिक ज्ञान, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य-विज्ञान सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षण प्रदान करना।

(ग) उपग्रह की सहायता से चलाये जाने वाले शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम का प्रसारण जिन गांवों को किया जायेगा उनके वर्ग बनाये जा रहे हैं। भूमि पर लगे उपकरणों तथा प्रसारित किये जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों से सम्बन्धित पूर्ण उत्तरदायित्व भारत का होगा। भूमि-स्थित केन्द्र तथा कलपुर्जों के अभिकल्पन एवं निर्माण तथा शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों से सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय अभिकरण अपने-अपने क्षेत्र में प्रारम्भिक कार्य कर रहे हैं।

संगीत तथा नाटक विभाग कर्मचारी संघ को मान्यता दिया जाना

1501. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत तथा नाटक विभाग कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को एक ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस बीच उक्त संघ को मान्यता दे दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उसमें की गई मांगों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

अनुपूरक जनगणना सम्बन्धी आंकड़े

1502. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अनुपूरक अस्थायी जनगणना सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनसे क्या मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 1971 के लेख संख्या 1 के अनुपूरक में प्रकाशित अस्थायी जनगणना सम्बन्धी आंकड़ों के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

भारत की जनसंख्या :	कुल 54 करोड़ 70 लाख
	पुरुष 28 करोड़ 30 लाख
	महिलायें 26 करोड़ 40 लाख
1961-71 की दशवार्षिक वृद्धि दर :	24.66 प्रतिशत
स्त्री-पुरुष भेद अनुपात :	प्रति 1000 पुरुष में 932 नारियां
साक्षरता दर	कुल 29.34 प्रतिशत
(0.4 आयु वर्ग सहित)	पुरुष 39.51 प्रतिशत
	नारी 18.44 प्रतिशत

कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात	19.87 प्रतिशत
कुल जनसंख्या में श्रमिकों की प्रतिशतता (केवल मुख्य क्रियाकलाप)	कुल संख्या 33.54 पुरुष 5८.53 महिलायें 13.18
श्रमिकों का अलग-अलग ब्यौरा	कुल श्रमिकों में प्रतिशतता
(i) कृषक	कुल 42 ८7 पुरुष 37.56 महिलायें 5.31
(ii) खेतीहर श्रमिक	कुल 25.76 पुरुष 17.05 महिलायें 8.71
(iii) अन्य श्रमिक	कुल 31.37 पुरुष 26.42 महिलायें 4.95

हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय

1503. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) इस समय हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है ;

(ख) क्या हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय देश के अधिकतर राज्यों से कम है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राज्य सांख्यिकीय कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि वर्तमान मूल्यों के अनुसार वर्ष 1969-70 के वर्ष के दौरान हरियाणा का प्रति व्यक्ति शुद्ध आन्तरिक उत्पादन 788 करोड़ रुपये है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजकोट में सार्वजनिक टेलीफोन घरों और टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

1504. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के राजकोट जिले में वर्ष 1971 में कितने सार्वजनिक टेलीफोन घर और टेलीफोन केन्द्र खोले जायेंगे ;

(ख) क्या गांव धांका के 20 व्यक्तियों ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार धांका में टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) गुजरात के राजकोट जिले में 1971 में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर और एक टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की सम्भावना है।

(ख) धांका में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए 20 व्यक्तियों के हस्ताक्षर के साथ एक अर्जी प्राप्त हुई है।

(ग) धांका में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तकनीकी दृष्टि से यदि एक्सचेंज संभव हुआ और वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है। ये शर्तें पूरी होने पर यह काम 1972-73 में शुरू किया जाएगा।

महाराष्ट्र में बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन दिया जाना

1505. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 और 1971-72 में महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न स्थानों पर बिना बारी के कुछ नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने की मंजूरी किस प्रकार दी गई थी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवंती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन निम्नलिखित मामलों में मंजूर किए गये थे।

1. वे मामले जिनकी सिफारिश टेलीफोन सलाहकार समिति करती है। ऐसे मामले जिनकी मंजूरी सर्किल/जिला अध्यक्ष स्वविवेकाधिकार से करते हैं।
2. सरकारी नीति के अनुसार विदेशी मुद्रा अर्जित करने वालों को।
3. वे मामले जिनकी सिफारिश केन्द्रीय या राज्य सरकारें करती हैं।
4. संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और नगर पालिकाओं के सदस्य, वरिष्ठ सेवा-निवृत्ति सरकारी, अधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति और विदेशी मिशन।
5. सरकारी विभाग (केन्द्रीय और राजकीय), सांविधिक निकाय और सरकारी संस्थाएं।

(ग) ये कनेक्शन विभाग द्वारा जारी की गई स्थायी हिदायतों के अनुसार मंजूर किए गए हैं।

रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के संयंत्रों और उपकरणों की कमी

1506. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के संयंत्रों और उपकरणों की कमी के कारण रासायनिक उद्योग पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) रसायन उद्योग में काम आने वाले कास्टिक सोडा, सोडाएश, कैल्शियम कार्बाइड आदि जैसे कुछ कच्चे माल की देश में आम कमी है । इस्पात की कमी का इस्पात पर आधारित इन्जीनियरी उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।

(ख) औद्योगिक एककों को आवश्यक कच्चा माल सुलभ कराने के विचार से सम्भरण स्थिति पर समय समय पर विचार किया जाता है तथा आवश्यक आयात की अनुमति भी दी जाती है इस समय कमी वाली वस्तुओं और उन वस्तुओं जिनकी निकट भविष्य में कमी होने की सम्भावना है का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेकों अभ्युपाय किये गये हैं ।

कच्चे औद्योगिक माल का आयात करने सम्बन्धी नीति पर भी अन्तर्विभागीय स्थायी-समिति द्वारा अल्प कालीन कमी की स्थिति से निपटाने के लिए समय-समय पर विचार किया जाता है । 1971-72 की आयात नीति में विश्व में कमी वाली वस्तुओं के आयात के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । दुनिया में कमी वाली कच्चे माल की कमी से सम्भावित उद्योगों को एक बार में छः महीने की अवधि तक कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाती है ।

आयात नीति में वास्तविक उपभोक्ताओं की पात्रता पर पुनर्विचार करने की भी व्यवस्था है । वास्तविक उपभोक्ताओं के ऐसे मामलों पर जहां वर्तमान आयात नीति के कार्यान्वियन से अनावश्यक कठिनाई पैदा हुई है और जिसका औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, आयात के लिए मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक के अधीन गठित उप-समिति द्वारा विचार किया जाता है ।

पंजाब में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट दल के राजनीतिक कर्मचारियों की गिरफतारी

1507. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, विशेषकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं, को गिरफ्तार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) उन्हें गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अपराधी को संश्रय देने के आरोप में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 216 के अन्तर्गत 8-9-71 को दर्ज किये गये एक विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में साम्यवादी मार्क्सवादी दल के 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे । परन्तु यह कहना सही नहीं है कि पंजाब में राजनैतिक कार्यकर्त्ता विशेषकर साम्यवादी मार्क्सवादी दल के कार्यकर्त्ता बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए जा रहे हैं ।

धारवाड़, (मैसूर) के एक स्वतन्त्रता सेनानी और किसान सभा के कार्यकर्त्ता की हत्या

1508. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कोगनार तालुका, धारवाड़, मैसूर राज्य के एक स्वतंत्रता

सेनानी और किसान सभा के कार्यकर्ता श्री गोनप्पा भरमप्पा कामत की हत्या की ओर, जिन्हें कुछ शरारती व्यक्तियों ने जमीनदारों की सांठगांठ से 4 अक्तूबर, 1971 को छुरा मार दिया था, दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार धारवाड़ जिले से बाहर एक उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच करवाने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान। हत्या किसी भूमि-विवाद के कारण 4 अक्तूबर, 1971 की रात्रि को की गई बताई जाती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत एक मुकदमा दायर किया गया है और 11 संदिग्ध व्यक्तियों में से नौ को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्रता तथा कारगर रूप से मामले की छानबीन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए गये हैं तथा आगे और उपाय, यदि कोई हुये, आवश्यकता पड़ने पर किये जायेंगे।

पश्चिम बंगाल में श्री श्याम सुन्दर कोनार नामक व्यक्ति की हत्या

1509. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बर्दवान पुलिस थाने के क्षेत्र में 10 सितम्बर 1971 को कुछ शरारती व्यक्तियों ने श्री श्याम सुन्दर कोनार नामक व्यक्ति को छुरा मार कर हत्या कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस नृशंस हत्या के लिए जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). इस सदन में आज अतारांकित प्रश्न संख्या 1511 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक विद्यार्थी नेता की हत्या

1510. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में आमता पुलिस थाने के क्षेत्र में 19 अक्तूबर 1971 को कुछ शरारती व्यक्तियों ने श्री बिप्लब मजुमदार नामक एक विद्यार्थी नेता की छुरा मार कर हत्या कर दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो मृत व्यक्ति ने जिन हत्यारों के नाम अपनी मृत्यु कालीन घोषणा में बताये हैं उनको पकड़ने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). जी नहीं श्रीमान। किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्र संघ (मार्क्सवादी) नेता श्री बिप्लब मजुमदार स्थानीय छात्र परिषद तथा युवा कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध अपमानजनक तथा उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुए आमता, जिला हावड़ा में छात्रों के एक जलूस का नेतृत्व कर रहा

था। जलूस वालों और युवा कांग्रेस (सत्तारूढ़) के अनुयायियों व छात्र परिषद के बीच झगड़ा हुआ। इस झड़प में श्री मजुमदार को मामूली चोट आई और चिकित्सा अधिकारी, आमता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा उपचार कर दिया गया, जिनकी राय में श्री मजुमदार के जख्म साधारण किस्म के थे तथा एक कठोर कुन्द हथियार द्वारा हुये थे। घटनाओं के सिलसिले में एक विशिष्ट मामला शुरू किया गया है।

बर्दवान, पश्चिम बंगाल में श्री बबलू दत्त नामक एक व्यक्ति की हत्या

1511. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बर्दवान पुलिस थाने में 10 सितम्बर, 1971 को कुछ गुंडों ने श्री बबलू दत्त नामक एक व्यक्ति की छुरा मार कर हत्या कर दी थी ; और

(ख) यदि हां, तो हत्यारों के विरुद्ध, जिनके नाम मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु कालीन घोषणा में बताये हैं, क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 10 सितम्बर, 1971 को सर्वश्री बबलू दत्त और श्याम सुन्दर कोनार उर्फ काची को, जो सिनेमा देख रहे थे, एक व्यक्ति मधु मंडल तथा अन्य दो समाज विरोधी तत्वों द्वारा सिनेमा हाल के बाहर बुलाया गया और उनके छुरा मार दिया गया। श्री बबलू की उसी समय मृत्यु हो गई जब कि श्री कोनार गम्भीर रूप से घायल हुआ और उसे इलाज के लिए बी० सी० हस्पताल, बर्दवान में दाखिल किया गया जहां उसकी बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना पर एक मामला आरम्भ किया गया है जिसकी जांच की जा रही है। मधु मंडल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।

पश्चिम बंगाल में श्री लक्ष्मी नायक नामक व्यक्ति की कथित हत्या के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही

1512. **श्री एस० पी० भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी श्री लक्ष्मी नायक ने, जिसकी 6 अप्रैल, 1971 को छुरा मार कर हत्या कर दी गई थी कलना, जिला बर्दवान (पश्चिम बंगाल) के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने मृत्युकालीन घोषणा में उल्लेख किया था ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री लक्ष्मी नायक ने किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष मृत्युकालीन कोई घोषणा नहीं की। किन्तु उसने उप-मंडल चिकित्सा अधिकारी कलना को बताया था कि कलना पुलिस थाने के सरित बनर्जी, मदन पोद्दार और सुजय चक्रवर्ती द्वारा जो फरार हैं, उन पर आक्रमण किया गया था। उनके मकानों की तलाशी ली गई और उनको गिरफ्तार करने के सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। पुलिस ने एक मुकदमा दायर किया है और दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनका प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख था।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आबंटन

1513. **श्री रोबिन सेन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के कर्मचारियों के लिए कितने क्वार्टरों का निर्माण किया गया है ;

(ख) कुल कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिए गए हैं ;

(ग) क्वार्टरों का आबंटन किस प्रकार किया जाता है ;

(घ) क्या बहुत से क्वार्टर आबंटन नियमों का उल्लंघन करके दिए गए हैं ; और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 405 ; इसके अतिरिक्त 38 कर्मचारी क्वार्टर्स निर्माणाधीन हैं ।

(ख) 413 अधिकारियों और कर्मचारियों को निवास के लिए कर्मचारी क्वार्टर्स, होस्टल में परिवर्तित क्वार्टरों सहित, प्रदान किए गए हैं ।

(ग) निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, जिवेलगोरा द्वारा कर्मचारी क्वार्टरों का आबंटन सी० एस० आई० आर० के गृह-आवास आबंटन सम्बन्धी नियमों के अनुसार किया जाता है, जिसकी एक प्रति संलग्न है । [ग्रन्थालय में **रखी गयी । देखिए** संख्या एल० टी०—1104/71]

(घ) जी नहीं । केवल एक वैज्ञानिक को उसकी सेवाओं की आवश्यकता के आधार पर एक क्वार्टर का आबंटन किया गया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में काम करने वाले कर्मचारी

1514. श्री **रोबिन सेन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) कितने कर्मचारी क्रमशः स्थायी और अस्थायी हैं ;

(ग) क्या एक बहुत बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी स्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं ; और यदि हां, तो ऐसे पदों की कुल संख्या क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1,305

(ख) वहां स्थाई कर्मचारी 546 हैं जिनमें से 26 कर्मचारी दूसरे संगठनों में कार्य कर रहे हैं। अस्थाई कर्मचारियो की संख्या 759 है।

(ग) 485 अस्थाई कर्मचारी स्थाई पदों पर कार्य कर रहे हैं।

(घ) अस्थाई कर्मचारियों की पुष्टि उपलब्ध स्थाई पदों पर करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में कर्मचारियों के चुनाव की पद्धति

1515. **श्री रोबिन सेन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में कर्मचारियों के चुनाव के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है ;

(ख) क्या कर्मचारियों का चुनाव करने के लिए सरकार का विचार एक केन्द्रीय सेवा आयोग की स्थापना करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो आयोग की स्थापना कब की जायेगी ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) के नियमों/विनियमों और उपनियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों का चयन/नियुक्ति की जाती है जिनकी एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। प्रशासनिक कर्मचारियों का चयन/नियुक्ति प्रशासनिक सेवाओं (सम्बन्धित उपनियम के अन्तर्गत निर्मित भर्ती और पदोन्नति के नियम 1965) के अनुसार किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में प्रतिनिधियों की समितियां

1516. **श्री रोबिन सेन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों, पेटेंट, पत्रिकाओं, पुस्तकों के प्रकाशन, सड़कों, भवनों आदि की मरम्मत के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रतिनिधियों की समितियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी समितियां काम कर रही हैं ;

(ग) उन समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी समितियों का गठन करने का है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी०एल०आर०आई०), मद्रास, केन्द्रीय कांच और

सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (सी०जी०सी०आर०आई०), कलकत्ता, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर०आर०एल०), हैदराबाद, केन्द्रीय विद्युत-रसायन अनुसंधान संस्थान (सी०ई०सी०आर०आई) करायकुड़ी, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान शाला (सी०एफ०टी०आर०आई०), मैसूर आदि कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशाला में पहले ही ऐसी समितियां हैं और इस समय कार्य कर रही हैं।

जाँच समिति (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान संपरिषद्) ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड-11 में सिफारिश की है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रत्येक राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान में कार्यकारी समिति को सहायता करने के लिए इसी प्रकार की समितियों का गठन किया जाना चाहिए। सिफारिश विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पांडिचेरी में विभिन्न परियोजनाओं का पूरा किया जाना

1517. **श्री ई० आर० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लिखित, संघ शासित पांडिचेरी के निम्न परियोजनायें पूर्ण हो गई हैं :

(1) कटाईकल में एम्चुअरी मत्स्य फार्म

(2) माही में जैटी तथा लैंडिंग शैड

(3) पैश्चुराईजेशन संयंत्र

(4) पर्यटक केन्द्र

(5) आस्टेरी झील तथा अवियांकुप्पन नदी में जलबिहार के लिए पांच नावों की सुविधा

(6) आपरेशन का कमरा तथा 20 बिस्तरों वाला नसबन्दी वार्ड ; और

(7) पांडिचेरी नगरीय विकास योजना ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (क) और (ख). पांडिचेरी को सरकार द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

प्रत्येक परियोजना के बारे में स्थिति निम्नलिखित है :—

(i) **काराइकल में खाड़ी का मत्स्य फार्म** : परियोजना पूरी नहीं हुई है 42,930 रुपये की अनुमानित लागत से मार्च, 1971 से निर्माण कार्य आरम्भ किया था। मछली पालने के तालाब, भण्डार तालाबों, 6 मछली पालने के तालाबों और 2 पालन पोषण के तालाबों की खुदाई का कार्य पहले से ही शुरू कर दिया गया है। आशा है कि परियोजना 1972-73 के दौरान पूरी हो जायेगी।

(ii) **माहे में जैटी और लैंडिंग शेड** : परियोजना पूरी नहीं हुई है। यह परियोजना दिसम्बर, 1970 के दौरान 29,000 रुपये की अनुमानित लागत से शुरू की गई थी। जैटी के

लिए कंकरीट के खम्बों के गाड़ने और अनुखनन का कार्य पूरा हो गया है। आशा है कि परियोजना चालू वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान पूरी हो जायेगी।

(iii) **पास्तुरीकरण संयंत्र** : परियोजना पूरी हो गई है और संयंत्र 12-4-1971 से कार्य कर रहा है।

(iv) **पर्यटक केन्द्र** : परियोजना पूरी नहीं हुई है। पर्यटक केन्द्र के निर्माण हेतु कौलास नगर में एक स्थान चुना गया है। भूमि अधिकृत अधिनियम के अधीन अधिसूचना जारी की गई है। भवन के लिए चालू वर्ष के बजट में 25,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। 1972-73 में परियोजना पूरी हो जायेगी।

(v) **आऊस्तरी झील और अवियानकुप्पम नदी में नौका बिहार की सुविधा हेतु पांच नौकायें** : परियोजना पूरी हो गई है। 1970-71 के दौरान पांच नावें खरीदी गई हैं।

(vi) **शल्पक्रियाशाला तथा 20 बिस्तरों वाले नसबन्दी वार्ड** : परियोजना पूरी हो गई है। शव परीक्षा कार्यक्रम के अधीन 1,27,000 रुपये की लागत से एक शल्प क्रियाशाला और 16 बिस्तरों वाला एक नसबन्दी वार्ड पूरा हो गया है। यह कार्य 2-10-1971 को शुरू हुआ था।

(vii) **पांडिचेरी शहरी क्षेत्र के लिए विकास योजना** : परियोजना तैयार की जा रही है। मार्च, 1971 में एक शहरी क्षेत्र विकास योजना तैयार की गई थी। 15-9-1971 से संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी और ग्रामीण परियोजना अधिनियम लागू किया गया था और अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन योजना का पुनरीक्षण किया जाना है। योजना को लागू करने की कोई तिथि अभी नहीं दी जा सकती है।

चीनी मिल मशीनरी उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

1518. **श्री आर० पां० उलगनम्बी** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिल मशीनरी उद्योग की केवल 65 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 1969 तथा 1970 के वर्षों में चीनी मिल मशीनों का उत्पादन क्रमशः 1242 लाख रु० तथा 1463 लाख रु० का हुआ था जबकि इसकी वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 2100 लाख रु० प्रतिवर्ष की है। चीनी मिल मशीनों का उत्पादन निर्माताओं को समय-समय पर प्राप्त होने वाले आर्डरों पर निर्भर करता है और 65 से 70 प्रतिशत तक क्षमता का उपयोग करना समुचित समझा जाता है।

(ख) सरकार ने सम्पूर्ण चीनी संयंत्र के आयात पर रोक लगा दी है और वह विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के लिए चीनी मिल मशीनों के निर्यात को भी प्रोत्साहन दे रही है। बहुत सी चीनी मशीनों के निर्माता मशीनों तथा भारी उपकरणों की अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन कर रहे हैं और विविधता लाकर अधिकतम क्षमता का उपयोग कर रहे हैं।

आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी

1519. **श्री आर० बी० उलगनम्बी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 के दौरान, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चोर बाजारी और मुनाफाखोरी करने वाले के कितने मामले दर्ज किये गये हैं ;

(ख) ऐसे मामलों में किस प्रकार की सजायें दी गई हैं ; और

(ग) उनका सम्बन्ध कौन कौन सी वस्तुओं से था ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के पुलिस अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी नियंत्रण विनियमों को भंग करने के विरुद्ध की गई कार्यवाही के कारण वर्ष 1970 की अवधि में 22739 मामले न्यायालय को भेजे गये थे और 17535 मनुष्यों पर अभियोग चलाये गये थे। जुर्माना वस्तुओं को जब्त करना सजा होने पर कार्य को निलंबित करना आदि कई प्रकार के दण्ड दिये गये थे। इन चीजों में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें शामिल थीं जैसे मिट्टी का तेल, शिशु खाद्य, टार्च के सैल एवं टायर और ट्यूबें आदि।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर राजामन्नार समिति का प्रतिवेदन

1520. **श्री सी० चित्त बाबू** :
श्री एच० एन मुकर्जी :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र राज्य सम्बन्धों सम्बन्धी राजामन्नार समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख). राजामन्नार समिति तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी और उसकी सिफारिशों की जाँच पड़ताल करना उसी सरकार के लिए अनिवार्य है। प्रशानिक सुधार आयोग ने भी केन्द्र राज्य सम्बन्धों के प्रश्न की जांच की थी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो कि सरकार के विचाराधीन है। तमिलनाडु सरकार को सूचित किया गया है कि यदि इस विषय पर उनके विचार उपलब्ध कराये जयें तो उनको ध्यान में रखा जायेगा और यह कि केन्द्रीय सरकार का इस विषय में सभी मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श का इरादा है।

दिल्ली के गुरुद्वारों से सम्बन्धित प्रारूप विधेयक का विरोध

1521. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबन्धक सुधार समिति ने, सरकार द्वारा नियुक्त दिल्ली गुरुद्वारा बोर्ड द्वारा प्रस्तुत, दिल्ली के गुरुद्वारों से सम्बन्धित प्रारूप के विरोध में, 31 अक्तूबर 1971 को गृह मन्त्री को कोई ज्ञापन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) नये विधेयक को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व सरकार को दिये गये सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

तेलंगाना क्षेत्र में मुल्कियों के प्रतिस्थापन पर तेलंगाना कर्मचारियों, एसोसियेशनों तथा यूनियनों के फेडरेशन द्वारा चेतावनी

1522. **श्री बी० के दास चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नव निर्मित तेलंगाना कर्मचारी संघ के फेडरेशन के अध्यक्ष और संघों ने 28 अक्तूबर, 1972 को तेलंगाना क्षेत्र में कार्य कर रहे, 20,000 मुल्कियों के प्रतिस्थापन के सम्बंध में सरकार को चेतावनी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). 29 अक्तूबर, 1971 के 'डक्कन क्रानिकल' में प्रकाशित समाचार की एक मद के अनुसार श्री आर० बी० मूली ने, जो तेलगाना एसोसियेशन तथा यूनियनों के फेडरेशन के अध्यक्ष कहे जाते हैं, एक प्रेस सम्मेलन में कहा कि "यदि सरकार नवम्बर के अन्त तक तेलंगाना में कार्य कर रहे 20,000 गैर-मुल्कियों को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, तो तेलंगाना कर्मचारी अंतिम समय तक लड़ते ही रहेंगे ।" आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि श्री मूली, उस राज्य में किसी मान्यता प्राप्त सेवा ऐसोसियेशन के कार्यालय के कर्मचारी नहीं हैं। सरकार को उनसे कोई औपचारिक पत्र या संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि उक्त फेडरेशन कोई मान्यता प्राप्त सेवा ऐसोसियेशन नहीं है इसलिए श्री मूली के उक्त प्रेस वक्तव्य में कोई ध्यान देने का प्रस्ताव नहीं है ।

लघु उद्योगों का विकास

1523. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में लघु उद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 37.65 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 85.68 करोड़ रुपये की धन राशि का आवंटन किया गया है ।

Non-Utilisation of Funds Allocated for Providing Employment to Unemployed Persons

1524. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state whether the provision of Rs. 25 crores made in the Plan for providing employment to the unemployed people will not be utilized because Government neither have any programme nor any statistics about the unemployed persons in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Pursuant to the provision of Rs. 25 crores made in the Central Budget for 1971-72 to relieve educated unemployment, schemes were formulated by the Ministries concerned in accordance with the guidelines given by the Planning Commission. These schemes were scrutinised by the Planning Commission and given clearance. The Ministries concerned are now engaged in the implementation of the schemes. While examining the schemes, Planning Commission also came to the view that schemes should not be merely on an *ad hoc* basis but on a continuing basis. The schemes approved now will, therefore, continue for the remaining years of the Fourth Plan.

Briefly, the particulars of the schemes approved by the Planning Commission are as follows :

Ministry of Education :

The proposal envisages the appointment of 30,000 additional teachers in primary schools during the year, besides providing employment to a proportionate number of inspectors and other categories of educated personnel including agricultural graduates. The expenditure on this account would be approximately Rs. 12 crores on an annual basis.

Ministry of Irrigation and Power :

500 Rural Engineering Survey teams are envisaged in the scheme under implementation. Each team will have 9 persons comprised of engineering graduates, agricultural graduates, matriculates and some unskilled personnel. Expenditure on this scheme is estimated at Rs. 2.85 crores approximately on an annual basis.

Ministry of Petroleum and Chemicals :

The scheme is to render assistance to unemployed graduates for setting up dealerships under the Indian Oil Corporation by payment of subsidy to cover the interest payment to banks on loans advanced by them to the entrepreneurs. A revolving fund to assist young engineers by way of seed capital is also contemplated by the Ministry. The proposal involves an annual outlay of Rs. 40 lakhs.

Ministry of Agriculture :

The Department of Cooperation has a scheme for expension of retail centres of selected consumer cooperatives which is expected to provide employment to about 4,000 persons such as matriculate clerks, store assistants, accountants, cashiers etc. The annual expenditure on this scheme is estimated at Rs. 55 lakhs.

The Department of Agriculture has a scheme to promote 200 agro-service centres by providing training and financial assistances to engineering graduates. The annual expenditure on this scheme would be Rs. 150 lakhs approximately.

Ministry of Industrial Development :

The proposal is to provide assistance through the National Small Industries Corporation, and the State Industrial Development Corporation to technically qualified persons for setting up small scale industries. The annual outlay anticipated for this is approximately Rs. 650 lakhs.

Ministry of Shipping and Transport :

The scheme is for advance action for investigation of road works to be taken up in the Central Sector in the Fifth Plan. The annual expenditure on this will be Rs. 90 lakhs approximately.

Ministry of Health and Family Planning :

The scheme is for setting up design units covering all States for building up a shelf

of well designed and feasible projects for rural water supply so that well prepared projects could be chosen for execution during the Fifth Plan period. The annual expenditure on this will be Rs. 48 lakhs approximately and the scheme is expected to provide employment for about 900 technologists.

Central Allocation for Development of Industries in U.P.

1525. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Central allocation for the development of industries in Uttar Pradesh has been declining each year ;

(b) whether the policy of the Central Government has been responsible for the stagnation of industrial development in Uttar Pradesh ; and

(c) if so, the Districts in Uttar Pradesh where industries are being set up during the current year together with the nature thereof and the amount likely to be spent in each District and the time by which this work is expected to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) to (c). Central Assistance to Uttar Pradesh as a percentage of total Central Assistance for all States has been as under :—

First Five Year Plan	9.9
Second Five Year Plan	11.4
Third Five Year Plan	14.2
Annual Plans 1966-69	14.4

These figures compare favourably *vis-a-vis* the other States. The establishment of public sector undertakings as also of private sector units has necessarily to be governed by techno-economic and other relevent locational considerations, together with assessment of requirements in respect of particular projects at any given point of time. In addition to the existing Central projects such as Diesel Loco Factory, Varanasi ; Gorakhpur Fertilizers, Gorakhpur ; Triveni Structurals, Allahabad, Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar, etc. there are proposals for some more projects for U.P. These are the Gas Cylinder Project, Allahabad, and the Pumps and Compressors Project, Allahabad, Long Distance Transmission Equipment Factory, Allahabad and the Second Telephone Instrument Factory, Allahabad. The total provision in the Fourth Plan for these units has been estimated at Rs, 16.35 crores. In addition, in the State sector, a Cement Factory at Dalla, Eastern U.P. has been commissioned recently.

36 districts in U.P. are eligible for grant of concessional finance from financial institutions for new industries to be set up in these districts. 10% investment grant is also available for new industries or for substantial expansion in the two districts of Jhansi and Ballia in terms of the Scheme announced in August this year. It is hoped that the entrepreneurs and State agencies for promotion of industries will take advantage of these facilities and set up industries in these areas.

केरल में राजस्व बोर्ड के एक सदस्य की मुग्रत्तिली

1526. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने राज्य के राजस्व बोर्ड के एक सदस्य को मुग्रत्तिल कर दिया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतत्व में आई०ए०एस० अधिकारियों के ऐसोसियेशन ने राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध एक विरोध प्रस्ताव पारित किया है ; और

(ग) यदि हां तो बोर्ड के सदस्य के मुअत्तिल के क्या कारण हैं, और केरल राज्य के आई०ए०एस० अधिकारियों की ऐसोसिऐशन द्वारा किये गये विरोध पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आई०ए०एस० ऐसोसियेशन ने अधिकारी की मुअत्तिली के विरुद्ध विरोध करने वाला ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है ।

(ग) अधिकारी को मुअत्तिल कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने जांच करने के आधारों पर सच्चाई देखते हुए उचित समझा कि अधिकारी के विरुद्ध कदाचार के गम्भीर आरोप थे।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण उद्योग

1527. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अप्रैल, 1971 तक उद्योगों के लिए निर्धारित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) मध्य प्रदेश में ग्रामीण उद्योगों के लिए विचाराधीन अन्य योजनाएं कौन सी हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). लघु क्षेत्र (ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं को छोड़ कर) के अन्तर्गत आने वाली योजनाएं राज्यों को आवंटित नहीं की जाती हैं । इन पर योजना आयोग द्वारा राज्य के प्रतिनिधियों और संबंधित मंत्रालयों से राज्य की वार्षिक योजना पर विचार करते समय चर्चा की जाती है। सम्मत आवंटन के आधार पर, बजट प्रावधान के अधीन राज्य सरकार इन योजनाओं पर व्यय करने के लिए स्वतंत्र है ।

1962-63 में इस राज्य के भिलाई, भिन्ड, सरगुजा और पूर्वी निमाड़ जिलों में चार ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं आवंटित की गई थी । प्रत्येक योजना के अन्तर्गत 3 से 6 तक ब्लाक आते हैं, हाल ही में पूरा जिला इस के अन्तर्गत आ गया है ।

ग्रामीण कारीगर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के चुने गये कुछ जिलों में ग्रामीण कारीगरों की दक्षता बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जायेगी ।

फिल्म सेंसर करने के सम्बन्ध में खोसला समिति के प्रतिवेदन का निर्णय

1528. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्मों के सेंसर के बारे में खोसला समिति की सिफारिशों पर इस बीच कोई निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग). आशा है निर्णय शीघ्र ही ले लिये जायेंगे ।

गन्दी बस्तियों को हटाने और सुधार की योजना को राज्यों से लेकर केन्द्र को सौंपने के आवास मन्त्रालय के सुझाव का अस्वीकार किया जाना

1530 **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आवास मंत्रालय के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया है कि गंदी बस्तियों की सफाई और सुधार की योजना की सफल कार्यान्विति के लिए इसे राज्यों से ले कर केन्द्र को सौंप दिया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव को किन आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). जून, 1969 में बंगलौर में सम्पन्न आवास मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार निर्माण और आवास मन्त्रालय ने गंदी बस्तियों के उन्मूलन और सुधार की योजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना मानने के लिए योजना आयोग के पास एक प्रस्ताव भेजा। योजना आयोग ने वित्त तथा निर्माण व आवास मंत्रालयों के परामर्श से इस प्रश्न की जांच की और यह तय किया कि निम्नांकित कारणों के आधार पर इस योजना को केन्द्रीय क्षेत्र में स्थानान्तरित करना सम्भव नहीं होगा :—

(1) गन्दी बस्ती उन्मूलन और सुधार की योजनाएं घाटे की योजनाएं हैं, अतः इन पर अन्य शहरी विकासों से अलग-थलग कार्यान्वित करने पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः वित्तीय और भौतिक दोनों दृष्टियों से यह वांछनीय होगा कि ये मिश्रित योजना का भाग रहे और इसका लाभकारी भाग घाटे में भाग की पूर्ति करे ;

(2) आयोजन के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की कुल मात्रा के बारे में राज्य सरकारों से पहले ही बचनबद्धता हो चुकी है और केन्द्रीय क्षेत्र में इस काम के लिए अनिरिक्त धन प्राप्त करना सम्भव नहीं।

(3) गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजनाएं अधिकांशतया महानगरों के विषय में हैं। इनमें निरन्तर लोग बाहर से आते रहते हैं। अतः जब तक राज्य सरकार अन्य शहरों के विकास के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाती तब तक महानगरों में गंदी बस्तियों के उन्मूलन और सुधार की समस्या बढ़ती रहेगी जिससे केन्द्र तथा राज्यों को अधिक बोझ उठाना पड़ेगा।

नई दिल्ली में 5 और 6 नवम्बर, 1971 को हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर पुनः विचार किया गया और सर्वसम्मति से यह निश्चय किया गया कि यह अनिवार्यतः स्थानीय स्वायतशासन तथा राज्य अभिकरणों की जिम्मेदारी है कि इस प्रश्न पर विचार करें। राज्य सरकारों को आवास और नगर विकास निगम तथा अन्य वित्तीय अभिकरणों से प्राप्त धन के द्वारा शहरी विकास की मिश्रित योजनाओं के अन्तर्गत इस कार्यक्रम से सम्बन्धित योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। सम्मेलन में निम्नांकित प्रस्ताव पारित हुआ :

"निधियों का निर्धारण तथा गन्दीबस्ती उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के गुणावगुण पर विचार करने के बाद यह अनुभव किया गया कि गंदी बस्ती उन्मूलन कार्य नगर विकास से अलग नहीं किया जा सकता। यद्यपि

एच०यू०डी०सी०ओ० के गठन से गतिशील मिश्रित योजनायें तैयार करना आसान होगा जिस में गन्दी बस्ती उन्मूलन कार्य सीमान्त सहायता तत्वों से किया जाय। परन्तु यह तय किया गया कि अधिक समय तक ये कुल साधन उन्मूलन कार्य के लिए पूरे नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों का निर्माण बाहर से लोगों के आने तथा अन्य घटकों के कारण होता है और राज्य सरकार इन पर सर्वथा पूरा नियंत्रण नहीं रख पाती। अतः केन्द्र गंदी बस्तियों के सुधार कार्यक्रमों के लिए विशेष सहायता प्रदान कर इस कार्यक्रम में उपयोगी भूमिका अदा कर सकता है। अतः सम्मेलन का सुझाव है कि गंदी बस्ती उन्मूलन को सामान्यरूप से वित्तीय सहायता देने के अलावा राज्यों द्वारा वृहद महानगर शहरों में गंदी बस्ती सुधार के लिए जो परियोजनाएं चलायी जायें उनपर विशेष वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को विचार करना चाहिए"।

फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना के बारे में जांच समिति की नियुक्ति

1531. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना के कार्यकरण की जांच के सम्बन्ध में कोई समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, और समिति के निदेश पद क्या हैं ; और

(ग) समिति द्वारा कब तक प्रतिवेन प्रस्तुत करने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) श्री जी०डी० खोसला, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, पंजाब, समिति के अध्यक्ष हैं। अन्य सदस्य हैं—सर्वश्री हृषिकेश मुकर्जी, मनि कौल, श्रीमती तेजी बच्चन, डा० वी० के० नारायण मेनन तथा के० एल० खाण्डपुर, कन्ट्रोलर, फिल्म प्रभाग, बम्बई। श्री के० के० खान, अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, समिति के सदस्य-सचिव हैं।

समिति के विचारार्थ निम्नलिखित हैं :—

(1) सामान्य रूप से भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान के फ़िल्म सैक्शन के कार्य संचालन का अध्ययन करना तथा इसमें सुधार के उपाय तथा साधन सुझाना ;

(2) विदेश रूप से विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताओं तथा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया की जांच पड़ताल करना और इनमें परिवर्तन सुझाना ;

(3) विभिन्न पाठ्य विषयों के लिये सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम की जांच करना और उसमें सुधार सुझाना ;

(4) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये दिये जाने वाले व्यावहारिक प्रशिक्षण की पद्धति का अध्ययन करना और उसमें सुधार सुझाना ;

(5) भारतीय तथा विदेशी विद्यार्थियों के लिये होटलों में उपलब्ध आवास, भोजन इत्यादि की सुविधाओं की जांच करना तथा विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्कों को ध्यान में रखते हुये सुधार सुझाना ;

(6) संस्थान के आर्थिक, तकनीकी तथा अन्य स्रोतों के और अच्छे उपयोग के लिये उपाय तथा साधन सुझाना ताकि संस्थान से निकलने वाले डिप्लोमा होल्डरों का स्तर ऊंचा हो सके ; और

(7) संस्थान में इस समय परीक्षाओं की जो पद्धति है उसकी जांच करना और उसमें सुधार सुझाना ।

(ग) समिति को जांच शुरू करने की तारीख से तीन महीने के अन्दर अन्दर अपनी रिपोर्ट देनी है ।

लाइसेंसों का जारी किया जाना

1532. **श्री बी० आर० शुक्ल : श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :**
श्री नागेश्वर राव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1971 से 31 अक्तूबर, 1971 की अवधि के दौरान औद्योगिक उपक्रमों को दिये गये नये लाइसेंसों की राज्यवार और जिला-वार कुल संख्या क्या है ;

(ख) इन लाइसेंसों के अन्तर्गत उत्पादन की वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(ग) इस अवधि के दौरान औद्योगिक उपक्रमों के लिये ऐसे कुल कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था ;

(घ) क्या पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये उद्योगपतियों से वहां नये उपक्रम स्थापित करने हेतु सहयोग देने के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके प्रति उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) सांख्यिकीय आंकड़े राज्यवार रखे जाते हैं और जिलावार नहीं रखे जाते हैं । 1-1-1971 से 31-1.-71 तक राज्य-वार जारी किये गये लाइसेंसों की कुल संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) सभी लाइसेंसों और आशय पत्रों का ब्यौरा, जिनमें निर्माण की जाने वाली वह वस्तुयें भी सम्मिलित हैं जिनके लिये लाइसेंस दिया गया है, औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन, आयात लाइसेंस तथा निर्यात लाइसेंस, साप्ताहिक भारतीय व्यापार जर्नल, और उद्योग और व्यापार के मासिक जर्नल में समय-समय पर प्रकाशित की जाती है । इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) इस वर्ष की अवधि में 31-10-71 तक औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त कुल 2464 आवेदनों में से 164 रद्द कर दिए गए हैं ।

(घ) और (ङ). पिछड़े क्षेत्रों और जिलों को औद्योगिक रूप से विकसित करने के लिये नये उद्यमियों को आकृष्ट करने हेतु सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। पार्टियों को इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु विशेष रियायतों की घोषणा की गई है और सरकार को उत्साहपूर्वक उत्तर मिलने की आशा है।

विवरण

1-1-71 से 31-10-71 तक जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों का राज्यार व्यौरा।

	राज्य	जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	30
2	आसाम	3
3	बिहार	22
4	चण्डीगढ़	—
5	दिल्ली	11
6	गोवा	—
7	गुजरात	56
8	हरियाणा	27
9	हिमाचल प्रदेश	—
10	जम्मू तथा काश्मीर	1
11	केरल	6
12	मध्य प्रदेश	14
13	मणिपुर	—
14	महाराष्ट्र	144
15	मेघालय	—
16	मैसूर	21
17	नागालैंड	—
18	उड़ीसा	7
19	पांडीचेरी	—
20	पंजाब	12
21	राजस्थान	10
22	तमिलनाडु	45
23	उत्तर प्रदेश	43
24	पश्चिम बंगाल	73
25	एक राज्य से अधिक	2
	योग	527

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कारखानों की स्थापना

1533. **श्री बी० आर० शुक्ल : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में खोले जाने वाले प्रस्तावित कारखानों की संख्या क्या है और इन कारखानों को किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा और इनमें निर्मित होने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(ख) इन कारखानों में अनुमानतः कुल कितनी पूंजी लगाई जायेगी और इसके परिणाम-स्वरूप अनुमानत: कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिये स्वीकृत नये कारखानों की राज्यवार संख्या क्या है और इस कार्य हेतु कुल कितनी पूंजी लगाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). चालू वर्ष में कितने कारखाने खोले जायेंगे यह पिछले कुछ वर्षों में जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या पर निर्भर करेगा। एक उपक्रम स्थापित करने में करीब 2 से 3 वर्ष तक का समय लग जाता है। अतः यह कह सकना कठिन है कि किसी निश्चित समय में कितने कारखाने स्थापित किए जा सकेंगे।

जारी किए गए अनेक आशय-पत्रों के अलावा, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 के अधीन 1968 से 23-10-1971 तक की अवधि में नए औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए 198 लाइसेंस जारी किए गए। जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

1968	37
1969	34
1970	63
1971 (23-10-71)	64
	198

जारी किए गये लाइसेंसों का वितरण, उत्पादन की जाने वाली वस्तु, एकक की स्थापना स्थल आदि वितरणों को वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसज, इम्पोर्ट लाइसेंसज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज, दी वीकली इण्डियन ट्रेड जनरल एण्ड दी मन्थली जनरल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित किया जाता है। नियोजित पूंजी का ब्यौरा, वास्तव में उपक्रम में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या आदि इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1-1-1971 से 23-10-71 की अवधि में पिछड़े 9 राज्यों में नए औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राज्य वार विवरण निम्न

प्रकार हैं :—

क्र०सं०	राज्य का नाम	नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	6
2.	आसाम	1
3.	बिहार	5
4.	जम्मू और काश्मीर	1
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	नागालैंड	—
7.	उड़ीसा	2
8.	राजस्थान	1
9.	उत्तर प्रदेश	6
	योग	23

इन औद्योगिक लाइसेंसों में लगाई जाने वाली पूंजी सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कार्मिक प्रशासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1534. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या 'कार्मिक प्रशासन' पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार करने और उन्हें क्रियान्वित करने में अनेक बाधायें आई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश के एक नक्सलवादी नेता को दिये गये मृत्यु दण्ड में परिवर्तन करने के लिए प्राप्त याचिका

1535. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री डी० के० पंडा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश, जिला श्रीकाकुलम के एक नक्सलवादी नेता को दिए गए मृत्यु दण्ड में परिवर्तन करने के संबंध में विभिन्न लोगों से अनेक याचिकायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दयायाचिकाओं पर पहले आंध्र प्रदेश सरकार को विचार करना है ।

हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड

1536. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबिल्स प्लांट में टेलीफोन की केबल तारों का उत्पादन नहीं बढ़ाया गया है ; यदि हां, इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या उक्त प्लांट में मूल्यावान आयातित मशीनरी बेकार पड़ी हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी हां, यह मुख्यतया श्रमिक संकट के कारण है । चालू वर्ष में हिन्दुस्तान केबिल्स लि० अपने निर्धारित उत्पादन को भी प्राप्त नहीं कर सका है ।

(ख) तांबे की परत की प्रायोजना के लिए आयातित मशीनरी, सिविल ठेकेदार के साथ झगड़े के कारण, इमारत के पूरा न होने पर स्थापित नहीं की गई है ।

भारतीय टेलीफोन उद्योग की निर्धारित क्षमता

1537. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप कार्य कर सकने में निरन्तर असफलता के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विदेश विशेषज्ञों के सहयोग कार्य में कोई तकनीकी दोष है ;

(ग) क्या संयंत्र में स्वदेशी कच्चे माल की घटिया किस्म और विलम्बित सप्लाई के कारण हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति के सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ।

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ). क्रासबार एक्सचेंज उपस्कर के अलावा, इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर ने अपने द्वारा निर्मित उपस्करों के विषय में निर्धारित लक्ष्य-क्षमता प्रायः पूरी कर ली है । विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण आयातित कच्ची सामग्री की प्राप्ति और विलम्ब और कुछ देशी कच्ची सामग्री से असंतोषजनक किस्म के कारण कुछ हद तक उत्पादन प्रभावित हुआ है । क्रासबार उपस्कर के उत्पादन में कमी के कारणों के बारे में सहयोगकर्त्ताओं, सर्वश्री बेल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बेल्जियम, के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों से बातचीत की गई है, जिन्होंने इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को निर्धारित लक्ष्य-क्षमता प्राप्त करने के लिए पूरे सहयोग तथा सहायता का आश्वासन दिया है ।

वे अपने खर्चे पर कुछ अतिरिक्त मशीनों की सप्लाई करने तथा अपने तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गए हैं। इन उपायों के बाद आई०टी०आई० को आशा है कि वे मार्च, 1972 के अन्त तक क्रासबार प्रभाग में निर्धारित लक्ष्य क्षमता प्राप्त कर लेंगे। बेल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी से हुआ सहयोग करार भी 21 मई, 1971 से बिना स्वामित्व की अदायगी के आगे और एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

विज्ञापन के क्षेत्र में एकाधिकार गृह

1538. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** विज्ञापन के क्षेत्र में एकाधिकार गृह के बारे में 13 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4612 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एक अथवा अन्य 20 बड़े व्यापार गृहों द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापन एजेंसियों के स्वामित्व/नियंत्रण में वृद्धि की जानकारी है ; और

(ख) कम से कम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इस प्रकार की वृद्धि को सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के संरक्षण द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). बीस बृहत्तर व्यापार गृहों द्वारा स्थापित वाणिज्यिक विज्ञापन एजेन्सियों के बारे में सरकार अलग से कोई आंकड़े नहीं रख रही है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया अधिनियम, उद्योग, व्यापार एवं सेवाओं के क्षेत्र में बड़े व्यापार गृहों के फैलाव को नियंत्रित एवं निनियमित करता है। इस दृष्टि से अलग से कार्यवाही की आवश्यकता का प्रश्न नहीं उठता है।

Setting up of Industries in Collaboration with Mitsubishi

1539. **Shri Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether a Japanese Indstrial Company, 'Mitsubishi' has offered to set up industries in other countries in collaboration with India ; and

(b) if so, the main features of the offer made ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) and (b). The Mitsubishi Economic Mission which visited India in July 1971 envisaged the possibility of Japan setting up industries in other countries in collaboration with Indian firms. However, no firm proposals have yet emerged.

गोल्ड स्पाट और लिमका मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का पूंजी निवेश और परिसम्पत्ति

1540. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोल्ड स्पाट और लिमका पेयों के स्वामियों का 1962 में पूंजी निवेश क्या था ; और

(ख) इन कम्पनियों की 31 मार्च 1971 को परिसंपत्ति कितनी थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). दिनांक 31-3-1962 तक के सन्तुलन पत्र के अनुसार मैसर्स पार्ले बाटलिंग कम्पनी, लिमिटेड जो गोल्ड स्पाट के पेयाधार (बीवरेज बेस) के निर्माता हैं की आर्थिक स्थिति इस प्रकार है :

देयतायें :—	रुपए
स्वीकृत और प्रदत्त पूंजी	5,00,000
(100 रुपये के पूरी तरह भुगतान किए हुए 5000 इक्विटी शेयर्स)	
आरक्षित व अधिशेष (रिजर्व और सरप्लस)	4,06,444
अनसीक्योर्ज ऋण	11,29,770
वर्तमान देयतायें व प्रावधान	10,31,778
	30,67,992
परिसम्पत्तियां :—	
अचल परिसम्पत्तियां (मूल्यह्रास के पश्चात)	15,42,654
निवेश	25,000
वर्ततमान परिसम्पत्तियां	5,40,999
ऋण तथा अग्रिम राशियां	4,89,146
नकद व बैंक में जमा राशि	4,70,393
	30,67,992

दिनांक 31-12-70 को कम्पनी का अभी तक का सन्तुलन पत्र तथा तदनुसार उसकी कुल परिसम्पत्तियां 1,62,16,760 रुपये है।

लिमका पेय आधार (बीवरेज बेस) के निर्माता मैसर्स बिसलेरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैं। दिनांक 31-2-1962 तक उसके अपने सन्तुलन पत्र के अनुसार कम्पनी की वित्तीय परिसंपत्ति इस प्रकार है :—

देयतायें	
जारी व स्वीकृत पूंजी	20,000
आरक्षित व अधिशेष	—
अनसीक्योर्ज ऋण	1,85,721
वर्तमान देयतायें व व्यवस्थायें	39,358
	2,45,079

परिसम्पत्तियां :

अचल परिसम्पत्तियां (मूल्य ह्रास के पश्चात)	1,38,595
वर्तमान परिसम्पत्तियां	94,713
ऋण तथा अग्रिम राशियां	2,098
नकद व बैंक में जमा राशि	5,330
लाभ हानि का लेखा	4,343
	2,45,079

कंपनी की दिनांक 31-3-1971 की परिसम्पत्तियां उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी का अंतिम सन्तुलन पत्र 31-12-70 तक का है जिसके अनुसार कुल परिसम्पत्तियां उस तारीख तक 25,46,706 रुपये की थी। (यह 14,87,335 रुपये की राशि विविध खर्च तथा हानि की राशियों को निकाल देने पर हैं)

कागज की खोल वाले केबल का स्थानापन्न तार

1541. **डा० रानेन सेन** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज की खोल वाले केबल के स्थान पर 11 के०वी०पी०वी०सी० केबल को प्रयोग में लाने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). 1.1 किलोवाट के पावर केबलों में कागज और शीशा का इस्तेमाल बन्द कर दिया गया है। 6.6 किलोवाट के पी० वी० सी० केबलों औन 11 किलोवाट तक के क्रास लिंकड पालीथेलीन केबलों द्वारा प्रतिस्थापन प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश में "टेलीफोन" केबलों की कमी

1542. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में टेलीफोन केबलों की कमी के परिणामस्वरूप टेलीफोन तारों से सम्बन्धित कार्य की सुचारू प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां, कुछ हद तक यह सही है।

पिछले वर्षों में केबल सप्लाई की स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं रही है। इस का मुख्य कारण यह था कि मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लि० रूपनारायणपुर का उत्पादन कम हो गया। वस्तुत: उक्त सप्लाई का केवल यह देशी साधन है। परिणामस्वरूप केबल की कमी के कारण सारे देश में जिसमें, मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल है, टेलीफ़ोन कनेक्शन देने की प्रगति पर कुछ

हद तक विपरीत असर पड़ा है। लोहे के तार और कुछ दूसरे लाइन सामान की सप्लाई कम होने से प्रगति तेज होने में बाधा पहुंची है।

जहां तक मध्य प्रदेश सर्किल का प्रश्न है, केबल की वास्तविक सप्लाई 1969-70 और 1970-71 के लिये अलाट की गई केबल का 61 प्रतिशत और 68 प्रतिशत है।

(ख) तीसरे आई० डी० ए० ऋण के अन्तर्गत (जिसकी सप्लाई शुरू हो चुकी है) काफी मात्रा में केबल आयात करने की मांग भेज दी गई है। इस बात पर विचार करते हुए मध्य प्रदेश सर्किल के लिये 1971-72 के कार्यक्रम में कुल 1.36 लाख सी०के०एम० केबल अलाट किये गये हैं जोकि पिछले वर्ष की अलाटमेंट का 400 प्रतिशत है। इसमें से 80 प्रतिशत उपरोक्त आयात में से सप्लाई किया जाना है। मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लि० से सप्लाई कम आएगी यह बात मान लेने पर चालू वर्ष के दौरान भी, मध्य प्रदेश सर्किल को 1971-72 में लगभग 1 लाख सी०के०एम० केबल प्राप्त होने की सम्भावना है। आयात से उत्तरोत्तर सप्लाई प्राप्त होने पर आशा है कि मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन देने में यदि कोई कठिनाइयां होंगी तो उन पर काबू पा लिया जायेगा।

आल इण्डिया ट्रेडयूनियन सेंटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमिक नेताओं के साथ योजना मंत्री की बैठक

1543. **डा० रानेन सेन** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 सितम्बर, 1971 को उन्होंने आल इंडिया ट्रेडयूनियन सेंटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न श्रम नेताओं की एक बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या मजूरी-मूल्य नीति पर विचार व्यक्त किए गए थे ;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न श्रम नेताओं द्वारा क्या विचार व्यक्त किये गये थे ; और

(घ) क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). योजना मंत्री ने 10 सितम्बर, 1971 को श्रमिक संगठन के नेताओं और प्रबन्ध विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई थी जिससे औद्योगिक सम्बन्धों को किस प्रकार सुधारा जाय—इस बारे में और औद्योगिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि के अनुरूप मजदूरी मूल्य निर्धारण की सम्भाव्यता पर थोड़ा बहुत विचार-विमर्श किया गया। अधिकांश श्रमिक नेताओं ने देश में मूल्यस्तर में स्थिरता लाने के लिये कारगार उपाय अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। कतिपय ने यह भी कहा कि आवश्यकता पर आधारित निम्नतम वेतन श्रमिकों पर भी लागू किया जाय। आम धारणा यह थी कि समेकित वेतन-मूल्य नीति निर्धारित करना वाँछनीय होगा। इसके लिए कठोर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करने पड़ेगे जो कि केवल काफी समय तक निरन्तर आर्थिक विकास द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच समझौता

1544. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किसी सहयोग करार पर हस्ताक्षर हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रोनिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) जी, हां । 5 अक्तूबर, 1971 को नई दिल्ली में भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच परमाणु ऊर्जा के शन्तिपूर्ण प्रयोगों और अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग करने के हेतु एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे ।

(ख) इस करार में की गई प्रमुख व्यवस्थायें हैं : (क) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों एवं अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अवर्गीकृत सूचनाओं का आदान-प्रदान (ख) वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान (ग) समान हितों की अनुसन्धान सम्बन्धी परियोजनाओं का कार्यान्वियन ।

श्रीहरिकोटा क्षेत्र (आंध्र प्रदेश) से भारत निर्मित राकेट का छोड़ा जाना

1545. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनाये गये राकेट नीलौर जिले (आन्ध्र प्रदेश) में स्थित श्रीहरिकोटा क्षेत्र में छोड़े गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारत में बने तीन रोहिणी-125 राकेट 9 तथा 10 अक्तूबर, 1971 को श्रीहरिकोटा रेंज से छोड़े गए थे ।

(ख) इनमें से एक राकेट इस रेंज में लगाई गई राकेट-प्रक्षेपण प्रणाली की जांच करने के लिए छोड़ा गया था तथा अन्य दो को छोड़ने का उद्देश्य राकेट के गतिशील रहने की अवस्था में "प्रणोद सदिश नियन्त्रण-परियोजना" की नियन्त्रण व्यवस्था की जांच करना था। प्राप्त परिणामों से पता चला कि प्रक्षेपण-प्रणाली संतोषजनक थी तथा प्रणोद सदिश नियन्त्रण उप-प्रणाली ने अपेक्षित ढंग से कार्य किया ।

परमाणु विद्युत

1546. **श्री नीरेन्द्र सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के नवीनतम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2000 तक भारत के पास लगभग 43,000 मैगावाट की परमाणु विद्युत हो जायेगी, जो देश की अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का लगभग 30 प्रतिशत होगी ; और

(ख) यदि हां, तो परमाणु विद्युत की वर्तमान प्रतिशतता क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मन्त्री, तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां । 2700 मैगावाट क्षमता के जिन परमाणु बिजली घरों को सन् 1980 तक लगाने का प्रस्ताव है उन्हें आधार मानकर तथा यह कल्पना कर कि हर पांच साल में बिजली का उत्पादन दुगना हो जायेगा सन् 20 0 तक स्थापित परमाणु बिजली घरों की कुल उत्पादन क्षमता 43000 मैगावाट हो सकेगी ।

(ख) इस समय परमाणु बिजली घरों की उत्पादन क्षमता देश की कुल प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग 2.5% है ।

Pending applications for setting up/expansion of industries

1547. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Raj Deo Singh :

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number of applications for setting up new industries or for expanding the existing industries pending consideration, State-wise ; and

(b) the number of applications out of them pending for the last more than one year and the time by which these are likely to be disposed of ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) A statement giving the statement figures of pending industrial licence applications for establishment of new undertakings and expansion of the existing ones is attached,

(b) Out of the total number of 2017 pending applications, 526 are more than one year old.

Consideration of industrial licence applications necessitates fairly detailed examination of various aspects of the proposals and the disposal of particular applications is often delayed due to various factors, including consultation with various Ministries, In some of these cases, the applications did not provide all the particulars and additional information had to be obtained. In certain other cases, policy decisions on the industry as a whole had to be arrived at. The Government are, however, taking all possible steps to expedite disposal of pending applications and the matter is under constant review.

STATEMENT

State-Wise, Break-up of Pending Applications received up to 31-10-1971 (Position as on 1-11-71)

State	New Undertaking	Substantial Expansion
Andhra Pradesh	65	17
Assam	18	2
Bihar	43	32
Chandigarh	5	2
Dadar Nagar Haveli	2	—
Delhi	21	4
Goa	17	1
Gujarat	154	56
Haryana	183	24
Himachal Pradesh	10	—
Jammu and Kashmir	14	2
Kerala	22	4
Madhya Pradesh	70	18
Maharashtra	226	148

1	2	3
Manipur	1	—
Meghalaya	4	—
Mysore	85	26
Orissa	19	4
Pondicherry	8	—
Punjab	37	13
Rajasthan	70	13
Tamil Nadu	83	40
Uttar Pradesh	178	24
West Bengal	38	41
State not indicated	3	2
More than one state	156	6
Total	1538	479

कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में "रैजिस्टैंस ग्रुपों" का गठन

1548. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य जिलों में हिंसक और समाज विरोधी तत्वों का मुकाबला करने के लिए पुलिस के तत्वाधान में "रेजिस्टेंस ग्रुपों" का गठन किया गया है ;

(ख) ये ग्रुप कितने हैं, तथा इनका संगठनात्मक ढांचा क्या है तथा इनका गठन किस प्रकार किया गया है तथा इनकी सदस्य संख्या क्या है ; और

(ग) इन "रैजिस्टैंस ग्रुपों" के साथ पुलिस तथा मजिस्ट्रेटों द्वारा किस प्रकार का सम्पर्क रखा जाता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख). पहली नवम्बर, 1971 को पश्चिम बंगाल में 22,773 रैजिस्टैंस ग्रुप कार्य कर रहे थे जिनकी कुल सदस्यता 5,76,635 थी ये रैजिस्टैंस ग्रुप गैर राजनैतिक संगठन हैं और राजनैतिक सम्बद्धता के व्यक्तियों तथा उन व्यक्तियों को, जो हिंसा में विश्वास रखते हैं, अलग रखने के लिए सतत् सतर्कता बरती जाती है।

(ग) ये ग्रुप हिंसात्मक घटनाओं का पता लगाने तथा अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की सहायता करने के लिए उनसे संम्पर्क रखते हैं। उन ग्रुपों की रैलियों में मजिस्ट्रटों द्वारा उनके कार्य तथा उत्तरदायित्व बतलाने के लिए भाषण दिए जाते हैं।

विषाक्त पेय के कारण दिल्ली के छतरपुर गांव के एक लड़के की मृत्यु

1549. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली थाना महरौली के छतरपुर गांव में, विषाक्त पेय पीने के कारण एक लड़के की मृत्यु हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या प्रारम्भिक अवस्था में थाने में मृतक के सम्बन्धियों की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई थी ; और

(घ) अब यह मामला किस स्थिति में है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, एक व्यक्ति राम चन्द्र आत्मज श्री रामरिख ग्राम राजपुर, पुलिस थाना महरौली, विषाक्त मदिरा पीने के पश्चात् 14-9-1971 को छत्रपुर बस स्टैण्ड पर मर गया।

(ख) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दिनांक 7-11-1971 को एक अविनाशचन्द्र माथुर गिरफ्तार किया गया था। दूसरा संदिग्ध व्यक्ति बंसल फरार है और उसे पकड़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) यह सही नहीं है। ग्राम छतरपुर के प्रधान ने टेलीफोन पर प्रथम सूचना दी थी। यह सूचना महरौली थाने की दैनिक डायरी में तुरन्त दर्ज की गई थी।

(घ) जांच प्रगति पर है।

आसाम सर्कल में तांबे के तार की चोरी

1550. **श्री रोबिन काकोटी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के आसाम सर्कल की उपरी लाइनों ने 1970-71 के दौरान 12 लाख रुपये से अधिक मूल्य के तांबे के तार चोरी चले गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में इस अपराध के खिए कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और सजा हुई ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में पुलिस ने जिन व्यक्तियों का चालान किया है, उनकी संख्या उपलब्ध नहीं है। लेकिन चोरी की ऐसी सभी वारदातों की स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट कर दी गई थी।

Surrendering by Pak Trained Youths in Sabotage from Bangla Desh

1551. **Shri R. V. Bade :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some youths from **Bangla Desh,** who were trained by the Pakistani Army for sabotage activities in India, had surrendered themselves with live mines in the first week of November, 1971 ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir ; but it happened in the last week of October, 1971.

(b) All precautionary measures, including the strengthening of arrangements for the collection of advance intelligence, guarding of vital installations and vulnerable points, regulating entry into vulnerable places patrolling of railway tracks and important road links, surveillance of persons likely to give shelter to Pakistani saboteurs etc. are being taken.

अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी और खाद्यानों में मिलावट

1552. **श्री अमर नाथ चावला :**

श्री विक्रम महाजन :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अत्यावश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी, खाद्यानों में मिलावट की जानकारी है ;

(ख) क्या इसका एक कारण यह है कि व्यापारियों ने वस्तुओं को इकट्ठा करके, उन्हें अपने गुप्त गोदामों में छिपा दिया है ;

(ग) क्या जमा की गई तथा मिलावट वाली वस्तुओं को बरामद करने के लिए देश के विभिन्न भागों में व पिछले छः महीनों में छापे मारे गये थे ;

(घ) यदि हां, तो इन छापों से बरामद होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा उनका मूल्य क्या है और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ङ) उन लोगों को क्या सजा दी गई ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). कुछ व्यापारियों की समाज विरोधी कार्यवाहियां के परिणाम-स्वरूप भारत सरकार को कतिपय अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी तथा खाद्यान्नों में मिलावट की रिपोर्ट समय-समय पर मिलती रही हैं।

(ग) से (ङ). जनवरी से अगस्त, 1971 के बीच पुलिस अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों सहित अत्यावश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण संबंधी विनियमों को लागू करने के परिणामस्वरूप, 96517 क्विंटल खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं पकड़ी गई एक 8115 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था।

राज्यों की सिविल सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पदों हेतु पदोन्नति-कोटे में वृद्धि

1553. **श्री जे० बी० पटनायक** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ ने मांग की है कि राज्यों की सेवाओं मे भारतीय प्रशानिक सेवा अधिकारियों के पदों हेतु पदोन्नति-कोटे को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अनुरोध पर विचार किया है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राज्य सिविल/प्रशासनिक सेवा ऐसोसियेशन के अखिल भारतीय संघ ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया है कि राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए भारतीय प्रशानिक सेवा के पदोन्तति-कोटे को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर दिया जाये।

(ख) केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय संघ के राज्य सिविल/प्रशासनिक सेवा ऐसोसियेशन के सुझाव पर, राज्य सरकारों से परामर्श कर रही है।

प्रशिक्षत अध्यापकों को रोजगार देने और शिक्षित बेरोजगारों को राहत देने के लिए द्रुत कार्यक्रम

1554. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों को राहत देने के द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं ; और

(ख) क्या शिक्षित बेरोजगार अध्यापकों को रोजगार देने की भी कोई योजना बनाई गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

शिक्षित बेरोजगार को दूर करने के लिए 1971-72 के केन्द्रीय बजट में 25 करोड़ रुपये के किए गए प्रावधान के अनुसार, सम्बन्धित मंत्रालयों ने योजना आयोग द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर योजनायें बनाई थीं। सम्बन्धित मन्त्रालय अब योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। योजनाओं पर विचार करते समय योजना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ये योजनायें केवल तदर्थ योजनाऐं नहीं होनी चाहिए बल्कि निरन्तर चलने वाली होनी चाहिए। अतएव, अब जो योजनाएं स्वीकृत की गई हैं वे चौथी योजना के शेष वर्षों में भी चलती रहेंगी।

संक्षेप में, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:—

शिक्षा मंत्रालय

इस प्रस्ताव के अनुसार इस वर्ष प्राथमिक स्कूलों में 30,000 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा निरीक्षकों और कृषि स्नातकों सहित अन्य वर्गों के शिक्षित व्यक्तियों को भी इतनी ही संख्या में रोजगार दिया जायेगा। इस प्रकार इस कार्य पर बारह महीनों की अवधि में लगभग 13 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

सिंचाई एवं बिजली मंत्रालय

क्रियान्वित की जा रही योजना में 500 ग्रामीण अभियान्त्रिकी सर्वेक्षण दलों के गठन का अनुमान है। प्रत्येक दल में इंजीनियरिंग स्नातक कृषि स्नातक, मैट्रिक पास व्यक्ति तथा कुछ अकुशल कर्मचारियों सहित 9 व्यक्ति होंगे। इस योजना पर बारह महीनों में लगभग 2.85 करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है।

पैट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय

इस योजना द्वारा भारतीय तेल निगम के अधीन डीलरशिप गठित करने के लिए बेरोजगार स्नातकों को सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता के रूप में बैंकों द्वारा उद्यमियों को दिए गये ऋण पर अदा किये जाने वाले सूद की पूर्ति के बराबर दी जाती है। युवा इंजीनि-

यरों को बीज पूंजी के रूप में सहायता देने के लिए मन्त्रालय ने एक आवर्ती निधि की भी कल्पना की है। इस प्रस्ताव पर प्रति वर्ष 40 लाख रुपये खर्च होंगे।

कृषि मन्त्रालय

चुनी हुई उपभोक्ता सहकारी समितियों के फुटकर केन्द्रों के विस्तार के लिए सहकार विभाग ने एक योजना बनाई है जिससे मैट्रिक पास लिपिकों, भण्डागार -सहायकों, लेखाकारों, कोषाध्यक्षों आदि के रूप में लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस पर 55 लाख रुपये वार्षिक व्यय होने का अनुमान है।

200 कृषि सेवा केन्द्रों के विकास के लिए कृषि विभाग ने एक योजना बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत अभियान्त्री स्नातकों को प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता दी जायेगी। इस योजना पर लगभग 150 लाख रुपये वार्षिक व्यय होगा।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

लघु उद्योगों की स्थापना हेतु प्राविधिक योग्यता वाले लोगों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से सहायता पहुंचाने का प्रस्ताव है। इसके लिए लगभग 650 लाख रुपये के वार्षिक परिव्यय की व्यवस्था किए जाने की आशा है।

जहाजरानी तथा परिवहन मन्त्रालय

पाँचवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में किये जाने वाले सड़क निर्माण कार्यों की जांच के बारे में अग्रिम कार्रवाई करने के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजना पर लगभग 90 लाख रुपये वार्षिक व्यय होगा।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय

ग्रामीण जल-आपूर्ति के लिये अच्छी डिजाइन तथा सम्भाव्य परियोजना-शेल्फ बनाने हेतु सभी राज्यों के लिए डिजाइन एककों की की स्थापना करने की योजना है ताकि पांचवें योजना अवधि में कार्यान्वियन के लिए सुगठित-परियोजनाएं चुनी जा सकें। इस स्कीम पर लगभग 48 लाख रुपये वार्षिक व्यय होगा तथा इसके द्वारा लगभग 900 शिल्प-वैज्ञानिकों को रोजगार मिलने की आशा है।

Implementation of Recommendation of Khosla Commission regarding Delhi Police

1555. **Chaudhry Dalip Singh :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number and text of recommendations made by the Khosla Commission regarding the Delhi Police, which are yet to be implemented fully ; and

(b) the time by which these recommendations are likely to be implemented fully ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) A statement is enclosed. [*Placed in Libray. See* No. LT—1105/71.]

(b) No definite time limit can be fixed at the present stage. Construction of quarters, revision of rules manuals and forms take time and a definite date can be indicated only when the work has been substantially completed.

नई दिल्ली मुख्य डाकघर में डाक-पत्रों का अंग्रेजी/हिन्दी में लिप्यांतरण

1556. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल तेलगू. कनंदा, मलयालम, गुजराती तथा बंगाली में लिखे पतों का हिन्दी अथवा अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए नई दिल्ली के मुख्य डाकघर में लिप्यांतरण केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन भाषाओं में उड़िया को सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां, कन्नड़ को छोड़ कर ।

(ख) ऐसी वस्तुएं केवल एक-दो ही होती हैं जिन पर उड़िया में पते होते हैं । इसलिए इनके लिप्यांतरण के लिये अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है । अलबता नई दिल्ली के पोस्टल ट्रेसिंग यूनिट के साथ उड़िया और कन्नड़ के पतों का लिप्यांतरण करने की व्यवस्था की गई है ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों में एक करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश वाले औद्योगिक एककों के लिए 10 प्रतिशत राज सहायता की मांग

1558. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद के उद्योगपति सदस्यों ने हाल ही में परिषद से यह सिफारिश की है कि अधिसूचित पिछडे क्षेत्रों में 10 प्रतिशत राज सहायता प्राप्त करने के लिये पूंजी निवेश की सीमा को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड कर दिया जाये ;

(ख) क्या सदस्यों ने ऐसा विचार भी व्यक्त किया था कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए जो प्रोत्साहन दिये गये हैं वे पर्याप्त नहीं हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) योजना में पहले ही यह व्यवस्था है कि 50 लाख रुपये से अधिक अचल पूंजी विनियोजन वाले औद्योगिक एककों को 10 प्रतिशत विनियोजन देने के लिए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाये ।

प्रोत्साहनों की पर्याप्तता की समीक्षा योजना के कार्यकरण को कुछ समय तक देख लेने के पश्चात् की जायेगी ।

विशिष्ट पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों की स्थापना

1559. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय रियायत तथा अन्य प्रोत्साहन दिये जाने के परिणामस्वरूप कुछ विशिष्ट पिछड़े जिलों में जिन औद्योगिक एककों की स्थापना हुई है उनके नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए किस-किस मद के कितने-कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा कितने आवेदन पत्र अभी अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ग) क्या उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिये इन क्षेत्रों में उद्योगों का कोई मूल आधार तैयार कर लिया गया है और इस कार्य को करने के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी रखी गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). चूंकि पिछड़े हुये क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के बारे में हाल ही में घोषणा की गई है अतः इन रियायतों की घोषणा करने के पश्चात् पिछडे हुए क्षेत्रों में स्थापित किये गये उद्योगों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, 1 जुलाई, 1970 से 31 अक्तूबर, 1971 तक की अवधि में औद्योगिक वित्त निगम से अधिसूचित पिछड़े हुए जिलों में जिन फर्मों ने वित्तीय सहायता ली है उनके बारे में बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी० 1106/71।]

(ग) योजना आयोग द्वारा यह विदित था कि कुछ न्यूनतम अब स्थापना सुविधायें देना प्रोत्साहनों तथा रियायती वित्त योजना के लिए पूर्वादर्शी था। हां, भारत सरकार ने राज्य सरकारों से सभी पिछड़े हुये क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं में समय-समय पर सुधार करने के लिये अनुरोध किया है।

हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा नागालैंड और आसाम में कागज मिलों की स्थापना

1560. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड और आसाम परियोजनाओं को कार्यरूप देने में हिन्दुस्तान कागज निगम ने क्या प्रगति की है ;

(ख) निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो सकेगा ; और

(ग) प्रत्येक मिल की आरम्भिक तथा अन्तिम क्षमता कितनी-कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नागालैंड और आसाम लुगदी एवं कागज परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति नीचे दी गई है :

(i) **नागालैंड लुगदी एवं कागज परियोजना** :

1. नागालैण्ड की घासी का मिल-स्केल पर अन्तिम परीक्षण पूरा हो गया है।

2. परियोजना के लिये भूमि अधिगृहीत कर ली है और उसका विकास किया जा रहा है।

3. नागालेंड सरकार द्वारा, परियोजना में समाहृत करने हेतु, इंस्टीट्यूट आफ पेपर टेक्नालोजी, सहारनपुर में प्रशिक्षण के लिये कुछ उम्मीदवारों को प्रायोजित किया है।

4. इस परियोजना के कार्यान्वियन हेतु 14-9-1971 को एक सहायक कम्पनी का पंजीकरण किया गया है।

5. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा विस्तृत परियोजना अनुमानों को तैयार किया जा रहा है और इनकी जांच की जा रही है।

6. संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण बना लिया गया है और आयात आवश्यकताओं को भारतीय व्यापार पत्रिका में विज्ञापित किया जा रहा है।

(ii) **आसाम लुगदी एवं कागज परियोजना :**

1. शीघ्र ही स्थानों का अन्तिम चुनाव हो रहा है।

2. इंस्टीट्यूट आफ पेपर टैक्नालाजी, सहारनपुर में प्रशिक्षण के लिए आसाम सरकार ने कुछ उम्मीदवारों को परियोजित किया है।

3. नवगांव जिले में स्थापित होने वाली परियोजना के लिये विस्तृत परियोजना अनुमानों को अंतिम रूप दे दिया है।

4. परियोजना के लिये महाप्रबन्धक की नियुक्ति हो चुकी हैं।

(ख) और (ग). विस्तृत परियोजना अनुमान अभी स्वीकृत होने हैं इसलिये यह अस्थाई अनुमान है कि नागालेंड लुगदी एवं कागज परियोजना का निर्माण कार्य 1973-74 में प्रारम्भ होगा और परियोजना 1974-75 के अन्त तक चालू हो जायेगी। आसाम लुगदी एवं कागज परियोजना के बारे में निर्माण कार्य सम्भवत: 1974 में आरम्भ होगा और उत्पादन शायद 1975-76 से चालू हो जायेगा। परियोजनाओं की क्षमता निम्नलिखित है :

कागज एवं लुगदी परियोजना, आसाम :

	मी०ट०
नवगांव परियोजना	50,000
कछार परियोजना	50,000
नागालैंड कागज एवं लुगदी परियोजना	30,000

मनीआर्डरों का गुम होना

1561. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में कुल कितने मनीआर्डर गुम हुए तथा इससे कितनी धन राशि की हानि हुई ; और

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्ति सम्बद्ध पाये गये हैं और इस सम्बन्ध में कितनों को दंडित किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सुन्दरवन को एक अलग जिला बनाना

1562. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24-परगना के एक भाग सुन्दरवन को एक अलग जिला बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नये जिले के मुख्यालय कहां होंगे और उसकी सब डिविजनों के क्या नाम होंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नही, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में विभिन्न निरोधक अधिनियमों के अन्तर्गत रोके गये व्यक्तियों की रिहाई

1563. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में 1 मार्च से लेकर 31 अक्तूबर, 1971 तक कुल कितने व्यक्तियों को विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया है और न्यायालयों द्वारा तथा छानबीन के बाद इनमें से कितने रिहा कर दिये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 1971 से 15 अक्तूबर, 1971 तक की अवधि में 2578 व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल (हिंसात्मक गतिविधियों का निवारण) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया और 861 व्यक्तियों को आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया। और सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तूफान से क्षतिग्रस्त उड़ीसा की दूर संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना

1564. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रहि** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में आये अभूतपूर्व तूफान से उड़ीसा की सम्पूर्ण दूर संचार व्यवस्था तथा डाक तार विभाग को हुई हानि का सरकार ने अब तक कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितने मूल्य की हानि हुई ; और

(ग) क्या पूर्ण तथा अस्त व्यस्त दूर संचार व्यवस्था को अब तक पूर्णतया सुचारू रूप से कार्य करने योग्य बना दिया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 6.67 लाख रुपये।

(ग) जी हां, सभी अस्त व्यस्त दूर संचार व्यवस्था को 20 नवम्बर तक पुनः चालू कर दिया गया है।

ट्रैक्टरों के टायरों का निर्माण

1565. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ट्रैक्टरों के टायरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में अधिकाधिक टायरों का निर्माण करने में क्या बाधाएं उपस्थित हो रही हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां। पर बहुत थोड़ी सी कमी है।

(ख) 1970-71 में श्रमिक असंतोष, बिजली की कमी और अन्य कारणों से उत्पादन पर कुछ प्रभाव पड़ा है और अधिक उत्पाद और आयात से स्थिति में सुधार होने की आशा है।

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति में प्रगति

1566. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में कुछ प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में किये गये जायजे का परिणाम क्या है और सरकार ने स्थिति में तीव्र गति से सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सितम्बर, 1971 से राज्य की कानून व व्यवस्था की स्थिति में सामान्य सुधार हुआ है।

(ख) स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में पुलिस आसूचना व निगरानी का सशक्त करना, अवैध रूप से रखे हुए हथियारों व गोलाबारूद की बरामदगी के लिए छापे, समाज-विरोधी तत्वों का निरोध और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना शामिल है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी फाइलों का गुम होना

1567. **श्री एन० ई० होरो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में भूतपूर्व मिली जुली सरकार के समय की कई फाइलें गुम हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ अधिकारी भी दोषी पाये गए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रशासन में परिवर्तन करने, जिम्मेदारियां नियत करने और इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को दण्डित करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

आसाम-नागालैंड सीमा विवाद

1568. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के मुख्य सलाहकार ने आसाम और नागालैंड की सरकारों के साथ उनके मध्य सीमा विवाद पर वार्ता करने के उपरान्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट मिल मशीनरी उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

1569. **श्री वी० मायावन** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट मिल मशीनरी उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता के केवल 39 प्रतिशत भाग का ही उपयोग हुआ है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता जिसका अनुमान 2600 रु० प्रति वर्ष लगाया गया है, में से वर्ष 1969 और 1970 में सीमेंट मिल मशीनों का उत्पादन क्रमश: 980 लाख रुपये तथा 840 लाख रु० हुआ है। सीमेंट मिल मशीनों का उत्पादन उपभोक्ता उद्योग अर्थात सीमेंट उद्योग से समय-समय पर प्राप्त होने वाले आर्डरों के परिणाम पर निर्भर करता है।

(ख) सरकार ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के दो संयंत्रों की स्थापना करने के लिये सहमति दे दी है जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक क्षमता 2 लाख मीटरी टन होगी और जो हिमाचल प्रदेश एवं आसाम में लगाये जायेंगे। इसके साथ ही कुल लगभग 30 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष की क्षमता के लिये 11 इच्छुक औद्योगिक लाइसेंस पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। पूर्ण सीमेंट संयंत्र के आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। अधिकांश प्रमुख सीमेंट मशीन निर्माता भी अन्य भारी मशीनों को वस्तुएं बना रहे हैं और अपनी फालतू क्षमता का उपयोग अन्य वस्तुएं बनाने में कर रहे हैं। यह उद्योग सीमेंट मिल मशीनों का अन्य देशों को संभरण करने हेतु निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिये भी प्रयत्नशील हैं।

पुलिस आवास योजना के लिए राज्य सरकारों को ऋण

1570. **श्री वी० मायावन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस आवास योजना के आरम्भ से अब तक प्रत्येक राज्य को इस हेतु कितना कितना ऋण दिया गया है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : वर्ष 1956-57 में पुलिस आवास योजना के आरम्भ से 15 नवम्बर, 1971 तक इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी गई कुल राशि बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1956-57 से 15 नवम्बर, 1971 तक पुलिस आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी गई कुल वित्तीय सहायता का विवरण ।

क्र० संख्या	राज्य का नाम	दी गई कुल राशि
		(लाख रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	396.22
2.	असम	119.45
3.	बिहार	232.25
4.	गुजरात	193.22
5.	हरियाणा	32.75 (राज्य बनाने के बाद)
6.	जम्मू व कश्मीर	227.98
7.	केरल	191.91
8.	मध्य प्रदेश	417.20
9.	महाराष्ट्र	463.42
10.	मैसूर	269.94
11.	नागालैंड	4.00
12.	उड़ीसा	235.91
13.	पंजाब	182.07
14.	राजस्थान	256.15
15.	तमिलनाडु	399.82
16.	उत्तर प्रदेश	366.13
17.	पश्चिम बंगाल	542.33
18.	हिमाचल प्रदेश	7.50 (राज्य बनने के बाद)
		4537.85

पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए राज्यों को सहायता

1571. **श्री वी० मायावन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए इस योजना के आरम्भ से अब तक प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी सहायता दी गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : पुलिस बल को आधुनिक बनाने की

योजना के अन्तर्गत सन, 1969-70 से 1971-72 तक राज्य सरकारों को दी गई कुल राशि का एक विवरण परिशिष्ट 'क' पर है।

विवरण

परिशिष्ट क'

राज्यों को अपने-अपने पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान स्वीकृत ऋण सहायक अनुदान की कुल राशि का विवरण ।

क्र० सं०	राज्य का नाम	दी गई कुल राशि
		(लाख रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	70,50,000
2.	असम	52,00,000
3.	बिहार	75,25,000
4.	गुजरात	30,25,000
5.	हरियाणा	20,00,000
6.	जम्मू और कश्मीर	74,00,000
7.	केरल	28,75,000
8.	मध्य प्रदेश	64,00,000
9.	महाराष्ट्र	41,50,000
10.	मैसूर	21,75,000
11.	उड़ीसा	61,50,000
12.	पंजाब	27,00,000
13.	राजस्थान	64,15,000
14.	तमिलनाडु	63,00,000
15.	पश्चिमी बंगाल	60,75,000
16.	उत्तर प्रदेश	60,60,000
17.	हिमाचल प्रदेश	15,00,000
	जोड़	8,30,00,000

राज्यों में केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले 'राज्य सूची' के कार्यों का विश्लेषण

1572. **श्री वी० मायावन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान में 'राज्य सूची' में दिए गए विषयों के बारे में केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा इस समय किये जा रहे विभिन्न कार्यों का विश्लेषण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विश्लेषण की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ; और

(ग) विश्लेषण के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग को कुछ सिफारिशों पर विचार करने के परिणामस्वरूप सरकार ने यह निर्णय किया है कि योजना एवं विकास क्षेत्र से सम्बन्धित राज्य सूची में दिए गये विषयों के बारे में केन्द्रीय मन्त्रालय द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नलिखित रूप में होने चाहिए :—

(i) राज्यों को उपक्रमण, नेतृत्व और सलाह मशविरा सम्बन्धी सेवायें प्रस्तुत करना एवं शेष देश के किसी एक भाग में अपनाये गए अच्छे कार्यक्रमों और प्रणालियों के बारे में देश के शेष भाग के लिए विवरण और आंकड़े देने के लिए वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना ;

(ii) राज्यों के साथ पूरा सहयोग रखते हुए संबंधित विकास क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने का उत्तरदायित्व लेना और इस उद्देश्य के लिये अच्छी प्रकार से योजना एवं सांख्यिकीय यूनिट का विकास करना । इस उत्तरदायित्व के साथ-साथ यह कार्य भी शामिल हैं :—

(1) जिन क्षेत्रों से मंत्रालय सम्बन्धित हैं उनके लिए योजना बनाने में आयोग की सहायता करना और उनको उचित ब्यौरे तैयार करना ;

(2) उक्त उद्देश्य के लिए प्रारम्भिक कार्य हाथ में लेना जिसमें क्षेत्रों के विकास के बारे में प्रबन्ध सम्बन्धी अध्ययन, शोध और सर्वेक्षण और पिछली सामग्री तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी सम्बन्धी आंकड़े इक्ट्ठा करना शामिल हैं ;

(3) योजना आयोग एवं विकास परिषदों द्वारा स्थापित कार्यकारी वर्ग को योजना के बारे में तकनीकी व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना ;

(4) योजना आयोग को उन राज्य की योजनाओं के कार्यक्रम निर्धारण में सहायता देना जिनमें सहायता देनी चाहिए ;

(5) उन राज्य प्लान योजना का, जिनकी वर्तमान नीति के अनुसार मन्त्रालयों द्वारा जांच करना जरूरी है, और उनके निष्पादन से पहले ब्यौरे बार जांच करना ;

(iii) उन मामलों में अनुसंधान कार्य करना जो कि राज्यों के अनुसंधान साधनों से बाहर हैं या राष्ट्रीय महत्व रखते हैं ;

(iv) उपचारी उपायों एवं सामंजस्य आदि के बारे में नियन्त्रण प्रगति गत्ववरोध मालूम करने, सलाह देना के उद्देश्य से कार्यक्रमों के मूल्यांकन में पहल करना ;

(v) सीधे रूप से उन गतिविधियों या योजनाओं को हाथ में लेना जो क्षेत्रीय या अखिल भारतीय आवश्यकताओं को जुटाती हैं ;

(vi) प्रयोगात्मक परियोजनाओं को शुरू करना ;

(vii) विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और एजेन्सियों एवं संघों के साथ समझौते में बनाये गए कार्यक्रमों का, उस सीमा तक जो समझौतों के साथ अनुपालन में आवश्यक है समन्वय करना ;

(viii) उन समन्वय प्रकृति के कार्यों को करना जो केन्द्र में उचित रूप से पूरे किये जा सकते हैं ;

(ix) विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने हेतु राज्य प्रतिनिधियों और निर्देशनों के विकास के वास्ते मंच और सभा स्थल की व्यवस्था करना।

(x) केन्द्र की ओर से प्रवर्तित योजनायें ;

(xi) आधारभूत या विकसित प्रकृति के प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना, उदाहरणार्थ आयोजकों और प्रशासकों का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और राज्यों को अपनी प्रशासकीय तथा तकनीकी क्षमता के विकास में दूसरे तरीकों से सहायता देना ?

(xii) स्वयं सेवी या स्वायत संगठनों (जो राज्य या निम्न स्तरों पर इस प्रकार के संगठनों से भिन्न हैं) से सम्बन्ध रखना।

राज्य सूची में दिए गए विषयों से सम्बन्ध रखने वाले मंत्रालयों/विभागों ने, उक्त सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा हाथ में लिए गए कार्य के विषयों का पुनरीक्षण किया है। इस पुनरीक्षण के परिणाम सदन के सभा पटल पर यथा समय रख दिए जायेंगे।

चौथी योजना के कार्यक्रमों के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता

1573. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनशक्ति सम्बन्धी उपदल ने चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिये चिकित्सकों की सेवा का उपयोग करने सम्बन्धी पद्धति तथा राज्यवार चिकित्सों की उपलब्धता का अध्ययन पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त दोनों प्रकार के अध्ययनों के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्था ने चिकित्सा स्नातकों का उपयोग करने सम्बन्धी पद्धति का अध्ययन शुरू किया है। संस्था ने स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय और जनशक्ति निदेशालय के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में कार्यक्रमों के लिए चौथी योजना में चिकित्सा कर्मचारियों को उपलब्धता के सम्बन्ध में भी अध्ययन शुरू किया है। दोनों अध्ययन चल रहे हैं और पूरे नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार और प्रशिक्षण संबंधी प्रतिवेदन का प्रारूप

1574. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार और प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना दल के जनशक्ति के अध्ययन के अध्ययन के लिए नियुक्त उप-दल ने अपने प्रतिवेदन के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रतिवेदन में क्या मुख्य-मुख्य सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) क्या चौथी योजना के दौरान प्रतिरक्षा क्षेत्र में अपेक्षित जनशक्ति का अनुमान लगा लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस प्रतिरक्षा क्षेत्र में अपेक्षित श्रमशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) जनशक्ति सम्बन्धी उप-दल की सिफारिशों का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—1107/71]

(ग) चौथी योजना अवधि के दौरान प्रतिरक्षा क्षेत्र की इन्जीनियरी व चिकित्सा जन-शक्ति की अपेक्षाओं का अनुमान लगा लिया गया है।

(घ) भरती के सामान्य स्रोतों के अतिरिक्त प्रतिरक्षा क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) इंजिनियरों को अल्प सेवा कमीशन प्रदान करना।

(2) सरकारी क्षेत्र में इंजिनियरों की सेवाओं के उपयोग के लिए अनिवार्य दायित्व योजना लागू करना।

ड्रिलिंग उपकरण बनाने वाले उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

1575. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रिलिंग उपकरण बनाने वाले उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता के केवल 58 प्रतिशत उपयोग के क्या कारण हैं ; और

(ख) अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्य-वाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). ड्रिलिंग उपकरण बनाने वाले उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता 30 लाख प्रतिवर्ष है। जबकि 1970 में ड्रिलिंग उपकरण बनाने की कुल क्षमता 204 लाख थी। दूसरे शब्दों में 1970 में क्षमता के उपयोग और अधिष्ठापित क्षमता का प्रतिशत 68 रहा।

इन ड्रिलों का उत्पादन उत्पादकों द्वारा प्राप्त क्रयादेशों पर निर्भर करता है और इसमें उत्पादन का 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत की उपयोग क्षमता उपयुक्त समझी जाती है।

देशीय उत्पादक अपनी क्षमता का अधिकतम सम्भव सीमा तक उपयोग कर सके इस विचार से निम्नलिखित अभ्युपाय किए गए हैं।

(1) ड्रिलिंग उपकरण के प्राथमिकता के क्षेत्र में होने के कारण उत्पादक एककों को उन्हें प्राप्त क्रयादेशों के संदर्भ में उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए अधिकतम सम्भव सीमा तक कच्चे माल और उपकरणों के आयात की स्वीकृति दी जाती है। अन्य और कई मामलों में भी उचित समझे जाने पर आवश्यकता पूरी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 125 प्रतिशत तक कच्चे माल और उपकरणों के आयात की स्वीकृति दी जाती है।

(2) विभिन्न उपभोक्ता उद्योगों से प्राप्त ड्रिलिंग उपकरणों की आवश्यकता सम्बन्धी

आवेदनों की जांच करने के परिणामस्वरूप क्रयादेशों को देशीय मशीन निर्माताओं के पास भेज दिया गया है।

जिला योजनाओं के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण

1576. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की केवल मुख्य योजनाओं को ही क्रियान्वित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या आयोजना आयोग ने जिला योजनाओं के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये विदेशी वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह धारणा सही नहीं है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फिलिपीन, इंडोनेशिया तथा फ़िजी के सहयोग से औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

1577. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूंजी निवेश संबर्धन के लिए मनीला में 1 सितम्बर, 1970 में हुई बैठक के परिणामस्वरूप जिन औद्योगिक परियोजनाओं के विषय में फिलीपीन इंडोनेशिया तथा फिजी से बातचीत चल रही है वे परियोजनायें कितनी हैं, किस प्रकार की हैं तथा उनके प्रयोजक कौन हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सितम्बर, 1970 में मनीला में निवेश सम्बर्धन की हुई बैठक के परिणामस्वरूप फिलीपीन, इण्डोनेशिया तथा फिजी के साथ जिनके बारे में बातचीत चल रही है उन औद्योगिक परियोजनाओं की संख्या, प्रकार तथा प्रायोजकों को बताने वाला एक विवरण :

देश का नाम	परियोजना की संख्या	परियोजना का प्रकार	औद्योगिक परियोजनाओं के प्रायोजक
1	2	3	4
फिलीपीन	3	1. स्थानीय कच्चे माल पर आधारित रेयन ग्रेड पल्प तथा रेयन का निर्माण करने के लिए संयंत्र।	मे० सेंचुरी रेयन, बम्बई।

1	2	3	4
		2. 54 टन प्रतिवर्ष की क्षमता में एंटीवयाटिक मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट ।	मे० के० टी० डोंगरे एण्ड क० प्रा० लि०, बम्बई ।
		3. गन्ने की खोई पर आधारित क्राफ्ट कागज तथा अखबारी कागज का निर्माण ।	मे० रौहलस इण्डस्ट्रीज लि०, नई दिल्ली ।
इण्डोनेशिया	6	1. वस्त्र संयंत्र ।	मे० श्री शक्ति मिल्स लि०, बम्बई ।
		2. बस्त्र का कारखाना ।	मे० लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि०, कोयम्बतूर ।
		3. वस्त्र संयंत्र ।	मे० सेंचुरी रेयन, बम्बई ।
		4. ऐंटीवयाटिक प्रेसैसिंग यूनिट ।	मे० के० टी० डोंगरे एण्ड कं० प्रा० लि०, बम्बई ।
		5. प्लाईवुड का कारखाना स्थापित करना ।	मे० वुड क्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स लि०, नई दिल्ली ।
		6. प्रशीतन तथा वातानुकूलन उपकरण का निर्माण करने का संयंत्र ।	मे० फीडर लायड कारपोरेशन प्रा० लि०, नई दिल्ली ।
[illegible]जा	3	1. जोड़कर ट्रांजिस्टर का निर्माण जैसे टेप रिकार्ड, प्लेयर्स आदि ।	मे० कोल्हापुर शूगर मिल्स एण्ड यूनाइटेड एजेंसी, वम्बई ।
		2. एलकोहल/जिन/ब्रैंडी के रूप में शीरा को बदलने के लिए साफ करने वाला (डिस्टिलरी) ।	—वही—
		3. खाद्य परिकरण संयंत्र जैसे अन्नानास ।	मे० आलोक उद्योग ओवरसीज लि०, नई दिल्ली ।

सवर्ण हिन्दुओं द्वारा हरिजनों के साथ कठित मारपीट

1578. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अक्तूबर, 1971 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि सवर्ण हिन्दुओं के द्वारा 1[illegible] हरिजनों के साथ इसलिये मारपीट की क्योंकि उन्होंने कम मजदूरी पर काम करने से इन्कार कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). सरकार ने सम्बद्ध समाचार देखा है । राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

गुजरात के गांव में डाक वितरण

1579. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में डाक अधिकारियों ने विभिन्न गांवों में डाक ले जाने के लिए राज्य परिवहन के साथ व्यवस्था कर रखी थी ;

(ख) क्या इस बीच यह व्यवस्था बन्द कर दी गई है जिसके फलस्वरूप इन गांवों में डाक वितरण पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन गांवों में डाक का वितरण करने के लिए अन्य उपयुक्त साधनों पर विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हाँ । प्रारम्भ में डाक लाने ले जाने का प्रबन्ध स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के साथ 1-7-63 से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था । यह प्रबन्ध अब भी चालू है ।

(ख) जी नहीं । यद्यपि डाक-तार विभाग और गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बीच करार की कुछ शर्तों पर विवाद चल रहा है लेकिन डाक लाना ले जाना बन्द नहीं हुआ है । डाक के वितरण पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स गोल्ड-स्पाट द्वारा एयरेटिड वाटर बाटलिंग मशीनरी का निर्माण

1580. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्ले की एक फर्म गोल्ड स्पाट भारत में एयरोटिड वाटर बाटलिंग मशीनरी का निर्माण कर रही है ;

(ख) क्या इस मशीनरी के भारत में उपलब्ध होने से सरकार ने विदेशों में बनी बाटलिंग मशीनरी के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ग) क्या विदेशी मशीनरी के आयात पर इस प्रतिबन्ध के बावजूद भी गोल्ड स्पाट निर्माताओं को विदेशी मशीनरी के लिए आयात लाइसेंस दिये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस मशीनरी का कुल मूल्य कितना है जिसके लिए मैसर्स गोल्ड स्पाट को लाइसेंस दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 'गोल्ड स्पाट'

के निर्माता मैसर्स पार्ले बाटलिंग कम्पनी, एयरेटिड बाटलिंग मशीनरी निर्णय करने के लिए लाइसेंसीकृत पंजीयित नहीं हैं।

(ख) वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा बाटलिंग मशीनरी के आयात किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

(ग) ऊपर (ख) में दिये गये उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गत दो वर्षों की अवधि में मैसर्स पार्ले बाटलिंग कम्पनी के लिए बाटलिंग मशीनरी को आयात करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के उपरांत से वहां मौतों, गिरफ्तारियों और हिंसात्मक घटनाओं के मामले

1581. **श्री समर गुह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन के उपरान्त से वहां मौतें, गिरफ्तारियाँ तथा हिंसात्मक घटनाओं के नवीनतम आंकड़े क्या हैं ;

(ख) इस राज्य में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने में सभी दलों के संयुक्त प्रयासों को समन्वित करने के लिए प्रयास जारी न रखने के क्या कारण हैं ;

(घ) पश्चिमी बंगाल के सदस्यों द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी पश्चिमी बंगाल की सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1 जुलाई से 15 अक्तूबर, 1971 तक की अवधि में राज्य में 808 व्यक्तियों की हत्या की गई। इसी अवधि में 9712 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये ; 309 अन्तरदलीय झगड़े तथा पुलिस पर 431 आक्रमण हुए।

(ख) सरकार हत्या तथा हिंसा की राजनीति को समाप्त करने के लिये कृत संकल्प है। राज्य में सामान्य स्थिति लाने के लिए सभी सम्भव कदम, निरोधात्मक तथा दण्डात्मक दोनों, कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) इस मामले में सभी दलों का सहयोग मांगा गया है।

(घ) सलाहकार समिति की पिछली बैठक 25-8-1971 को हुई थी। अगली बैठक 2-12-1971 को होने वाली है।

(ङ) राज्य की कानून व व्यवस्था की स्थिति में हाल की प्रवृतियों से सुधार का संकेत प्रतीत होता है हालांकि स्थिति अभी सामान्य नहीं है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों का बर्खास्त किया जाना

1582. **श्री समर गुह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के अनेक कर्मचारियों को बर्खास्त करने के क्या कारण हैं ;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) उन्हें उच्च अधिकारियों को अपने मामले भेजने के अधिकार से क्यों वंचित रखा गया है ;

(घ) इस मामले में बंगाल बन्द का क्या प्रभाव पड़ा ; और

(ङ) पश्चिम बंगाल के प्रशासन में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख). संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परन्तुक (सी) के अनुसरण में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आदेशानुसार राज्य सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुये, हाल ही में पश्चिम बंगाल के 13 अराज-पत्रित कर्मचारी बर्खास्त किये गये हैं ; और संविधान के अनुच्छेद 310(1) का अनुसरण करते हुये पश्चिम बंगाल में स्थित केन्द्रीय सरकार की आर्डिनेन्स फैक्टरियों संस्थानों के 12 कर्मचारी राष्ट्रपति द्वारा नौकरी से हटाये गये थे । संविधान के ऊपर उल्लिखित परन्तुकों को ध्यान में रखते हुए, जिनके अधीन बर्खास्तगी । हटाने के आदेश जारी किए गये थे, बर्खास्त/हटाये गए कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) क्योंकि इन मामलों में क्रमश: राज्यपाल राष्ट्रति द्वारा आदेश पास किये गये थे, अत: कर्मचारियों को अपने मामले उच्च अधिकारियों को भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(घ) कुछ नहीं ।

(ङ) पश्चिम बंगाल की सरकार आचरण और अन्य सेवा-नियमों को सख्ती से लागू कर रही है । वे कर्मचारी वर्ग में से प्रत्येक की जरूरी अलग-अलग और संगठित शिकायतों का पता लगाने की प्रणाली का भी अध्ययन कर रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल में अतिवादी तत्वों के विरुद्ध मामले

1583. **श्री समर गुह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के दौरान पश्चिम बंगाल में अतिवादी तत्वों के विरुद्ध कितने मामले चलाए गए हैं ;

(ख) इन मामलों में कितने व्यक्तियों को सजा दी गई ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को न्यायालयों में पेश कर ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है और कितने अभियोगाधीन व्यक्ति जेलों में हैं जिनके विरुद्ध जांच की कार्यवाही चल रही है ?

गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त

सूचना के अनुसार जनवरी से अक्तूबर, 1971 तक राज्य में उग्रवादी तत्वों के विरुद्ध 3,220 मुकदमें चलाए गए हैं।

(ख) अभी तक किसी भी मुकदमें में दोष सिद्ध नहीं हुआ है।

(ग) 5,729 व्यक्ति न्यायालय में पेश किए जिनमें से 1,614 व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिए गए और शेष अभी तक अदालती हिरासत में हैं।

Enquiry into Affairs of Bharat Heavy Electricals, Ranipur (Hardwar)

1584. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the news, published in the Blitz—(Hindi Weekly) dated the 14th August, 1971 to the effect that C.B.I. inquiry into the matters of the Bharat Heavy Electricals, Ranipur, Hardwar, had revealed that an amount of Rs. 18 lakhs had been paid in the form of demurrage on the machines imported from the U.S.S.R., is correct ; and

(b) if so, the action taken by Government to conduct a high level enquiry in the whole matter ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) There has been no C.B.I. inquiry into the matters of BHEL, Ranipur, Hardwar regarding the demurrage charges paid on the machines imported from U.S.S.R.

(b) Does not arise.

Connection of Pali City with Jaipur by Direct Link Line

1585. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the average number of Trunk Calls being booked daily at the Telephone Exchange, Pali City Rajasthan at present ;

(b) whether there is no direct link line between Pali and Jaipur ; and

(c) whether Government propose to connect Jaipur with Pali through direct link line early ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) About 325 calls are daily booked at Pali City Exchange.

(b) There is no direct link between Pali and Jaipur.

(c) A direct link between these two places is proposed and will be provided as soon as the required transmission equipment is available.

Employment of persons in Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar

1586. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number of employees working in the Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar on daily wages ; and

(b) the number of the uprooted persons who have been given employment and the grades in which they have been kept ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) 1,170.

(b) The total number of persons employed in Bharat Heavy Electricals Limited,

Hardwar, out of those whose land had been acquired for the project is 443 in the following categories :—

1.	Ministerial	28
2.	Skilled workers	30
3.	Unskilled workers	304
4.	Attendants/Peons/Dak Runners	81
	Total	443

Engineering Staff in Bharat Heavy Electricals Ltd., Hardwar

1587. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number of Civil Engieeers and Overseers retrenched year-wise ;

(b) the number Civil Engineers and Overseers who left the organisation, the number of those who were transferred to other departments and number of those whose services were terminated ;

(c) the facilities in respect of pay Scales and Bonus now available to them together with those available to them prior to their transfer ; and

(d) the scheme in regard to re-employment of the retrenched employees ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) The number of Civil Engineers and Oversers retrenched year-wise in Bharat Heavy Elecricals, Hardwar is as under :—

Civil Engineers	nil
Overseers	9 Nos. in 1968 2 Nos. in 1969

(b) The number of Civil Engineers and Overseers who left the organisation, the number of those who were transferred to other departments and number of those whose services were terminated is as under :—

(i) *Left the Organisation* :	
Givil Engineers	25 Nos.
Overseers	11 Nos.
(ii) *Transferred to other Departments* :	
Civil Engineers	12 Nos. (within BHEL Hardwar Unit) 4 Nos. (on deputation outside BHEL)
Overseers	5 Nos. (within BHEL Hardwar Unit) 19 Nos. (on deputation outside BHEL)
(iii) *Terminated* :	
Civil Engineers	Nil
Overseers	11 (retrenched)

(c) The Executive Engineers/Assistant Executive Engineers of the Civil Engineering Department are drawing the same pay, in the same pay scales on transfer to other departments while the pay scales and the pay drawn in respect of Junior Engineers (Civil) and

Oversears (Civil) are as follows :—

No. of persons offered alternative employment	Original Designation, Pay Scale and Pay	Designation, Pay scale and pay in the new Post	Remarks
3	*Jr. Engineer (Civil)* Pay Scale : 270-575 Pay drawn : 300/- D.A. : 146/-	*Purchase Assistants* Pay Scale : 210-425 Pay fixed : 250/- D.A. : 146/-	Two resigned and one working.
	Jr. Engineer (Civil) Pay Scale : 270-575 Pay drawn : 300/- D.A. : 146/-	*Overseer (Prod. Plg.)* Pay Scale : 150-380 Pay fixed : 280/- D.A. : 146/-	Working.
	Overseer (Civil) Pay Scale : 150-380 Pay drawn ; 200/- D.A. : 122/-	*Asstt. Store Keeper Gr. II* Pay Scale : 150-205 Pay fixed : 181/- D.A. : 122/-	One resigned and one working.
	Overseer (Civil) Pay Scale : 150-380 Pay drawn : 200/- D.A. : 122/-	*Tradesman Gr. II* Pay Scale : 150-205 Pay fixed : 181/- D.A. : 122/-	One resigned and one working.
	Overseer (Civil) Pay Scale : 180·430 Pay drawn : 279/- D.A. : 154/-	*Overseer (Canteen)* Pay Scale : 180-430 Pay fixed : 279/- D.A. : 154/-	Working.

Persons who are on deputation outside Bharat Heavy Electricals Limited, Hardwar are drawing the same emoluments as they were drawing prior to their transfer.

(d) The Civil Engineering Officers have been considered for appointment in non-technical departments like Stores, Purchase, Personnel etc. as Stores Officers, Purchase Officers, and Personnel Officers while the Junior Engineers and Overseers have been considered for different positions depending upon their qualifications, experince, background and merits judged by the Selection Committee and they have been offered employments like Overseer (Canteen), Tradesman Gr. II, Store Keeper, Overseer (Planning), Purchase Assistants etc.

Interview with a Correspondent of "Desh Pradesh" by a Former Punjab Minister Re. "Sikhistan"

1588. **Shri M. C. Daga :** **Shri Mohammed Sheriff :**
Shri Arjun Sethi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Dr. Jagjeet Singh a former Minister of Punjab, has apprised the correspondent of Desh Pradesh published from England of the plan for the formation of "Sikhistan" India.

(b) whether Pakistan is providing financial assistance to disruptive elements like Dr. Jagjeet Singh for launching anti-India campaign ; and

(c) if so, the nature of assistance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Government have seen the relevant press reports.

(b) and (c). There is reason to suspect that Pakistan has been financing the activities of Dr. Jagjeet Singh.

नई दिल्ली स्थित इर्विन अस्पताल से लगी पटरी पर पड़े हुए शव का पाया जाना

15 0. **राजमाता कृष्णा कुमारी जोधपुर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 सितम्बर, 1971 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की जांच करवाई गई है कि इर्विन अस्पताल नई दिल्ली से लगी पटरी पर एक शव पाया गया था जो वहां 24 घंटे से अधिक समय तक पड़ा रहा ; और

(ख) क्या गश्त लगाने वाले पुलिस मैन अथवा पुलिस की गश्ती गाड़ी तक भीड़भाड़ वाले इस मार्ग पर एक दिन और एक रात तक पड़े रहे इस शव को नहीं देखा था ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). रिपोर्ट की जांच की गई थी। 6-9-71 को इर्विन अस्पताल के सामने स्टाल वालों ने सड़क पर पड़े एक भिखारी को देखा था। भिखारी पूर्वाह्न लगभग 10 बजे जीवित था और फिर किसी समय उसकी मृत्यु हो गई। स्टाल वालों ने कन्ट्रोल रूम को सूचित किया उन्होंने दरियागज थाने को सूचित किया। 12 बजकर 3 मिनट पर दरियागंज थाने में एक रिपोर्ट डी०डी० नं० 43-बी दर्ज कराई गई और एक अधिकारी तुरन्त स्थल पर गया। उसने जांच की और शव परीक्षा के लिए शव भेजा। शव परीक्षा रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। यह कहना गलत है कि शव सड़क पर एक दिन और एक रात तक पड़ा रहा।

मदुराई (तमिलनाडु) में औद्योगिक एककों की स्थापना

1591. **श्री रा० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि तमिलनाडु राज्य में मदुराई औद्योगिक रूप से विशेषकर इन्जिनियरी उद्योग में पिछड़ा हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस जिले में भारी उद्योग एकक स्थापित करने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख). मदुरै घोषित पिछड़े जिलों में से एक है और उसे जिले में उद्योग लगाने के लिए रियायती दर पर वित्ताय संस्थाओं से आर्थिक सहायता उपलब्ध है। इसके साथ ही तनिलनाडु के 10 तालुके 10 प्र०श० केन्द्रीब अनुदान अथवा वित्तीय सहायता पाने के पात्र है जिनमें से मेलूर नामक एक तालुका इसी जिले का है। फिलहाल इस जिले में सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योग का केन्द्रीय एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में उद्योगों की अनुपयुक्त क्षमता का उपयोग

1592. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न उद्योगों में 1968 से 1970 तक वर्ष वार कितनी कितनी क्षमता अनुपयुक्त रही ; और

(ख) इस सम्बन्ध में विद्यमान सभी असंतुलनों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) उन पृथक पृथक उद्योगों की समस्यायें जिनमें क्षमता का कम प्रयोग हो रहा है, निरन्तर सरकार के ध्यान में है और विभिन्न उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता के पूर्णतम उपयोग को सरल बनाने के लिये हर सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में दर्ज मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता

	उद्योग का नाम	माप का एकक	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	1968 अप्रयुक्त क्षमता	1969 अप्रयुक्त क्षमता	1970 अप्रयुक्त क्षमता
	1	2	3	4	5	6
1.	औद्योगिक मशीनें	रु० लाख	200	141.52	113.96	111.03
2.	कृषि उद्योग	संख्या	60000	18685	3013	23761
	बेल्डिंग इलेक्ट्रोड	दस लाख रनिंग मीटर	1968-69 में 42 और 1970 में 60	14	कुछ नहीं	8
4.	इस्पात की ढली वस्तुयें	मी० टन	5000	4838.48	4090.08	4251.50
5.	इस्पात की गढ़ी वस्तुयें	—	—	50 प्रतिशत	62 प्रतिशत	60 प्रतिशत
6.	ढलवें लोहे के स्पन पाइप	—	—	—	80 प्रतिशत	50 प्रतिशत
7.	क्लोरोसल्फोनिक एसिड	मी० टन	3600	1636	2175	2009
8.	एस० सुपरफोस्फेट	वही	75000	33828	18898	27136
9.	पार्टिकल बोर्ड एण्ड डेन्सीफाइलड बुड	—	—	72 प्रतिशत	63 प्रतिशत	6[illegible] प्रतिशत
10.	इस्बेस्टोस सीमेंट उत्पादन	—	—	76 प्रतिशत	72 प्रतिशत	57.3 प्रतिशत
11.	ऊष्म सह वस्तुयें	मी० टन	83640	19440	18390	1284[illegible]
12.	बिनौले का तेल उद्योग	मी० टन	42800	36 प्रतिशत	30 प्रतिशत	45 प्रतिशत
13.	सीमेंट	दस लाख टन	2.50 लाख टन	30 प्रतिशत	20 प्रतिशत	[illegible]6 प्रतिशत
14.	साबुन	मी० टन	1500	1379	1288	1297

मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योग स्थापित कर असमानताओं को हटाना

1593. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिये हाल ही में कुछ अतिरिक्त ग्रामीण योजनायें मंजूर की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व मंजूर की गई औद्योगिक योजनाओं के बारे में अनुभव क्या है और नई मंजूर की गई योजनाओं के परिणामस्वरूप, पिछड़े क्षेत्रों के विकास से इन असमानताओं के कहां तक दूर होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां । राज्य को चार ग्रामीण उद्योग परियोजनायें आवंटित की गई हैं ।

(ख) 1962-63 के मध्य प्रदेश के भिलाई, भिंड, सरगूजा तथा पूर्वी निमाड़ में चार ग्रामीण उद्योग परियोजनायें चल रही हैं । इन सभी क्षेत्रों में परियोजना की प्रगति पर्याप्त रूप से संतोषजनक हो रही है । इन क्षेत्रों में प्लास्टिक, बेकरी, इस्पाती फर्नीचर, टायर रिट्रेडिंग, कृषि के उपकरण, चमड़े की वस्तुएं, कंटीलेतार, सिले-सिलाये वस्त्र, रेडियो की मरम्मत आदि के 1154 नये उद्योग स्थापित किये गये हैं। घंटे की धातु के बनाने, बढ़ईगीरी, लुहारगीरी आदि के क्षेत्र में सामान्य सुविधा केन्द्र भी खोले गये हैं। इन उद्योगों से कुल 6800 व्यक्तियों को रोजगार मिला है । इस प्रकार की परियोजनाओं को सफलता से राज्य के विकास में असंतुलन को कम करने में निःसंदेह सहायता मिलेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय को ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में चीनी के कारखानों और गन्ना उत्पादकों की कठिनाईयां

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : श्रीमान, मैं कृषि मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :

सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य उसके वसूली मूल्य से कम निर्धारित किए जाने के कारण उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में चीनी के कारखानों और गन्ना उत्पादकों की कथित कठिनाइयां ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : भारत सरकार केवल निर्वात पात्र (वेक्यूम पेन) चीनी कारखानों द्वारा दिया जाने वाला गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है । वास्तव में दिया जाने वाला मूल्य वेच काल के रूप में गन्ना उत्पादकों और खरीदार के रूप में चीनी कारखानों के बीच तय होता है । । गन्ने का न्यूनतम मूल्य गन्ना पैदा करने वाले राज्य की सरकारों, गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग की एसोसियेशनों, कृषि मूल्य आयोग आदि से प्राप्त सिफारिशों पर विचार करने के बाद निर्धारित किया जाता है । इस मूल्य को निर्धारित करते समय विभिन्न तथ्यों को जैसे कि गन्ने की उत्पादन लागत, उत्पादक को वैकल्पिक फसलों

से लाभ और कृषि अन्य वस्तुओं के मूल्य की सामान्य प्रवृत्ति, उपभोक्ता को उचित मूल्य पर चीनी की प्राप्यता और चीनी उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है, का ध्यान में रखा जाता है।

2. सरकार ने सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार करने के बाद 1971-72 के मौसम में निर्वात पात्र चीनी कारखानों द्वारा खरीदे गये गन्ने के लिए गन्ने का मूल न्यूनतम मूल्य 9·4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि पर 7.37 रुपये प्रति क्विंटल जारी रखने का निर्णय किया है लेकिन उपलब्धि में 9·3 प्रतिशत से प्रत्येक 0·1 प्रतिशत की वृद्धि पर मूल्य में 6·6 पैसे अधिक देने की व्यवस्था है। सरकार ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक नहीं समझा था क्योंकि इससे चीनी के मूल्यों में और वृद्धि हो जाती। सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि की प्रतिक्रिया अन्य प्रतियोगी फसलों के मूल्यों पर होती जिससे मुद्रास्फीति की प्रवृतियों को बढ़ावा मिलता।

3. आशा है कि निर्धारित न्यूनतम मूल्य केवल सैद्धातिक मूल्य रहेगा क्योंकि चीनी उद्योग को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उन से यह आशा की जाती है कि वे मौजूदा स्तर पर चल रहे चीनी के ऊंचे मूल्यों से हो रहे अपेक्षाकृत अधिक लाभ के कारण सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य देंगे। उद्योग से प्राप्त सूचना के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि वे गन्ने का निम्नलिखित मूल्य देने का विचार हैं :—

	रु० प्रति क्विंटल
पश्चिमी उत्तर प्रदेश	8.50
मध्य उत्तर प्रदेश	8.00
पूर्वी उत्तर प्रदेश	8.00
पंजाब	9.50
हरियाणा	8.50 तक
महाराष्ट्र	11.50 खेत पर
मैसूर	9.50 से 11.50 तक
आंध्र प्रदेश	9.00
तमिल नाडु	7.50 से 8.00 तक

Shri Narsingh Narain Pandey : The Minister of Agriculture had previously said that the sugar cane price would be fixed after taking into consideration the price structure and the price of fertilizer and that the cane growers would be fully satisfied with that. I am sorry to find that the present statement is a repetition of the statement given for the year 1970-71. A study of this statement reveals what consideration our Government have about the cane growers.

The hon. Minister has said that the Cane Growers' Association, the sellers and the sugar factories have agreed to the sugar cane price being fixed at Rs. 7.37. Is it a fact that sugar Mills Association has said that the yield of sugercane has declined by 30-35 percent ? Have they considered this aspect ? Some of the Chief Minister including the Chief Minister of U. P. have asked to fix the sugarcane price at Rs. 10.00. During the period from 1968 to 1971, no sugar policy has been formed. It has been stated that the prices would be stabilized, where as the prices of sugar are constantly rising.

A stated by the Government, "In 1962 the Government adopted a system of minimum price fixation related to the recevery of sugar from sugar-cane." Now, in the representation from Mill Owners Associations, it has been stressed not to fix the sugercane price at less then Rs. 9.00. Which came-growers Association or consumers Association they consulted in fixing the price at Rs. 7.37 ?

Between 1968 and this year, and the bureaucrats of the Food Ministry have earned a bad name for the Government. Even when some decisions are taken, they are not be implemented. That is why we wanted nationalization of the sugar industry. Unless that is done, neither consumers would get sugar at Cheaf rates nor the presants would get appropriate price for sugarcane.

Under the Essential Commodities Act, they issued sugarcane Control Order.

Mr. Speaker : Please ask the question.

Shri Narsingh Narain Pandey : The Ministry of Food and Agriculture order of 16th July, 1966 clause 3 says ;

> "The central Government may after, consultation with such authorities, bodies or associations as it may deem fit, by notification in the official Gazette, from time to time, fix the minimum price of sugarcane to be paid by producers of sugar or their agents for the sugarcane purchased by them having regard to—
>
> The cost of production of sugarcane ;
>
> The return to the grower from alternative crops and the geveral trend of prices of agricultural commodities."

In that context, I want to ask as to what is the policy in pursuance of which the price of Sugarcane has been fixed at Rs. 7.37 ? Due to such policies the sugarcane production has declined to 70 per cent. Continuation of this policy would create scarcity of sugar in the entire country.

Prof. Sher Singh : Sugar was de-controlled on the 25th May and sugar prices started to fall thereafter. Now that the sugar prices are rising again, we have told the mill owners that they would have to pay for the sugarcane in accordence with the higher sugar prices being received by them.

The Government fixes minimum prices of sugarcane and higher prices can be paid by mutual discussions and that is what is happening.

There is some printing mistake in the statement. The year 1971-72 has been wrongly printed as 1970-71. The members may please correct it.

The different State Goveranments have given different suggestions, as follows :

Andhra Pradesh	Rs. 7.37 (linked to 9.5 per cent recovery)
Bihar	Rs. 10
Gujarat	(No suggestion has been received)
Haryana	Rs. 10
Kerala	Rs. 7.37
Madhya Pradesh	Rs. 8 (linked to 9.4 per cent recovery)
Mysore	Rs. 7.67
Rajasthan	Rs. 7.37
Tamil Nadu	Rs. 7.37 (if the recovery is less, the price would also be less)
U.P.	Rs. 10 (linked to 9 per cent recovery)
Bihar Sugarcane Growers' Association :	Rs. 10.00
Indian Sugar Mills Association :	Rs. 9
Deccan Sugar factories Association	Rs. 8
South Indian Sugar Mills Association :	Rs. 7.37
National Federation of co-operative Sugar Factories Ltd.	Rs. 7.37 (linked to recovery of 8.4 per cent)

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि फैक्टरियां निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य देंगी । यदि सरकार तुरन्त आंशिक नियंत्रण लागू नहीं करती तो गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल सकता । यदि गन्ने का मूल्य 15 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित नहीं किया जाता तो फैक्टरियों को गन्ना नहीं मिल पायेगा ।

हमें यह नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि फैक्टरियों ने कह दिया है इसलिये वे उचित मूल्य दे देंगी । 40 प्रतिशत चीनी पर आंशिक नियंत्रण किया जाना चाहिए तथा गन्ने का मूल्य 15 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाना चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो चीनी पांच रुपया किलो बिकेगी ।

आपके विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाएगा तो अन्य वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ेंगे । गेहूँ आदि के मूल्य पहले ही बढ़ गये हैं ।

प्रो० शेर सिंह : कई मिलों में कार्य आरम्भ हो गया है और वे गन्ने के निर्धारित मूल्य दे रही हैं । मूल्य अधिक हैं तथा मिल-मालिक उन्हें देने की स्थिति में हैं । अतएव माननीय सदस्य का भय निरर्थक है ।

जहां तक आंशिक नियंत्रण का प्रश्न है, हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : गन्ने के मूल्य-निर्धारण का निश्चय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था अतएव केवल प्रधान मंत्री ही बता सकती हैं कि क्या उनका विचार इस पर पुनर्विचार करने का है ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रेडियम प्रोटेक्शन नियम, 1971

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत रेडिएशन प्रोटैक्शन नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1602 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये** एल० टी० संख्या 1090/71]

कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, के 1 अक्तूबर 1969 से 30 सितम्बर, 1970 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, का 1 अक्तूबर, 1969 से 30 सितम्बर, 1970 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये** एल० टी० संख्या 1091/71]

(2) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स, लिमिटेड, जयपुर, के 1 अक्तूबर 1969 से 30 सितम्बर 1970 की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर, की 1 अक्तूबर, 1969 से 30 सितम्बर, 1971 की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेख और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** एल० टी० संख्या 1092/71]

जांच समिति (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के प्रतिवेदन

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : जांच समिति (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) के प्रतिवेदन (भाग 2) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** : एल० टी० संख्या 1093/71]

भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनायें

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : मैं भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय टेलिग्राफ (दशवां संशोधन) नियम 1971, जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1144 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये**। एल० टी० संख्या 1094/71]

(2) भारतीय टेलीग्राफ (ग्यारहवां संशोधन), नियम, 1971 जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 अगस्त, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1145 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये**। एल० टी० संख्या 1095/71]

(3) भारतीय टेलीग्राफ (चौदहवां संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1419 में प्रकाशित हुये थे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** एल० टी० संख्या 1096/71]

पंजाब सम्बन्धी अध्यादेश

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 15 जून, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213

(2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित पंजाब अध्यादेश की एक-एक प्रति :—

(एक) पंजाब मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 1), जो पंजाब के राज्यपाल द्वारा 10 नवम्बर, 1971 को प्रख्यापित किया गया था।

(दो) पंजाब यात्री और माल कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 2), जो पंजाब के राज्यपाल द्वारा 10 नबम्बर, 1971 को प्रख्यापित किया गया था।

(तीन) भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन), अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 3), जो पंजाब के राज्यपाल द्वारा 10 नवम्बर, 1971 को प्रख्यापित किया गया था।

(चार) पंजाब साधारण विक्रय-कर संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 4), जो पंजाब के राज्यपाल द्वारा 13 नवम्बर, 1971 को प्रख्यापित किया गया था। [**ग्रंथालय में रखे गये।** देखिये एल० टी० संख्या 1097/71]

(2) उपर्युक्त अध्यादेशों का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया।** **देखिये** एल० टी० संख्या 1098/71]

सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1971

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4034 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** एल० टी० संख्या 1099/71]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 139 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3621 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित थी। [**ग्रंथालय में रखा गया।** देखिये एल० टी० संख्या 1100/71]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3323 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 4 सितम्बर 1971 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** एल० टी० संख्या 1101/71]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTION

सातवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पाकिस्तान में आपात-स्थिति की घोषणा तथा भारत-पाकिस्तान सीमा की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DECLARATION OF EMERGENCY IN PAKISTAN AND SITUATION ON INDIA-PAKISTAN BORDER

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सदन पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खां की उस घोषणा से अवगत है जिसके माध्यम से कल उन्होंने समूचे पाकिस्तान में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। उनकी यह कार्यवाही बंगला देश से विश्व का ध्यान हटाने और उस स्थिति के लिए जो उन्होंने स्वयं उत्पन्न की है, भारत को दोषी ठहराने के प्रयत्नों की पराकाष्ठा है। सैनिक शासन द्वारा जिसने गत आठ मास से बंगला देश की जनता के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है और जो पिछले 3-4 महीनों से हमें पूर्ण युद्ध की धमकी दे रहा है, ऐसी घोषणा का अपनी जनता व विश्व को धोखा देने के अलावा और कोई अर्थ नहीं है।

राष्ट्रपति याह्या खां के ईद-संदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अन्ततः वह विश्व के अनेक नेताओं की इस सलाह पर ध्यान देने लगे हैं कि समस्या को सेना के बल पर हल न करके, उसका राजनीतिक हल निकाला जाये। हमें आशा है कि पाकिस्तान में आपातकालीन स्थिति की घोषणा राजनीतिक हल खोजने से बचने का उपाय नहीं है।

मानसून के बाद मुक्तिबाहिनी की सफलता ने पाकिस्तान के सैनिक शासन की योजना को अस्त-व्यस्त कर दिया है। बंगला देश की मुक्ति सेना ने अपनी पूरी जनता के सहयोग से पाकिस्तानी सशस्त्र सेना को भारी क्षति पहुंचायी है और अपनी मातृ-भूमि का बड़ा भाग मुक्त करा लिया है।

हम लगभग एक करोड़ भयभीत पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का बहुत बड़ा भार उठाये हुए हैं, जो कि पाकिस्तानी दमन से बचने के लिए भाग कर आए हैं। ये शरणार्थी सुरक्षा व सम्मान की गारंटी मिलने पर स्वदेश लौटना चाहते हैं। हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि ये शरणार्थी उक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत यथाशीघ्र स्वदेश लौटें।

पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं हमारे सीमा क्षेत्रों पर गोलाबारी करके जीवन व संपत्ति को नुकसान पहुँचा रही है। उसकी वायुसेना ने जानबूझ कर कई बार हमारी वायुसीमा का उल्लंघन किया और एक बार तो उसका विमान श्रीनगर तक चला आया। उसके गुप्तचर और तोड़-फोड़ करने वाले ट्रेनों और पुलों को उड़ा रहे हैं। मार्च 1971 से हमने 890 घटनाओं के बारे में 66 विरोधपत्र भेजे हैं। लेकिन इन विरोधों का कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तान प्रचार कर

रहा है कि हम उसके साथ अघोषित युद्ध में उलझे हैं और हमने टैंकों व भारी संख्या में सेना से उस पर हमला कर दिया है, वह बिल्कुल गलत है। वास्तव में पाकिस्तान ने ही हमें पूर्ण युद्ध की धमकी दी और अपनी सशस्त्र सेनाओं को वह सीमा पर ले आया और उसने 'भारत जीतो' 'भारत को कुचलो' नारों के साथ भारत के विरुद्ध घृणा-आंदोलन शुरू कराया। इसलिये हमें भी अपनी सेनाओं को देश की एवं जनता की जान-माल की रक्षा करने के लिए रक्षात्मक मोर्चों पर तैनात कर दिया। हमारा इरादा स्थिति को भड़काने या संघर्ष शुरू करने का कभी नहीं रहा। और इसीलिए हमने अपनी सेनाओं को निर्देश दिया है कि वह आत्मरक्षा को छोड़ कर, अन्यथा सीमा पार न करे। हम 1947-48, जनवरी 1965 और अगस्त-सितम्बर 1965 के अपने अनुभवों की उपेक्षा नहीं कर सकते।

21 नवम्बर को पाकिस्तान की पैदल सेना ने, टैंकों व तोपखाने की सहायता से मुक्ति-वाहिनी पर, जो वायरा के आसपास के मुक्त किये क्षेत्र पर डटी थीं, भारी हमला बोल दिया। पाकिस्तान की बख्तर बंद सेना हमारी सीमा की ओर बढ़ती आयी जिससे हमारे सुरक्षा मोर्चों को खतरा पैदा हो गया। उनके गोले हमारे क्षेत्र में गिरे जिससे अनेक व्यक्ति घायल हो गये। हमारे स्थानीय सैनिक कमांडर ने पाक हमले को विफल करने के लिए उपयुक्त कदम उठाया जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान के 13 टैंक नष्ट हो गये।

नवम्बर को पाकिस्तान के चार सैबर जेटों ने हमारे ठिकानों पर हमला करने का प्रयत्न किया। हमारे नैट विमानों ने इनका भारतीय वायु-सीमा के अन्दर मुकाबला किया और तीन सैबर जेट विमानों को मार गिराया। दो पाक विमान चालकों को, जो पैराशूट से उतर आये थे, भारतीय क्षेत्र में ही बंदी बना लिया गया। किन्तु हम इसे विशुद्धतः स्थानीय कार्रवाई मानते हैं।

हालांकि पाकिस्तान ने आपत्कालीन स्थिति की घोषणा की है, हम तब तक ऐसा कदम नहीं उठायेंगे जब तक कि पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाइयां राष्ट्रीय हित में हमें ऐसा कदम उठाने से मजबूर नहीं करेंगी। इस बीच देश दृढ़ता कायम रखे। हमारी साहसी सेनाएं और जनता पाकिस्तान के किसी भी कदम का उपयुक्त उत्तर देगीं। पाकिस्तान के शासकों को वह महसूस करना चाहिए कि शांति का रास्ता—शांतिपूर्वक बातों व समझौते का—युद्ध जनतंत्र व स्वाधीनता को कुचलने के रास्ते से कहीं अधिक हितकर है।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छठा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 23 नवम्बर 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

श्री एच० एम० पटेल (टंढुका) : मैं ने आपको लिखा है कि 25वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिये और अधिक समय दिया जाये । विरोधी दलों को पूरा अवसर दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपका पत्र मुझे मिल गया है । मैं इसका उल्लेख करने वाला था परन्तु इस बीच आप बोल पड़े । कार्य मंत्रणा समिति में इस बारे में बहुत चर्चा हुई थी और अब इसके लिए आठ घण्टे का समय रखा गया है ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : Discussion on the draft on Land Reforms received from the Bihar Government should be included in the agenda for the next week.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यदि आप उस विशेष चर्चा के समय में वृद्धि नहीं करते तो मेरा अनुरोध है कि आप हम लोगों को कुछ अधिक समय बोलने के लिए दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रयत्न करूंगा परन्तु वचन नहीं दे सकता ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण संविधान (संशोधन) विधेयक है । इससे संविधान का पूरा ढांचा ही बदल जायेगा । कम से कम तीन दिन का समय दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : पहले चार घण्टे का समय रखा गया था । इसको बढ़ाकर आठ घण्टे कर दिया गया है ।

श्री एच० एम० पटेल : इसके लिए कम से कम तीन दिन का समय रखा जाना चाहिए ।

श्री राज बहादुर : हमारा विचार था कि ऐसे विधेयक के लिये जो लोगों की आकांक्षाओं के अनुकूल है, सभा का अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिए । कार्य मंत्रणा समिति में हम ने आठ घण्टे समय देना मान लिया था । इस विधेयक पर चर्चा के लिये आवश्यकता से अधिक समय नहीं लिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से, जो 23 नवम्बर 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

मेघालय में मैलान और बालात के शरणार्थी शिविरों की स्थिति के बारे में

RE : SITUATION IN MAILAN AND BALAT REFUGEE CAMPS IN MEGHALAYA

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं मैलान और बालात के शरणार्थी शिविरों में उत्पन्न चिन्ताजनक स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह केवल छः वर्गमील का क्षेत्र है और इसमें तीन लाख से अधिक शरणार्थी रहते हैं । वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है । हाल ही

में हमने इस स्थान का दौरा किया था और देखा था कि लगभग 20,000 लोग बिना छत के रह रहे हैं। उनके मकान जल चुके थे। वहां पर संचार तथा परिवहन की व्यवस्था का अभाव है। लोगों के पास सर्दी से बचने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। उनकी झौंपड़ियों को पाकिस्तान के तोड़फोड़ करने वाले व्यक्तियों द्वारा जला दिया गया है। सरकार द्वारा पर्याप्त पूर्वोपाय न किये जाने के कारण क्या हैं ? यह एक गम्भीर मामला है और मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : यह सच है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान ने तोड़फोड़ की गतिविधियां तेज कर दी हैं मुझे जो प्रथम सूचना मिली थी उसके अनुसार लगभग 15,000 लोग बेघर हो गये हैं। अन्य मामलों के बारे में मैं मेघालय सरकार से जानकारी प्राप्त करके वक्तव्य दूंगा।

विभागीय जाँच (साक्षियों को उपस्थिति का प्रवतन और दस्तावेजों को प्रस्तुत करना) विधेयक

DEPARTMENTAL INQUIRIES (ENFORCEMENT OF ATTENDANCE OF WITNESSES AND PRODUCTION OF DOCUMENTS) BILL

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय विभागीय जांचों के समय साक्षियों की उपस्थिति का प्रवर्तन और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा उनसे सम्बन्धित अथवा उनके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि कतिपय विभागीय जांचों के समय साक्षियों को उपस्थिति का प्रवर्तन और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा उनसे सम्बन्धित अथवा उनके आनुषगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री राम निवास मिर्धा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक

FORWARD CONTRACTS (REGULATION) AMENDMENT BILL

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : मैंने विचार करने के लिए पहले ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। इसमें केवल खण्ड दो ही महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) (जी) में सभी नागरिकों को कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया है परन्तु इसके साथ-साथ अनुच्छेद 19 (6) में यह कहा गया है कि आम जनता के हित में प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाने में सरकार को नहीं रोका जायेगा।

सरकार की यह इच्छा है कि वह बिचौलिये द्वारा उत्पादक और उपयोक्ता के शोषण को रोके। कृषि उत्पादों में वायदे के व्यापार को रोकने की भी सरकार की इच्छा है। अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम में वायदे के सौदों के विनियमन के लिए सरकार को शक्तियां दी गई हैं। सरकार उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा अर्थव्यवस्था के हित में इन शक्तियों का प्रयोग कर रही है। मूंगफली तथा मूंगफली के तेल जैसी मदों में सभी प्रकार के वायदा व्यापार पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। सरकार को पता लगा है कि कुछ लोग तुरन्त डिलिवरी के नाम पर सट्टा करते हैं। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत ग्यारह दिन में डिलिवरी लेनी होती है। अब ऐसा काम करने वालों को तुरन्त डिलिवरी लेकर पैसे देने होंगे। कदाचारों को रोकने के लिए 11 अक्तूबर 1971 को अध्यादेश जारी किया गया था। मैं सट्टा करने वालों को सख्त चेतावनी देना चाहता हूं कि वे कानून के उपबन्धों का दुरुपयोग न करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

Shri M. C. Daga (Pali) : I beg to move my amendment. In my view this Bill will not solve any problem. The businessmen will not show in their accounts whether a particular deal is "forward trading or in speculation. The Government's policies in regard to prodution have failed and that is why the Government have brought this Bill. I want to know the number of cases in forward trading detected by Government. I want to know as to what Government understands from the terms forward trading and speculation.

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मन्त्री इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री घनश्याम ओझा : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर पांच मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने में सरकार ने इतना समय क्यों लिया है। प्रतिभूतियों में सट्टा लगाने पर पहले ही रोक लगा दी गई थी। परन्तु पता नहीं सरकार द्वारा फिर समिति नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं। वास्तव में सरकार ने बड़े बड़े व्यापारियों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है।

कुछ समय पूर्व यह बताया गया था कि विभिन्न राज्यों में अवैध सट्टे के लिए 77

छापे मारे गये थे । जब तक सरकार कानून की भावना पर अमल नहीं करती तब तक कानून से कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

आयकर विभाग ने एक आपरेशन 'रेड' चलाया था और हम जानते हैं कि उसके क्या परिणाम निकले थे । गत वर्ष से भी कम आयकर की बकाया राशि वसूल हुई थी ।

सराफा बाजार में सबसे अधिक सट्टा होता है । फतेहपुरी में लगभग प्रतिदिन पन्द्रह लाख रुपये एक से दूसरे हाथों में जाता है । पुलिस छापे मारती है परन्तु वह केवल दिखावा ही करती है ।

तीन प्रकार की बुराइयां हैं । 'रेडी' मार्किट, वायदा बाजार और तीसरी बुराई है 'फ्यूचर मार्किट' इनसे बड़े-बड़े अमीर लोगों को लाभ हो रहा है । ऐसा सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ से हो रहा है ।

जहां तक तस्करी का सम्बन्ध है प्रतिवर्ष लगभग 400 करोड रुपये की तस्करी होती है। जहां तक माल कम भेजने और बीजक अधिक बनने की बात है मैं 1967 से सरकार का ध्यान इस ओर दिला रहा हूं । कालेधन के परिचालन की ओर भी मैंने अनेक बार सरकार का ध्यान दिलाया है । यह सभी काम सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ से होते हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि इसको दूर करना कठिन हो रहा है। अनेक सौदे लिखित रूप में नहीं किये जाते जिससे आयकर में हानि होती है और थोड़े शेयर रखने वालों तथा मजदूरों को भी हानि होती है । पटसन तथा पटसन से बनी वस्तुओं के सौदों में बहुत कदाचार होते हैं । बी ट्विल बोरों का वजन $2\frac{1}{4}$ पौंड होता है परन्तु इसके वजन को कम भी किया जा सकता है । यदि सरकारी आर्डर पर माल सप्लाई करना हो तो अधिकारियों की सांठ-गांठ से इसका वजन दो पौंड कर दिया जाता है । बड़े-बड़े व्यापारी जो अमरीका को पटसन के कारपेट बेचते हैं वे सरकार को लगभग 400 रुपये प्रतिटन विदेशी मुद्रा का धोखा देते हैं । इसी प्रकार देश को आयकर की हानि होती है । इतनी ही हानि मजदूरों को भी होती है । सरकार सब कुछ जानती है परन्तु वह बड़े-बड़े लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना चाहती । क्या सरकार बतायेगी कि गत बारह महीनों में पटसन से बनी वस्तुओं का औसतन रजिस्टर्ड निर्यात मूल्य क्या था ? इन सभी का उत्तर यही है कि पटसन व्यापार और पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।

हाल में बी० पी० बोद्दर ने अमलगा मेरिड मिल्स के शेयर खरीदे हैं । थोड़े-थोड़े शेयर रखने वाले लोगों ने सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं, श्री ओझा को इस ओर ध्यान देना चाहिए । इन सभी चीजों का हल यही है कि आयात तथा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाये ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : श्रीमान् भविष्य में माल परिदान करने के सौदे की आड़ में कुछ सट्टेबाज, जमाखोर और मुनाफाखोर वायदा व्यापार या सट्टेबाजी करते हैं । अग्रिम संविदा (विनियमन) विधेयक की कमियों को पूरा करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है । किन्तु इस संशोधन से भी कोई ठोस लाभ नहीं होगा । हम तो चाहते हैं कि अग्रिम संविदा व्यवस्था बिल्कुल ही समाप्त कर दी जाये । समस्या का स्थायी समाधान यही है । सरकार ने 1953, 1957 और 1960 में कुछ अधिनियम बनाकर वायदा व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया किन्तु यह व्यापार पूरे देश में अब भी चालू है । गुड़ के सम्बन्ध में वायदे के सौदों पर सरकार की कार्यवाही से गुड़ के मूल्य 132.50 रुपये प्रति क्विटल से घटकर केवल 85 रुपये प्रति

क्विटल रह गये हैं । वायदा व्यापार से उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होता । दूसरी बात, जिसकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यह है कि रिजर्व बैंक ने रूई के व्यापार के लिए ऋण देने में कुछ ढील दे दी है, हालांकि वित्त मंत्री ने लोक-सभा में यह आश्वासन दिया था कि उन वस्तुओं के व्यापार के लिए ऋण नहीं दिया जायेगा जहां सट्टा व्यापार की गुंजाइश है । प्रस्तावित संशोधन जैसे संशोधनों से वायदा व्यापार को पूर्णतः नियंत्रित करने का हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा । अग्रिम संविदा करने वाले व्यापारी इन कानूनों की कमियों से लाभ उठाते हैं । अतः कानूनों में संशोधन-मात्र से कोई लाभ नहीं है । वायदा व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर देना ही उचित है । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन-विधेयक का विरोध करता हूं ।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) · Mr. Deputy Speaker, Sir, the forward trading has played a very important role in the history of our country. This is a system of trading in which nothing is purchased and nothing is sold ; only verbal contracts are made in respect of certain commodities. No law can be fool proof. The same thing is true with enforcement machinery of Government. The traders who indulge in forward trading are undoubtedly rich and they take advantage of the loopholes in the legislation. They also influence those people who are to enforce the enactments.

The producers as well as the consumers suffer on account of forward trading. That is why people have asked for banning forward trading completely. But I would like to suggest here that State Trading should be started soon in agricultural commodities and raw material. With these words, I support the Bill as it will give at least some relief to the people effected by forward trading.

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सन्देह नहीं है कि अग्रिम संविदा (विनियमन) विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। किन्तु यह भी सच है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने का कारण वायदा व्यापार ही है । सट्टाखोर और जमा-खोर हमारे समाज के मूल्य पर अन्धाधुन्ध धन कमाते हैं । वे कानूनों में कहीं न कहीं कमी खोज लेते हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए तोड़-मरोड़ लेते हैं । ये लोग ऐसा उस समय तक करते रहेंगे तब तक वायदा व्यापार को बिलकुल बन्द नहीं कर दिया जाता । उदाहरण के लिए, मूंगफली आदि के जो अग्रिम सौदे होते हैं, उनसे उत्पादकों और मूंगफली के तेल के उपभोक्ताओं को हानि होती है । गुड़ के वायदा व्यापार पर जो प्रतिबन्ध सरकार ने लगाया है उससे गुड़ के मूल्य बहुत अधिक गिर गए हैं ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में वायदा व्यापार आयोग का उल्लेख तो किया गया है किन्तु केवल 14 पंक्तियों में । उसके कृत्यों के बारे में केवल चार पंक्तियां लिखी गई हैं । इतना महत्वपूर्ण संगठन और उसके बारे में इतना कम उल्लेख । इस बात का कतई उल्लेख नहीं किया गया कि उक्त आयोग के प्रवर्त्तन विभाग ने कितने छापे मारे और कितने सट्टाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ।

यदि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सट्टाखोरों के चंगुल से बचाना चाहती है, यदि वह अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य को स्थिर करना चाहती है, यदि वह 50 करोड़ लोगों का हित

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतरण ।

Summarised translated version of English translation of the speech delivered in Tamil.

चाहती है, तो उसे वायदा व्यापार को पूर्णतः रोकना होगा। सरकार के नेक इरादे केवल पत्र तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मुझे पूर्ण आशा है कि इस कानून को सरकार अपने पूर्ण सामर्थ्य से लागू करेगी।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, there cannot be opposition to the steps taken by Government to ensure the availability of essential commodities to all people. But I doubt that this Bill will serve the purpose for which it has been brought here. Government have passed several legislations in this respect, but people derived no benefit therefrom. In stock exchanges, the speculation is going on in the guise of forward trading. Mere passing of Bills will not do. For implementation of a legislation, proper atmosphere should be created. The reason, why hoarding and profiteering is increasing, is that proper atmosphere for implementation of such legislation has not been created. This tendency encourages speculation and speculation causes fluctuation in the prices.

There is no doubt that the intention of Government is good behind this amendment, but the provisions of such legislation are not implemented in full because of lack of enforcement machinery. Unless your machinery, whether it is Market Commission or any other agency, is sufficient and efficient, the law will not be enforced fully. Unless a law is put into practice, it is of no use. A number of laws are there and they give sufficient power to Government to deal with speculation and to control forward contracts but Government is still unable to have a control over it. That is why I doubt that this amendment will deliver any goods to people. In order to achieve the objectives Government should evolve a good machinery to get these laws implemented fully.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : श्रीमान्, सदस्यों के भाषणों से ऐसा लगता है कि वायदा बाजार को गलत समझा गया है। आप सट्टेबाजी को तो बुरा बता सकते हैं किन्तु वायदा व्यापार अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। हाँ, इसका विनियमन ठीक प्रकार से होना चाहिये। किन्तु ऐसे संशोधन से तो हानि होगी जिसके द्वारा निर्माताओं और माल तैयार करने वालों की वह सुरक्षा भी समाप्त हो जाती है जिससे वे भावों में उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि से बच सकते हैं। मेरे विचार से उन कृषि-वस्तुओं में वायदा-व्यापार आवश्यक है जिनसे अन्य माल तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिये मूंगफली के व्यापार को लिया जा सकता है। मूंगफली से तेल निकालने वाला व्यापारी ऐसा ही सौदा करेगा जिससे तेल निकाले जाने की अवधि तक मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से उसे हानि न हो। ऐसा करके एक प्रकार से वह मूल्यों में स्थिरता लाता है। अतः मेरा निवेदन है कि वायदा व्यापार को बिल्कुल बन्द नहीं किया जाना चाहिए। हां, उसके विनियमन के लिए सरकार कठोर से कठोर कानून बना सकती है। मेरे विचार से यह सुझाव व्यवहार्य नहीं है कि सरकार सारे व्यापार को अपने हाथ में ले ले।

क्योंकि वायदा व्यापार कुछ हद तक आवश्यक है और वह मौखिक रूप से होता है, अतः उसपर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद भी वह गुप्त रूप से किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मेरा यह सुझाव है कि इसे बिल्कुल बन्द न किया जाये और इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ताकि उस पर विस्तार से चर्चा हो सके।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : कुछ माननीय सदस्यों ने ठोस सुझाव दिये हैं, उनके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं पहले ही बता चुका

हूं कि इस विधेयक के द्वारा "तुरन्त परिदान संविदा" की परिभाषा बदली जा रही है। वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, इसलिए इस परिभाषा में परिवर्तन भी आवश्यक हो गया था। अतः यह सुझाव स्वीकार करना भी ठीक नहीं होगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। यह ठीक है कि वायदा बाजार विनियमन अधिनियम तथा वायदा बाजार आयोग के कार्यकरण के बारे में अध्ययन के लिए एक समिति गठत की गई थी। इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर हम एक व्यापक विधेयक लाने जा रहे हैं। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने की बात मानी जा सकेगी। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपने सुझाव पर जोर न दें। जब तक नया विस्तृत विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक हम विद्यमान कानून में पाई गई त्रुटि को दूर करना चाहते हैं। इस संशोधन विधेयक को पेश करने का उद्देश्य तो केवल यह है कि इससे सरकार को ऐसी गतिविधियों पर नियन्त्रण करने की शक्ति मिल जायेगी।

अतः, वर्तमान कानून द्वारा केवल वायदा व्यापार विनियमित किया जायेगा और विशेष-कर कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में।

कुछ सदस्यों द्वारा दण्डित व्यक्तियों के बारे में पूछा गया है, 1963 में 91, 1964 में 53 व्यक्तियों को दण्ड दिया गया।

यह विधेयक विद्यमान कानून की त्रुटियाँ दूर करने के लिए लाया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक को पास करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री डागा द्वारा पेश किया वह प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूँ जिसमें विधेयक प्रवर समिति की बात कही गई है।

प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम में जोड़ दिए गए।

Clause 2, 3, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री घनश्याम ओझा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पास किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

छोटे सिक्के (अपराध) विधेयक, 1971।

Small Coins (Offences) Bill, 1971.

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि छोटे सिक्कों को पिघलाना या नष्ट करना और छोटे सिक्के पिघलाने या नष्ट करने के प्रयोजनार्थ उन्हें जमा करना रोकने के लिए और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सिक्कों की कमी गत वर्ष के मध्य से चल रही है और अधिक सिक्कों की ढलाई तथा उनकी धातुओं की मात्रा में किए गए परिवर्तन से स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वास्तव में 2, 5, 10 पैसे के सिक्के जो पहले चल रहे थे उनका मूल तत्व इनकी कीमत से अधिक था, इसलिए कुछ लोगों ने इन्हें गला कर अपने धन्धों में इनका प्रयोग आरम्भ कर दिया। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है क्योंकि विद्यमान कानून में ऐसा करना मना नहीं था। यह विधेयक 22 अक्तूबर, 1971 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। क्योंकि यह कमी कुछ समय ही चलेगी, अतः यह विधेयक, अधिनियम बन जाने पर केवल तीन वर्ष के लिए ही प्रभावी रहेगा।

इसके साथ ही मैं सभा से इसे पास करने की सिफारिश करता हूँ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि छोटे सिक्कों को पिघलाना या नष्ट करना और छोटे सिक्के पिघलाने या नष्ट करने के प्रयोजनार्थ उन्हें जमा करना रोकने के लिए उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें 8 सदस्य हों, अर्थात् :—

1. श्री बिश्वेश्वर नाथ भार्गव
2. श्री हीरा लाल डोडा
3. श्री के० आर० गणेश
4. श्री विक्रम महाजन
5. श्री श्रीकिशन मोदी
6. श्री नवल किशोर शर्मा

7. श्री एस० एन० सिंह ; तथा

8. श्री आर० पी० यादव

और उस समिति को आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाए।"

***श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम)** : सिक्कों की यह कमी देश में पिछले एक वर्ष से अधिक समय से चल रही है और सरकार ने अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है। अब जब कि संसद का सत्र आरम्भ होने में केवल 22 दिन शेष थे, सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है। क्या यह स्वस्थ संसदीय परम्परा कही जा सकती है ? मैं चाहता हूं कि कम से कम सरकार भविष्य में इस प्रकार अध्यादेशों का सहारा न ले।

मुझे यह विधेयक लाये जाने पर खुशी है और मैं इसका स्वागत करता हूं। यद्यपि छोटे सिक्कों के दुरुपयोग से भी कमी हुई है, फिर भी सरकार ने ये सिक्के कम मात्रा में ढाले हैं। 1967-68 में 184.54 करोड़ सिक्कों के मुकाबले, 1968-69 में 142.46 करोड़, 1969-70 में 38.58 करोड और 1970-71 में 32.40 करोड़ ढ़ाले गये। इससे सिक्कों की कमी का वास्तविक कारण स्पष्ट हो जाता है। दूसरा कारण अप्रैल 1970 में रिजर्व बैंक द्वारा 20 करोड़ रुपये के सिक्के वापस लिया जाना भी है। तीसरे, अब हमारी टकसालें कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिये भी सिक्के ढाल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार इन सिक्कों के निर्यात की मात्रा बताए। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जब देश में पहले ही सिक्कों की कमी थी तो निर्यात के लिये सिक्के ढालने का काम क्यों हाथ में लिया गया ?

रिजर्व बैंक ने 21 जनवरी 1971 को घोषणा की थी कि यह कमी शीघ्र दूर हो जाएगी परन्तु अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पहले तो केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों आदि को ही इस बैंक से शिकायत थी, अब जनसाधारण भी इससे पीड़ित है।

अन्त में मेरा सुझाव है कि सरकार निर्यात के लिए सिक्के तैयार करना अभी तुरन्त बन्द करे जब तक कि देश के अन्दर स्थिति में सुधार न हो जाये। दूसरे समयोपरि कार्य का समय भी बढ़ा दिया जाये ताकि इन सिक्कों का उत्पादन बढ़े। तीसरे, सरकार को यह उत्पादन 1967-68 के स्तर तक का करना होगा अर्थात 184.54 करोड़ सिक्के प्रतिवर्ष तैयार करने होंगे। मेरे विचार में जब तक कि ये उपाय नहीं किये जाते तब तक इस विधान से भी कोई विशेष सफलता मिलने वाली नहीं है।

श्री माधुर्य्य हालदार (मथुरापुर) : लोक सभा में 25 मार्च, 1970 को और राज्य सभा में 4 दिसम्बर, 1970 को सिक्कों की कमी पर चर्चा हुई थी। मंत्री महोदय श्री विद्याचरण शुक्ल ने 4 दिसम्बर, 1970 को कहा था कि सप्लाई को बढ़ा कर तथा समुचित वितरण व्यवस्था द्वारा इस कमी को दूर कर दिया जायेगा। उस समय मंत्री महोदय ने यह भी स्वीकार किया था इन सिक्कों को पिघलाने वाले समान विरोधी तत्वों को दण्ड देने के लिये इस समय कोई कानून नहीं परन्तु क्या वे आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम को राजनीति लोगों के विरुद्ध उपयोग में लाने की

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised Hindi translation based on English translation of the speech delivered in Tamil.

बजाय उस अधिनियम के विरुद्ध उन समाज विरोधी तत्वों को दण्ड नहीं दे सकते थे ? परन्तु उक्त आश्वासन के एक वर्ष पश्चात् अभी हाल ही में संसद के अधिवेशन के कुछ पहले ही उन्होंने इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश जारी कराया है इस अध्यादेश के अधीन अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ? जो छोटे-छोटे लड़के कमीशन के आधार पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा पिघलाये जाने हेतु ये सिक्के इकट्ठे करते हैं उन्हें दण्ड दिया जा सकता है । परन्तु क्या इन बड़े-बड़े व्यापारियों को भी अभी तक गिरफ्तार किया गया है । लगता है यह कानून भी अन्य कानूनों की भांति प्रभावहीन सिद्ध होगा क्योंकि सरकार तो इन व्यापारियों के प्रभाव में आ कर कार्य करती है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इन व्यापारियों से सतर्क रहें जोकि छोटे सिक्कों को ढाल कर भारी मुनाफा कमा रहे हैं और उन्हें कठोर दण्ड दे । इस प्रकार की कार्यवाही से ही छोटे सिक्कों की कमी कुछ सीमा तक दूर हो सकेगी । छोटे-छोटे लड़कों को दण्ड देने से कोई विशेष लाभ न होगा । जिन्हें केवल 5 या 7 प्रतिशत ही कमाते हैं ।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : It is quite improper to run the administration with the help of Ordinances particularly when the Parliament session is very near. The imposition of an Ordinance to raise taxes amounting to Rs. 70 crores is totally undesirable and burdensome. Such things amount to increase in prices. Taxes should be levied only when there is no alternative left.

As regards this Bill, I am of the opinion that certain crimes should be declared as national crimes. Hoarding, black marketing, profiteering, speculative trade practices etc. should be declared as national crimes. Those who melt coins should be treated as national crimenals and should be dealt with severely. Such people should be deprived of all citizen right and put into the prison. There should be no provision of bail for such culprits. The punishment of 3 months prescribed for such criminals is too less. It should be enhanced and made at least 5 years or even punishable with death before a fire squad and not ordinary commentional hanging. The hon. Minister had agreed an year ago that there was shortage of small coins but still no effective measure have been taken so far to improve the situation. Government should take care that not only the small criminals but even the big criminals should also be punished I don't find any such provision in this Bill.

The raids should be made on a large scale, in an organised manner and very secretly so that these blake marketers are caught and punished. C. I. D. should be utilised in this propose. Such a law should be used to punish only the anti-social elements and criminals and not the political people.

The intension behind this legistation is very good and I support it. Intelligence services should be utilised to find out wherefrom and how these hoarders get and where do they send these coins. Also I agree that there has been some improvement in the situation.

Finally, I would point out the capitalists and particularly the monopolist capitalist are controlling all the trades. This legislation should not allow the culprit to escape in any way. They should be punished severely.

Also, due compensation should be paid to the workers for the increase in working hours from 48 to 60 hours.

Shri Ram Rattan Sharma (Banda) : The notice behind this Bill should be welcomed. But the delay in bringing it forward is inexplicable when the hon. Minister was aware of the shortage of coins as far back as an year ago. Secondly, this Bill is of not permanent nature and will have effect only upto three years. Do the Government think that melting of coins would not be done there after ? I think it is not the correct estimation. I,

therefore, suggest that the Government should enforce a permanent legislation and it should not be allowed to become paradise of lawers. Then there is some confusion also in this Bill and also a number of lacunae. It does not define whether hoarding and melting of coins is a serious and big crime or an ordinary one. From the provision of little punishment of 3 months to five years and also that it is a hailable crime, we judge that the Government do not consider it a serious crime. It should be treated as a non-bailable offence. Then provision of summary-trial is there. Since no evidence is he recorded in summary trial and everything is decided on the whims of the Magistrate, this would leave enough scope for trapping innocent people also. Therefore, there the trial should be in an ordinary and usual way.

Then Government should make it quite clear as to the quantity of coins an individual can keep with him for his requirment. Only then the spirit of this Bill would have some meanings and objectives.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय 10 पैसे के नये सिक्कों के बारे में बतायें। क्या किसी सार्वजनिक टेलीफोन बूथ से टेलीफोन करने के लिये ये नये सिक्के बड़े सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि पुराने सिक्कों की तरह वे उस डिब्बे में घुसेंगे नहीं ?

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें न केवल इस सभा की बल्कि सारे देश की इच्छा निहित है मैंने स्वयं इस संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। उस समय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि कुछ दिनों में स्थिति में सुधार हो जायेगा परन्तु यह स्थिति सुधारने की बजाय निरन्तर बिगड़ती गई है।

दूसरी बात इस संबंध में अपराधी को दण्ड देने की व्यवस्था है। वस्तुतः तो स्थिति यह है कि हमारे यहां असंख्य कानून हैं और सामान्य नागरिक को तो कई बार यह पता भी नहीं चलता कि वह कानून तोड़ रहा है या नहीं और जेल में भेजा जा सकता है या नहीं। साम्यवादी दल ने तो यहां यह भी सुझाव दिया है कि इस छोटे से अपराध के लिये फांसी चढ़ा दिया जाना चाहिये। परन्तु मेरा मत है कि केवल दण्ड व्यवस्था से ही स्थिति नहीं सुधरती। इस समस्या का हल तो यह है कि देश में ऐसे धातु के सिक्के बनायें तथा चलाये जायें जिनका मूल्य उस में प्रयुक्त धातु के मूल्य से अधिक हो। यह संभव भी है और अनेक देशों में ऐसा होता भी है। फिर भारत में क्यों नहीं। मेरा सुझाव है कि देश में दो-तीन वर्ष के लिये डाक-टिकटें या ऐसी ही कोई अन्य चीज चला ही जाये ताकि लोगों के दिलों से सिक्कों को जमा कर लेने या उन्हें पिघलाने की बात ही निकल जाये। परन्तु इस प्रकार के विधानों के लिये तो आपको बहुत बड़ी संख्या में जेलों की जरूरत पड़ेगी। अतः आप अधिकाधिक दण्ड देने की बात तो छोड़ ही दीजिये।

वस्तुतः तो सिक्कों की कमी सरकार के कारण ही होती है। मेरे गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समक्ष यह बताया गया था कि बम्बई के टकसाल ने एक लम्बे समय से सिक्के ढालने का कार्य नहीं किया है और हैदराबाद की टकसाल केवल तमगे। टोकन तथा गांधी बिल्ले ही बनाती रही है हालांकि भारतीय टकसालों का मुख्य कार्य सिक्के ढालना ही है।

सिक्कों की कमी के कारण सामान्य जनता को बेहद असुविधा हुई है। चार महीने पहले बम्बई में एक लड़की तार देना चाहती थी जिस पर एक रुपया कुछ पैसे खर्च आना था परन्तु रेजगारी की कमी के कारण उसे वापस जाना पड़ा। अतः मेरा अनुरोध है कि हमारे टकसालों को पूरी क्षमता से कार्य करना चाहिये। साथ ही सिक्के के मूल्य और उसमें लगी धातु के मूल्य

पर भी निरन्तर ध्यान रखा जाना चाहिये। मूल्यों में वृद्धि से सिक्कों के मूल्यों में तो कमी हो गई है और उसके धातु की ज्यादा की सरकार इस बारे में भी यथोचित ध्यान दे।

अन्त में, इस विधेयक का समर्थन करते हुए निवेदन करूंगा कि कानून की सदस्यता से अधिकाधिक लोगों को जेल में भेजना गांधी-विरोधी सिद्धान्त है और आप उसके स्थान पर ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे कि जमाखोरी की मनोवृत्ति ही समाप्त हो जाये।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि जबकि सरकार को इस मामले के बारे में दो वर्ष से मालूम था तो उक्त अध्यादेश जारी करने की क्यों जरूरत पड़ी? मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार ने ऐसे सिक्के ढालने का निर्णय किया जिसकी धातु का मूल्य या तो नगण्य हो या बहुत ही कम। वस्तुतः यह एक उचित दिशा में एक कदम था। और साथ ही अधिकाधिक सिक्के ढालने का सरकार का निर्णय भी प्रशंसा के योग्य है। साथ ही सरकार यह भी समझती है कि सिक्कों को पिघलाने वालों को दण्ड देना भी आवश्यक है। इतना करने पर भी सरकार को यह विधेयक क्यों पेश करना पड़ा? अब सरकार ने 50 लाख सिक्के प्रतिदिन बनाना आरम्भ कर दिया है तो समझता हूं कि शीघ्र ही देश की आवश्यकता पूरी हो जायेगी परन्तु सरकार ने कहीं भी यह नहीं बताया है कि देश में कितने सिक्कों की आवश्यकता है। अब जबकि काफी समय से बड़े पैमाने पर सिक्कों का निर्माण किया जा रहा है तो भी उन्हें उक्त अध्यादेश जारी करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। क्या सरकार संसद के सत्र तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी? यदि सरकार एक माह की प्रतीक्षा कर लेती तो क्या हानि हो जाती। साथ ही मंत्री महोदय अध्यादेश जारी न करने के सुझाव पर भी आश्चर्यचकित होते हैं। जब संसद में सरकार पर कई बार जोर डाला गया तब तो सरकार ने कुछ नहीं किया परन्तु फिर एक दम से अध्यादेश जारी कर दिया। बताईये एक दम से क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि आपको अध्यादेश ही जारी करना पड़ा? और फिर अध्यादेश के बाद भी इन तीन दफ्तरों में क्या कुछ कर लिया है? क्या वह समझते हैं कि सिक्कों का पिघलाया जाना अब बन्द हो गया है?

फिर इस विधेयक में संक्षिप्त-विचारण और कड़े दण्ड की व्यवस्था है। परन्तु किस लिये? इस से क्या होगा? वस्तुतः तो सरकार ने इस मामले के अध्यादेश जारी करके संसद के प्रति असम्मान दिखाया है जबकि कार्यवाही करने की तो अब आवश्यकता ही नहीं रह गई हैं क्योंकि उत्पादन पहले ही बढ़ाया जा चुका है, कमी दूर हो जायेगी जैसाकि वह स्वयं कह रहे हैं। यह तो मेरा अनुमान है कि इस तरह में तो सिक्कों की कमी दूर हो चुकी होगी। परन्तु सरकार भी बताये कि देश में कितने सिक्कों की आवश्यकता है? और उसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मेरे पूर्ववक्ता ने कहा है कि अध्यादेश जारी करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। शायद उन्हें अनुभव नहीं होता कि सिक्कों की बेहद कमी है और स्वार्थी लोग अभी तक इस कदाचार में वयस्त हैं और यह कि हम जमाखोरी के कारण धनिक लोगों की अपेक्षा निर्धन लोगों को अधिक कठिनाईयां हो रही है। कुछ लोग सिक्के जमा कर रहे हैं क्योंकि सिक्कों के मूल्य की बजाये इनके धातु का मूल्य अधिक है। कुछ-कुछ इसी प्रकार की जमाखोरी स्वाधीनता के पश्चात भी हुई थी।

श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary ***in the Chair***

उस समय एडवर्ड सप्तम के चित्र वाले सिक्कों का धातु-मूल्य बढ़ गया था। और लोगों ने बड़ी मात्रा में सिक्के एकत्रित करना आरम्भ कर दिया था। परन्तु इस बार स्थिति भिन्न है।

मंत्री महोदय को मेरा सुझाव है कि वे ऐसे सिक्कों का निर्माण न करायें जो फूंक मारते ही हवा में उड़ जाये और लोग फिर भी पुराने सिक्कों के प्रति मतवाले बने रहें। हाल ही में निर्मित नये सिक्के तो हाथ में से ही निकल जाते हैं। फिर मंत्री महोदय यह ध्यान भी रखें कि सिक्कों का बटवारा उचित ढंग से हो।

पिछली बार मंत्री महोदय ने जाली नोटों को रोकने के बारे में एक आश्वासन दिया था परन्तु हाल ही में समाचार मिले हैं कि बड़े पैमाने पर देश में जाली नोट छप रहे हैं और इस कदाचार में बड़े-बड़े प्रभावी व्यक्तियों का हाथ है। ऐसे समाचार और उदाहरण मिले हैं कि कई लोग इस कदाचार के बल पर रातों रात अमीर बन गये। क्या उनका मंत्रालय इस संबंध में कोई जांच कर रहा है?

यह कहना ठीक नहीं है कि अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिये था। इसकी आवश्यकता थी क्योंकि मध्य श्रेणी के लोगों के सामने भारी कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। दुकानों, डाक-घरों, बसों आदि में सभी जगह सिक्कों का अभाव था। अत: अध्यादेश जारी किया जाना सर्वथा उचित था। यह भी ठीक ही कहा गया है कि यह कानून केवल तीन वर्ष तक लागू रहेगा क्योंकि तब तक काफी उत्पादन हो जाएगा और शायद फिर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं होगी। इन शब्दों सहित मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua): This Ordinance should have been issued much earlier when the House had repeatedly drawn the attention of the Government towards the shortage and also the melting of small coins. The ordinary men have to experience a lot of difficulty particularly during their transaction in buses, shops, post offices etc. The shopkeepers would not give back the small change and the customers have to forgo the balance. At that time the Government have assured that this shortage would be over come soon, whereas it is still the same, and hence the Ordinance has been promulgated. Although it has been issued very late, still I welcome and support as it will benefit our common masses.

Then I have a jem suggestions to make. The shortage of small coins is felt much in the villages where there are no banks to get small coins and the customers have to forgo 10 to 20 paise in almost every deal on a currency note. Therefore, there should be a provision to help the rural areas in particular.

This Bill provides that the intrinsic value of the new coins would be less than its face-value. Let us have such type of plaster or leather coins which are not easily mistable by the racketeers. There are reports that over the coins issue in special occasions are also melted. So, in order to avoid it, let us mint such coins the melting of which will not be profitable. Then misuse of commemorative coins should also be stopped forthwith.

As regards the provision of punishment *viz.*, of 3 months to 5 years and would suggest that it should be 5 years minimum and 8 to 10 years maximum. This would perhaps help more in detecting the evil. Then this law should be implemented properly and not to victimise and exploit the innocent people in rural areas.

With these words, I support the Bill.

Shri M. C. Daga (Pali): In one of my amendments I have suggested that this Bill

should be required to the Select Committee since the Government while formulating this Bill, have totally ignored certain basic principles. They have perhaps not thought how the police would act after this becomes a laws. I am sure the police would harrass the beggers and also marriage parties with whom they would find some coins since the Bill does not prescribed or defind the reasonable requirement. If some coins are found with a family or a begger, the police offices might approach then and subject item to harassment and they will be asked to prove their requirement, since in the law you put the aims of proof on the person in possession of coins.

Then who would be entrusted with the powers to prove that such and such man is at fault ? And also, do you mean that the defaulter would himself come and prove his innocence ? Now, for example, if I collect coins worth Rs. 500 for a marriage ceremony, would I not be called in the police station to prove my innocence. So, what is the purpose of this legislation ? Even the small hawkers will be having quite a good number of coins in the form of his sale proceeds. Would the police always call him for enquiries ? Let the hon. Minister say how many persons have been arrested after the promulgation of this Ordinance ?

Now, there is no proper ratio in the period of punishment. It is 3 months minimum and 5 years maximum. You have made it a cognizable offence and given enough scope to the police to harass the innocent hawkers and small traders and encouraged bribery and corruption.

Then the aims of proof should have been put on the prosecution and not the suspect.

Thus this Bill has got many defects and the Government should have given sufficient consideration before bringing it here. I, therefore, suggest that it should be referred to the Select Committee.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have one question to ask. Kindly explain as to have many coins can a Member of Parliament keep with him ? Otherwise he is very much likely to be apprehended.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरा विचार है कि सिक्कों की जमाखोरी को रोकने के लिये यह कानून उस समस्या के हल का केवल एक भाग होगा। दूसरा हल यह भी हो सकता है कि सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि की जाये। क्या इस संदर्भ में, कलकत्ता रास्ते अलीपुर टकसाल में उत्पादन बढ़ाने संबंधी समस्या हल हो गई है ? एक सुझाव था कि वहां तीन शिफ्टे चालाई जायें और चान्दी शोधक कारखाने के फालतू हुए कर्मचारियों को वहां खपाया जाये। टकसाल के कर्मचारियों के कामिक संघ ने तीसरी पारी चलाने तथा कर्मचारियों को वहां खपाने के बारे में विरोध किया था। मैं मत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं उन माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। सिक्कों की कमी दिसम्बर 1970 से महसूस की जा रही थी और सरकार तब से सिक्कों को पिघलाने और उसकी जमाखोरी को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही थी क्योंकि इस प्रकार का कोई कानून नहीं बना हुआ था। श्री वाजपेयी के प्रश्न के उत्तर में मेरा यह कहना है कि छोटे सिक्कों को पिघलाना तथा उसको नष्ट करना और पिघलाने के उद्देश्य से छोटे सिक्कों को जमा करना अपराध घोषित किया जायेगा। केवल सिक्कों को जमा करना अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जायेगा क्योंकि इससे अधिकार के दुरुपयोग होने का भय है। यह विधेयक एक अस्थायी कार्यवाही

है मैं माननाय सदस्यों के इस कथन से सहमत हूं कि इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु छोटे सिक्कों की कमी को दूर करने के लिए इसकी अधिक से अधिक संख्या में ढलाई की जाये।

इसी कारण से इस विधेयक की अवधि 3 वर्ष की रखी गई है। यह कोई स्थायी कार्यवाही नहीं है क्योंकि इस अवधि में सिक्कों का उत्पादन बड़ी संख्या में होने लगेगा और सिक्कों का पिघलना अलाभकारी बन जायेगा जिसके लिए पहले से कार्यवाही की जा रही है।

मैंने माननीय सदस्यों को उन उपायों का उल्लेख किया जो सरकार ने सिक्कों का अधिक उत्पादन करने के लिए अब तक किए हैं। हम अब लगभग 50 लाख सिक्कों की ढलाई कर रहे हैं। जहां तक कर्मचारियों और कार्य घंटों का सम्बन्ध है, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि सिल्वर रिफाइनरी के कर्मचारियों को बड़ी संख्या में अलीपुर टकसाल में खपा दिया गया है। दोनों टकसालों की अपनी विभिन्न समस्याएं हैं और उनको सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ज्योंहि अस्थायी समस्याएं हल हो जाती हैं, सरकार तीसरी पारी के बारे में निर्णय लेगी। इस कार्य में मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त आदि सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना चाहूँगा।

यह कहा गया है कि सिक्कों की कमी का कारण सरकार की निर्यात सम्बन्धी नीति और कार्यघंटों में कमी करना है। इस संबंध में मेरा कहना है कि छोटे सिक्कों की कमी का पता लगते ही सरकार ने निर्यात क्रयादेश लेने बन्द कर दिये थे। हमारी टकसालें विश्व स्तर के सिक्कों का उत्पादन करती हैं अतएव सिक्कों की वर्तमान की कमी दूर होते ही निर्यात क्रयादेश आरम्भ कर दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सिक्कों के उत्पादन में कमी हुई है और उन्होंने जून 1970 से सितम्बर 1971 तक ढाले गए सिक्कों की संख्या बताने की मांग की है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि चाहे विभिन्न टकसालों में सिक्कों उत्पादन कम हुआ हो, तो भी जो सिक्के रिजर्व बैंक आफ इंडिया को दिये गये तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जिन्हें जनता को दिया गया, उनकी संख्या पर्याप्त थी। चूंकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास सिक्कों का संचित भंडार था, अतएव क्रयदेश न मिलने के कारण कुछ सीमा तक उत्पादन में कमी हुई थी परन्तु फिर भी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और जनसाधारण को सिक्के उत्तरोत्तर वृद्धि में दिये गये थे।

श्री एच० एम० पटेल ने जानना चाहा है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया सिक्कों की आवश्यकता का मूल्यांकन किस प्रकार करता है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया इसमें मूल्यांकन हेतु विभिन्न बातों को ध्यान में रखता है जैसे राष्ट्रीय आय और मूल्य-प्रवृत्ति, अर्थ-व्यवस्था के विकास के कारण इसके विस्तार की आवश्यकता, घिसे हुए या बेकार हुए सिक्कों का प्रतिस्थापन, ढलाई की क्षमता आदि। इसी आधार पर किसी विशेष वर्ष में सिक्कों की 'आवश्यकता का मूलयांकन किया जाता है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि धातु के मूल्य की समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मैंने अपने बयान में यह बता दिया है कि ऐसा समय-समय पर किया जाता है ताकि सिक्कों की जमाखोरी लाभकारी व्यवसाय न बन जाये और इसके लिए विभिन्न सिक्कों के धातू मूल्य में परिवर्तित किया गया है।

जहां तक जाली सिक्कों और नोटों का सम्बन्ध है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि कई

माननीय सदस्यों ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को लिखा था। अतएव सरकारी टकसालों और मुद्रणालयों की जांच की गई थी जिसमें यह पाया गया था कि वहां पर्याप्त सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाती है और नोटों तथा सिक्कों के जाली होने आदि का प्रश्न नहीं उठता है।

दंडात्मक खंडों के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। सरकार का यह विचार है कि जब तक ऐसे आर्थिक अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक कानून के उल्लंघन करने की प्रवृति को रोका नहीं जा सकेगा तथा ऐसे कार्यवाही का कोई प्रभाव नहीं होगा।

सभापति महोदय : श्री मूल चन्द डागा का एक प्रस्ताव प्रवर समिति को सौंपने के लिए है। मैं इसे मतदान के लिए रखता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और अस्वीकृत हुआ।

The motion was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छोटे सिक्कों को पिघलाना या नष्ट करना और छोटे सिक्के पिघलाने या नष्ट करने के प्रयोजनार्थ उन्हें जमा करना रोकने के लिए और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभापति महोदय : हम इस पर खंडवार विवाद करेंगे, खंड 2 का कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3—(छोटे सिक्कों को पिघलाना या नष्ट करना निसिद्ध ठहराना)

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(1) पृष्ठ 2, पंक्ति 5—अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :

"in a destroyed or multilated state or"

("या नष्ट अवस्था में हो या विक्रित अवस्था में")।

(2) पृष्ठ 2, पंक्ति 9—"destroying" (नष्ट करने) के पश्चात "or selling them at a price higher than its face value or" (या ऐसे छोटे सिक्कों पर अंकित मूल्य से अधिक कीमत पर विक्रय) अन्तःस्थापित किया जाये।

(3) पृष्ठ 2, पंक्ति 18—"metal" (धातु) के पश्चात "other than the small coins in

their usual shape" (सामान्य रूप वाले छोटे सिक्कों को छोड़कर) अन्तःस्थापित किया जाये ।

मैं विधेयक के उपबन्धों को अपना पूरा समर्थन देता हूं । मैंने यह संशोधन विधेयक में विद्यमान दोनों को दूर करने हेतु प्रस्तुत किये हैं ताकि न्यायालय में दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सके ।

खंड 3 के प्रथम संशोधन में छोटे सिक्कों को पिघलाना तथा नष्ट करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है परन्तु खंड (ख) अपने में अपूर्ण है अतएव उसमें "या नष्ट अवस्था में हो या विक्रित अवस्था में" जोड़ा जाये ताकि यदि किसी व्यक्ति के पास सिक्के पाये जायें जिनको अभी पिघलाया नहीं गया है और जो ठोस अवस्था में है परन्तु जिन्हें नष्ट किया जाना है तो ऐसे कार्य को दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिये । अतएव यह संशोधन स्वीकार किया जाये ।

उपखंड (ख) (दो) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता से अधिक सिक्के नहीं होने चाहियें जिससे यह पता लगा कि इनको पिघलाया या नष्ट किया जायेगा । मेरा संशोधन यह है कि यदि वह व्यक्ति, जिसके पास आवश्यकता से अधिक सिक्के हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से सिक्कों को उनके निर्धारित मूल्य से अधिक में बेचता है तो इसको भी अपराध की श्रेणी में लाया जाना चाहिए ।

उपखंड (2) में कहा गया है कि जिस किसी के पास किसी प्रकार का धातु, जिसमें उतनी मात्रा में मिश्रधातु पाया जाये जितना छोटे सिक्के बनाने में प्रयोग किया गया है, पाया जायेगा तो उसे उप-धारा के उपबन्धों की अपेक्षा करने वाला समझा जायेगा, मेरा यह कहना है कि 'किसी प्रकार का धातु' के बाद "सामान्य रूप वाले छोटे सिक्कों को छोड़कर" अन्तःस्थापित किया जाये, क्योंकि 'धातु' का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है और छोटे सिक्के तो उसका एक भाग है ।

सभापति महोदय : खंड 3 के संशोधनों पर विवाद किया जायेगा, मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें ।

श्री के० आर० गणेश : जहाँ तक पहले संशोधन का सम्बन्ध है यदि यह "नष्ट किया हुआ अथवा पिघलाया हुआ सिक्का" के रूप में होता तो मैं इसको स्वीकार कर लेता, जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है ।

श्री के० आर० गणेश : यह व्यवस्था छोटे सिक्कों को पिघलाने अथवा नष्ट करने अथवा पिघलाने और नष्ट करने के उद्देश्य से सम्बन्धित है । इसमें सिक्कों को अधिक मूल्य में बेचने की बात नहीं आती ।

सभापति महोदय : कृपया संशोधन उसी रूप में पढ़ें जिस रूप में उसे सरकार ने स्वीकार किया है ।

श्री आर० के० गणेश : संशोधन संख्या 9 को निम्न प्रकार स्वीकार किया जाये ।

(संशोधन किया गया)

पृष्ठ 2, पंक्ति 5, अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"या नष्ट अवस्था में हो या विक्रित अवस्था में,"

श्री के० आर० गणेश : अन्य संशोधन सरकार के स्वीकार्य नहीं हैं ।

सभापति महोदय ने संशोधन संख्या 1, 2 और 3 मतदान के लिए रखे और अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 1, 2 and 3 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, amended was added to the Bill.

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 4 को लेते हैं ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं । इस प्रकार के समाज विरोधी कार्य के लिए किसी प्रकार भी क्षमा नहीं किया जा सकता । यदि कोई सिक्कों पिघलाता है या नष्ट अथवा विक्रत करता है, उसे अपराधी माना जाना चाहिए तथा उसे क्षमा नहीं किया जाना चाहिए । मेरा कहना यह है कि यदि कोई व्यक्ति खण्ड 5 के अन्तर्गत दोषी पाया जाये तो उसे किसी प्रकार क्षमा न किया जाये । इस अपराध के लिए युक्ति संगत क्षमा याचना का कोई अर्थ नहीं है । अत: विधेयक में तदनुसार संशोधन किया जाना चाहिए ।

श्री के० आर० गणेश : मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता ।

सभापति महोदय ने संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 4 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5, added to the Bill

सभापति महोदय : खण्ड 6 ।

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

यदि इस अपराध को जमानत के योग्य समझा गया तो इस अपराध की गम्भीरता का ध्यान नहीं समझेंगे । अतः इसे गैर-जमानती अपराध माना जाना चाहिए ।

श्री के० आर० गणेश : मैं इसे स्वीकार नहीं करता ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान क लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 5 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 और 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 7 और 8 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 7 and 8 were added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 9.

श्री बी० आर० शुक्ल : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 एक केन्द्रीय कानून है । इससे मिलते जुलते कानून राज्यों ने बनाए हैं जिनके अन्तर्गत अपराधियों को अपनी जमानत और जमानती बांड के आधार पर परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है । इन अपराधों के लिए राज्य के न्यायालय दण्ड देते हैं अतः राज्यों द्वारा लागू किए गये समान कानूनों का लाभ इन अपराधियों को मिलना चाहिये । अतः मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री के० आर० गणेश : यह संशोधन सरकार को स्वीकार्य नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 6 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 6 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

The Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री के आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The r otion was adopted.

रेल यात्री भाड़ा अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और रेल यात्री भाड़ा विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE: RAILWAY PASSENGER FARES ORDINANCE AND RAILWAY PASSENGER FARES BILL

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I oppose the Railway Fair ordinance. This has become the practice of this Government. They want to rule the Country by ordinances.

[**श्री सेझियान पीठासीन हुए ।**
Shri Sezhiyan *in the Chair*]

It is very strange that the support of the ordinance had been taken to increase the rates of Post and telegraph and Railway fares. It has been previously said in this House that promulgation of ordinances is inherently undemocratic and have bad psychological effects.

It was decided to promulgate an ordinance for increasing postal and telegraph rates and Railway fares, in a meeting of Chief Ministers and Governors. They suggested to put new burden on the people but they did not suggest ways to collect fund for the refugees of Bangla Desh. By this increase in railway fares and postal rates we could only get 70 crores of rupees when 5 to 6 hundred crore rupees are required for one year. This problem is our creation. If Bangla Desh had been recognised in April last, there would not have been this influx of refugees and the Mukti Bahini also had not lost so many lines. Even after the lapse of eight months there seems to be no hope of the return of the refugees to their homes.

For collecting funds for the refugees instead of increasing railway fares etc. foreign liquor, big hotels and horse races should be heavily taxed. Theft and pilfereges in railways should be checked. Savings should be made in the day to day expenditure of the railways. By taking these steps railways can save over one crore.

I am here to oppose this Bill. There is no justification in increasing the burden on people travelling in third class. If you really want this to be done, then fare of air-conditioned class should be increased. With these words would like to ask the hon. Minister to make some amendment in the bill. One thing more which I would like to know is, by what time this tax will be removed or will it become permanent. A clear assurance should be given in this respect.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों की पिछली बैठक में केन्द्र और राज्यों में बंगला देश के शरणार्थियों को सहायता के लिए अपनी-अपनी सामर्थ्य और क्षेत्र में साधन जुटाने का निश्चय किया गया था। तथा इस प्रकार इकट्ठा किया गया धन केन्द्र को सौंपा जायेगा।

अत: रेलवे के 1 रुपये से अधिक के किरायों पर 5 प्रतिशत कर लगाना तय किया गया। यह कर 15 नवम्बर, 1971 से लगाया गया। इससे कम दूरी की यात्रा करने वाले तृतीय श्रेणी के यात्रियों पर कोई कर नहीं लगेगा।

संविधान के अनुच्छेद 269(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया और इकट्ठा किये जाने वाला कर खण्ड (2) के अन्तर्गत राज्यों द्वारा इकट्ठा किया जाना है और इसे बाद में केन्द्र को सौंपा जाना है। विधेयक के खण्ड 6 में इसके लिए सरल तरीका बनाया गया है।

अध्यादेश के जरिए इस कर को लगाना इस लिए आवश्यक था कि संसद का सत्र में नहीं चल रहा था और अधिकतम संसाधन जुटाने के लिये शीघ्रतम कार्यवाही अपेक्षित थी। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य इस अध्यादेश का स्थान लेना है। मेरा अनुरोध है कि सदन एकमत से इस विधेयक को स्वीकार करे। मैं इसे प्रस्तुत करती हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि रेल भाड़े पर कर के उद्ग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : It is a pity that the Government should function in such a manner. 13 ordinances were issued even though the Parliament was

there and was going to meet from the 15th November 1971. It is very serious matter. In this manner, the rights of the Parliament are being curtailed. It is a step towards Dictatorship.

So far as this Bill is concerned, it is of no use saying that it would not hit the poor or the levy did not apply fares less than Re. 1/-. Does it mean that poor people do not undertake long journeys ? If the Government is serious about it, it should have exempted the poor people and burden should have been put on those who travel in first class and Airconditioned coaches. But this has not been done.

This levy has been imposed for keep to the Bangla Desh refugees. If the government really wants to help the Bangla Desh refugees it should have first recognised their Government. Instead of taking that action, the Government has burdened the poor with new taxes. This attitude of the Government would create discontentment amongst public. This is not fair. In fact the Government should have asked the Capitalists to contribute 50 per cent of their profits to the Government. But it did not do so.

[**Mr. Speaker** *in the Chair*
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

So for as Railways are concerned, a number of irregularities are being committed in Sealdah Division. Public money is being squandered by senior officers. Temporary employees who are working there, are not being confirmed and new persons are being recruited. All these things should be looked into.

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा को हम कल जारी रखेंगे । अब सूचना और प्रसारण मंत्री एक वक्तव्य देंगे । कलकत्ता के कुछ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशन बंद कर देने के प्रश्न पर कल के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है । सरकार ने आज वक्तव्य देने के सम्बन्ध में उचितता बताई गई है । हम कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को नहीं लेंगे उसके बदले में आज सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

समाचार पत्रों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: INCREASE IN PRICES OF NEWSPAPERS

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : समाचार-पत्रों पर उत्पादन शुल्क 15 नवम्बर से लगाया गया था । इस शुल्क के लगाये जाने पर देश के बहुत से समाचार-पत्रों ने अपनी कीमतों में उत्पादन शुल्क से कहीं अधिक वृद्धि कर दी है । यह वृद्धि समान रूप से नहीं हुई है बल्कि 2 पैसे, जो उत्पादन शुल्क है और जो अब 15,000 से अधिक सर्कुलेशन वाले समाचार पत्रों द्वारा दिया जाना है, से लेकर आठ पैसे तक हुई है ।

2. समाचार-पत्रों के प्रबन्धकों ने कीमतों में उत्पादन शुल्क से अधिक वृद्धि को विभिन्न वस्तुओं की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण न्यायसंगत ठहराया है । हो सकता है लागत में कुछ वृद्धि हुई हो, परन्तु सरकार का यह विचार है कि समाचार-पत्रों की कीमतों में वृद्धि को, जो समान रूप से नहीं हुई है, इस आधार पर न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता । इस बात से स्पष्ट है कि जबकि लागत में वृद्धि का प्रभाव सभी समाचार पत्रों पर एक-सा होना चाहिये था, अलग-अलग समाचार पत्रों की कीमतों में वृद्धि अलग-अलग हुई है । सरकार यह महसूस करती है कि इस प्रकार की मूल्य वृद्धि, विशेष रूप से अब जबकि देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, नहीं की जानी चाहिए थी ।

3. देश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित विशेष रूप से शोचनीय है। कलकत्ता में फेरी लगाकर अखबार बेचने वालों ने उत्पादन शुल्क से हुई मूल्य वृद्धि का अपना आनुपातिक हिस्सा मांगा। समाचार पत्रों के प्रबन्धकों ने उन्हें अतिरिक्त कमीशन देने से इन्कार कर दिया है। अतः नगर में समाचार-पत्रों का वितरण करीब-करीब ठप हो गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, विशेषकर इस समय जबकि लोग हमारी सीमाओं की घटनाओं के बारे में नवीनतम तथा अधिक प्रामाणिक समाचारों को जानने के लिय उत्सुक हैं। इन परिस्थितियों में समाचार-पत्रों की अनुपस्थिति जनता के मनोबल पर दुष्प्रभाव डालती है, झूठी अफवाहें फैलती हैं जो डर और घबराहट पैदा करती हैं।

4. पश्चिमी बंगाल की सरकार तथा भारत सरकार ने इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया है। परिणामस्वरूप, पश्चिम बंग संगबाद पत्र विक्रेता समिति, जो नगर के फेरी पर अखबार बेचने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, इस बात के लिए सहमत हो गई है कि जब तक समाचार-पत्रों की कीमतों में वृद्धि उत्पादन शुल्क की राशि तक ही सीमित रहे, तब तक कोई अतिरिक्त कमीशन न मांगा जाये। सरकार समिति की इस भावना की सराहना करती है तथा देश के सभी समाचार-पत्र प्रबन्धकों तथा फेरी पर अखबार बेचने वालों से यह अपील करती है कि वे स्थिति पर उसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनायें जैसा कि इस समिति ने अपनाया है। सरकार सभी समाचार-पत्र प्रबन्धकों से यह अनुरोध करती है कि वे कीमत वृद्धि को फिलहाल उत्पादन शुल्क की राशि तक ही सीमित रखें तथा अतिरिक्त वृद्धि के प्रश्न को समाचार-पत्र प्रकाशन की लागत एवं अन्य बातों के सावधानीपूर्ण और विस्तृत अध्ययन के बाद निर्णय के लिए स्थगित कर दें।

5. सरकार को पूर्ण विश्वास है कि समाचार-पत्र प्रबन्धक इस अपील पर ध्यान देंगे तथा अपने समाचार पत्रों की तत्काल से पुरानी कीमतों पर उसमें दो पैसे उत्पादन शुल्क जोड़कर प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूं, सरकार समाचार-पत्रों के सामान्य प्रकाशन को काफी महत्व देती है और इसलिए वह स्थिति पर उत्सुकता से निगरानी रखेगी। मैं सदन को विश्वास दिलाती हूं कि यदि इस अपील का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो सरकार मामले में उपयुक्त कदम उठायेगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कम से कम कलकत्ता में समाचार-पत्रों के मूल्यों के संबंध में जबरदस्त घोटाला है। वहां पर समाचार पत्रों का मूल्य 1966 में 16 पैसे से 18 पैसे बढ़ाया गया और फरवरी 1970 में इसे 20 पसें किया गया। फरवरी 1971 में इसे बढ़ाकर 22 पैसे किया गया। अब इस शुल्क के लगाये जाने के साथ इसे बढ़ाकर 26 से 28 पैसे तक किया जा रहा है। समाचार पत्र का मूल्य तो बढ़ाया जाता है परन्तु इसे बेचने वालों की कमीशन बढ़ाने के लिए समाचार पत्र वाले तैयार नहीं।

समाचार पत्र बेचने वालों ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि यदि सरकारी शुल्क के दो पैसे के अतिरिक्त समाचार पत्रों के मूल्य में और वृद्धि नहीं की जाती तो वह अतिरिक्त कमीशन की माँग नहीं करेंगे। परन्तु समाचार पत्रों के मालिक समाचार पत्रों का मूल्य बढ़ाना चाहते हैं। कुछ बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता भी कुछ पत्रों के मालिक हैं। सरकार उन्हें मूल्य वृद्धि न करने के लिए

सहमत करवाये। समाचार पत्रों के बिना जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

यह प्रसन्नता की बात है कि सरकारी अपील के न मानने की स्थिति में सरकार का आगे कार्यवाही करने का विचार है। समाचार पत्रों के मालिक यदि कल तक सरकारी सुझाव स्वीकार नहीं करते तो क्या सरकार कल शाम तक उन के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : सरकार इस समस्या के प्रति पूर्णतया जागरूक है और यदि सरकारी सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता तो सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी ही होगी। हाँ यह नहीं कहा जा सकता कि कब यह कार्यवाही की जायेगी।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच बिहार) : क्या पृष्ठ-मूल्य संबंधी कोई नीति है और उस नीति के अनुसार समाचार पत्रों का मूल्य क्या होना चाहिये ? क्या यह सत्य है कि कलकत्ता के समाचार पत्रों के प्रकाशक केवल 25 प्रतिशत कमीशन दे रहे हैं जबकि भारत के अन्य भागों में 31½ प्रतिशत कमीशन दिया जाता हैं ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मूल्य-पृष्ठ अनुसूची को उच्चतम न्यायालय ने संविधान विरोधी करार दे दिया है अत: अब ऐसी कोई नीति नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Is it a fact that a newspaper which is published from Delhi as well as Calcutta has increased the price of Calcutta edition whereas price of the Delhi editor has been raised ? Has the cost of production increased only in Calcutta ? I support the Government appeal. But in case the suggestion is not accepted by the proprietors of Newspaper, will the Government consider stopping of Government advertisements to these papers ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह ठीक है कि दिल्ली और कलतत्ता से एक साथ प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र ने केवल कलकत्ता में ही कीमत बढ़ाया है। यदि सरकारी सुझाव को न माना गया तो सरकार समुचित कार्यवाही करेगी। हमें धैर्य रखना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : समाचार पत्रों का मूल्य पहले 20 पैसे था और अब इसे बढ़ाकर 25-26 पैसे इस आधार पर किया गया कि अखबारी कागज का मूल्य बढ़ गया है। क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि अखबारी कागज का मूल्य बढ़ने के बहाने अखबारों का मूल्य न बढ़ाया जाये। यह सर्वविदित बात है कि हर अखबार अखबारी कागज को चोर बाजार में बेचता है। अत: अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि के बहाने अखबारों का मूल्य नहीं बढ़ने देना चाहिये।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह ठीक है कि अखबारी कागज का मूल्य बढ़ गया है परन्तु सरकार यह समझती है कि इस अवसर पर इस आधार पर अखबारों का मूल्य नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। यह बात नहीं है कि अखबारी कागज का मूल्य एक स्थान पर अलग हो और दूसरे पर अलग हो। सरकार यह देखेगी कि समाचार पत्रों के मूल्य न बढ़ें।

श्री त्रिदिब चौधरी ((बरहामपुर) : अखबारों के मूल्य केवल कलकत्ता में ही नहीं बढ़े हैं। परन्तु कलकत्ता के संबंध में अधिक शोर इस कारण से है कि वहां के समाचार पत्रों का

प्रकाशन बंद कर दिया गया है। सरकार इसके प्रति चिंतित है। देश आज संकट में से गुजर रहा है। सरकार को समाचार पत्रों को स्पष्ट करना चाहिये कि उनका यह कार्य राष्ट्र-विरोधी है और आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।

बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'टाइम्स आफ इंडिया' का मूल्य 7 पैसे बढ़ाया गया है तो इसके दिल्ली अंक का मूल्य केवल 2 पैसे बढ़ाया गया है। इसी प्रकार एक अन्य समाचार पत्र के दिल्ली व कलकत्ता अंकों की मूल्य वृद्धि में अन्तर है। अतः सरकार को देश के स्तर पर इसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। संसद इस बारे में सरकार के पीछे है।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि यह नीति देश के सभी समाचार पत्रों पर लागू होगी और केवल कलकत्ता के समाचार पत्रों पर ही लागू नहीं होगी।

श्री सेझियान : कुछ समाचार पत्रों ने मूल्य 2 पैसे से अधिक बढ़ाये हैं। क्या इस समाज-विरोधी व राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही के कारण अधिक उगाहे गये मूल्य को सरकार इकट्ठा कर लेगी ? क्या यह बात सरकार के विचाराधीन है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : इस विषय में कुछ भी कार्यवाही करते समय सरकार माननीय सदस्य के सुझाव पर भी विचार करेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या पूर्वी क्षेत्र, अर्थात् कलकत्ता में अखबारों का मूल्य सबसे अधिक है ? क्या यह भी सच है कि समाचार पत्र अपनी बिक्री की संख्या बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं ? क्योंकि उत्पादन शुल्क अखबारी कागज की खपत के आधार पर लिया जाना है अतः इसी कारण सब कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मेरे लिए यह कहना सम्भव नहीं है कि यह सच है या नहीं।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि अखबार बेचने वालों ने बढ़े हुए मूल्य पर कमीशन की मांग की है। परंतु मैंने पश्चिम बंगाल सम्बद्ध पत्र बिक्रेता समिति के महासचिव का एक वक्तव्य देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल गलत है। यह आन्दोलन मूल्य वृद्धि के विरुद्ध है। इस बात की जांच की जाये कि सही बात क्या है।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : वास्तव में अखबार बेचने वालों ने मूल्य तथा उत्पादन शुल्क में वृद्धि पर भी कमीशन की मांग की थी। बाद में समिति ने यह स्वीकार कर लिया कि यदि उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त और मूल्य न बढ़ाये गए तो अधिक कमीशन की मांग नहीं की जाएगी।

---

*पश्चिम बंगाल में बिजली के संकट के बारे में

**RE : POWER CRISIS IN WEST BENGAL

श्री **ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : पश्चिम बंगाल में इस समय बिजली की बहुत अधिक कमी है। वास्तव में यह ऐसा समय है जबकि इसमें वृद्धि की बहुत ग्रावश्यकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण की दृष्टि से पश्चिम बंगाल देश भर में सब से पीछे है। जबकि राष्ट्रीय ग्रर्थव्यवस्था में पश्चिम बंगाल का स्थान बहुत ग्रग्रणी है। इस स्थिति के बावजूद भी बिजली की सप्लाई की स्थिति ठीक नहीं है हालांकि बिजली की खपत में सामान्यता कोई ग्रन्तर नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति खपत लगभग 118 है। सारे देश के ग्रांकड़ों में यह स्थान ग्राठवां है। परन्तु इससे ठीक स्थिति का पता नहीं लगता क्योंकि इस खपत का 95 प्रतिशत भाग बृहत कलकत्ता, दुर्गापुर ग्रौर आंसनसोल ग्रौद्योगिक क्षेत्र की खपत है।

यदि राज्य में ग्रौद्योगिक विकास की दर सामान्य रही होती तो भी वहां पर 80 मेगावाट बिजली की कमी होती। बिजली की इस कमी का पश्चिम बंगाल के ग्रौद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। कुछ उद्योग बन्द हुए हैं। कुछ मिलें ग्रपनी क्षमता से कम क्षमता पर चल रही हैं। केवल मात्र पटसन उद्योग में ही 5 करोड़ रुपए के मूल्य का उत्पादन कम हुआ है। पावर शैडिंग के परिणामस्वरूप राज्य को केवल एक घंटे में 50 लाख रुपए की हानि उठानी पड़ती है। स्थिति का सामना करने के विचार से सरकार ने कुछ प्रतिबन्ध लगाए परन्तु उनका भी जिलों ग्रौर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रौद्योगिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। जिलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रौद्योगीकरण, हल्दिया उद्योग समूह के स्थापित होने ग्रौर विकास की सामान्य गति बनाये रखने पर बिजली की मांग 1976-77 तक 550 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 100 मेगावाट की ग्रौर ग्रपेक्षा होगी। इस प्रकार बहुत ही गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। अत: ग्रकेले दक्षिण बंगाल के लिए ही कम से कम 500 मेगावाट बिजली के अतिरिक्त उत्पादन की ग्रावश्यकता है।

कलकत्ता का व्यापार पूर्णत: ब्रिटिश एकाधिकार के हाथ में है जिसे छूने का इस सरकार को साहस नहीं है। विदेशी पूंजीपति हमारे सरकारी क्षेत्र, जिनकी उत्पादन क्षमता कम है, की कीमत पर इस देश में व्यापार करके लाभ बटोर रहे हैं। कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन 519 मेगावाट की कुल खपत में से ग्राधी बिजली भी पैदा नहीं करता। वितरण कार्य के लिये ग्राप ग्रपने देश को ब्रिटिश एकाधिकार पर क्यों निर्भर बना रहे हैं ? इस कारपोरेशन में भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री सचिन चौधरी सरीखे प्रभावशाली व्यक्ति निदेशक के रूप में काम करते हैं। स्वर्गीय श्री० बी० बी० घोष भी इसके निदेशक थे। इस कारपोरेशन में इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इसलिये सरकार इसे छू तक नहीं सकती।

भारत में यह कम्पनी भारतीय धन से चल रही है। इसने स्टेट बैंक ग्राफ इंण्डिया तथा ग्रन्य वित्तीय संस्थाग्रों से काफी ऋण लिया है। 1963-64 से लेकर 1969-70 तक यह कारपोरेशन प्रति वर्ष 1½ से 2½ करोड़ रुपये का लाभ कमाता रहा ग्रौर यह लाभ विदेशी मुद्रा के रूप में देश से बाहर जाता रहा। क्या इस लाभ को छूट के रूप में

*ग्राध घंटे की चर्चा।

**Half-an hour discussion.

उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा सकता ? इस कारपोरेशन के 5 लाख उपभोक्ता हैं। जो कारपोरेशन 1964 के बाद से अब तक निरन्तर दर बढ़ाता आया है। आजकल भी दर बढ़ाये जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इसकी जांच करायें। कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन में भार कम होने से हमें काफी हानि हो रही है। यह कम्पनी किस अधिकार के अधीन भार कम कर रही है ? यह कम्पनी छोटे-छोटे उपभोक्ताओं को 2 या तीन दिनों के अन्दर बिल अदा करने के लिए बाध्य करती है अन्यथा लाईन काट दी जाती है।

जलढ़ाका 7 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा नहीं कर सकता। उत्तर बंगाल की मांग कम से कम 25 मेगावाट है। इस प्रकार 18 मेगावाट की कमी है। मौजूदा उद्योग बन्द किये जा रहे हैं अथवा उनमें क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है। अतः विस्तार का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह वे यह चाहते हैं कि देश के उस भाग में उद्योगों का विकास हो तो 50 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी और यदि 50 प्रतिशत चाय बागान को बिजली दी जाती है तो 50 से 60 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होगी।

उत्तरी बंगाल में औद्योगिक संभावनाओं का बिल्कुल उपयोग नहीं किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 10 मेगावाट बिजली से कम मात्रा की आवश्यकता नहीं होगी। अस्थायी व्यवस्था करने के लिए सरकार थोड़े समय के लिए आसाम और बिहार से बिजली ले सकती है क्योंकि आसाम और बिहार से 3 मेगावाट बिजली मिल सकेगी।

मेरा सुझाव है कि वहां तापीय बिजली घर की स्थापना की जाये जो 300 मेगावाट बिजली पैदा कर सके। उसे बाजार के निकट स्थापित किया जाना चाहिये।

मन्त्री महोदय ने 21 सितम्बर, 1971 को कलकत्ता में कहा था कि दो सुपर तापीय बिजली घर स्थापित किये जायेंगे परन्तु इस समय कलकत्ता के आस-पास 50 मेगावाट क्षमता का बिजली पैदा करने का यंत्र लगाया जाना चाहिए।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : मैं इस बात से सहमत हूं कि केन्द्रीय सरकार ने काफी उपाय किये हैं। परन्तु मुख्य आवश्यकता विद्युत की है। विद्युत विकास का मूल इन्फ्रास्ट्रक्चर है और इसके बिना पश्चिम बंगाल का विकास नहीं हो सकता है।

आज भी कलकत्ता में उद्योगों को हर क्षेत्र में घाटा हो रहा है। उन्हें संशोधित दरों पर बिजली नहीं मिल रही है, यदि 5-6 वर्षों में हल्दिया का भी विकास होगा, तो पता नहीं तब तक क्या होगा।

पिछड़े जिलों का विकास करने के लिये सरकार की कई परियोजनायें हैं। उत्तरी बंगाल के सभी जिले पिछड़े हुए हैं।

चाय बागान की मांग को ही लीजिये। यह ऐसा उद्योग है जिससे लगभग 160 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। उत्तरी बंगाल के इन चाय बागानों को आधुनिक बनाने के लिए इन्हें और 50-60 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता होगी।

उत्तरी बंगाल में 'जलढ़ाका' परियोजना है जिसे वहां व्यंग्य के रूप में "जले ढ़ाका" कहते

हैं। यदि जलढ़ाका को पूर्णतया स्थापित भी कर दिया गया तो उसे 14-15 मेगावाट बिजली पैदा होगी जब कि वहां 35 मेगावाट की आवश्यकता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण के समय चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुसार अकेले कूच-बिहार जिले में 97 गांवों को बिजली दी जायेगी, परन्तु इस प्रयोजन के लिये मुश्किल से एक-दो मेगा-वाट बिजली होगी।

अतः औद्योगिक विकास और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए हमें अधिक विद्युत चाहिये। वहां स्थानीय परियोजनायें चलाई जा सकती हैं परन्तु बिना बिजली का कोई भी विकास नहीं हो सकता।

मन्त्री महोदय ने एक बार प्रस्ताव किया था कि उत्तरी बंगाल "सुपर तापीय बिजली घर" लगाया जाएगा जो बिहार की सीमा पर होगा। अब समाचार पत्रों में यह समाचार आ रहा है कि वह बिजली घर बिहार में लगाया जायेगा। परन्तु यदि इसे बिहार या आसाम में लगा दिया जायेगा तो आपात कालीन आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी, और फिर उत्तरी बंगाल को बिजली कहां से मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार को अलग विद्युत परियोजना आरम्भ करनी चाहिये।

यह मांग की गई थी कि आगामी सात-आठ वर्षों में उत्तरी बंगाल की आवश्यकता पूरी करने के लिये अलग तापीय बिजली घर की स्थापना की जा नी चाहिये जो 240-250 मेगावाट बिजली पैदा कर सके और इसके लिए रेल लाइन पर तथा अन्य संचार व्यवस्था से सम्बद्ध डलकोला स्थान को चुना गया था। यह अच्छा सुझाव था।

मन्त्री महोदय दो बात स्पष्ट करें। क्या वह डलकोला तापीय बिजली घर परियोजना की मंज़ूरी देंगे और क्या जलढ़ाका परियोजना को कार्य रूप में परिणत किया जायेगा?

उत्तरी बंगाल में दो-तीन 'गैस टरबाइन' इंजनों की स्थापना की जानी चाहिये ताकि लोगों को 50-60 मेगावाट बिजली मिल सके। ये मेरे सुझाव हैं।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां से देश में विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ हुआ है। वहां पहला पन बिजली केन्द्र 1897 में और तापीय बिजली घर 1901 में स्थापित किया गया था। उसके बाद 1960 तक यह राज्य बिजली की क्षमता के मामले में सर्वोपरि रहा।

यह सच है कि 1964 के बाद से वहां दामोदर घाटी निगम और जलढ़ाका से थोड़ी बिजली के अतिरिक्त और अधिक बिजली नहीं लगी है। 1964 में योजना आयोग ने दुर्गापुर में 150 मेगावाट के एक एकक और संथालडीह में 120 मेगावाट के चार एककों की मंज़ूरी दी थी, परन्तु वहां की सरकार ने अनमने भाव से विद्युत उत्पादन को लिया है।

इस बारे में हमने जो कुछ संभव था करने के लिए शीघ्रता की। संथालडीह में दो एककों में काम चला रहा है। शेष दो एककों का कार्य आगामी वर्षों में आरम्भ होने की आशा की जाती है।

हम बंदेल में 200 मेगावाट के एक एकक की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी प्राप्त प्रतिवेदन की जांच के बाद ऐसा किया जायेगा। इस प्रकार संथालडीह के दो एककों में प्रत्येक की 120 मेगावाट और 200 मेगावाट बंदेल की क्षमता 440 मेगावाट हो जाती है।

कोलाघाट में 400 एम० डब्ल्यू० बिजली मिला कर 840 मेगावाट बिजली हो जायेगी। हम इस पर विचार कर रहे हैं परन्तु यह राज्य का विषय है ।

हमारा विचार 1980 तक कलकत्ता में 40 लाख किलोवाट बिजली उपलब्ध कराने का है जो इस समय 15 लाख किलोवाट है ।

इसके लिए धन चाहिए और इस बारे में इस सरकार या उस सरकार पर आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि 1964 से लेकर 1971 तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

सिद्धान्ततः इस समय हमें इतनी बिजली पैदा करनी चाहिए जो मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त हो । इसके कुछ कारण हैं । एक मुख्य कारण तो वहां प्रयुक्त होने वाला कोयला है । खराब कोयला प्रयोग करने से मशीनें खराब हो जाती हैं और 150 मेगावाट के स्थान पर 100 मेगावाट ही पैदा करते हैं । इस प्रश्न पर मैंने इस्पात मन्त्रालय से भी बातचीत की है ।

इन दिनों में श्रमिकों सम्बन्धी काफी कठिनाई हुई है । मैं यह नहीं कहता कि यही विशेष कारण है परन्तु बंदेल में ऐसा हुआ है ।

तीसरा कारण वर्षा और तूफान का है, इनकी नमी से कोयला खराब हो जाता है जिससे काफ़ी कठिनाई होती है । तूफान ट्रांसमिशन लाइनों पर प्रभाव डालता है और पहले ही ये लाइनें कम हैं ।

नवम्बर में कुछ सुधार हुआ था परन्तु कल ही दुर्गापुर में मशीनें खराब हो जाने के कारण 80 मेगावाट बिजली का नुकसान हो गया । दामोदर घाटी निगम से थोड़ी बिजली दी जा सकती थी परन्तु ट्रांसमिशन प्रणाली से वहां से केवल 100 मेगावाट बिजली ही ले जाई जा सकती है और दुर्गापुर परियोजना 160 मेगावाट बिजली ले जाई जा सकती है । अतः हमने अनुदेश दे दिये हैं कि संथालडीह से हावड़ा तक 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन डाल दी जाये । इससे 1975-76 तक स्थिति काफी अच्छी हो जायेगी परन्तु अभी स्थिति जरा ठीक नहीं है ।

कलकत्ता में भी बिजली के लिये माँग बढ़ी है जो स्वाभाविक है । वहां प्रति वर्ष 10-12 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए और 560 मेगावाट के स्थान पर अब तक वहाँ 700-800 मेगावाट बिजली होनी चाहिये थी ।

उत्तरी बंगाल भी उत्तरी बिहार की तरह ऐसा उपेक्षित क्षेत्र है कि कोई गंगा के पार नहीं जाना है । यह कभी नहीं कहा गया कि जलढ़ाका से इस समस्या का समाधान हो जायेगा । यह छोटी पन-बिजली परियोजनायें हैं । ऐसी परियोजनायें कई राज्यों में हैं । हाल में हमने यह अनुदेश दिये हैं कि कोई भी तापीय बिजली घर 200 मेगावाट से कम नहीं होना चाहिए और 50 मेगावाट से कम कोई पन-बिजली घर नहीं होना चाहिये । अब हम अलीपुर दुआर्स से बोंगेगांव तक ट्रांसमिशन लाइन डाल रहे हैं जो 1973 तक पूरी हो जायेगी ।

हम चाहते हैं कि उत्तरी बंगाल और उत्तरी बिहार में बिजली की स्थिति सुधरे, इसके लिये प्रतिवेदन मांगा गया है । उत्तरी बंगाल में खजुरियाघाट में बिजली घर की स्थापना का प्रतिवेदन दिया है । उत्तरी बिहार ने पूर्णिया में बिजली घर स्थापित करने के बारे में प्रतिवेदन

दिया है। यदि आप चाहते हैं कि इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी दी जाये तो ऐसा कल ही कर दिया जायेगा। यदि दोनों परियोजनाओं को मिला दिया जाये और केन्द्र से सहायता ली जाये तो दोनों ही पिछड़े क्षेत्रों का लाभ मिल सकता है। इस सम्बन्ध में अभी तक योजना आयोग को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। यह प्रस्ताव इसशिए भेजा गया था कि दोनों ही क्षेत्रों में बिजली की खपत प्रति व्यक्ति बहुत ही कम है।

जहां तक श्री ज्योतिर्मय बसु के इस विचार का सम्बन्ध है कि केन्द्र द्वारा धन दिया जाकर दोनों क्षेत्रों में कहीं भी बिजली केन्द्र स्थापित किया जाये और वहां के लोगों को बिजली दी जाये परन्तु मेरे सहयोगी मुझे अनुमति नहीं देंगे। अब फरक्का बांध तक बड़ी लाइन डाल दी गई है और वहां से उत्तरी क्षेत्र को कोयला भेजा जा सकता है। फिर भी इन दोनों क्षेत्रों पर काफी ध्यान दिया जायेगा।

जहां तक गैस टरबाइन का प्रश्न है, यह योजना बहुत मंहगी पड़ेगी क्योंकि विद्युत पर 7-8 पैसे खर्च आते हैं तो इस पर 30-40 पैसे आयेंगे। आजकल वहां तेल और गैस उपलब्ध भी नहीं है। बरौनी तेल शोधक कारखाने को तेल के आधार पर मंजूरी दी गई थी परन्तु पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय ने तेल की सप्लाई करने से इन्कार कर दिया है। अतः हम दूसरे स्थान पर कोयले का प्रयोग कर रहे हैं।

अन्य प्रश्न कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम के बारे में है। इस बारे में जांच करवाई जायेगी। इस निगम को दमोदर घाटी निगम और पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड से 50 प्रतिशत विद्युत मिलती है। इन संगठनों ने दरें बढ़ा दी हैं। इस बारे में जांच की जायेगी।

जहां तक परमाणु संयंत्र का प्रश्न है उसे पूर्वी भारत में लगाने की अनुमति दी जायेगी क्योंकि वह कोयले वाला क्षेत्र है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 25 नवम्बर, 1971 4 अग्रहायण 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then djourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 25th November, 1971/Agrahayana 4, 1893 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20, Daryaganj Delhi-6.